त्रयोदश माला, खंड 34, अंक 37

शुक्रवार, 9 मई, 2003
19 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 34 में अंक 31 से 37 तक हैं)

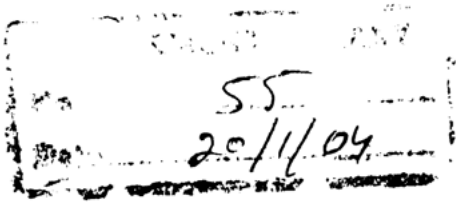

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 34, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 37, शुक्रवार, 9 मई, 2003/19 वैशाख, 1925 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 684 से 687	12–38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 683 और 688 से 702	38–61
अतारांकित प्रश्न संख्या 6771 से 6939	61–243
धान की खरीद के बारे में दिनांक 25.04.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5106 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	243
सभा पटल पर रखे गये पत्र	244–256
राज्य सभा से संदेश	256–257
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	257
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	257
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
पच्चीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	258
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	258–259
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में	
श्री जसवंत सिंह	260–261
(दो) भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जी एस एल वी) डी-2 की दूसरी परीक्षण उड़ान के सफल प्रक्षेपण के बारे में	
श्री सत्यव्रत मुखर्जी	261–262

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विख्यात स्वतंत्रता सेनानी श्री जगदीश भाई को राजकीय सम्मान से कथित रूप से वंचित किए जाने के बारे में	263–267
(दो) देश में गन्ना उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में	292–303
अध्यक्ष महोदय को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई	267–279
श्री मुलायम सिंह यादव	267
श्री रामविलास पासवान	267–268
श्री सोमनाथ चटर्जी	267
श्री विलास मुत्तेमवार	268
श्री चन्द्रशेखर	269
डा. विजय कुमार मल्होत्रा	269
श्री राशिद अलवी	270
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	270
डा. वी. सरोजा	270
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	271
श्री रामजीवन सिंह	271
श्री ई. पोन्नुस्वामी	271
श्री जी.एम. बनातवाला	272
श्रीमती रेणूका चौधरी	272
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	273
श्री चन्द्रविजय सिंह	273–274
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	274
श्री पी.सी. थामस	274
श्रीमती निवेदिता माने	274
श्री रामदास आठवले	274–275
श्री सनत कुमार मंडल	275
श्री सुरेश रामराव जाधव	275–276
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	276
श्रीमती सुषमा स्वराज	276–277
अध्यक्ष महोदय	277–279

विषय	कालम
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
गंगा नदी में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने के कारण होने वाले प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति	280–288
योगी आदित्यनाथ	280, 282–283
श्री टी.आर. बालू	280–282, 284, 287–88
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	285
सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*	310–314, 369–376
(एक) संघ राज्य क्षेत्र न्यायिक अधिकारी वेतन और भत्ता विधेयक	310–314
(दो) संविधान (अठानवेवां संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 124, 217, 222 और 231 का संशोधन तथा नए अध्याय 4क का अंत:स्थापन)	369–370
(तीन) संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 332 का संशोधन)	370
(चार) संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक	370–375
(पांच) अवैध प्रवासी विधि (निरसन और संशोधन) विधेयक	375–376
नियम 377 के अधीन मामले	314–322
(एक) गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आग से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री वृज भूषण शरण सिंह	315
(दो) मध्य प्रदेश में बीना में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	315
(तीन) देश में बाल श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता	
डा. जसवंत सिंह यादव	315–316
(चार) क्रांतिवीर श्यामजी वर्मा की अस्थियों को स्विट्जरलैंड से भारत लाए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	316
(पांच) उड़ीसा के कालाहांडी और नौपाड़ा जिलों में श्रम प्रधान कार्य लिंक परियोजनाओं के लिए समुचित निधि के आबंटन द्वारा पेयजल की गंभीर समस्या का हल किए जाने की आवश्यकता	
श्री बिक्रम केशरी देव	316–317
(छह) महाराष्ट्र सरकार के राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री नरेश पुगलिया	317
(सात) अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केन्द्रीय बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	317

विषय		कालम
(आठ)	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में रह रहे निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए वहनीय स्ववित्तपोषित निम्न आय वर्ग आवास योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पवन कुमार बंसल	318
(नौ)	त्रिपुरा में मेडिकल कालेज खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री खगेन दास	318–319
(दस)	हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे प्लेटफार्मों पर हैंडलूम शोरूम खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री वाई.वी. राव	319
(ग्यारह)	तमिल को प्राचीन भाषा घोषित किए जाने और दिल्ली में तमिल अकादमी स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. वेणुगोपाल	319–320
(बारह)	राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक परियोजना के अंतर्गत बिहार में महाराजगंज, सारण से होते हुए मांझी और बरौली के बीच सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुनाथ सिंह	320
(तेरह)	हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल को फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य	320–321
(चौदह)	पांच वर्षों के बाद शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के लिए निर्वाचन को अनिवार्य बनाए जाने के लिए सिख गुरूद्वारा अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	सरदार सिमरनजीत सिंह मान	321
(पंद्रह)	महाराष्ट्र विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामदास आठवले	322
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक		324–353
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री विलास मुत्तेमवार	324–330
	श्री वी. धनंजय कुमार	330–333
	प्रो. ए.के. प्रेमाजम	333–335
	श्री के.ए. सांगतम	335–337
	श्री सी. श्रीनिवासन	337–341
	श्री के. येरननायडू	342–343
	श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	344
	श्री सी.के. जाफर शरीफ	344–345

विषय	कालम
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	345–346
श्री रमेश चेन्नितला	346–348
श्री बिक्रम केशरी देव	348–349
श्री रामदास आठवले	349
श्री वरकला राधाकृष्णन	349–350
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	351–352
खंड 2 से 12 और 1	352
पारित करने के लिए प्रस्ताव	353
विधेयकों के पुर:स्थापन के बारे में	353–369
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	376
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प	
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	376–404
डा. वी. सरोजा	376–381
श्री वरकला राधाकृष्णन	381–385
श्री भर्तृहरि महताब	385–389
श्री पवन कुमार बंसल	389–393
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	394–396
डा. सत्यनारायण जटिया	396–397
आधे घंटे की चर्चा	
खाद्यान्नों की खरीद संबंधी कार्य को भारतीय खाद्य निगम से वापस लेने के बारे में	404–414
श्री के. येरननायडू	404–405, 411–412
प्रो. रासा सिंह रावत	406
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	406
श्री पवन कुमार बंसल	407
श्री बिक्रम केशरी देव	407
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	407–408
श्री एन. जनार्दन रेड्डी	408
श्री शरद यादव	408–414
विदाई-उल्लेख	415–418
राष्ट्र गीत	418

लोक सभा

शुक्रवार, 9 मई, 2003/19 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, वे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इस सवाल पर आपके द्वारा सदन के अंदर लगातार चर्चा कराई गई। ...*(व्यवधान)* खाद्य मंत्री जी ने गलत बयानी की है कि चीनी मिलें तब तक बंद नहीं होंगी जब तक गन्ने की पिराई पूरी नहीं हो जाएगी। ...*(व्यवधान)* मैं आपनी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि कई चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बंद हो चुकी हैं। ...*(व्यवधान)* किसानों का गन्ना अभी भी खड़ा है। ...*(व्यवधान)* किसानों के आक्रोश का परिणाम कल राष्ट्रपति भवन के सामने दिखायी दिया जब प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया और गन्ना और आलू जलाकर विरोध प्रदर्शित किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदय, गन्ना किसानों के बारे में एक नहीं, कई बार सदन में चर्चा हो चुकी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): यहां मंत्री जी आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उस पर होता कुछ नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे स्थगन प्रस्ताव की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना गन्ना, आलू तथा गेहूं उत्पादकों की समस्याओं का समाधान न होने के कारण उनके बीच व्याप्त आक्रोश के बारे में है। मुझे जो दूसरी सूचना प्राप्त हुई है वह श्री राम विलास पासवान द्वारा दी गयी है। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री जगदीशभाई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी सम्मान न दिये जाने के बारे में है। तीसरी सूचना श्री सी.एन. सिंह द्वारा दी गयी है जो एक संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकरण के बारे में दिये गये उनके वक्तव्य के कारण उन्हें जान-माल की धमकी दिये जाने तथा उन्हें कथित रूप से धमकाये जाने के बारे में है। इन्हीं माननीय सदस्यों से हमें प्रश्नकाल स्थगित किये जाने की सूचनाएं भी मिली हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव तथा प्रश्नकाल स्थगित कर दिये जाने की सूचना को अस्वीकृत कर दिया है। लेकिन साथ ही इन सभी मुद्दों को शून्यकाल में उठाया जा सकता है। विशेषकर गन्ना, आलू तथा गेहूं उत्पादकों से जुड़े मामलों को, क्योंकि सत्र का अंतिम दिन होने के कारण मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि वह इन मुद्दों पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित रहें।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार से संबंधित सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: हां, मुझे आपकी विशेषाधिकार से संबंधित सूचना भी मिली है। आपके विशेषाधिकार सूचना को भी बाद में लिया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, कल ही खाद्य मंत्री जी ने कहा था कि चीनी मिलें तब तक बंद नहीं होंगी जब तक गन्ना खड़ा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जीरो आवर में यह प्रश्न उठाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश जी, आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सा-ने हाउस में प्रीविलेज का एक बहुत गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, मल्होत्रा जी जब नेताओं की बैठक में आते हैं, तब दूसरी तरह से बात करते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इन दोनों सदस्य समूहों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह समझने दीजिये कि वह क्या कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, कल जब यहां जार्ज साहब से सवाल पूछा गया, चार माननीय सदस्य उनसे सवाल पूछ रहे थे लेकिन सवाल पूछने के बाद उन्हें बार-बार बाहर आने के लिए कहा गया, इनटिमिडेट किया गया। जब वे बाहर नहीं गये तो उसके बाद उन पर कार्यवाही की गई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, कौल और शकधर की संसदीय प्रक्रिया और पद्धति के पांचवें संस्करण के पृष्ठ 286 पर दिया गया है कि-

> "सदस्यों को उनके संसदीय आचरण में प्रभावित करने के लिए धमकी देकर डराने का प्रयास विशेषाधिकार भंग है।"

कांग्रेस पार्टी के नेता और उपनेता ने चार संसद सदस्यों को मेहनत और निष्ठा से कार्य करने के लिए प्रताड़ित कर विशेषाधिकारों का घोर उल्लंघन किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछें या कालिंग अटेंशन पर सवाल पूछें, क्या यह कोई अपराध है या किसी माननीय सदस्य को इस बात पर व्हिप ईश्यू किया जा सकता है। आप वोटिंग के टाइम पर कोई व्हिप दें तो बात समझ में आती है, पर वोटिंग के अलावा कोई मैम्बर अगर सवाल पूछता है, उसका प्रश्न यहां लगा हो, कोई कालिंग अटेंशन मोशन लगा हो और उस पर केवल प्रश्न पूछने के लिए हाउस में वह प्रेजेन्ट रहे, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस मामले को प्रश्नकाल के बाद उठाया जा सकता है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, आपने देखा है, सारे हाउस ने देखा है कि बार-बार उन्हें कहा गया कि आप बाहर आइये, बार-बार उनको धमकी दी गई और बाद में उनको माफी मांगने के लिए कहा गया कि आप माफी मांगिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि डिफेंस के सवाल पर हम बहस नहीं कर सके, देश की सिक्योरिटी खतरे में डाली गई, यह भी नहीं कि कुछ मैम्बर्स इर्रेस्पोंसिबली और अनडैमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, वह बात अलग है, परन्तु यह विशेषाधिकार का बहुत गंभीर मामला है और मैं चाहता हूं कि आप इसका नोट लें और इस मामले को प्रिवलेज कमेटी को भेजिये। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों ने मिलकर नोटिस दिया है। हम चाहेंगे कि सब लोगों को बोलने का मौका दिया जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मामले पर वाद-विवाद शुरू करने नहीं जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मल्होत्रा जी ने जिस सवाल को उठाया है, प्रत्येक माननीय सदस्य के इस सदन में कुछ अधिकार होते हैं। माननीय सदस्य अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, सदन में माननीय रक्षा मंत्री से जो देश की सुरक्षा और रक्षा से जुड़े हुए सवाल थे, उन पर प्रश्न कर रहे थे। आज जैसा अखबारों में छपा है कि प्रश्नकर्ता को यहां प्रश्न करने के लिए माफी मांगनी पड़ी है। यह बिल्कुल प्रिवलेज का मामला बनता है, माफी मांगना इसके लिए एक सजा हुई। अन्य लोगों के लिए भी नोटिस जारी किया गया है, इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): यह पार्टी का अन्दरूनी मामला है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप कांग्रेस पार्टी का जवाब देंगे क्या? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदस्यों से कोई सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। सदस्यों ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की है।

[हिन्दी]

प्लीज बैठिये। अब दूसरा विषय चल रहा है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य ने आपको लिखकर दिया है?

अध्यक्ष महोदय: मैं वही बोल रहा हूं कि मेरे पास उनका कोई पत्र नहीं है। मि. झा, बोलिये।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री मुलायम सिंह जी और हम लोगों ने आपको प्रिवलेज नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसकी मेरे पास सूचना है, लेकिन यह टाइम सूचना देने का नहीं है। मैं तो केवल जानना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ झा: उनको सदन की कार्यवाही के लिए धमकी दी गई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिये।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले को प्रवलेज कमेटी में दीजिए, कौल एण्ड शकधर में यह लिखा हुआ है।...*... इसे आप प्रिवलेज कमेटी में दीजिए। माननीय सदस्यों के यहां सवाल पूछने पर माफी मांगी जाती है, धमकाया जाता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कई सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो कि हमारे समक्ष हैं। डा. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री रघुनाथ झा तथा कई दूसरे सदस्यों ने इस मामले पर सूचनाएं दी हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): उसमें हमारा भी नाम है, आप हमारा नाम भूल जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस भी मेरे पास है। मैं आपका नाम कैसे भूल सकता हूं, रेनु कुमारी जी, आपका नोटिस मेरे पास है। जासोदा जी, आपका नोटिस भी हमारे पास है।

[अनुवाद]

इन सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद, मैं उन पर विचार करूंगा और उन पर अपने निर्णय के बारे में मैं आपको उचित समय पर सूचित कर दूंगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बोगस नोटिस है। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.10 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये)

पूर्वाह्न 11.10$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थान पर वापस जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी-अपनी जगह पर जाइये। मुझे सदन में डिसिप्लिन रखना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी-अपनी जगह पर जाइये और वहां से बोलिये।

...(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

पूर्वाह्न 11.11$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज पाटील, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जायें। मैंने कहा है कि मैं विशेषाधिकार सूचना पर विचार कर रहा हूं। पहले प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें। कृपया अपने स्थान पर वापस जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। आपका जो मुद्दा है, उसे आपने सदन के सामने रख दिया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमने अपनी बात पूरी नहीं की है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके बोलने के बाद मैंने कहा है कि आपका मैटर मेरी कंसीडरेशन में है।

...(व्यवधान)

श्रीमती रेनु कुमारी: अध्यक्ष महोदय, क्या कोई भी मैम्बर कुछ भी बोल सकता है? *...(व्यवधान)* हमारे मुंह में भी जुबान है, हम भी जवाब देना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने (हिंगोली): यह क्या तरीका है? *...(व्यवधान)* यह कौन सा तरीका है? *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, एक साल से हम देख रहे हैं।...*... उसकी आप बात नहीं करते। *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो बातें सुसंगत नहीं हैं उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज वि. पाटील, क्या हम प्रश्नकाल शुरू कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि यही एकमात्र उपाय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे श्री शिवराज वि. पाटील की बात सुनने दीजिये। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, अपने पहले हमारा नाम पुकारा था। *...(व्यवधान)* आप पहले हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। हमने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)* श्री शिवराज पाटिल जी का कोई नोटिस नहीं है जबकि हमने नोटिस दिया है इसलिए आप पहले हमें बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं हर एक सदस्य को उनके नोटिस पर बोलने के लिए समय नहीं दे सकूंगा, क्योंकि नियम के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने हमारा नाम पुकारा है। *...(व्यवधान)* मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे कहने पर खड़े हुए थे। अब जब मैंने बैठने के लिए कहा है तो आपको बैठना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपने पहले मेरा नाम पुकारा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले आपका नाम पुकारा था, उसके बाद मैंने श्री रघुनाथ झा का नाम भी पुकारा था।

...(व्यवधान)

प्रभुनाथ सिंह: आप हमें बोलने के लिए दो मिनट दे दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सबको दो-दो मिनट बोलने के लिए दे चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अभी प्रश्नकाल चल रहा है। इसलिए कोई भी व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं उठायेगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जब कोई व्यक्ति असंसदीय शब्द कहता है तो आप उस शब्द को एक्सपंज कर देते हैं लेकिन जब किसी माननीय सदस्य द्वारा असंसदीय हरकत की जाती है, अनपार्लियामैंट्री जैस्चर होता है तो उसके लिए मैं आपका नियमन चाहता हूं, आप व्यवस्था दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्वैश्चन आवर में प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं इसलिए मैं आपको इसे उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुना जाये। सदन संचालन के लिए जब असंसदीय शब्द का व्यवहार होता है तब आप उस शब्द को एक्सपंज कर देते हैं, उसे कार्यवाही से निकाल देते हैं लेकिन जब किसी माननीय सदस्य द्वारा असंसदीय जैस्चर हो जाये, अनपार्लियामैंट्री जैस्चर हो जाये तो यह व्यवस्था का सवाल है। इस पर हमें आपका नियमन चाहिए क्योंकि सदन में यह क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप रूल्स के अनुसार यदि काम करना चाहते हैं तो मैं किसी भी मैम्बर को इस समय किसी भी विषय पर बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। आप रूल्स जानते हैं फिर भी आप रूल का प्रश्न उठाते हैं? क्या आपको रूल मालूम नहीं है?

[अनुवाद]

पहले प्रश्नकाल पूरा होने दीजिये। उसके बाद शून्यकाल में, मैं उनके द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी नहीं।

[हिन्दी]

आप रूल की बात क्यों कर रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है कि आप जो कुछ कहें, वही सदन में रूल बन जाये।

[अनुवाद]

कृपया सहयोग करें। सभा के सुचारू संचालन के लिए हम कभी-कभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि संपूर्ण प्रश्नकाल को इस पर ही न्यौछावर कर दिया जाये। चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष, हमें सहयोग करना चाहिए। यह एक मिनट की बात है और आप कह सकते हैं कि आपका यह मामला है।

श्री प्रभुनाथ सिंह, मैंने आपको एक मिनट का समय दिया है। एक मिनट के बाद मैं आपको बोलने नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ यह कहना चाहते थे कि कोई भी सदस्य, चाहे वह किसी भी दल का हो, अगर संसद में अपने अधिकार का उपयोग करता है, जैसे कल रक्षा मंत्री जी से कांग्रेस के कुछ माननीय सांसदों ने सवाल पूछे, जिसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने सदन का बहिष्कार किया, उनकी ऐसी पुरानी परम्परा बनी हुई है, लेकिन चार सांसद रुक गए और उन्होंने मंत्री जी से सवाल पूछे। आज अखबारों में छपा है कि उन चार सासंदों में से एक सांसद को माफी मांगनी पड़ी और तीन सांसदों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। जैसे मल्होत्रा जी ने अभी बताया, कौल एंड शकधर के पृष्ठ 255 का हवाला देते हुए बताया, उसके चलते कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और उप-नेता पर प्रिविलेज का मामला बनता है। इसलिए इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में भिजवा कर, नियम-कानून जो कहता है, उसके अनुसार आप कार्यवाही करने की कृपा करें। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात बोल रहा था कि संसदीय कार्य करने के लिए संसद में सवाल पूछना और उसका उत्तर प्राप्त करना, प्रत्येक सांसद का कर्तव्य है। पहले ये लोग बहिष्कार करते थे, लेकिन कल इनके चार सदस्यों ने जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत प्रश्न पूछा और उसका उत्तर सुना, अपना संसदीय कार्य करने के बावजूद उनको प्रताड़ित करना,

धमकाना और डराना, यह स्पष्ट रूप से ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला है, जिसे मल्होत्रा जी ने कोट किया है। ब्रीच आफ प्रिविलेज में सोनिया जी और माननीय पाटिल साहब को ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। मुझे प्रश्नकाल लेना है। शिवराज जी, प्लीज आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोल रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): श्रीमन्, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे कौन्सटीट्यूशन का टैन्थ शैड्यूल बताता है कि सदन में पार्टियां काम करती हैं और हर पार्टी को अपने सदस्यों को यह बोलने का अधिकार है कि वे किस प्रकार वोट दें, किस प्रकार वोट न दें। हमारे यहां की परम्परा रही है कि जब भी सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से यहां कोई काम होता है तो हम अपना प्रोटैस्ट जाहिर करते हैं। प्रोटैस्ट जाहिर करने का सबसे सिविलाईज्ड मैथड वाक आउट करना है, वैल में आना नहीं है। आज वही लोग प्रिविलेज ला रहे हैं जो वैल में आते हैं। ...*(व्यवधान)* हम वाक आउट करते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आपके सदस्य प्रतिदिन वैल में आते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको इजाजत दे दी थी। माननीय सदस्य भी मेरी परमीशन से बोल रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐंटी-डिफैक्शन ला के नीचे, कौन्सटीट्यूशनल प्रोवीजन के अनुसार और हमारी पार्टी के मुताबिक हम अपने सदस्यों को बोल सकते हैं कि पार्टी का यह निर्णय है और आपको उस निर्णय को मानना चाहिए। अगर वे नहीं मानते हैं, तो हम अपनी पार्टी के निर्णय के मुताबिक सदन में ही नहीं, बाहर भी उनके साथ जैसे भी डील करना चाहें, कर सकते हैं। यह प्रिविलेज का प्रश्न कैसे हो गया, मुझे मालूम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिए। उनको बोलने का अधिकार है। उन्हें बोलने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: प्रिविलेज उन पर होना चाहिए जो वैल में आते हैं, प्रिविलेज उन पर होना चाहिए जो अश्लील भाषा का उपयोग करते हैं, उन पर होना चाहिए जो यहां डराते हैं, धमकाते हैं और अपनी बाहें ऊपर करते हैं। उनका व्यवहार प्रिविलेज नहीं है और हम बाहर जो कुछ कर रहे हैं, वह प्रिविलेज की बात हो गई। महोदय, आपके सामने नोटिस है, आप उस पर अगर राय देना चाहें तो हम भी उसके बाद बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 683-श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो गया, प्लीज बैठिए। हर चीज की कोई सीमा होती है।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) अध्यक्ष जी, हमने भी स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उस विषय पर रूलिंग दे दी है। मैं आपको जीरो आवर में बोलने की इजाजत दूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) अध्यक्ष महोदय, किसान को कौन पूछेगा, आज सत्र का आखिरी दिन है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने मंत्री जी को बुलाया है। वे जीरो आवर के बाद यहां आएंगे और बता देंगे।

श्रीमती रेणु कुमारी: अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने निर्णय दिया है, बार-बार निर्णय देने की जरूरत नहीं है। मैंने तीन बार निर्णय दिया है कि

[अनुवाद]

मैं इसकी जांच करने के बाद अपना निर्णय दूंगा।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गेहूं/चावल की अर्थ लागत

***684. श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002-2003 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं और चावल की अर्थ लागत के संदर्भ में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अर्थ लागत का आकलन करते समय किन व्यय मदों को ध्यान में रखा जाता है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक मद के अन्तर्गत वार्षिक व्यय में दर्ज बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध महरिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा पर पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) वर्ष 2002-03 (संशोधित अनुमान) के लिए भारतीय खाद्य निगम की गेहूं और चावल की आर्थिक लागत निम्नानुसार है:

गेहूं – 891.73 रुपये प्रति क्विंटल

चावल – 1223.17 रुपये प्रति क्विंटल

(ख) और (ग) खर्च के विभिन्न शीर्षों के अधीन गेहूं और चावल की आर्थिक लागत के ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों में वहन किए गए वार्षिक खर्च (दर प्रति क्विंटल) में दर्ज प्रतिशत अंतर के ब्यौरे अनुबंध-II (क) और II(ख) में दिए गए हैं।

अनुबंध I

2002-03 (संशोधित अनुमान) के लिए आर्थिक लागत का विवरण

		गेहूं दर रु. प्रति क्विंटल	चावल दर रु. प्रति क्विंटल
1		2	3
1.	अनाज की एकीकृत लागत	596.30	994.77
2.	वसूली आनुषंगिक–		
क.	सांविधिक/अनिवार्य लागत:		
(1)	मंडी प्रभार	38.45	6.51
(2)	क्रय कर	24.77	8.33
(3)	बोरी की लागत	39.52	50.19
	जोड़	102.74	65.03
ख.	श्रम व ढुलाई प्रभार	23.75	12.15
ग.	राज्य एजेंसियों को प्रदत्त भंडारण व ब्याज प्रभार:		
(1)	भंडार प्रभार	2.30	0.08
(2)	ब्याज	9.51	0.25
(3)	गत वर्ष के बकाया	3.73	7.05
	जोड़	15.54	7.38

1	2	3
	घ. राज्य/एजेंसियों को प्रशासनिक प्रभार	15.50	3.09
	ङ. अन्य (गारंटी शुल्क आदि)	0.74	उपलब्ध नहीं
	कुल वसूली आनुषंगिक	158.27	87.65
3.	अधिग्रहण लागत	754.57	1082.42
4.	वितरण लागत:		
	(1) भाड़ा	42.40	23.68
	(2) हैंडलिंग प्रभार	25.96	25.96
	(3) भंडारण प्रभार	16.84	16.84
	(4) ब्याज	36.10	51.75
	(5) कमियां	2.06	8.72
	(6) भारतीय खाद्य निगम का प्रशासनिक उपरिव्यय	13.80	13.80
	कुल वितरण लागत	137.16	140.75
5.	आर्थिक लागत	981.73	1223.17

अनुबंध II(क)

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक शीर्ष के अधीन वार्षिक व्यय (दर प्रति क्विंटल) में वृद्धि की प्रतिशतता

गेहूं

		1999-2000 दर प्रति क्विंटल	2000-01	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	2001-02 (अनंतिम)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	2002-03 (सं.अ.)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अनाज की एकीकृत लागत	518.08	542.41	4.70	578.29	6.61	596.30	3.11
2.	वसूली प्रासंगिक खर्चे—							
	क. सांविधिक/अनिवार्य लागत:							
	(1) मंडी प्रभार	29.76	33.41	12.26	34.13	2.16	38.45	12.66
	(2) क्रय कर	19.42	21.04	8.34	23.65	12.40	24.77	4.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(3) बोरी की लागत	29.70	34.06	14.68	36.36	6.75	39.52	8.69
	जोड़	78.88	88.51	12.21	94.14	6.36	120.74	9.14
	ख. श्रम और ढुलाई प्रभार	16.16	17.64	9.16	21.44	21.54	23.75	10.77
	ग. राज्य एजेंसियों को अदा किया गया भंडारण और ब्याज प्रभार:							
	(1) भंडारण प्रभार	1.80	2.10	16.67	1.76	-16.19	2.30	30.68
	(2) ब्याज	9.21	6.89	-25.19	7.59	10.16	9.51	25.30
	(3) पिछले वर्ष के बकाया	0.14	1.18	742.85	2.56	116.97	3.73	45.70
	जोड़	11.15	10.17	-8.79	11.91	17.11	15.54	30.48
	घ. राज्य एजेंसियों के प्रशासनिक प्रभार*	9.92	11.14	12.29	15.25	36.89	15.50	1.64
	ङ. अन्य (चुंगी, बोरी, ढुलाई, गारंटी फीस)	0.95	0.74	-22.11	10.40	1305.41	0.74	-92.88
	जोड़ वसूली प्रासंगिक खर्च	117.06	128.20	9.52	153.14	19.45	158.27	3.35
	च. राज्य सरकारों को अग्रनयन प्रभार	50.37	46.72	-7.25	—	—	—	—
3.	अधिग्रहण लागत	685.15	717.33	4.64	731.43	1.97	754.57	3.16
4.	वितरण लागत:							
	(1) भाड़ा	92.66	59.25	-36.06	39.02	-34.14	42.40	8.66
	(2) हैण्डलिंग प्रभार	28.52	27.27	-4.38	24.00	-11.99	25.96	8.17
	(3) भंडारण प्रभार	15.01	12.66	-15.66	14.29	12.88	16.84	17.84
	(4) ब्याज	41.14	46.68	13.47	33.00	-29.31	36.10	9.39
	(5) कमियां	8.40	3.64	-56.67	2.39	-34.34	2.06	-13.81
	(6) भा.खा.नि. के प्रशासनिक ऊपरी खर्च	16.27	16.65	2.34	15.07	-9.49	13.80	-8.43
	कुल वितरण लागत	202.00	166.15	-17.75	127.77	-23.10	137.16	7.35
5.	आर्थिक लागत	887.51	883.48	-0.45	859.20	-2.75	891.73	3.79

*2001-02 से व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार अग्रनयन प्रभारों को बफर स्टाक रखने की लागत में शामिल किए गया है।

अनुबंध II(ख)

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक शीर्ष के तहत वार्षिक व्यय (दर प्रति क्विंटल) में दर्ज की गई प्रतिशतता

चावल

		1999-2000 दर रुपये प्रति क्विंटल	2000-01	गत वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	2001-02 (अनंतिम)	गत वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	2002-03 (संशोधित अनुमान)	गत वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत
1.	अनाज की एकीकृत लागत	831.24	877.27	5.54	967.66	12.58	994.77	0.72
2.	वसूली आनुषंगिक—							
क.	सांविधिक/अनिवार्य लागत:							
	(1) मंडी प्रभार	5.50	6.22	13.09	5.43	-12.70	6.51	19.89
	(2) क्रय कर	7.09	7.90	11.42	7.47	-5.44	8.33	11.51
	(3) बोरी की लागत	30.42	36.05	18.51	45.01	24.85	50.19	11.51
	जोड़	43.01	50.17	16.65	57.91	15.43	65.03	12.29
ख.	श्रम और ढुलाई प्रभार	8.81	10.13	14.98	10.49	3.55	12.15	15.82
ग.	राज्य एजेंसियों को प्रदत्त भंडारण व ब्याज प्रभार:							
	(1) भंडारण प्रभार	0.07	—	—	0.08	—	0.08	0.00
	(2) ब्याज	0.20	0.10	-50.00	0.22	120.00	0.25	13.64
	(3) गत वर्ष के बकाया	1.55	6.67	330.32	11.35	70.16	7.05	-37.89
	जोड़	1.82	6.77	271.98	11.65	72.08	7.38	-36.65
घ.	राज्य एजेंसियों को प्रशासनिक प्रभार	2.42	2.79	15.29	3.21	3.09	3.09	-3.74
ङ.	अन्य (गारंटी शुल्क आदि)	लागू नहीं						
	कुल वसूली आनुषंगिक	56.06	69.86	24.62	83.26	19.18	87.65	5.27
च.	राज्य सरकारों को प्रदत्त अग्रनयन प्रभार	लागू नहीं						
3.	अधिग्रहण लागत	887.30	947.13	6.74	1070.92	13.07	1082.42	1.07
4.	वितरण लागत:							
	(1) भाड़ा	58.32	59.82	2.57	16.36	-72.65	23.68	44.74
	(2) हैंडलिंग प्रभार	28.52	27.27	-4.38	24.00	-11.99	25.96	8.17
	(3) भंडारण प्रभार	15.01	12.66	-15.66	14.29	12.88	16.84	17.84
	(4) ब्याज	53.12	61.74	16.23	48.33	-21.72	51.75	7.08
	(5) कमियां	16.26	11.80	-27.43	6.58	-44.24	8.72	32.52
	(6) भा.खा.नि. का प्रशासनिक उपरिव्यय	16.27	16.65	2.34	15.07	-9.49	13.80	-8.43
	कुल वितरण लागत	187.50	189.94	1.30	124.63	-34.38	140.75	12.93
5.	आर्थिक लागत	1074.80	1137.07	5.79	1195.55	5.14	1223.17	2.31

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमने सवाल पूछा था कि सरकार ने विगत 2002-2003 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं और चावल की अर्थ लागत के संदर्भ में क्या कोई आकलन किया है। वर्ष 1999-2000 में अनाज की एकीकृत लागत 831.24 रुपये प्रति क्विंटल, 2000-2001 में 877.27 रुपये प्रति क्विंटल, 2001-2002 में 887.68 रुपये प्रति क्विंटल और 2002-2003 में 994.77 रुपये प्रति क्विंटल निकाली गई है। वर्ष 2002-2003 के अनुमान के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की गेहूं और चावल की आर्थिक लागत—गेहूं 891.73 रुपये प्रति क्विंटल और चावल 1223 रुपये प्रति क्विंटल है। मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कनसैप्ट की अवधारणा थी कि आम उपभोक्ता के पास सस्ता अनाज, सस्ता चावल पहुंचे, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसान से साढ़े पांच सौ, छः सौ रुपये प्रति क्विटंल की दर पर गेहूं खरीदा जाता है, साढ़े पांच सौ रुपये भी नहीं मिल रहा है, और भारतीय खाद्य निगम के पास जाते-जाते उसका दाम लगभग 900 रुपये प्रति क्विटंल हो जाता है। आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सार्थकता खत्म हो गई है। जब राशन की दुकान से आम उपभोक्ता को 9 रुपये प्रति किलो गेहूं मिलेगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या सार्थकता रह गई ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पीछे एक कमेटी बनाई गई थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामजीलाल सुमन: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: सीधे प्रश्न क्यों नहीं पूछते। दूसरे माननीय सदस्यों का समय भी लेते हैं और आपका अपना समय भी नष्ट होता है।

श्री रामजीलाल सुमन: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत को कम करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? मेरा दूसरा सवाल है कि—

[अनुवाद]

हैदराबाद स्थित भारत प्रशासनिक स्टाफ कालेज ने देश की खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली के संचालन में लागत को कम करने के उद्देश्य से भारत खाद्य निगम के पुनर्गठन की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

इन संस्थान ने रिपोर्ट दी है कि लागत खर्चे में कमी की जाए। हैदराबाद के स्टाफ कालेज की संस्तुतियों को लागू करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम जिस तरह अनाप-शनाप खर्च में बढ़ोत्तरी कर रहा है, अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ा रहा है, उन खर्चों को कम करने के लिए सरकार क्या सार्थक पहल कर रही है?

श्री सुभाष महरिया: माननीय सदस्य बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं कि इकोनौमिक कास्ट की गणना किन-किन हैड्स में की गई है। तीन साल के दौरान इन हैड्स के तहत जो वृद्धि हुई है, खासतौर से उसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। अगर तीन साल की वृद्धि के हैड्स को देखें तो हम एम.एस.पी. से लेकर पी.डी.एस. में जो प्रोक्योरमैंट और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसके रख-रखाव, भाड़े आदि की जो लागत होती है, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। उसके तहत 1999-2000 में गेहूं के ऊपर 887.51 रुपये प्रति क्विंटल इकोनौमिक कास्ट आई है। यह व्यय बढ़ते-बढ़ते 2000-2001 में 883 रु. हुआ है और 2001-2002 में फिर थोड़ा कम होकर 859 रु. हुआ है। फिर 2002-2003 में 891 रु. हुआ है और 2003-2004 में 920 रु. से ऊपर नहीं जाएगा। अगर ठीक प्रकार से देखें तो एमएसपी में जो वृद्धि हुई है, वह 1999-2000 में 50 रुपए हुई है। 2000-2001 में बीस रुपए हुई है और 2001-2002 मे वृद्धि बीस रुपया हुई है। एमएसपी के साथ ही मंडी टैक्स और राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाने वाला टैक्स भी इसमें शामिल होता है। जिससे इनकी कास्ट के साथ एमएसपी का बढ़ना भी स्वतः हो जाता है। लेकिन एफसीआई में जो स्टोरेज चार्जेज और प्रशासनिक खर्चे होते हैं, उसमें 1999-20000 के खर्च की तुलना में 2000-2001 में 27 प्रतिशत की कमी आई है। उसके बाद फिर 2002-2003 में भी कमी आई है। जहां स्टोरेज चार्जेज में और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज में लगातार कमी आई है वहां रख-रखाव में हमने जो फ्रेट भाड़ा बढ़ाया है, उसके कारण वृद्धि आई है। हमने उसकी पैकिंग 50 कि.ग्रा. की शुरू की है। उसके कारण बहुत ही कम मात्रा में छीजन होना शुरू हुई है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सवाल है। *...(व्यवधान)* देश के हर आम व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपने जानना चाहा है कि हैदराबाद स्थित इंस्टीट्यूट ने इस बारे में जो जानकारी दी है, उसके आधार पर हमने लगातार प्रयत्न किया है कि इस व्यय को कैसे कम किया जा सकता है। राज्य सरकारों को हिदायत दी है कि डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक प्रकार से आम व्यक्ति तक कम से कम खर्चे में वह पहुंचाया जा सके। परचेज करने वाले अधिकारी से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले अधिकारी तक समुचित व्यवस्था करने का प्रयास हम कर रहे हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक वितरण प्रणाली का बेसिक कांसेप्ट यह है कि आम उपभोक्ता के पास सस्ता गल्ला पहुंचे। एफसीआई में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के

कारण खर्चे बढ़े हुए हैं। किसान से 500-550 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा और खुले बाजार में 600 रुपया प्रति क्विंटल मिल जाएगा तो राशन की दुकान से 9 रुपया प्रति क्विंटल कोई क्यों खरीदेगा? उपभोक्ता को सस्ता गल्ला मिले, इसके लिए सरकार ने खुद एक कमेटी बनाई थी जिसने कई सिफारिश भी की है। उसको पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि तमाम स्टेट्स से खबर आई है कि वहां लोग भूख से मर रहे हैं। 9 राज्यों में टीम अपने भेजी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सीधे प्रश्न क्यों नहीं पूछते? भाषण मत दीजिए। मैं किसी भी सदस्य को भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा। आपका लम्बा प्रश्न मैं स्वीकृत नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: जब यह समाचार आया कि लोग भूख से मर रहे हैं तो भारत सरकार ने 9 प्रांतों में अपनी टीम भेजी और उस टीम की सिफारिश यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफी खामियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन खामियों को दूर करने के लिए उपभोक्ता को सस्ता अनाज और चावल मिले, उसके लिए सरकार क्या सार्थक प्रयास कर रही है?

श्री सुभाष महरिया: माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे। एक सवाल में यह जानना चाहा है कि किसान से जो प्रोक्योरमेंट होती है, उस पर जो चार्जेज लगते हैं, वे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं थोड़ा और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि किसान से खरीदने के बाद, जो चार्जेज आते हैं, उसमें फ्रैट पर 42 रुपया आता है, हैंडलिंग चार्जेज पर 26 रुपया आता है, स्टोरेज चार्जेज पर 17 रुपया आ रहा है। इंटरेस्ट पर 36 रुपया आ रहा है और शार्टेज मात्र 2 रुपया आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज जो पहले बहुत अधिक आता था, अब वह 14 रुपया आने लगा है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। अगर मैं आंकड़ों के आधार पर बताऊं तो पिछले साल की तुलना में पूरे देश भर में इस साल 170 लाख टन ज्यादा खाद्यान्न एक्सपोर्ट के रूप में दिया गया है। ओपन मार्केट में भी 1 लाख टन ज्यादा दिया गया है और वैल्फेयर स्कीम्स में 42 लाख टन खाद्यान्न गत वर्ष की तुलना में अधिक दिया गया है। बफर स्टाक के बारे में भी आपने सवाल पूछा है। बफर स्टाक का प्रश्न आपके प्रश्न में से मामला निकलता है। बीपीएल और एपीएल फैमिलीज के लिए दिए जाने वाले खाद्यान्न को हमने इंक्रीज किया है और एएमआई स्कीम में, अन्त्योदय योजना में भी हमने ज्यादा आबंटन किया है।

श्री किरीट सोमैया: माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं एनैक्सचर I, II(क) और II(ख) की ओर आकर्षित करूंगा। मेरा प्रश्न यह है कि गेहूं के बारे में आपने बताया है कि

[अनुवाद]

राज्य एजेंसियों को 45 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से प्रशासनिक प्रभार दिया जाता है। लेकिन अनुबंध-II(ख) में उन्होंने बताया है कि राज्य एजेंसियों को केवल 3 रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से प्रशासनिक प्रभारों की अदायगी की जाती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें इतना अधिक अंतर क्यों है?

[हिन्दी]

45 रुपया राज्यों को देते हैं, आपने उत्तर में दिया है और उसके साथ-साथ उसी में फिगर्स दिए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज हैं, उनको कम किया है। उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि किसानों को जो पैसा देते थे, पहले गेहूं के लिए 500 रुपया देते थे, वह अभी 600 रुपया कर दिया है। चावल के लिए 800 रुपया देते थे, वह अब 1000 रुपया कर दिया है यानी किसानों को ज्यादा पैसा दिया है। उन्होंने प्रशासनिक लागत को बहुत कम कर दिया है। इसी कारण यह कास्ट कम हुई है लेकिन पर्टिकुलरली कुछ राज्य सरकारों ने गत तीन सालों में डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट बढ़ाया है—मंत्री जी, उसके बारे में जानकारी दीजिए और विशेषकर राइस और गेहूं का स्टेट एजेंसीज को 45 रुपये किया है।

श्री सुभाष महरिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, राज्य सरकारों को जो पैसा दिया जाता है, उसका पूरा उल्लेख लिस्ट में हमने दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के रूप में 9 रुपया 92 पैसे सन् 1999-2000 में दिया गया। उसके बाद जो इसमें बढ़ोत्तरी हुई है, वह 12 रुपया 29 पैसे हुई। उसके बाद बढ़ोत्तरी 15 रुपया पचास पैसे तक 2002-2003 में जा पहुंची है। जो राज्यों को 45 रुपया देने के बारे में माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है, यह सही है कि यह पैसा हम देते हैं और राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर जो चर्चा होती है, उसके अनुरूप दिया जाता है। उसके बावजूद भी माननीय सदस्य को मैं अलग से विस्तार में जानकारी दे दूंगा।

श्री किरीट सोमैया: गेहूं का 15 रुपया और राइस का 3 रुपया कैसे दिया जाता है, उसका जवाब तो दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आपको विस्तृत उत्तर देना चाहते हैं।

श्री सुभाष महरिया: गेहूं देश के बहुत से इलाकों में होता है जबकि चावल कई इलाकों में दूर-दूर से लाना पड़ता है। यह राशि उसकी पैडी के ऊपर है, राइस के ऊपर नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: एक छोटा सा सवाल था जिसका उत्तर नहीं आया। सुमन जी ने पूछा था कि हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया की कमेटी ने एफसीआई में भ्रष्टाचार स्वीकार किया है, उस मामले में आपने क्या कार्रवाई की और नहीं की, तो क्यों नहीं की?

श्री सुभाष महरिया: आदरणीय मुलायम सिंह जी ने हैदराबाद कमेटी के बारे में जानना चाहा है। मैं बताना चाहूंगा कि उसके बारे में समय-समय पर मीटिंग्स हमने की हैं और हैंडलिंग इत्यादि कास्ट को कम करने के लिए एफसीआई ने कई कदम उठाए हैं। भंडारण लागत अनाज की प्रोक्योरमेंट मौसमी होती है। उसको कम करने के लिए 75 प्रतिशत तक औसत क्षमता का हम उपयोग करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: यह बताएं कि भ्रष्टाचार के लिए कौन-कौन जिम्मेदार थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और नहीं की तो क्यों नहीं की?

श्री सुभाष महरिया: उसकी 75 प्रतिशत तक क्षमता का उपयोग हम कर सकें, इसका हमने पूर्णरूप से प्रयास किया है और उसमें सफलता भी मिली है। हैंडलिंग में जो कमी हो रही है, उसको दूर करने का प्रयास जारी है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ हैदराबाद ने अपनी रिपोर्ट में जो सुझाव दिए हैं, हम उन पर भी काम कर रहे हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): मुलायम सिंह जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ हैदराबाद का जिक्र किया है। उसकी रिपोर्ट को मैंने पूरा पढ़ा है। उस रिपोर्ट में एफसीआई में भ्रष्टाचार के मामलों का हिस्सा बहुत कम है। उसमें यह भी कहा गया है कि एफसीआई को कमर्शियल आर्गेनाइजेशन बना दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जैसे बाजार में व्यापारी अन्न खरीदते हैं, वैसे ही एफसीआई भी खरीदे। उस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें अगर मैं मान लूं तो यह सदन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। एफसीआई का कांसेप्ट हिन्दुस्तान के गरीब लोगों के लिए है।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैंने अपना प्रश्न सिर्फ भ्रष्टाचार तक ही सीमित रखा था।

श्री शरद यादव: इस मामले में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने लोगों के विरुद्ध एक्शन लिया गया और कितने लोगों बर्खास्त किए गए, अभी मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं। वैसे आपने बहुत दिनों से एफसीआई के बारे में कम ही सुना होगा कि वहां कोई गड़बड़ हुई है। गड़बड़ को प्लग करने का पूरा प्रयास हमने किया है। जहां तक आपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ हैदराबाद की रिपोर्ट के बारे में पूछा है, अगर वह पूरी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, तो आपके बदन में आग लग जाएगी।

श्री मुलायम सिंह यादव: मैंने पूरी रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले के बारे में पूछा था।

श्री शरद यादव: एफसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। उसमें जो भी गड़बड़ी होती है या दिक्कतें आती हैं, हम उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: जहां तक सदन नहीं चलने की बात है, जैसा आपने कहा कि सदन नहीं चलेगा, तो हाउस को मैं चलाऊंगा। उसकी फिक्र आप न करें।

श्री शमशेर सिंह दूलो: मंत्री जी ने अपने जवाब में गेहूं और चावल के मूल्यों के बारे में बताया है। अब भी कई राज्यों में किसानों को उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। जहां तक एफसीआई में भ्रष्टाचार की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले महीने राष्ट्रीय अखबारों में एक खबर आई थी कि पंजाब के गोदामों से तकरीबन आठ हजार करोड़ रुपए का गेहूं और चावल गायब हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि पंजाब में जो यह घोटाला हुआ है, शार्टेज पाई गई है, उसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या आप इसके लिए वचनबद्ध हैं कि कार्रवाई की जाएगी?

श्री सुभाष महरिया: माननीय सदस्य ने पंजाब के बारे में जानना चाहा है। इस बारे में पहले भी हमारे मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है कि वहां पर आंकड़ों की गणना में गलती थी।

श्री शमशेर सिंह दूलो: यह आकंड़ों की बात नहीं है। वहां बड़ा भारी करप्शन हुआ है। एफसीआई में आठ हजार करोड़ रुपए का घपला हुआ है।

श्री सुभाष महरिया: आप जो 50 लाख टन या आठ हजार करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, उसकी जांच करने के लिए यहां से एक पूरी टीम पंजाब गई थी। उसने जांच करके पाया कि सिर्फ गणना में फर्क है। उसके बारे में मंत्रालय की ओर से सार्वजनिक रूप से वक्तव्य भी दिया गया है। जहां तक पंजाब के बारे में आपने पूछा कि कितनी पर्चेज हुई, मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब देश में सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन करने वाला राज्य है। एफसीआई वहां गांव-गांव से सबसे ज्यादा अनाज की खरीद करती है।

श्री शमशेर सिंह दूलो: जो जांच हुई है वह विभागीय जांच हुई है। उसकी सीबीआई या अन्य किसी संस्था से जांच करानी चाहिए। क्योंकि यह बहुत बड़ा स्केंडल है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: महोदय, प्रश्न पूछने से पहले, मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से इस अवसर पर आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस सम्मानित सभा में पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। मैं सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन में अपनी पार्टी की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: तब तो आप अब दो-तीन प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के. येरननायडू: अध्यक्ष महोदय, संशोधित अनुमान के अनुसार उन्होंने गेहूं और चावल का मूल्य दिया है। अंतत: भारत सरकार को इस देश में कृषक समुदाय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़ेगा। गत वर्ष हरियाणा, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के प्रतिवेदनों पर, कृषक समुदाय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाये बिना, सरकार ने खरीद मूल्य में 20 रुपये की बढ़ोत्तरी विशेष सूखा राहत राशि के रूप में की थी। इस वर्ष, देश में सूखा की स्थिति वैसी ही है। रबी का मौसम शुरू हो चुका है। धान उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। एक ओर तो आप आर्थिक लागत बता रहे हैं दूसरी ओर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस वर्ष भी किसानों को 20 रुपये की सूखा राहत राशि प्रदान कर रहे हैं। आपने इस बारे में भारतीय खाद्य निगम को अभी तक कोई सूचना नहीं दी है और निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 20 रुपये की यह राशि किसानों को नहीं दे रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सभी भारतीय खाद्य निगम एजेंसियों को इस बारे में सूचित करने का मन बना रही है या नहीं?

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि गेहूं के लिए 755 रुपये और चावल के लिए 1082 रुपये का जो खरीद मूल्य है, उसकी एमएसपी की कीमत को बढ़ाया जाए, जो एक अलग सवाल है, मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। फिर भी अगर हम एमएसपी की कीमत पर नजर डालें, सन 1999-2000 में पैडी में 50 रुपये, सन् 2000-2001 में 20 रुपये और फिर सन् 2001-2002 में 20 रुपये बढ़ाये गए हैं और साथ ही सूखा राहत के लिए हमने पैसा मंजूर किया है। पैडी के लिए जो एमएसपी का भाग नहीं हैं लेकिन उसमें 20 रुपये सूखा राहत के लिए मंजूर किया है। साथ ही गेहूं के लिए भी 10 रुपया इस साल बढ़ाया गया है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: रबी के मौसम के लिए गेहूं हेतु आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से ही बढ़ा दिया है लेकिन धान के लिए नहीं बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश तथा दूसरे राज्य बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन करते हैं लेकिन इन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। यह प्रश्न आर्थिक लागत से संबंधित है। इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है। मेरा प्रश्न कृषक समुदाय से संबद्ध है। इसलिए इस बारे में तुरन्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा, इससे कृषक समुदाय बहुत ही दु:खी होगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न सं. 685—श्री सुरेश रामराव जाधव

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस प्रश्न पर 20 मिनट का समय दिया है। हमारे पास समय की कमी है। इसलिए कृपया बैठ जाइये। अब प्रश्न सं. 685—श्री सुरेश रामराव जाधव।

देश में ऐस्बेस्टास सीमेंट संयंत्र

***685. श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कितने ऐस्बेस्टास सीमेंट संयंत्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इन ऐस्बेस्टास सीमेंट संयंत्रों में फेफड़ों के कैंसर से कितने कर्मचारी पीड़ित पाए गए; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐस्बेस्टास संबंधी उद्योगों की विनिर्माण इकाइयों को नए लाइसेंस जारी करने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में राज्यवार ऐस्बेस्टास सीमेंट संयंत्रों की संख्या का विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ख) ऐस्बेस्टास उद्योगों में फेफड़ों के कैंसर की घटना से संबंधित कोई अलग सूचना केन्द्रीय रूप से एकत्र व रखी नहीं जाती है।

(ग) ऐस्बेस्टास और ऐस्बेस्टास उत्पादों के विनिर्माणकारी उद्योगों को 11.3.1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

तथापि, ऐस्बेस्टास आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए पर्यावरण से संबंधित पूर्व स्वीकृतियां प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। चाहे संयंत्र का आकार व इसमें निवेश का स्तर कुछ भी हो। सभी ऐस्बेस्टास आधारित एककों को श्रमिकों के स्वास्थ्य की चिकित्सकीय देखभाल, व्यावसायिक स्वास्थ्य व स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के उपबंधों का अनुपालन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, इन एककों को ऐस्बेस्टास और ऐस्बेस्टास उत्पादों का प्रयोग करने के लिए बी.आई.एस. के विभिन्न सुरक्षा व स्वास्थ्य से संबद्ध मानकों का अनुपालन करना पड़ेगा।

अनुबंध

देश में ऐस्बेस्टास सीमेंट संयंत्रों की संख्या का राज्य-वार वितरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	क्रिसोटाइल संयंत्रों की संख्या
1.	असम	1
2.	आंध्र प्रदेश	3
3.	गुजरात	1
4.	झारखंड	1
5.	हरियाणा	1
6.	कर्नाटक	1
7.	केरल	1
8.	मध्य प्रदेश	2
9.	महाराष्ट्र	9
10.	उड़ीसा	1
11.	तमिलनाडु	6
12.	उत्तर प्रदेश	1
13.	पश्चिम बंगाल	2
14.	राजस्थान	1
15.	दादर और नगर हवेली के संघ शासित प्रदेश	1
	योग	32

स्रोत: ऐस्बेस्टास सीमेंट उत्पाद विनिर्माता संघ।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष जी, आपका सदन में अध्यक्ष के रूप में एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, मैं अपनी तरफ से और शिव सेना की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: तब भी आप एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान: आप केवल शिव सेना की तरफ से बधाई देकर माननीय अध्यक्ष जी का स्टेटस क्यों घटा रहे हैं। वे सदन के अध्यक्ष हैं, केवल आपके ही नहीं हैं। आप पूरे सदन की तरफ से बधाई दीजिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: रामविलास जी, मैं पूरे सदन की तरफ से बोल रहा हूं।

श्री राम विलास पासवान: मैंने सोचा कि आप केवल शिव सेना की तरफ से बधाई दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, हम सारे सदन की तरफ से आपको बधाई देते हैं।

अध्यक्ष महोदय: सारे सदन की बधाई मुझे उसी समय मिलेगी जब एक भी सदस्य वैल में नहीं आयेगा। वही मेरी बधाई है।

श्री रामदास आठवले: हमारी तरफ से भी आपको बधाई है।

अध्यक्ष महोदय: रामदास आठवले की बधाई मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बधाई दे दी तो मैं समझूंगा कि सारे सदन ने दे दी।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा: अध्यक्ष महोदय, ए आई ए डी एम के पार्टी के सदस्यों की ओर से मैं इस सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर दूसरे सदस्यों के साथ अपने को संबद्ध करते हुए आपको बधाई देती हूं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: सर, मेरा प्रश्न ऐस्बेस्टास सीमेंट के उत्पादन और उसकी लेबर के बारे में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐस्बेस्टास का वैकल्पिक क्षेत्र ढूंढने का प्रयास किया है ताकि ऐस्बेस्टास पर आधारित विनिर्माण इकाइयों को तकनीक उपलब्ध कराई जा सके तथा ऐस्बेस्टास पर आधारित इकाइयों को बंद किये

जाने के कारण कर्मचारियों की जो छंटनी हुई है, उनको उस स्थिति से बचाया जा सके। मंत्री जी बताएं कि क्या आपके पास उसका ब्यौरा है या नहीं और अगर नहीं है, तो क्यों नहीं है?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, एसबैस्टास उद्योग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 हजार कर्मचारी काम करते हैं। यह कर्मचारियों से संबंधित प्रश्न है। विश्व में जितने भी अध्ययन हो रहे हैं, उन सबमें नतीजा यह निकल रहा है कि जो एस्बैस्टास की माइनिंग का काम हैं, उसमें बीमारी की वजह से काफी खतरा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चिरिंग में भी कुछ तकलीफ है। इसलिए सरकार ने इस उद्योग को डिसकरेज करने के लिए यह निर्णय लिया है कि जो पुरानी माइनिंग लीजेज हैं, उनको दोबारा एक्सटैंशन नहीं दी जाएगी और साथ ही नई एसबैस्टास की माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। इस उद्योग को डिसकरेज करने के लिए सरकार ने एक कदम यह उठाया है। दूसरा कदम यह उठाया है कि जो बाहर के देशों से एसबैस्टास अपने देश के अन्दर आती हैं, उनका आम व्यापार नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग इसका प्रयोग करते हैं, वे ही उसको ला सकते हैं। तीसरे, उद्योगों में अभी भी इसका आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए जहां इसकी मैन्युफैक्चिरिंग होती है, वहां बहुत ही स्ट्रिक्ट हैल्थ नार्म्स को पर्यावरण और एमिशन नार्म्स की दृष्टि से सख्त किया जा रहा है। पोल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड ने भी इस बारे में सिफारिशें दी हैं, लेकिन सरकार इसको और डिफिकल्ट बनाने के लिए अध्ययन कर रही है। इस समय देश में 32 छोटे-बड़े उद्योग हैं, वहां भी मैडिकल और स्ट्रिक्ट हैल्थ केयर नार्म्स लागू किए जा रहे हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि स्ट्रिक्ट नार्म्स लागू किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लेबर में फेफड़ों का कैंसर बढ़ गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि एसबैस्टास बनाने से जो मजदूर रोगी हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा सुविधा और उन्हें क्षतिपूर्ति देने के लिए, पुनर्वास की सुविधा के लिए क्या राज्य सरकारों से कोई बात की गई है? अगर की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है? इसी से संबंधित मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सलाह के अनुसार विश्व के अधिकांश देशों ने एसबैस्टास पर आधारित ईकाइयों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत में भी शीघ्रातिशीघ्र इस पर प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार कर रही है? ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न है, बाहर के देशों में कुछ विशेष प्रकार की एसबैस्टास है, जिनसे ज्यादा खतरा है, उन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। अपने देश में भी इस दृष्टि से सख्ती की गई है। इसलिए मैंने कहा है कि हैल्थ स्टैन्डर्ड और एमीशन नार्म्स को मजबूत किया जा रहा है। सरकार के सामने एक प्रस्ताव और भी है। ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हैल्थ और सेफ्टी कंडीशन्स के संबंध में जो सुझाव दिए हैं, उनको कामर्स मंत्रालय नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे देश में सभी राज्यों में उन्हें मैंडेटरी और एप्लीकेबल करने के लिए लागू करेगा ताकि इसके माध्यम से जो बचे हुए उद्योग हैं, उनमें स्वास्थ्य की दृष्टि से उन स्टैन्डर्डस के अनुसार काम करना अनिवार्य हो सके।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: यहां पर दिया गया उत्तर अपने आप में ही विरोधाभासयुक्त है। उत्तर में बताया गया है कि ''ऐस्बेस्टास तथा ऐस्बेस्टास उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्योगों को 11.3.1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। साथ ही, इस समय इस तरह की 32 फैक्ट्री कार्यरत हैं। तथापि, इन 32 फैक्ट्रियों द्वारा इन लाइसेंसमुक्त उत्पादों को निर्मित किया जा सकता है। उत्तर में एक बात यह कही गयी है।

इसमें दूसरी बात यह है कि इस पर सरकार का दृष्टिकोण चाहे कुछ भी हो पर यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि ऐस्बेस्टास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत से विकसित और अल्प विकसित देशों में, ऐस्बेस्टास पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर हमारे यहां आज भी, और बड़े खतरनाक ढंग से, ऐस्बेस्टास का उपयोग कर पेयजल की पाइप बनायी जा रही है। इसे कई राज्यों में प्रयुक्त किया जा रहा है। सरकार से मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार भविष्य में ऐस्बेस्टास के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने हेतु कोई कदम उठायेगी? साथ ही, क्या ऐस्बेस्टास निर्मित वर्तमान पेयजल पाइपों के स्थान पर दूसरी पाइपें लगायी जायेंगी। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को ये निर्देश दिये जाने चाहिए कि वे तुरंत पेयजल पाइपों को पदलें क्योंकि ऐस्बेस्टास का चूर्ण बहुत खतरनाक है, और यह साबित हो चुका है।

एस्बेस्टास निर्मित पाइपों से गुजरने वाला पानी किसी दूसरी चीज से ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए क्या सरकार इस दिशा में कदम उठायेगी कि ऐस्बेस्टास निर्मित पाइपों से पानी की आपूर्ति तुरंत बंद हो तथा ऐस्बेस्टास उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाये।

श्री अरुण जेटली: जहां तक कुछ वस्तुओं के निर्माण में तथा पेयजल पाइपों के निर्माण में ऐस्बेस्टास का उपयोग किये जाने का प्रश्न है, इससे उत्पाद का लागत मूल्य कम रहता है इसलिए उद्योग में इसका उपयोग होता रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: यह किफायती मूल्य क्या है? यह तो बहुत खतरनाक है।

श्री अरुण जेटली: इस समय इस दिशा में जो भी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, वे कदम उठाये जा रहे हैं। ऐस्बेस्टास चूर्ण का प्रयोग, को जिसे विशेषत: खान क्षेत्र में किया जाता था को समाप्त करने के बारे में किये गये अध्ययन के आधार पर खनन कार्य को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया कि कोई भी नए खनन पट्टे स्वीकृत नहीं हो रहे हैं और किसी भी पुराने पट्टे को जारी नहीं रखा जा रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 32 पुरानी इकाइयां हैं जिनमें 20,000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। इन इकाइयों के लिए बहुत ही कड़े उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किये गये हैं ताकि इनके कण इधर-उधर फैलकर स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा न करें। सरकार इस पर कड़ी निगरानी रख रही है। जैसा कि मैंने बताया, हम इन मानदंडों को और कड़ा बनाने की सोच रहे हैं तथा भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद भी यदि हमें यह पता लगता है कि इसमें कोई सुधार दिखाई देता है तो सरकार अपनी इस नीति की पुन: समीक्षा करेगी।

भारत-श्रीलंका व्यापार संबंध

*686. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे विशिष्ट क्षेत्र कौन से हैं जिसके अंतर्गत इस समय भारत-श्रीलंका व्यापार संबंध विद्यमान हैं;

(ख) क्या सरकार का भारत-श्रीलंका व्यापार संबध को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 हेतु इस दिशा में क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत और श्रीलंका के बीच एक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। इस मुक्त व्यापार करार में केवल वस्तु व्यापार के क्षेत्र को शामिल किया गया है तथा एक समयावधि के भीतर नकारात्मक सूची में शामिल सीमित संख्या में मदों को छोड़कर सभी उत्पादों पर टैरिफों को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। दिनांक 18 मार्च, 2003 से भारत ने श्रीलंका को नकारात्मक सूची में शामिल तथा टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं पर शुल्क मुक्त पहुंच सुलभ करा दी है। श्रीलंका वर्ष 2008 तक नकारात्मक सूची में शामिल वस्तुओं को छोड़कर सभी भारतीय वस्तुओं को शुल्क मुक्त प्रवेश उपलब्ध कराएगा।

(ख) जी हां। दोनों पक्ष भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के दायरे को बढ़ाने के लिए सेवा व्यापार को इसमें शामिल करने पर सिद्धांतत: सहमत हो गए हैं।

(ग) इसके भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में एक कार्यबल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि श्रीलंका वर्ष 2008 तक नकारात्मक सूची में शामिल वस्तुओं को छोड़कर सभी भारतीय वस्तुओं को शुल्क मुक्त प्रवेश उपलब्ध कराएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नकारात्मक सूची में शामिल वस्तुएं कौन-कौन सी हैं? मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर के उपरांत भारत से कितने मूल्य का आयात-निर्यात किया गया है? क्या वह लाभप्रद रहा अथवा इसमें हानि हुई है?

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदय, यह विषय बार-बार उठता है। जब से श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमैंट (एफटीए) हुआ है, उस समय से प्रश्न उठ रहा है कि क्या वह लाभकारी है या नहीं? मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यदि हम नवम्बर 2002-2003 की फीगर्स की पिछले वर्ष 2001-2002 के अप्रैल से नवम्बर तक की फीगर्स से तुलना करें तो पता लगेगा कि भारत का श्रीलंका के साथ निर्यात 368 मिलियन यूएस डालर से बढ़ कर 586 मिलियन यूएस डालर हो गया जबकि श्रीलंका से आयात मात्र 40 मिलियन यूएस डालर से 62 मिलियन यूएस डालर तक हुआ है। यदि हम आज की तारीख से इसकी तुलना करें तो एफटीए के बाद निर्यात में वृद्धि हुई है। जैसा हम जानते हैं कि 28 दिसम्बर 1998 को भारत के प्रधान मंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच एक समझौता हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच एफटीए पूरे विश्व में केवल एक देश

के साथ ही हुआ है। 1996-97 में निर्यात में 26 फीसदी वृद्धि हुई थी जो अब बढ़ कर लगभग 58 फीसदी हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इस समझौते के बाद भारत का निर्यात श्रीलंका के साथ बढ़ा है। जहां तक वस्तुओं का सम्बन्ध है, यह एक लम्बी सूची है। यदि माननीय सदस्य को इसकी आवश्यकता होगी तो मैं उन्हें उपलब्ध करा दूंगा।

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, भारत-श्रीलंका के भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिस कार्यबल का गठन किया गया, वह अपनी रिपोर्ट कब तक देगा? इस कार्यबल को क्या-क्या कार्य सौंपे गए हैं?

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदय, इसके संदर्भ में टास्क फोर्स गठित की जानी है। भारत ने अपनी टास्क फोर्स गठित कर दी है। लेकिन श्रीलंका ने अभी तक टास्क फोर्स गठित नहीं की है। जैसे ही टास्क फोर्स गठित करने की कार्रवाई शुरू होगी, मैं उन्हें इसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला: माननीय अध्यक्ष, महोदय, भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार करार 1998 से लागू है। कुछ चीजों विशेषकर नारियल, चाय तथा अन्य नारियल उत्पादों जैसे कायर फाइबर के मुक्त आयात भारतीय किसान प्रभावित हुये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने श्रीलंका से आयात का भारतीय किसानों पर प्रभाव का अध्ययन कराया है। इस संबंध में चाय का उदाहरण ले सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारे पास बहुत कम समय है।

..(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला: श्रीलंका की चाय भी अत्यधिक मात्रा में भारत आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारतीय किसानों तथा चीजों पर क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा है। यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को सहायता प्रदान करेगी तथा इस संबंध में उचित कार्यवाही करेगी।

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय सदस्य ने बहुत ही तर्कसंगत प्रश्न किया है और उनके डर को दूर करना बहुत आवश्यक है।

हम चाय का उदाहरण लेते हैं। देश में चाय का कुल उत्पादन 900 मिलियन टन है और खपत करीब 600 मिलियन टन, तथा निर्यात लगभग 200 मिलियन टन है।

जहां तक श्रीलंका का प्रश्न है, टैरिफ व्यवस्था के अंतर्गत कुल आयात की अनुमति केवल 7.5 मिलियन टन है जिसमें से केवल 0.3 मिलियन चाय आयात की गयी और वह भी देश के प्रतिबंधित पत्तन से की गयी। इसके लिए केवल चार पत्तनों को ही अनुमति दी गयी है।

अत: सदन के लिए जान लेना बहुत आवश्यक है कि एफटीए, करार जो हमने श्रीलंका के साथ किया था ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दरअसल इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और श्रीलंका के साथ एफटीए समझौते की सफलता को देखते हुए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने बांगलादेश के साथ एफटीए समझौता करने का प्रस्ताव किया है। मैं समझता हूं कि यह लाभकारी और सकारात्मक कदम होगा। उनके साथ हमारे संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार में सुधार आया है और मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण भी है।

छोटी इलायची की तस्करी

***687. श्री पी.सी. थामस:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नेपाल और कलकत्ता विमानपत्तन के माध्यम से ग्वाटेमाला से भारत में छोटी इलायची को तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान दर्ज मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

एक जिंस के रूप में इलायची की भारत-नेपाल सीमा के आर-पार तस्करी होती रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान भारत-नेपाल सीमा के आर-पार और कोलकाता हवाई अड्डे पर पता लगाए गए इलायची की तस्करी के मामलों के ब्यौरे नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं:

तालिका

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	पकड़ी गई इलायची की मात्रा (कुंतल में)	पकड़े गए माल का मूल्य (लाख रुपए में)
2001-2002	9	10.40	2.15
2002-2003	122	26.62	23.02

भारत में इलायची सहित किसी भी माल की तस्करी करने के प्रयासों को निष्फल करने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय (डी.आर.आई.) सहित सभी सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक उपाय करने के लिए सजग कर दिया गया है।

श्री पी.सी. थामस: केरल में विशेषकर इलायची, मिर्च तथा मसाले उगाए जाते हैं। जैसा कि अभी-अभी उत्तर दिया गया कि श्रीलंका की आयात नीति के कारण वहां कोई विशेष समस्या नहीं हुयी है।

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस। कृपया सीधे प्रश्न पूछिए,

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: किसानों के सामने गम्भीर समस्या है तस्करी। नेपाल तथा कोलकाता पत्तन से इलाचयी की तस्करी बढ़ रही है। दर्शाये गए आंकड़ों से भी यह स्पष्ट है, 2001-02 के दौरान नौ मामले, गत् वर्ष अर्थात 2002-03 के दौरान 122 मामले दर्ज किए गए। और हमें पूरा यकीन है कि बहुत से व्यक्ति मामले दर्ज किए बिना ही छूट जाते हैं।

विश्व में उत्तम गुणवत्ता की इलायची का उत्पादन भारत में-केरल तथा केरल के ग्रामीण भागों में होता है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि भारत के किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ताकि अवांछनीय तत्वों द्वारा इलायची की तस्करी से इलायची के मूल्यों पर प्रभाव न पड़े।

श्री जसवंत सिंह: सरकार इस बात से अवगत है कि गुआटेमाला को इलायची की तस्करी की कुछ घटनाएं हो रही हैं। पहले यह कोलकाता तक हवाई मार्ग से आती है; कोलकाता से काठमांडू तक सड़क मार्ग द्वारा जाती है और फिर काठमांडू से भारत आती है। इसमें से कितनी भारत में पहुंचने की सम्भावना है। इसका अनुमान हमने लगा लिया है तथा इसे दूसरी दिशा प्रदान करने के उपाय भी किये हैं। हमने यह भी अनुमान लगा लिया है कि नेपाल अपने उपयोग के लिए भारत के अलावा अन्य देशों से सामान्यत: कितनी इलायची आयात करता है। इस संबंध में भारत सरकार तथा रायल नेपाल एयरलाइन्स दोनों के सीमा-शुल्क प्राधिकारी आपकी सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है कि यह खुली सीमा है, और आने-जाने के सीमित रास्ते हैं। इसलिए इन सब बातों का हमें पता है।

वर्तमान में, भारतीय इलायची गुणवत्ता और रंग तथा बीजों के रंग में उत्तम है। मूल्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं ताकि इन गतिविधियों को रोका जा सके।

श्री पी.सी. थामस: मूल्य भी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त हुआ अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे, श्री जसवंत सिंह।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय: क्या प्रश्न काल का समय बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है? *...(व्यवधान)* जो समय हमने बर्बाद कर दिया उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमें समय बढ़ाने का कोई प्रावधान करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तम्बाकू की उत्पादन सीमा

***683. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में तम्बाकू का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) तम्बाकू के लिए वर्षवार और राज्यवार अधिकतम उत्पादन सीमा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में तम्बाकू उत्पादकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से तम्बाकू की अधिकतम उत्पादन सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू का राज्यवार कुल उत्पादन इस प्रकार है:

वर्ष	एफसीवी तम्बाकू का उत्पादन मिलियन कि.ग्रा. में					टिप्पणियां
	आन्ध्र प्रदेश	उड़ीसा	महाराष्ट्र	कर्नाटक	जोड़	
2000-01	2.52	0.72	–	41.98	45.22	2000-01 में आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में फसल अवकाश था।
2001-02	119.48	0.46	0.11	57.68	177.73	–
2002-03	115.85*	0.45*	0.03*	63.26	178.59	*अनुमानित उत्पादन नीलामियां की जा रही हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में एफसीवी तम्बाकू की वर्षवार और राज्यवार निर्धारित फसल की मात्रा इस प्रकार है:

(मिलियन किग्रा.)

राज्य	फसल की निर्धारित मात्रा (वर्षवार)			
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
आन्ध्र प्रदेश*	फसल अवकाश	101.45	105.48	–
कर्नाटक	25.00	38.07	50.00	53

टिप्पणी: (*) इसमें महाराष्ट्र और उड़ीसा शामिल हैं जिनके लिए फसल की मात्रा अलग से निर्धारित नहीं की गई है।

वर्ष 2003-04 के लिए फसल की मात्रा मई-जून, 2003 में निर्धारित की जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी ऋण

*688. **श्री अजय सिंह चौटाला:**
प्रो. दुखा भगत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रैल, 2003 की तिथि के अनुसार भारत पर देशवार कितना विदेशी ऋण है;

(ख) उक्त ऋण के लिए कितनी राशि वार्षिक किश्त के रूप में लौटायी जा रही है और यह सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है;

(ग) उक्त ऋण पर ब्याज के तौर पर प्रतिवर्ष कितनी राशि अदा की जा रही है और यह वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है;

(घ) सरकार द्वारा विदेशी ऋण के बोझ को कम करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या ठोस प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के ऋण बोझ को कम करने के लिए और कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सितम्बर अन्त 2002 में, भारत का कुल विदेशी ऋण 101.97 बिलियन अमरीकी डालर था। बकाया ऋण की देश-वार सूचना केवल सरकारी ऋण के संबंध में ही रखी जाती है। 30 अप्रैल, 2003 की स्थिति के अनुसार, सरकारी खाते पर बकाया विदेशी ऋण का दाता देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी ऋण शोधन भुगतानों (मूलधन और ब्याज भुगतान) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	ऋण शोधन भुगतान (मिलियन अमरीकी डालर)			सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशतांक के रूप में मूलधन की वापसी-अदायगी	सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशतांक के रूप में ब्याज भुगतान
2000-01	8,317	3,822	12,139	1.81	0.83
2001-02	6,995	4,081	11,076	1.45	0.85
2002-03*	4,799	1,559	6,358	0.96	0.31

*अप्रैल-सितम्बर, 2002

(घ) और (ङ) सरकार केवल बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से विदेशी उधार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए; रियायती एवं कम महंगे ऋणों पर संकेन्द्रित रहते हुए; कुल विदेशी ऋण के परिपक्वता ढांचे को प्रबंधकीय सीमाओं के अन्तर्गत रखते हुए; अल्पावधि ऋण को सीमित रखते हुए; ऋण-भिन्न सृजक वित्तीय प्रवाहों विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों को प्रोत्साहित करते हुए और चालू खाते पर निर्यातों और अदृश्य मदों की संवृद्धि पर बल देते हुए एक विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीति अपनाती है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों और न्यूनतर घरेलू ब्याज दरों का लाभ उठाते हुए सरकार ने विश्व बैंक (आईबीआरडी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के ऊंची लागत वाले सामूहिक मुद्रा (करेंसी पूल्ड) ऋणों का जो कुल मिलाकर लगभग 3 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के हैं, पूर्व भुगतान कर दिया है। सरकार का विचार विदेशी देनदारियों के विवेकपूर्ण प्रबंधन और देश के विदेशी ऋण पोर्टफोलियो के अपेक्षाकृत ऊंची लागत वाले घटक के सकारात्मक रूप से परिसमापन की नीति को जारी रखने का है।

विवरण

30.4.2003 की स्थिति के अनुसार सरकारी खाते पर बकाया विदेशी ऋण का ब्यौरा

क्र.सं.	देश/दाता	(करोड़ रुपए)	मिलियन अमरीकी डालर
1	2	3	4
सरकारी ऋण			
1.	एशियाई विकास बैंक	7,971.81	1,682.17
2.	ईईसी (साक)	188.79	39.84
3.	आस्ट्रिया	140.89	29.73
4.	आस्ट्रेलिया	26.47	5.59
5.	बेल्जियम	162.98	34.39
6.	कनाडा	1,407.57	297.02
7.	चैक और स्लोवाक गणराज्य	8.55	1.81
8.	जर्मनी	11,330.58	2,390.92
9.	डेनमार्क	395.57	83.47
10.	स्पेन	123.21	26.00
11.	फ्रांस	2,896.78	611.26
12.	इटली	463.95	97.90
13.	जापान	39,667.98	8,370.54
14.	कुवैत निधि	132.32	27.92
15.	नीदरलैंडस	2145.42	452.72
16.	रूसी संघ	1,918.85	404.91
17.	सऊदी अरब	33.62	7.09
18.	स्विटजरलैंड	40.37	8.52
19.	स्वीडन	520.86	109.91
20.	संयुक्त राज्य अमरीका	4,849.68	1,023.35

1	2	3	4
21.	आईबीआरडी	18,953.72	3,999.52
22.	आईडीए	100,930.13	21,297.78
23.	आईएफएडी	1,163.24	245.46
24.	ओपेक	71.99	16.19
	जोड़	195,545.33	41,263.01

ऋण वसूली अधिकरण

***689. श्री शिवाजी माने:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार ऋण वसूली अधिकरण के पास लम्बित मामलों की संख्या कितनी है और इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) क्या ऋण वसूली अधिकरण की प्रणाली में विद्यमान खामियों का ऋणी लाभ उठा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) ऋण वसूली अधिकरण के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) अब तक इस दिशा में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) ऋण वसूली अधिकरणों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों के पास 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार 33,622 मामले लंबित हैं जिनमें 1,05,517 करोड़ रुपए की रकम अंतर्ग्रस्त है।

(ख) से (घ) अधिकरणों के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम को 2000 में संशोधित किया गया था। संशोधनों के फलस्वरूप, ऋण वसूली अधिकरण नियमों को भी संशोधित किया गया है और 21.1.2003 को अधिसूचित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14.3.2002 के अपने आदेश के तहत ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम को वैध घोषित किया है। इस प्रकार, ऋण वसूली अधिकरणों के सहज कार्यकरण में आने वाली अड़चनों को दूर कर दिया गया है।

(ङ) ऋण वसूली अधिकरणों द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

(1) 1 अप्रैल, 2000 से 15 और ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना, जिससे देश में ऋण वसूली अधिकरणों की कुल संख्या 29 हो गई है;

(2) ऋण वसूली अधिकरणों के स्टाफ की संख्या में वृद्धि करना;

(3) पीठासीन अधिकारियों को उनके कार्यकरण में सुधार करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का और प्रत्यायोजन;

(4) ऋण वसूली अधिकरणों के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधा की व्यवस्था करना;

(5) ऋण वसूली अधिकरणों और बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बीच निकट समन्वय; और

(6) ऋण वसूली अधिकरणों में कार्यालय का कंप्यूटरीकरण।

(च) किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप, मामलों के निपटान में वृद्धि हुई है, जो 2000-01 में 4637 से 2001-02 में 8931 और 2002-03 के दौरान (31.12.2002 तक) 7603 हो गया है। इसी प्रकार, ऋण वसूली अधिकरणों के माध्यम से की गई वसूलियों में भी वृद्धि हुई है, जो 2000-01 में 1185 करोड़ रुपए से 2001-02 के दौरान 2153 करोड़ रुपए और 2002-03 के दौरान (31.12.2002 तक) 2014 करोड़ रुपए हो गई है।

पलंगपोश पर पाटनरोधी शुल्क

***690. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पलंगपोश आयातकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के संबंध में यूरोपीय संघ के साथ कोई विवाद था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान निकाय के समक्ष उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) भारत से काटन टाइप बैड लिनेन के आयातों पर दिसम्बर, 1997 में यूरोपीय समुदाय (ईसी) द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के मामले को भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान तंत्र को प्रस्तुत किया था और इसे चुनौती दी थी। पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्टों में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि भारत में काटन टाइप बैड लिनेन के आयातों पर ईसी द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों का लगाया जाना पाटनरोधी करार के अनुरूप नहीं है। 12 मार्च, 2001 को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) ने इस विवाद में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट और अपीलीय निकाय द्वारा यथा संशोधित पैनल की रिपोर्ट पारित कर दी थी। इन रिपोर्टों की सिफारिशों के अनुसरण में डीएसबी ने यूरोपीय समुदाय से अनुरोध किया था कि वे अपने उपाय को पाटनरोधी करार के तहत उनके दायित्वों के अनुरूप बनाएं। इसके बाद ईसी और भारत पारस्परिक रूप से पांच महीनों और दो दिन की एक उचित अवधि अर्थात्, 14 अगस्त, 2001 तक पर सहमत हो गए ताकि ईसी इस विवाद में डीएसबी की सिफारिशों और निर्णयों को कार्यान्वित कर सके।

बाद में ईसी ने पाटनरोधी उपाय की समीक्षा की और पाटनरोधी शुल्क के स्तर का पुन: निर्धारण किया। तथापि, शुल्क को लगाना स्थगित कर दिया गया था। भारत ने इस बात पर कड़ी असहमति व्यक्त की थी कि इस पुन: निर्धारण का अनुपालन डीएसबी के निर्णयों के साथ किया जाना चाहिए।

भारत ने पुन: निर्धारण के संबंध में डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र के तहत 8 मार्च, 2002 को ईसी के साथ विचार-विमर्श के लिए अनुरोध किया। ये विचार-विमर्श जिनेवा में 25-26 मार्च, 2002 को हुए थे। बात में भारत ने विवाद में डीएसबी के निर्णय को लागू करने के लिए ईसी द्वारा की गई कार्रवाई की मौजूदगी अथवा अनुरूपता की जांच करने के लिए एक अनुपालन पैनल के गठन की मांग की। अनुपालन पैनल का गठन 22 मई, 2002 को किया गया था।

अनुपालन पैनल ने यह निष्कर्ष निकला है कि ईसी ने अपने उपायों को पाटनरोधी करार के अनुरूप बनाने के लिए मूल पैनल और अपीलीय निकाय की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है। 8 जनवरी, 2003 को भारत ने इस मामले में अनुपालन पैनल द्वारा निकाले गए कुछ निष्कर्षों और कानूनी व्याख्याओं के विरुद्ध अपील की।

अनुपालन पैनल के कतिपय जांच परिणामों को परिवर्तित करते समय अपीलीय निकाय के दिनांक 8 अप्रैल, 2003 की अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि क्षति का विश्लेषण करने में ईसी का यह निर्धारण कि जांच न किए गए उत्पादकों पर आरोपित सभी आयातों का पाटन किया गया था—यद्यपि जांचे गए उत्पादकों के साक्ष्य से यह मालूम हुआ की परीक्षित उत्पादकों के लिए उल्लिखित उत्पादकों के 53 प्रतिशत आयात के हिस्से से यह परिणाम नहीं निकला कि यह निष्कपट, अपूर्वाग्रही और निष्पक्ष था इसलिए ईसी ने एक ऐसी जांच, जो वस्तुनिष्ठ है, के आधार पर पाटित आयातों की मात्रा का निर्धारण करने के लिए पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 और 2 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। अपीलीय निकाय ने यह सिफारिश की थी कि डीएसबीईसी से यह अनुरोध करे कि इसके जो उपाय पाटनरोधी करार के अन्तर्गत इसके दायित्वों के अनुरूप न पाया जाए उसे करार के अनुरूप बनाए।

24 अप्रैल, 2003 को हुई बैठक में डब्ल्यूटीओ के डीएसबी ने अनुपालन पैनल और अनुपालन विवाद में अपीलीय निकाय रिपोर्टों को स्वीकार किया। बैठक के दौरान ईसी ने अपने इस आशय का संकेत दिया कि अनुपालन विवाद में अनुपालन पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्टों को स्वीकार किए जाने के पश्चात् अपीलीय निकाय के परिणामों को यथासंभव शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाए।

[हिन्दी]

भारतीय वस्तुओं का पेटेंट

***691. श्री सुन्दरलाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के ध्यान में लाए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत यूरोपीय देशों ने भारतीय उत्पादों का पेटेंट प्राप्त कर लिया है;

(ख) इन वस्तुओं में से किन-किन वस्तुओं का पेटेंट भारत को वापस कर दिया गया है;

(ग) क्या रुग्ण जूट उद्योग के लिए गठित जूट उत्पादन विकास परिषद (जूट मैनुफैक्चरिंग डैवेपलमेंट काउंसिल) ने हाल ही में लंदन स्थित फर्म 'गियो हैस' से जूट हेतु पेटेंट अधिकारों को वापस प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों में देश के उद्यमियों को किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान करती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) पेटेंट की गई भारतीय वस्तुओं/मदों पर तथा यूरोपीय देशों व विश्व-भर में रद्द किए जाने वाले पेटेंटों पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

भारतीय और विदेशी, दोनों आवेदकों/आविष्कारकर्ताओं द्वारा विभिन्न देशों में अपने व्यावसायिक और अन्य हितों की सुरक्षा करने व उन्हें बढ़ावा देने की दृष्टि से पटेंटों की मांग की जाती है व उन्हें प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के पेटेंट विभिन्न देशों द्वारा अपने-अपने पेटेंट कानूनों के अनुसार और संप्रभुतासंपन्न विशेषाधिकारों के तहत पेटेंट प्रदान किए जाते हैं और इनका क्षेत्रीय प्रभाव होता है, अर्थात्, ये उसी देश में प्रभावी होते हैं, जहां इन्हें प्रदान किया जाता है। किसी आविष्कार को चाहे वह प्रक्रिया हो अथवा उत्पाद, किसी भी देश में पेटेंट प्रदान करने की योग्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह पेटेंटनीयता, नामत: नवीनता, आविष्कार के गुण तथा औद्योगिक व्यवहार्यता के मानदंडों को पूरा करे। पहले से ही जनता की जानकारी वाली भारतीय वस्तुओं/मदों को पेटेंट नहीं किया जा सकता।

चूंकि पेटेंट मूलत: निजी अधिकार होते हैं अत: उन्हें संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के अनुसार सामान्यत: ऐसे व्यक्तियों द्वारा ही चुनौती दी जाती है, जिनके हित प्रभावी होते हों/खतरे में पड़ जाएं।

जब कभी भी ऐसी कतिपय मदों के बारे में पेटेंट प्राप्त करने संबंधी सूचना मिलती है, जिन्हें पेटेंटनीय नहीं समझा जाता और जिनसे भारतीय हितों पर प्रभाव पड़ता है, तो यह निर्धारित करने के लिए कदम उठाये जाते हैं कि क्या संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के तहत इस प्रकार के पेटेंट को चुनौती दी जा सकती है। पूर्व में, घाव भरने के लिए हल्दी के उपयोग पर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पेटेंट प्रदान किया गया था, जिसे सफलतापूर्वक चुनौती दी गयी तथा इसे संबद्ध देश के पेटेंट कार्यालय द्वारा रद्द भी कर दिया गया। इसी प्रकार, यूरोप में नीम के फफूंदनाशक गुण पर प्रदान किये गये एक पेटेंट को सफलतापूर्वक चुनौती दी गयी थी। बासमती राइसलाइन और अनाज पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किये गये पेटेंट के दावों को भी चुनौती दी गयी, क्योंकि इनसे भारत के वाणिज्यिक हितों के प्रभावित होने की संभावना थी। तत्पश्चात् यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आफिस द्वारा उक्त दावे रद्द कर दिये गये थे और पेटेंट के शीर्षक में भी संशोधन किया गया।

जूट मन्यूफैक्चरर्स डिवेलपमेंट काउंसिल द्वारा दायर की गई विरोध याचिका के आधार पर, हैसियन (जूट उत्पाद) का उपयोग करके कचरा उपचार पर मैं. जियो हैस (यूके) लि. को प्रदान किया गया पेटेंट अगस्त, 2002 में रद्द किया जा चुका है।

[अनुवाद]

त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय

***692. श्री कैलाश मेघवाल:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मामलों पर त्वरित विचारण के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग ने मामलों के त्वरित निपटान के लिए 'फास्ट ट्रैक कोर्ट्स' नामक अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2003 तक स्थापित फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या कितनी है और राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी राशि जारी की गई है; और

(ङ) शेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ राज्यों को राज्यवार कितनी राशि जारी किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी नहीं। शीघ्रतापूर्वक विचारण के लिए और अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव संघ सरकार के समक्ष नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) 31 मार्च, 2003 तक स्थापित किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या और राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों को दर्शित करने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ङ) त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन करने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को यथासंभवशीघ्र सभी त्वरित निपटान न्यायालयों में कार्यकरण आरंभ कराने के लिए लगातार अनुरोध कर रही है। जहां तक निधियां जारी करने का संबंध है, राज्यों से यह आशा की जाती है कि वे अनुदान का उपभोग करने के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थापित किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	राज्यों को जारी की गई निधियां (लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	86	2250.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	52.69
3.	असम	20	530.10
4.	बिहार	183	4766.40
5.	छत्तीसगढ़	31	791.10
6.	गोवा	3	125.10
7.	गुजरात	62	1939.41
8.	हरियाणा	12	422.31
9.	हिमाचल प्रदेश	—	27.15
10.	जम्मू-कश्मीर	43	300.60
11.	झारखंड	89	2319.30
12.	कर्नाटक	13	2431.80
13.	केरल	27	465.95
14.	मध्य प्रदेश	85	2223.90
15.	महाराष्ट्र	131	2175.10
16.	मणिपुर	2	40.22
17.	मेघालय	3	90.00
18.	मिजोरम	3	90.00
19.	नागालैंड	2	54.90
20.	उड़ीसा	39	1866.60
21.	पंजाब	16	746.10
22.	राजस्थान	83	2166.30
23.	सिक्किम	—	10.06
24.	तमिलनाडु	49	1151.90
25.	त्रिपुरा	3	73.80
26.	उत्तरांचल	45	1173.60
27.	उत्तर प्रदेश	242	6319.80
28.	पश्चिम बंगाल	59	1331.48
	योग	1334	35935.67

गरीबी हटाने के लिए योजनाएं/कार्यक्रम

***693. डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जनजातियों में फैली गरीबी को हटाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में जनजातियों के कल्याण के लिए उपरोक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए शत-प्रतिशत अनुदान देकर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आय उत्पादक परियोजनाओं के लिए धनराशि के महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करता है और पात्र जनजातीय लोगों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

चाय का उत्पादन/खपत/निर्यात

***694. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और 31 मार्च, 2003 तक चाय का कुल कितना उत्पादन/खपत/निर्यात किया गया;

(ख) उत्पादन और घरेलू खपत के बीच अन्तर के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान चाय के उत्पादन और निर्यात में काफी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) निर्यात में आयी कमी के कारण कितने रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है;

(च) क्या चीन जैसे कतिपय देश चाय निर्यात के क्षेत्र में भारत से बहुत आगे हैं;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ज) सरकार द्वारा चाय का उत्पादन/घरेलू खपत/निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) पिछले तीन वर्षों में चाय के उत्पादन, खपत और निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आकंड़े मिलियन किग्रा. में)

वर्ष	उत्पादन	घरेलू खपत	निर्यात
1999-2000	836.50	638	192.44
2000-01	848.36	658	203.55
2001-02	847.25	679	190.00
2002-03 (अप्रैल-फरवरी)	792.46 (811.11)	634	170.45 (169.47)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वर्ष 2001-2002 की तदनुरूपी अवधि की स्थिति दर्शाते हैं।
*खपत के आंकड़े भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

(ख) भारत चाय का एक सतत् निर्यातक रहा है। इस प्रकार घरेलू खपत हमेशा उत्पादन से कम रही है।

(ग) और (घ) उत्तरी और दक्षिण भारत के चाय उत्पादक क्षेत्रों में सूखा पड़ने के कारण वर्ष 2002-2003 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान चाय के उत्पादन में पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुरूपी अवधि के तुलना में गिरावट रही है। तथापि, वर्ष 2001-2002 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में वर्ष 2002-2003 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान चाय के वस्तुगत निर्यात में मामूली वृद्धि हुई थी।

(ङ) चाय के निर्यात के कारण सरकारी राजस्व में इस प्रकार का कोई घाटा नहीं हुआ है। निर्यातों में समग्र पण्य माल के शुल्क एवं करों में छूट दी जाती है। जहां तक चाय उद्योग का संबंध है, वर्ष 2002-2003 की अप्रैल-फरवरी के दौरान मूल्य के रूप में निर्यात प्राप्ति वर्ष 2001-2002 की इसी अवधि की तुलना में 55.57 करोड़ रुपए कम थी।

(च) जी, हां।

(छ) भारत की तुलना में चीन, श्रीलंका और केन्या से होने वाले निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन किग्रा. में)

देश का नाम	2002	2001
भारत	198.1	182.6
चीन	252.3	249.7
श्रीलंका	291.8	294.0
केन्या	266.3	258.1

(ज) चाय का उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, चाय बोर्ड असंख्य विकासात्मक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत पुनर्रोपण, पुनरुद्धार, छटाई, रिक्त स्थल पर रोपण, सिंचाई सुविधाओं का सृजन, जल-निकासी इत्यादि जैसे कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देश के भीतर चाय की खपत में सुधार लाने के लिए चाय बोर्ड ने भारतीय चाय उद्योग के सहयोग से एक व्यापक संवर्धन अभियान चलाया था।

चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एक मध्यावधि निर्यात नीति का कार्यान्वयन।

- निर्यात के लिए खासकर परम्परागत किस्म की उत्तम चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

- प्रहस्तन, पैकेजिंग, परिवहन/भाड़ा प्रभारों एवं मूल्य वर्धक की आंशिक लागत की पूर्ति करने के लिए चाय निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- प्रमुख चाय आयातक देशों में टी बोर्ड लोगो एवं विशिष्ट चाय लोगो का पंजीकरण।

- विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और विशिष्ट भण्डारों एवं प्रमुख बाजारों में भारतीय चाय का भण्डार संवर्धन; और

- विशिष्ट भारतीय चाय के प्रति उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और टी बोर्ड विपणन लोगो का लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान चलाना।

चाय बोर्ड की 10वीं प्लान स्कीमें भारतीय चाय की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं विपणन में सुधार करने पर विशेष बल देते हुए तैयार की गयी हैं।

[अनुवाद]

विद्युतकरघा क्षेत्र में "कम्प्यूटर एडेड डिजायन सेन्टर्स"

***695. डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न विद्युतकरघा समूहों/केन्द्रों में "कम्प्यूटर एडेड डिजायन सेन्टर्स" स्थापित करने के लिए एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 31 दिसम्बर, 2002 की तिथि के अनुसार राज्यवार स्थापित किए गए केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन केन्द्रों पर हथकरघा बुनकरों और अन्य शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन केन्द्रों पर विकसित नए डिजाइन/पैटर्न को हथकरघा क्षेत्र को भी दिया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि जारी की गई है और व्यय की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) 31 दिसंबर, 2002 की स्थिति के अनुसार, सरकार ने निम्नलिखित विद्युतकरघा समूहों में 17 कंप्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना की थी।

क्र.सं.	कंप्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्र की अवस्थिति	राज्य
1.	अहमदाबाद	गुजरात
2.	सूरत	गुजरात
3.	पानीपत	हरियाणा
4.	बंगलौर	कर्नाटक
5.	डोडाबल्लापुर	कर्नाटक
6.	शोलापुर	महाराष्ट्र
7.	इचलकरंजी	महाराष्ट्र
8.	भिवंडी	महाराष्ट्र
9.	मुंबई	महाराष्ट्र
10.	इंदौर	मध्य प्रदेश
11.	बुरहानपुर	मध्य प्रदेश
12.	भीलवाड़ा	राजस्थान
13.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
14.	करूर	तमिलनाडु
15.	कोमारपालयम	तमिलनाडु
16.	सोमानुर	तमिलनाडु
17.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश

इन कंप्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना, नए डिजाइनों, उन्नत डिजाइनों तथा जेकार्ड कार्डों के कंप्यूटरीकृत पंचिंग के प्रयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा उद्योग के उत्पादों और बाजारों के विविधीकरण को आसान बनाने के लिए किया गया है। सरकार पांच वर्षों की अवधि के लिए स्टाफ आदि के वेतन पर होने वाले व्यय जिसके बाद केन्द्र को आत्मनिर्भर होने की आशा है, को पूरा करने के लिए प्रत्येक केन्द्र को 6.75 लाख रुपए का वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रदान करती है।

(ग) से (च) हालांकि, इन केन्द्रों की स्थापना विद्युतकरघा उद्योग के लिए की जाती है। तथापि, वे अपनी सेवाएं और डिजाइन कारीगरों और बुनकरों को प्रदान करते हैं जो अपने कौशल का उपयोग हथकरघा अथवा विद्युतकरघा के संबंध में करने के लिए स्वतंत्र हैं। बुनकरों और डिजाइनरों को डिजाइन और ग्राफ्स विकसित करने के लिए कम्प्यूटर का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (लाख रु. में)	व्यय (लाख रुपये में)
1.	2000-01	210.00	81.26
2.	2001-02	100.00	65.73
3.	2002-03	74.00	67.50

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि

***696. श्री वी. वेत्रिसेल्वन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत चीन की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में बहुत पीछे है;

(ख) यदि हां, तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी का कारण क्या हैं;

(ग) 2003 की पहली तिमाही के दौरान भारत द्वारा कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया गया; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) वर्ष 1991 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। ये अंतर्वाह वर्ष 2001 में 4281 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2002 में 4434.5 मिलियन अमरीकी डालर थे। भारत और चीन के बीच प्रत्यक्ष रूप से तुलना, कई कारणों से उपयुक्त नहीं है। इनमें चीन द्वारा अपना बाजार एक दशक पहले खोलना, इसके द्वारा कराधान में एफडीआई को तरजीही व्यवहार, श्रम नीति शामिल हैं और यह भी कि भारत के एफडीआई आंकड़ों में पुनर्निवेशित आय, गौण ऋण, एफडीआई कंपनियों द्वारा विदेशी वाणिज्यक उधार तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की परिभाषा के अनुसार अन्य पूंजीगत अन्तर्वाह शामिल नहीं हैं।

(ग) भारत द्वारा जनवरी-फरवरी, 2003 के पहले दो महीनों में 2695.7 करोड़ रुपए के एफीडीआई अंतर्वाह आकर्षित किए गए हैं।

(घ) सरकार ने एक उदार एफडीआई नीति लागू की है और अधिकांश क्षेत्रों के लिए स्वचालित मार्ग निर्धारित किया गया है। निवेश का माहौल बनाने और कारगर प्रक्रियाओं के माध्यम से अन्तर्वाह सुगम बनाने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एफडीआई नीति की इस उद्देश्य हेतु गठित मंत्रियों के समूह द्वारा सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

व्यापार घाटा

***697. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में व्यापार घाटा बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त प्रयासों के कारण व्यापार घाटे को कितना कम किया जा सका है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, नहीं। व्यापार घाटा वर्ष 1999-2000 में (-)12.85 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से कम हो कर वर्ष 2002-2003 में (-)7.68 बिलियन रह गया है। तथापि, व्यापार घाटा वर्ष 2001-2002 में 6.95 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2002-2003 में 7.68 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जिसमें 10.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यत: अधिक तेल कीमतों के कारण तेल आयातों के मूल्य की वजह से हुई है। तेल आयात भारत के वर्ष 2002-2003 में हुए सकल आयातों का 30 प्रतिशत है जिसमें वर्ष के दौरान 26.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गैर-तेल आयातों में वर्ष 2002-2003 के दौरान केवल 13.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर तेल आयातों में अधिक आयात वृद्धि दर दर्शाने वाली मदें वनस्पति तेल (28 प्रतिशत), मशीनें, बिजली और गैर-बिजली (15 प्रतिशत), परिवहन

उपकरण (89 प्रतिशत), मोती और अर्द्ध-कीमती पत्थर (28 प्रतिशत) आदि हैं। हालांकि, वनस्पति तेल जैसी मदें आवश्यकताएं हैं जबकि अन्य मदें मुख्यत: निर्यातों के लिए निवेश है अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए इनकी आवश्यकता है।

(ग) और (घ) निर्यातों का संवर्धन कर के और संवेदनशील मदों के आयातों पर निगरानी रख कर स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं। निर्यातों का संवर्धन करने के लिए अनेक कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की गई हैं जिनमें निर्यात बुनियादी संरचना का विकास करने के लिए राज्यों को सहायता, कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित करना, बाजार पहुंच पहल, "फोकस एलएस" कार्यक्रम को मजबूत करना, "फोकस अफ्रीका" कार्यक्रम को शुरू करना आदि जैसी स्कीमें शामिल हैं। एक्जिम नीति 2003-2004 में सेवा निर्यातों पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), को मजबूत करने, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए नीतियां तैयार की गई हैं। "फोकस सीआईएस" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। समय-समय पर किए गए इन उपायों से भारत के निर्यातों में वृद्धि होती है और व्यापार घाटा कम होता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण उद्योगों को ऋण

*698. **श्रीमती श्यामा सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बैंकों से ग्रामीण उद्योगों को अधिक ऋण देना सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों को नई दिशा देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक अभी भी ग्रामीण उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ऋण देने में संकोच करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या बिना किसी कठिनाई के ग्रामीण लोगों/उद्योगों को ऋण देने के लिए कोई रणनीति अपनाई जाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) उपलब्ध आकंड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के संबंध में बकाया निवल बैंक ऋण में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लगातार वृद्धि हुई है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002
ग्रामीण	14803	17279	20689
अर्ध-शहरी	21634	23878	30737
शहरी	35996	41356	52632
महानगरीय	141348	153917	167567
कुल	213778	236430	271625

लघु उद्योग क्षेत्र में अधिकांश ग्रामीण उद्योग आते हैं जिनमें कुटीर एवं ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा बुनाई, अयन्त लघु उद्योग आदि शामिल हैं।

सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग, अत्यन्त लघु उद्योग भी शामिल हैं, को राहत एवं बेहतर ऋण सुविधाएं देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) लघु उद्योग इकाइयों की कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं की गणना न्यूनतम 20 प्रतिशत की अनुमानित वार्षिक टर्नओवर की सरलीकृत पद्धति द्वारा किया जाना।

(2) लघु उद्योग वित्तपोषण की 60 प्रतिशत निधि को अत्यन्त लघु क्षेत्र के लाभ के लिए निश्चित करना।

(3) संमिश्र ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना।

(4) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा लघु उद्योगों के लिए नई ऋण गारन्टी योजना शुरू करना।

(5) लघु उद्योग इकाइयों आदि को विलंबित भुगतानों को ध्यान में रखते हुए दण्डात्मक प्रावधान लागू करना।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आईएफसीआई का अधिग्रहण

*699. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक को आईएफसीआई का अधिग्रहण करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब नेशनल बैंक ने इस कदम का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक को आईएफसीआई का अधिग्रहण करने के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य

*700. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए गठित अध्ययन दल द्वारा किए गए अनुरोध की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समीक्षा के बाद पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी हां। एक अध्ययन समूह द्वारा उक्त रिपोर्ट की वर्ष 1996 में समीक्षा की गई है।

(ख) वर्ष, 1994 में गठित अध्ययन समूह ने कतिपय औद्योगिक अवसंरचनात्मक तथा वित्तीय आयामों को शामिल करते हुए मिश्रित सूचकांक के 500 बिन्दुओं पर पिछड़ेपन के बेंचमार्क मानदण्ड का सुझाव दिया था। समीक्षा समूह ने आयामों में मामूली संशोधन करते हुए 250 बिन्दुओं पर बेंचमार्क मानदण्ड का सुझाव दिया था।

(ग) समीक्षा के आधार पर श्रेणी 'क' तथा श्रेणी 'ख' जिलों के लिए कर राहतों के अलग-अलग पैकेज दिए गए थे। श्रेणी 'क' जिलों में 250 बिन्दुओं से कम बेंचमार्क स्तर वाले जिले शामिल हैं। अगम्य पहाड़ी क्षेत्र वाले जिलों, बिना रेल सम्पर्क वाले जिलों को भी श्रेणी 'क' में शामिल किया गया है, भले ही उनका बेंचमार्क स्तर 250 बिन्दुओं से अधिक हो, बशर्ते उनका बेंचमार्क स्तर 500 बिन्दुओं से कम हो। बेंचमार्क स्तर का ध्यान न रखते हुए 'उद्योग रहित जिले' भी इस श्रेणी में शामिल किये गये हैं। श्रेणी 'ख' में वे जिले शामिल हैं जिनका बेंचमार्क स्तर 500 बिन्दुओं से कम और 250 बिन्दुओं से अधिक है।

[अनुवाद]

विदेशी व्यापार महानिदेशालय का पुनर्गठन

*701. **श्री कमलनाथ:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी व्यापार महानिदेशालय के पुनर्गठन हेतु एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी व्यापार महानिदेशालय को पाटनरोधी जांच इत्यादि करने के लिए अधिक अधिकार दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति की कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) वर्तमान उदारीकृत नीति परिवेश में विदेश व्यापार महानिदेशालय की भूमिका एवं पुन: संरचना के संबंध में विचार एवं सिफारिश करने के लिए, पूर्व वाणिज्य सचिव श्री पी.पी. प्रभु की अध्यक्षता में एक ग्रुप का गठन किया गया है। ग्रुप को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

आवास ऋण के लिए सिक्योरिटी मार्जिन

*702. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए अपने आवास ऋण हेतु सिक्योरिटी मार्जिन पर जोर देने को अनिवार्य बनाए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सभी बैंकों को कोई निदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र में आने वाले आवास ऋणों हेतु मार्जिन राशि एवं प्रतिभूति के लिए मानदण्डों के संबंध में वर्ष 1997 में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे। ये हैं:

मार्जिन राशि:

	ऋण राशि	मार्जिन का प्रतिशत
(1)	20,000 रुपए तक	20
(2)	20,000/-रुपए से 50,000 रुपए तक	25
(3)	50,000 रुपए से 1,00,000 लाख रुपए तक	30
(4)	1,00,000 रुपए से अधिक	35

बैंक उपर्युक्त सीमाओं तक मार्जिन राशि की अपेक्षाएं लागू कर रहे हैं।

प्रतिभूति: संपत्तियों या सरकारी गारंटी को बंधक रखना। जहां इन दोनों में से कोई भी संभव न हो, बैंक अपने विवेक से जीवन बीमा पालिसियों, सरकारी बचत पत्र, शेयरों या डिबेंचरों, स्वर्णाभूषणों या उपयुक्त समझी गई ऐसी अन्य प्रतिभूति के रूप में उपयुक्त मूल्य की प्रतिभूतियां स्वीकार कर सकते हैं।

महिलाओं को बैंक ऋण

6771. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विशिष्ट रूप से महिला उद्यमियों को आकृष्ट करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेषीकृत शाखा की स्थापना करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन निदेशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) अब तक स्थापित की गई ऐसी शाखाओं की बैंक-वार संख्या क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अभिज्ञात क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेषीकृत शाखाएं खोलने की सलाह दी थी जो पूर्णत: या विशेष रूप से, महिला उद्यमियों की संगठित रूप से आवश्यकताओं को पूरी करेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ बैंकों ने महिलाओं के लिए विशेषीकृत शाखाएं खोली हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

	बैंक का नाम	विशेषीकृत शाखाओं की संख्या
1.	इलाहाबाद बैंक	1
2.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	5
3.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
4.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1

इसके अतिरिक्त, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केनरा बैंक ने भी बंगलौर में एक महिला बैंकिंग शाखा खोली है जो विशेषकर महिला ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेगी।

[हिन्दी]

उद्योगों/कंपनियों को बैंक ऋण

6772. श्री सुकदेव पासवान: क्या **वित्त मंत्री** दिनांक 2.8.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2937 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सूचना को सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है तथा इससे संबंधित सूचना कुछ बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की जानी है। पूरी सूचना प्राप्त हो जाने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मिर्च का निर्यात

6773. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरी मिर्च, लाल मिर्च और मिर्च पाउडर का निर्यात अन्य देशों को किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इनका अलग-अलग कितना निर्यात किया गया, कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) मिर्च के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और देश में महत्वपूर्ण नीलामी केन्द्र कौन से हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे नीलामी केन्द्रों में मिर्च का कितना कारोबार किया गया और उसका विक्रय मूल्य क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मिर्च मदों की अनुमानित मात्रा तथा उनसे प्राप्त मूल्य निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

मात्रा: टन
मूल्य: करोड़ रुपए में

मदें	2000-01		2001-02		2002-03 (अ)*	
मिर्च	37191	122.46	39973	125.12	40743	129.65
मिर्च पाउडर	15977	62.76	24991	89.00	22392	82.26
हरी मिर्च	3212	5.95	1195	2.86	1034	2.24

(अ) अनंतिम

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता

*अप्रैल से दिसम्बर, 2002-2003 की अवधि के लिए

इन मदों के प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थानों में श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमरीका, बंगलादेश, मलेशिया, यूके, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, आदि शामिल हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल मिर्च के प्रमुख उत्पादक हैं। देश में मिर्च व्यापार के लिए कोई नीलामी केन्द्र कार्य नहीं कर रहा है।

सेवा कर की वसूली

6774. श्री किरीट सोमैया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आय कर विभाग, मुम्बई ने मुम्बई में केबल आपरेटरों की आय का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) मुम्बई में कितने केबल आपरेटर काम कर रहे हैं;

(घ) मुम्बई में केबल आपरेटरों द्वारा जमा किया गया सेवा कर, मनोरंजन कर और आय कर का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केबल ग्राहकों से सरकारी संग्रहण करने और उसे सरकार के पास जमा न करने के लिए केबल आपरेटरों के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) आयकर विभाग, मुम्बई, ने दो केबल आपरेटरों की पड़ताल की जिसमें यह पाया गया कि उन्होंने अपनी खाता बहियां ठीक प्रकार से नहीं रखी थीं। एक निर्धारिती के मामले में 70,350 रुपये की नकद राशि पाई गई थी। दूसरे मामले में पड़ताल के दौरान पाई गई विसंगतियों के परिणामस्वरूप निर्धारती ने वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए 60,000 रुपये के कर का भुगतान करने का प्रस्ताव किया।

(ग) केबल उपभोक्ताओं का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(घ) 31.3.2003 को समाप्त वर्ष के लिए मुम्बई में केबल आपरेटरों द्वारा 111.53 लाख रुपये के सेवा कर का भुगतान किया गया है। आयकर विभाग, केबल आपरेटरों द्वारा भुगतान किए गए कर के संबंध में ब्यौरा नहीं रखता है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के अनुसार मनोरंजन कर राज्य का विषय है। अतएव, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ङ) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अंतर्गत सेवा कर उद्ग्रहणीय है। इस अधिनियम के अंतर्गत सेवा कर की अदायगी न करना एक संज्ञेय अपराध नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खुदरा व्यापार हेतु अनुमति

6775. श्री पी.एस. गड़वी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में किसी अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनी को थोक भुगतान पर खुदरा व्यापार की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस अनुमति हेतु किन खंडों, दिशानिर्देशों, मानदंडों को अपनाया है;

(घ) क्या सरकार को शापराइट द्वारा धोखेबाजी और उल्लंघन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(च) क्या इनकी कोई जांच की गई है;

(छ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ज) सरकार द्वारा ऐसे खुले उल्लंघन को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार, नकद और थोक व्यापार में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मार्ग के जरिए 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। तथापि, 1997 से खुदरा व्यापार के संबंध में सरकार की नीति के तहत खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. की अनुमति नहीं है।

(घ) से (छ) जी, हां। एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी थोक व्यापार के रूप में खुदरा व्यापार करने के लिए एक कपटपूर्ण व्यवस्था कर रही है। यह मामला उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा गया है।

(ज) विदेशी सहयोग अनुमोदन का किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर एफ.ई.एम.ए. विनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इस प्रकार के मामलों पर कार्रवाई संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है।

व्यापार घाटा

6776. श्रीमती मिनाती सेन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के अन्तिम सात माह के दौरान विदेशी मुद्रा के विशाल संचयन के बावजूद भारत के व्यापार घाटे में 62.4765 करोड़ डालर की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (स्वर्ण एवं एसडीआर सहित) मार्च अन्त, 2002 में 54.1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर मार्च अन्त, 2003 में 75.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस) के अनुसार, इसी अवधि के दौरान पण्य व्यापार घाटा वर्ष 2001-02 में 6950 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2002-2003 में 7685 मिलियन अमरीकी डालर अथवा 768.5 करोड़ अमरीकी डालर हो गया।

(ख) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों की समग्र स्थिति भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी, दोनों, खातों पर भारत के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का निवल परिणाम दर्शाती है। पण्य व्यापार घाटा जो पण्य निर्यातों की तुलना में पण्य आयातों में हुई वृद्धि दर्शाता है, भुगतान संतुलन के चालू खाते पर लेन-देन की मात्र एक अंश है। अदृश्य मदों में व्यापार सहित चालू खाता शेष हाल की प्रवृत्तियों के अनुसार आधिक्य दर्शाता है।

(ग) जबकि आयात अर्थव्यवस्था की जरूरतों से संबंधित हैं, निर्यात अन्य बातों के साथ-साथ कई कारकों जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति, टैरिफ एवं टैरिफ-भिन्न प्रतिबंध, घरेलू आधार ढांचा, निर्यात ऋण की लागत, नीतिगत ढांचा आदि पर निर्भर करते हैं। निर्यात और आयात व्यय के बीच के अन्तर को निर्यात संवर्धन उपायों द्वारा कम किए जाने की जरूरत है, जो सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत और संवर्धन स्कीमों के माध्यम से किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सिफारिश

6777. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक और वित्तीय संस्थाएं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों से संबंधित आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन करती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं में हिन्दी के शत-प्रतिशत प्रयोग हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) बैंक और वित्तीय संस्थाएं समग्रत: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों का अनुपालन करती हैं।

(ग) राजभाषा से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न प्रयास करते रहे हैं। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में परिचालित किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और कमियां संबंधितों के ध्यान में लाई जाती हैं। राजभाषा नीति की विभिन्न अपेक्षाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए राजभाषा विभाग, बैंकिंग प्रभाग और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जाता है। बैंकिंग प्रभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं, जिनकी बैठकें हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से होती हैं। इन प्रयासों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में तेजी आती है।

[अनुवाद]

विदेशी वित्तपोषित परियोजनाएं

6778. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी सहायता प्राप्त उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी नाभिकीय परीक्षण के बाद की अवधि के दौरान बंद कर दिए जाने के बाद सहायक एजेंसियों द्वारा समीक्षा की गई है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी लंबित/बंद परियोजनाएं चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) किन-किन देशों/संगठनों ने उक्तावधि के दौरान परियोजनाएं स्थायी रूप से बंद कर दी हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) नाभिकीय परीक्षणों के पश्चात् भारत पर लगे प्रतिबंधों के कारण जिन परियोजनाओं को अनुमोदित नहीं किया गया था, उनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं। प्रतिबंधों को हटाए जाने के पश्चात् इन पर पुन: कार्रवाई आरम्भ की गई थी और संबंधित दाताओं द्वारा इन्हें अनुमोदित कर दिया गया है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	दाता	ऋण/अनुदान करेंसी	ऋण/अनुदान राशि (मिलियन में)
1	2	3	4	5
1.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	381
2.	द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	121
3.	विद्युत ग्रिड प्रणाली विकास परियोजना-II	विश्व बैंक	अमरीकी डालर	450
4.	वित्तीय संस्थान सुधार एवं विस्तार परियोजना	यूएस ऐड	अमरीकी डालर	20
5.	दिल्ली सार्वजनिक त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना-IV	जापान	जापानी येन	34012
6.	सिंहाद्रि तापीय विद्युत केन्द्र परियोजना-IV	जापान	जापानी येन	5684
7.	पंजाब वन प्रबंधन परियोजना-II	जापान	जापानी येन	5054

1	2	3	4	5
8.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र यूनिट-4 तथा 5 विस्तार परियोजना	जापान	जापानी येन	36771
9.	राजस्थान वानिकी तथा जीव-विविधता (बायोडायवर्सिटी) परियोजना	जापान	जापानी येन	9054
10.	यमुना कार्रवाई परियोजना	जापान	जापानी येन	13333
11.	अजंता-एलोरा संरक्षण तथा पर्यटन विकास परियोजना	जापान	जापानी येन	7331

(ग) उक्त अवधि के दौरान किसी भी देश/संगठन ने परियोजनाओं को स्थायी रूप से बंद नहीं किया था।

भारतीय जीवन बीमा निगम का निदेशक मंडल

6779. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के निदेश मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या बोर्ड का पूर्ण रूप से गठन नहीं किया गया है और सरकार द्वारा अभी अनेक रिक्तियां भरी जानी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रिक्तियां कितनी हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बोर्ड में अधिकतम 16 सदस्य हो सकते हैं।

(ख) और (ग) इस समय बोर्ड में छह सदस्य हैं। रिक्त पदों को भरने के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

लार्ड कृष्णा बैंक

6780. **प्रो. ए.के. प्रेमाजम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड के केरल बोर्ड के प्रबंधन द्वारा बैंकिंग नियमों और विनियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इन अनियमितताओं के कारण बैंक की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा इन अनियमितताओं को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) सूचना भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड की 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार उसका निरीक्षण किया गया था और कोई गंभीर अनियमितताएं नहीं पाई गई थीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

महंगाई भत्ता फार्मूला में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव

6781. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले ही पचास प्रतिशत को पार कर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक में इस मुद्दे पर कोई चर्चा की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (च) जे.सी.एम. (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) की स्थायी समिति की बैठक में छठे वेतन आयोग के बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ था, चूंकि इस बैठक में यह कार्यसूची की मद नहीं थी।

सेबी द्वारा टाटा फाइनेंस लिमिटेड द्वारा की गई शिकायत की जांच

6782. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
श्री राम सिंह राठवा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी द्वारा मैसर्स ईन्शाल्लाह इंवेस्टमेंट लिमिटेड और निष्कल्प इंवेस्टमेंट और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से पूर्व प्रबंध निदेशक और अन्यों द्वारा ग्लोबल टेली लिमिटेड के 85000 शेयरों के अवैध हवाला कारोबार हेतु टाटा फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दर्ज शिकायत की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो सेबी द्वारा निष्कर्ष के परिणामों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेबी द्वारा सेबी अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सेबी का विचार दोषियों के विरुद्ध न्याय निर्णयन आदेश पारित करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासियों की समस्याओं संबंधी सलाहकार दल

6783. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आदिवासियों की समस्याओं पर विचार करने हेतु एक आदिवासियों संबंधी सलाहकार दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सलाहकार दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो सलाहकार दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिफारिशों को किस हद तक स्वीकार और लागू किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लुप्त होती हुई कंपनियों के निदेशक

6784. श्री ए. कृष्णैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने लुप्त होती हुए कंपनियों के निदेशकों की पहचान करने और उनके नाम प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फूलों के निर्यात में केन्द्रीय भाण्डागार निगम का प्रवेश

6785. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फूलों के निर्यात में केन्द्रीय भाण्डागार निगम (सी डब्ल्यू सी) के प्रवेश करने की तैयारी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस संबंध में किन देशों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) केन्द्रीय भंडारण निगम की फूलों से संबंधित व्यापार के लिए अपेक्षत इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना है। तथापि, यह फूलों के निर्यात का कार्य नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी स्टाक में निवेश

6786. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निवासी भारतीय व्यक्तियों, कंपनियों और म्यूचुअल फंडों को विदेशी स्टाक में निवेश करने की अनुमति देने की किसी योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव अनिवासी भारतीयों को भारत में अपनी संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री से 1 मिलियन अमरीकी डालर ले जाने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव विदेशी मुद्रा नियमों में कुछ संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) सरकार ने हाल ही में भारतीय म्यूचुअल फंडों को सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों की इक्विटी में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ख) सेबी द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड उन्हीं विदेशी सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश कर सकते हैं जिनकी भारत में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भारतीय कंपनी में शेयरधारिता कम से कम 10 प्रतिशत (निवेश के वर्ष में 31 जनवरी की स्थिति के अनुसार) हो। भारतीय कंपनियों और विदेशी इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों द्वारा जारी एडीआर/जीडीआर में निवेश करने के लिए समूचे म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए समग्र उच्चतम सीमा 1 बिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) से (च) रिजर्व बैंक ने एनआरओ खाते/एनआरआई/पीआईओ/विदेशी नागरिकों की परिसंपत्तियों की बिक्री प्राप्तियों में धारित अधिशेषों में से प्रति कलैंडर वर्ष 1 मिलियन अमरीकी डालर तक जमा कराने की अनुमति देते हुए 13 जनवरी, 2003 को अधिकृत डीलरों को अनुदेश जारी किए हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के चूककर्त्ता

6787. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण वसूली अधिकरणों ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को पचास करोड़ रुपये से अधिक की चूक के लिए महाराष्ट्र सरकार के राज्य सहकारी और कपड़ा सचिव के कार्यालय को कुर्क करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई शुरू करने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) वित्तीय संस्थाओं (आईएफसीआई, आईडीबीआई एवं आईसीआईसीआई) ने बकायों की वसूली के लिए सहकारी चीनी मिल (सिंधखेड़ा तालुका एस एस के लिमिटेड) एवं महाराष्ट्र राज्य सरकार (गारंटीदाता) के विरुद्ध दिनांक 12 सितम्बर, 2000 को ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई में संयुक्त वसूली आवेदन दिया था। ऋण वसूली अधिकरण ने लागत सहित भुगतान की तारीख तक 20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 50.68 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए सितम्बर, 2001 में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया था। वसूली अधिकारी ने महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय के सहकारी एवं वस्त्र विभाग के सचिव के कार्यालय की कुर्की के लिए दिनांक 6 जनवरी, 2003 को एक आदेश जारी किया था तथा राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था कि ट्रेजरी एवं आर बी आई में उसके खातों को कुर्क क्यों न कर लिया जाए। ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर अपील की प्रथम सुनवाई 17.1.2003 को हुई थी तथा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण ने राज्य सरकार को डिक्रीत राशि के 75 प्रतिशत को जमा करने का निदेश दिया था तथा दिनांक 17.3.2003 को मामले की अंतिम सुनवाई होनी निश्चित हुई थी। तथापि, राज्य सरकार ने मुम्बई उच्च न्यायालय

में एक रिट याचिका दायर की थी तथा रिट याचिका को स्वीकार करते समय न्यायालय ने राज्य सरकार को सात दिनों के अंदर 10 करोड़ रुपए जमा करने तथा आगामी वसूली कार्यवाहियों को रोक देने की अनुमति दी। राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए जमा कर दिया तथा अब रिट याचिका की सुनावाई दिनांक 11.6.2003 को होनी निश्चित हुई है।

उप-सहारा अफ्रीका देशों के लिए ऋणलाइनें

6788. डा. वी. सरोजा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उप-सहारा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने हेतु क्रेडिट लाइनों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव दोनों क्षेत्रों की सरकारों और व्यापारियों के बीच बढ़ती बातचीत का पक्ष लेने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यात-आयात बैंक द्वारा इस संबंध में बढ़ाई गई क्रेडिट लाइन का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम का गेहूं भंडार

6789. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का गेहूं भंडार 25.00 मिलियन टन से ऊपर हो गया है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम गैर-गेहूं उत्पादक राज्यों अथवा उन निर्यात पत्तनों में गेहूं का भंडारण नहीं करता है जहां गेहूं की मांग ज्यादा है;

(ग) क्या गैर-गेहूं उत्पादक राज्यों के व्यापारी भारतीय खाद्य निगम की गेहूं भंडारण स्थान नीति की खामियों का लाभ उठा रहे हैं;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास मांग का अनुमान लगाने और गुणवत्ता की ग्रेडिंग हेतु कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध महरिया): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम गेहूं का उत्पादन न करने वाले राज्यों में भी गेहूं का भंडारण करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम के पास वसूली और भंडारण के दौरान स्टाक की गुणवत्ता की ग्रेडिंग करने के लिए तंत्र है। भंडारण के दौरान खाद्यान्नों का श्रेणीकरण उनकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का उनके विभिन्न अंतिम उपयोग के प्रयोजनार्थ अर्थात् पशुचारा 1, 2 और 3 आदि के रूप में श्रेणीकरण किया जाता है।

भारत सरकार के पास लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन समस्त मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक है।

[हिन्दी]

शुष्क पत्तन का निर्माण

6790. श्री अरुण कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शुष्क पत्तन के निर्माण हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई;

(ख) क्या बिहार में भी ऐसे शुष्क पत्तन का निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), जिन्हें वैकल्पिक रूप से शुष्क पत्तनों के रूप में भी जाना जाता है, को वाणिज्य विभाग में कार्यरत एक अन्तर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा संचालित एकल खिड़की स्वीकृति तंत्र के जरिए अनुमोदित किया जाता है। अभी तक 175 आईसीडी/सीएफएस को अनुमोदित किया जा चुका है जिनमें से 115 कार्य कर रही हैं, 37 का कार्यान्वयन किया जा रहा है जबकि 23 को या तो रद्द अथवा बंद कर दिया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी अनुमति है।

(ख) और (ग) बिहार में दो अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं को अनुमोदित किया गया है। द कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया और बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने फतुहा और शीतलपुर में क्रमश: एक-एक आईसीडी की स्वीकृति दी है। दोनों सुविधाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा

6791. श्री राम सिंह राठवा:
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कुल वार्षिक निर्यात में कृषि निर्यात का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों से कृषि निर्यात स्थिर हो गया है;

(ग) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई हो, की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना कृषि निर्यात किया गया है;

(घ) सरकार का कृषि निर्यात को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या पर्याप्त निर्यात अवसंरचना की कमी कृषि निर्यात में बाधा पहुंचा रही है;

(च) यदि हां, तो सरकार का कृषि निर्यात हेतु निर्यात अवसंरचना को सुधारने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(छ) वर्ष 2003-04 हेतु कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) अप्रैल-जनवरी, 2002-2003 की अवधि के लिए कुल निर्यातों में कृषि निर्यातों (चाय, समुद्री उत्पाद, काफी, कैस्टर आयल, रुई को छोड़कर) के हिस्से का प्रतिशत 8.35 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों में हुए कृषि निर्यात निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपए)
2000-2001 (अप्रैल-मार्च)	16773.48
2001-2002 (अप्रैल-मार्च)	18666.68
2002-2003 (अप्रैल-जनवरी)	17310.71
2001-2002 (अप्रैल-जनवरी)	14806.91

(स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस कलकत्ता)

(घ) से (च) कृषि उत्पादों के लिए विशिष्ट बुनियादी संरचना की अपर्याप्तता जैसे शीत श्रृंखला, गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं, फसलोत्तर प्रबंधन, भंडारण आदि की कमी से कृषि निर्यातों में बाधा आई है। सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के जरिए इनका निराकरण किया जा रहा है।

(छ) कृषि निर्यातों का लक्ष्य विगत के कार्य निष्पादन और भावी संभावनाओं पर आधारित अनुमानों के स्वरूप का है। इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

[अनुवाद]

जेट एयरवेज

6792. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेट एयरवेज अपनी हैसियत की एक कंपनी हेतु अपेक्षित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने एक कंपनी की स्थापना हेतु कानूनी मानदंडों के उल्लंघन के मद्देनजर जेट एयरवेज के खिलाफ कोई कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार इस संबंध में जेट एयरवेज के खिलाफ उचित कार्रवाई करने जा रही है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) मैसर्स जेट एयरवेज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी दिनांक 01.04.1992 को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित की गई थी। वह कम्पनी दिनांक 01.07.1996 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 43क (1क) के अंतर्गत एक मानित पब्लिक कम्पनी बन गई। "प्राइवेट" शब्द कम्पनी के नाम के साथ अधिनियम की धारा 43क (2क) के अंतर्गत दिनांक 19.01.2001 से जोड़ा गया। इसलिए, इस संबंध में कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षाओं की अनुपालना की है।

(च) कम्पनी की जांच, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत की गई थी। सरकार ने अधिनियम की धारा 205, 224(8), 292(1ग) एवं 211(8 मामले) के उल्लंघन के लिए अभियोजन चलाने के आदेश दिए।

[हिन्दी]

डाकघरों में विदेशी मुद्रा का लेन-देन

6793. **श्री मानसिंह पटेल:**
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ डाकघरों में विदेशी मुद्रा का लेन-देन शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे विदेशी मुद्रा के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने में सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) डाक विभाग ने आने वाले धन के अन्तरण की सेवाओं के लिए वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक, संयुक्त राज्य अमेरिका (डब्ल्यूयूएफएस) के साथ एक करार किया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत डब्ल्यूयूएफएस नेटवर्क के माध्यम से विदेश से प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत आन्तरिक प्रेषणाओं को नामजद डाकघरों के माध्यम से भारत में प्राप्तकर्ताओं को संवितरित कर दिया जाता है। डाक विभाग द्वारा संवितरित की गयी राशियों की प्रतिपूर्ति डब्ल्यूयूएफएस द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से कर दी जाती है। इस सुविधा के प्रावधान से विदेशी मुद्रा में गैर-कानूनी व्यापार को रोके जाने की आशा है। इस व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम नवम्बर, 2000 में अनुमति दी थी जिसका समय-समय पर नवीकरण किया जाता रहा है।

[अनुवाद]

भूख से मुक्त भारत हेतु योजना की रूपरेखा

6794. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री बी. वेंकटेस्वरलु:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2007 तक भारत को भूख से मुक्त करने हेतु एक योजना की रूपरेखा बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और वर्षवार क्या लक्ष्य रखे गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धनतम को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु कार्रवाई चल रही है। इसके प्रति किए गए अन्य उपायों में दिसम्बर, 2000 में अंत्योदय अन्य योजना शुरू की गई थी ताकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान किए गए लाभार्थियों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दर पर 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्रदान किए जा सकें। अप्रैल, 2002 से इन लाभार्थियों के लिए जारी की जाने वाली मात्रा को बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। इस योजना में शुरू में एक करोड़ निर्धनतम परिवार कवर किए गए थे, जिसका अब विस्तार किया जा रहा है ताकि 50 लाख परिवार और कवर किए जा सकें।

फिल्म परियोजनाओं को उधार देने संबंधी मानदंड

6795. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने फिल्म परियोजनाओं को उधार देने संबंधी मानदंडों में रियायत प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो मानदंडों में रियायत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य सभी बैंकों ने भी कन्सोरटियम लेंडिग रूट पर फिल्म परियोजनाओं के लिए उधार देना प्रारम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे फिल्म उद्योग द्वारा अंडरवर्ल्ड की धनराशि का प्रयोग किये जाने पर किस सीमा तक रोक लगेगी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने नीचे दिए गए अनुसार फिल्म परियोजनाओं के लिए उधार देने संबंधी मानदंडों में छूट दी है:

(1) लाभ में भागीदारी से जुड़ी शर्त हटाना:

प्रारम्भ में वितरकों द्वारा अपना कमीशन एवं प्रचार मुद्रण व्यय पा लेने के पश्चात् यदि मूवी से गारंटी से अधिक राजस्व प्राप्त होता है तो आईडीबीआई फिल्म फाइनेंसिंग स्कीम ने वितरकों से निर्माताओं को प्राप्त अधिक राजस्व में भागीदारी करने का निर्णय लिया है। अब अतिरिक्त राजस्व की भागीदारी की शर्त समाप्त कर दी गई है।

(2) समापन बांड गारंटी में छूट:

समापन बांड पर जोर अब केवल 20 करोड़ रु. से अधिक के बजट वाली परियोजनाओं तक सीमित है।

(ग) कुछ बैंकों ने फिल्म परियोजनाओं को उधार देना शुरू कर दिया है।

(घ) बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार तथा वित्तीय संस्थाओं के नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों के साथ-साथ लोक वित्तीय संस्था (विश्वसतता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुरूप सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित जानकारी प्रकट नहीं की जाती है।

(ङ) अपेक्षा की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार योजनाओं से संस्थागत ऋण का फिल्म उद्योग तक विस्तार हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक चैनलों से निधियों की विद्यमान उच्च लागत के बदले उद्योग को संस्थागत ऋण से फिल्म उत्पादन के क्रिया-कलाप में निधियों की लागत कम होने की उम्मीद है। इससे अंडरवर्ल्ड सहित वित्त के अनौपचारिक स्रोतों की भूमिका भी सीमित होगी। तथापि, इसकी सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

दिवालिया सहकारी बैंक

6796. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काफी संख्या में मध्य प्रदेश में जिला स्तर के केन्द्रीय सहकारी बैंक दिवालिया हो गये हैं;

(ख) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के एपैक्स बैंक में गबन होने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन लम्बित मामलों के संबंध में कोई निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उपलब्ध सूचनानुसार मध्य प्रदेश में 38 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से किसी भी बैंक को "दिवालिया" घोषित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 2002 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने अपनी दो शाखाओं में 9.80 लाख रु. राशि की अन्तर्ग्रस्तता वाले दो धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाया था। एक अन्य मामले में, बैंक ने अपने एक उधारकर्ता के विरुद्ध 13.10 लाख रु. की धोखाधड़ी के लिए मुकदमा दायर किया था। बैंक ने धोखाधड़ी के मामलों की विस्तृत जांच करवाई थी। निष्कर्षों के आधार पर बैंक ने अधिकारियों/सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

बकाया कर

6797. श्री राम टहल चौधरी:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार आयकर, निगमितकर, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कितने बकाया करों की वसूली अभी की जानी है; और

(ख) इसकी वसूली के लिए तैयार किया गया समयबद्ध कार्यक्रम क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) दिनांक 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार बकाया प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की राशि क्रमशः 62,775 करोड़ रुपए तथा 14,763 करोड़ रुपए थी।

(ख) करों की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक वर्ष पुरानी मांगें कम हो जाती हैं अथवा एकत्रित की जाती हैं तथा नई मांगों को शामिल किया जाता है। विवादित मामलों के संबंध में, निर्धारितियों द्वारा, संबंधित विभाग द्वारा मानी गई देय कर की

मांगों का साधारणतया: तब तक भुगतान नहीं किया जाता जब तक कि वे सभी उपलब्ध कानूनी उपायों का प्रयोग न कर लें। जबकि वसूली के लिए संगत कानूनों के अन्तर्गत यथा निर्धारित प्रत्ययकारी तथा कठोर कार्रवाई निरन्तर की जाती है, इसलिए बकाया करों की वसूली निर्धारित समय सीमा में नहीं की जा सकती।

जनजातियों के लिए छात्रावास और आश्रम विद्यालय

6798. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वर्ष 2001-2002, 2002-2003 के दौरान अनुसूचित जनजाति के छात्रों (बालकों और बालिकाओं) दोनों के लिए छात्रावासों और आश्रम विद्यालयों के लिए निर्माण के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जनजातीय बालकों और बालिकों के लिए निर्मित छात्रावासों और आश्रम विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों (लड़के और लड़कियों दोनों) के लिए छात्रावास और आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए निर्मुक्त निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) कथित अवधि के दौरान निर्माण के लिए स्वीकृत छात्रावासों और आश्रम विद्यालयों की (राज्यवार) संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। तथापि, छात्रावासों और आश्रम विद्यालयों के नियोजन और निर्माण का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है इसलिए कथित अवधि के दौरान वास्तविक रूप से निर्मित छात्रावासों और आश्रम विद्यालयों की सुनिश्चित संख्या दर्शाना संभव नहीं है क्योंकि इस गतिविधि का पर्यवेक्षण करना राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

विवरण I

वर्ष 2001-02

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनु.जन.जा. के लिए लड़कियों के छात्रावास	अनु.जन.जा. के लिए लड़कों के छात्रावास	आश्रम स्कूल
1.	आंध्र प्रदेश	232.5	–	262.5
2.	गुजरात	10.29	21.57	157.3
3.	हिमाचल प्रदेश	126.60	113.50	–
4.	केरल	0.59	22.05	–
5.	उड़ीसा	25.00	30.00	–
6.	त्रिपुरा	10.00	40.00	50.00
7.	कर्नाटक	40.00	135.00	128.00
8.	महाराष्ट्र	67.72	217.90	–
9.	झारखंड	197.40	197.40	–
10.	छत्तीसगढ़	10.00	–	400.00
11.	दिल्ली	–	50.00	–
12.	अरुणाचल प्रदेश	–	10.00	–
	कुल	720	837.4	997.8

वर्ष 2002-2003

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनु.जन.जा. के लिए लड़कियों के छात्रावास	अनु.जन.जा. के लिए लड़कों के छात्रावास	आश्रम स्कूल
1.	आंध्र प्रदेश	128.00	204.50	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	38.00	–
3.	मध्य प्रदेश	440.00	422.00	820.00
4.	मेघालय	13.75	13.75	–
5.	नागालैंड	32.50	32.5	–
6.	पश्चिम बंगाल	–	5.00	–
7.	कर्नाटक	–	–	130.00
	कुल	634.25	715.15	950.00

विवरण II

वर्ष 2001-2002

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लड़कियों के छात्रावासों की स्वीकृत संख्या	लड़कों के छात्रावासों की स्वीकृत संख्या	आश्रम स्कूलों की स्वीकृत संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	32	–	7
2.	गुजरात	7	8	43
3.	हिमाचल प्रदेश	3	2	–
4.	केरल	2	3	–
5.	उड़ीसा	5	2	–
6.	त्रिपुरा	1	2	1
7.	कर्नाटक	2	9	9
8.	महाराष्ट्र	बकाया	बकाया	–
9.	झारखंड	14	14	–
10.	छत्तीसगढ़	1	–	46
11.	दिल्ली	–	1	–
12.	अरुणाचल प्रदेश	–	2	–
	कुल	67	43	106

वर्ष 2002-2003

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लड़कियों के छात्रावासों की स्वीकृत संख्या	लड़कों के छात्रावासों की स्वीकृत संख्या	आश्रम स्कूलों की स्वीकृत संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6	12	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	–
3.	मध्य प्रदेश	32	113	130
4.	मेघालय	5	5	–
5.	नागालैंड	बकाया	बकाया	–
6.	पश्चिम बंगाल	–	1	–
7.	कर्नाटक	–	–	5
	कुल	45	133	135

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन

6799. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विस्तार के लिए पूंजीगत आधार बढ़ाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अधिनियम में उक्त संशोधन किस समय तक संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि भी की जानी है।

(ग) मामला सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।

वस्त्र क्षेत्र को सहायता

6800. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों द्वारा विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत वस्त्र उद्योग को प्रदान की गई सहायता के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) वस्त्र क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई योजना सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र/योजना	2000-01	2001-02	2002-03
1. हथकरघा:			
(1) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	16.96	57.25	77.30
(2) कार्यशाला-सह-आवास योजना	15.00	9.81	10.50
(3) बुनकर कल्याण योजना	9.30	4.10	5.41
हथकरघा निर्यात योजना	1.58	2.03	1.86
2. रेशम उत्पादन:			
(1) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	10.4	15.72	43.32
(2) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल	-	-	0.19

हथकरघा और रेशम उत्पादन आधारित योजनाओं के लिए कुल योजना सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जबकि रेशम उत्पादन में निधियों का कम उपयोग होने की कोई सूचना नहीं दी गई है, हथकरघा क्षेत्र में निधियों का कम उपयोग, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है, हुआ था। हथकरघा के संबंध में व्यय में कमी के कारण निम्नानुसार हैं:

(1) उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में देरी।

(2) राज्यों द्वारा अपूर्ण प्रस्तावों को प्रस्तुत करना।

(3) संबंधित राज्यों द्वारा योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब।

(4) राज्यों के बजट में उनके हिस्से का प्रावधान न होना।

(घ) कार्यान्वयन में सुधार हेतु प्रस्तावों और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को समय पर प्रस्तुत करने सहित शर्तों में संशोधन, कवरेज, राज्य के अंशदान को मानिटर करना जैसे उपयुक्त कदम उठाए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2000-01, 2002-03) के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में दिए गए कुल सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

		हथकरघा				रेशम उत्पादन		
क्र.सं.	राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	अप्रयुक्त राशि*	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	244.84	1459.51	1241.12	153.98	170.50	350.53	1426.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	179.58	476.04	47.33	129.23	11.25	12.03	2.62
3.	असम	549.20	875.63	1019.37	112.25	206.03	164.87	121.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	0.37	6.50	6.25	12.75	23.38	7.00	106.27
5.	चंडीगढ़	5.85	33.08	60.52	11.95	–	–	12.13
6.	दिल्ली	5.00	11.35	150.32	16.35	–	–	–
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	–	–	–	–
8.	गुजरात	501.91	217.64	17.93	9.44	–	0.05	–
9.	हरियाणा	15.50	8.50	0.00	–	–	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	60.86	70.44	192.27	43.01	27.44	–	1.45
11.	जम्मू-कश्मीर	45.33	0.33	31.86	1.12	37.94	71.90	225.14
12.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	–	–	8.09	103.35
13.	कर्नाटक	87.07	453..67	474.12	182.10	291.65	650.51	880.28
14.	केरल	46.12	325.43	1148.17	157.89	25.14	19.23	38.05
15.	मध्य प्रदेश	35.61	30.49	65.45	20.33	34.70	31.57	52.59
16.	महाराष्ट्र	13.20	52.26	48.82	10.88	65.26	87.73	97.22
17.	मणिपुर	384.79	0.00	808.57	201.83	0.07	–	0.05
18.	मेघालय	29.10	10.53	15.75	37.43	13.67	72.98	33.11
19.	मिजोरम	10.25	0.00	39.06	10.25	12.90	39.27	84.49
20.	नागालैंड	257.08	364.50	149.88	165.89	10.32	22.82	2.49
21.	उड़ीसा	63.00	0.00	22.34	17.17	7.60	48.74	50.62
22.	पांडिचेरी	0.00	1.23	0.00	1.23	–	–	–
23.	पंजाब	4.25	28.50	14.10	18.35	1.28	3.50	–
24.	राजस्थान	2.56	30.21	18.73	37.77	–	–	–
25.	सिक्किम	2.50	0.00	0.00	–	5.65	3.25	15.48
26.	तमिलनाडु	1200.48	2093.03	2920.73	948.82	85.14	132.28	64.32
27.	त्रिपुरा	77.91	4.56	8.23	15.06	31.29	45.42	37.26
28.	उत्तर प्रदेश	68.40	888.00	768.35	89.90	53.57	52.03	22.86
29.	उत्तरांचल	0.00	40.25	47.55	–	–	22.75	210.41
30.	पश्चिम बंगाल	412.67	37.01	389.81	173.48	55.05	101.92	68.38
	कुल योग	4283.41	7318.89	9508.71	2578.06	1169.99	1928.44	3856.43

* केवल हथकरघा योजनाओं के संबंध में। रेशम उत्पादन योजनाओं के लिए निधि का उपयोग किया गया है।

सेबी में भ्रष्टाचार

6801. डा. बलिराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान सेबी के कार्यकरण में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सेबी के अध्यक्ष सेबी के ही कुछ प्रभावशाली निदेशकों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं; और

(ग) क्या सेबी में अनियमितताओं और भ्रष्टाचारों की आगे जांच करने का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिए जाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वित्त आयोग का स्वर्ण जयंती समारोह

6802. श्री राम मोहन गाइडे:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त आयोग का स्वर्ण जयंती समारोह हाल ही में दिल्ली में मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनमें किन विषयों पर चर्चा की गई और भाग लेने वालों द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान दो बैठकें आयोजित की गयी थी जिनमें से एक बैठक राज्यों के वित्त मंत्रियों और दूसरी पूर्व वित्त आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ सम्पन्न हुई थी। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उनमें करों की वर्टिकल और होरिजेंटल सुपुर्दगी, वित्त आयोग के अधिनिर्णय में करों तथा अनुदानों के वांछनीय समानुपात, पंचायतों को निधियां प्रदान करना, ऋणों के बनाए रखने योग्य स्तर और राजस्व जुटाने के लिए राज्यों हेतु मानदंड, ''वैट'' के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभाव पर विचार करना तथा ऋणों के पुनर्निर्धारण की ऋण राहत की व्यावहारिक योजना आदि शामिल हैं।

(ग) इन बैठकों में उठाए गए मुद्दे तथा दिए गए सुझाव बारहवें वित्त आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

पेंशन निधि

6803. योगी आदित्यनाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक पेंशन निधि की स्थापना के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त निधि की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सरकार ने प्रथम चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर, सरकारी सेवा में नए प्रवेशकर्ताओं के लिए एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है, जो कि स्वैच्छिक आधार पर अन्य लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी। नयी पेंशन योजना सुवाह्य होगी, जिसमें रोजगार में परिवर्तन की स्थिति में लाभों के अंतरण की अनुमति होगी तथा यह पेंशन निधियों के पास ''व्यष्टि पेंशन खातों'' में अंतिरत की जाएगी। पेंशन का विनियमन एक नयी एवं स्वतंत्र पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। पेंशन परिसंपत्तियों का प्रबंध पेंशन फंड प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक अनेक प्रकार की योजनाएं पेश करेगा। कम से कम एक पेंशन फंड मैनेजर सरकारी क्षेत्र में होगा। इसके अतिरिक्त, निधि प्रबंध तथा जोखिम प्रबंध में ठोस अनुभव रखने वाले निजी फंड प्रबंधकों का चयन खुली एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

[अनुवाद]

बचत और पूंजी निर्माण में गिरावट

6804. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान बचत और पूंजी निर्माण में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसने निवेश को किस प्रकार प्रभावित किया है; और

(घ) बचत और पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए अद्यतन उपलब्ध आकलनों के अनुसार चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत, वर्ष 2000-01 में 23.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 24.0 प्रतिशत हो गई। चालू कीमतों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू पूंजी निर्माण में वर्ष 2000-01 के 24.0 प्रतिशत से वर्ष 2001-02 में 23.7 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल घरेलू पूंजी निर्माण के रूप में आकलित सरकारी क्षेत्र का सकल घरेलू निवेश वर्ष 2000-01 के 6.4 प्रतिशत से मामूली गिरकर वर्ष 2001-02 के दौरान 6.3 प्रतिशत हो गया जबकि निजी क्षेत्र में यह वर्ष 2001-02 के 16.1 प्रतिशत के स्तर पर पिछले वर्ष के समान बना रहा।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देने के लिए आधार ढांचे में सरकारी निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है, जिसकी पूर्ति वर्धित घरेलू बचतों से की जानी है। वर्ष 2003-04 के केन्द्रीय बजट ने बचत और निवेश को बढ़ावा देने, राजकोषीय समेकन परलक्षित उपायों और निजी क्षेत्र भागीदारी के माध्यम से सरकारी राशि जुटाने द्वारा आधार ढांचा विकसित करने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया है। इन पहलों से बचत और निवेश पर अनुकूल प्रभाव पड़ना प्रत्याशित है।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन

6805. श्री जी.एस. बसवराज: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यरत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये संगठन उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन प्रत्येक संगठनों को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि के लिए इन संगठनों द्वारा कोई ऋण प्रणाली उपयोग प्रमाण-पत्र दिया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो इन स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा धनराशि के अनुचित प्रयोग के कितने मामलों की केंद्र सरकार को जानकारी मिली और उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) उपभोक्ता सहकारी संगठन उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियां शुरू करने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को मंजूर किए गए अनुदानों की राज्यवार सूचना संकलित की जा रही है।

(घ) जी, हां। गारंटी संस्थाओं/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेज निर्धारित समय पर देने होते हैं।

(ङ) अभी तक उपभोक्ता कल्याण कोष से मंजूर किए गए अनुदानों का स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा दुरुपयोग किए जाने का कोई मामला नहीं है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	321
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	8
4.	बिहार	30
5.	गुजरात	123
6.	गोवा	5

1	2	3
7.	हरियाणा	16
8.	हिमाचल प्रदेश	9
9.	जम्मू-कश्मीर	6
10.	कर्नाटक	78
11.	केरल	60
12.	मध्य प्रदेश	71
13.	महाराष्ट्र	70
14.	मणिपुर	3
15.	मेघालय	6
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	46
19.	पंजाब	51
20.	राजस्थान	79
21.	सिक्किम	3
22.	तमिलनाडु	161
23.	त्रिपुरा	5
24.	उत्तर प्रदेश	103
25.	पश्चिम बंगाल	36
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चंडीगढ़ प्रशासन	6
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
29.	दिल्ली	26
30.	दमन और दीव	1
31.	लक्षद्वीप	2
32.	पांडिचेरी	18
		1350

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम

6806. श्री रामदास आठवले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम का गठन किस तिथि को और किस उद्देश्य से किया गया था; और

(ख) इन उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) का गठन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) के विभाजन के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 (एक ऐसी कंपनी जो लाभ कमाने के लिए नहीं है) की धारा 25 के अंतर्गत सरकारी कंपनी के रूप में 10 अप्रैल, 2001 को किया गया।

(2) एनएसटीएफडीसी का गठन, आय सृजन करने वाली व्यवहार्य गतिविधियां चलाने और उनमें उद्यमिता के विकास के लिए प्रशिक्षण देने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर गरीबी रेखा से दोगुनी वार्षिक आय वाले परिवार के पात्र अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए किया गया था।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान एनएसटीएफडीसी (निगमित होने के बाद) के प्रदर्शन के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(1) वर्ष 2001-2002 के दौरान योजनाओं/परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए 60.00 करोड़ रुपये सैद्धांतिक रूप से आबंटित किए गए। इस लक्ष्य की तुलना में एनएसटीएफडीसी ने एनएसटीएफडीसी के 63.25 करोड़ रुपए के अंश के साथ 140 योजनाएं/परियोजनाएं स्वीकृत की। इसके लघु वन उत्पाद के लिए विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए ट्राइफेड को स्वीकृत 3.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता शामिल है।

(2) वर्ष 2002-2003 के दौरान, नई योजनाओं/परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए सैद्धांतिक रूप से 80.00 करोड़ रुपए आबंटित किए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस लक्ष्य की तुलना में निगम ने 98.98 करोड़ रुपए के एनएसटीएफडीसी की शेयर वाली 162 योजनाओं को स्वीकृत किया। इसमें गिरिजन सहकारी निगम लिमिटेड (जीसीसी) को लघु वन उत्पाद के लिए विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता और आईटीडीए, पडेरू जिला, विशाखापटनम में काफी रोपण की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश

अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लि. (ट्राइकोर) को 24 करोड़ रुपए का आवधिक ऋण शामिल है।

[अनुवाद]

राज्य सरकार को योजनागत सहायता

6807. श्री अनन्त नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा सरकार के लिए योजनागत सहायता को रोककर रखने या कटौती करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने केन्द्र सरकार से उड़ीसा के लिए योजनागत सहायता जारी करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके योजना आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। फार्मूला आधारित कटौतियां राज्य सरकारों द्वारा पूर्व वर्ष के लिए अनुमोदित अथवा संशोधित परिव्यय से कम खर्च करने की स्थिति में प्रभावित होती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भेषज उद्योग के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषद

6808. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने भेषज उद्योग के लिए हैदराबाद में स्वतंत्र निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भूमि, बुनियादी ढांचा आदि प्रदान करने एवं नई निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना के लिए आवश्यक कार्पस निधि हेतु अनुदान देने पर सहमति दे दी है; और

(घ) सरकार का इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति कब तक देने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) वाणिज्य विभाग को फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से फार्मा उद्योग के लिए एक स्वतंत्र निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। आंध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद में नई परिषद की स्थापना के लिए भूमि, बुनियादी संरचना और प्रारंभिक राशि प्रदान करने के लिए सहमत हो गई थी। तथापि, चूंकि यह निर्णय फार्मा उद्योग एसोसिएशनों के परामर्श से लिया जाना था इसलिए वाणिज्य विभाग ने मुख्य फार्मास्यूटिकल एसोसिएशनों से एक संयुक्त प्रस्ताव मांगा था। उन्होंने अब संयुक्त रूप से यह सिफारिश की है कि नई परिषद को मुंबई में मुख्यालय और हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय बना कर गठित किया जाए। तथापि, एसोसिएशनों से प्रारंभिक राशि जमा कराने से संबंधित सूचना की प्रतीक्षा है। इसलिए प्रस्ताव को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों के हितों की रक्षा

6809. श्री राजो सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी मिल मालिकों के एक संगठन भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन ने गन्ना उत्पादकों और चीनी मिल मालिकों के हितों की रक्षा हेतु सरकार के पास अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन समय-समय पर चीनी उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन देती रही है। भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन द्वारा हाल में की गई कुछ मांग और उन पर केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

(1) *बफर स्टाक का सृजन:* भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन और राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्रीज संघ लि. की मांग के आधार पर सरकार ने 18.12.2002 से एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टाक सृजित किया है।

(2) *रिलीज तंत्र को प्रभावी रूप से लागू करना:* सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को संशोधित करने और "नियमित रिलीज" तंत्र को प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया है।

(3) *आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति तथा समुद्री भाड़ा खर्च का निष्प्रभावीकरण:* चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को चीनी की निर्यात खेपों पर आंतरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करने का दावा करने की अनुमति दी गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि 350 रुपये प्रति टन की दर पर समुद्री भाड़ा खर्च को निष्प्रभावी करने के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी।

चाय का निर्यात हेतु लक्ष्य

6810. श्री चिन्मयानंद स्वामी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय के निर्यात के संबंध में सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या रणनीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े मिलियन किग्रा. में)

वर्ष	चाय के लिए निर्यात लक्ष्य	उपलब्धियां
1997-98	180	211
1998-99	200	206
1999-00	220	192
2000-01	225	204
2001-02	205	190

(घ) चाय के निर्यातों में गिरावट आने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक रूस द्वारा कम माल उठाना, अन्य चाय उत्पादक देशों जैसे श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम एवं केन्या के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा, कुछेक महत्वपूर्ण चाय आयातक देशों जैसे रूस, मिश्र और ईरान द्वारा लागू किए गए टैरिफ एवं गैर-टैरिफ उपाय, उत्पादन की अधिक लागत के कारण भारतीय चाय की अधिक कीमत हैं।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान चाय के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े मिलियन किग्रा. में)

वर्ष	निर्यात लक्ष्य
2002-03	200
2003-04	200

(च) चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- चाय बोर्ड मैसर्स एक्सेंट्योर के परामर्श से चाय के बारे में तैयार की गई एक मध्यावधि निर्यात नीति का कार्यान्वयन कर रहा है। मध्यावधि निर्यात नीति के एक भाग के रूप में, अक्तूबर, 2002 में भारतीय चाय का संवर्धन करने और टी बोर्ड द्वारा विकसित लोगो की शुरुआत करने के लिए रूस में एक प्रचार अभियान चलाया गया था।

- प्रहस्तन, पैकेजिंग, परिवहन भाड़ा प्रभारों की आंशिक लागत की पूर्ति करने के लिए चाय के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- देश में लघु उपजकर्ताओं द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चाय बोर्ड एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

- अंतर्राष्ट्रीय मांग की पूर्ति करने के लिए परम्परागत और नान-रिकन्डीशन्ड कट-टीयर-कर्ल (सीटीसी) चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक फैक्टरी उन्नयन स्कीम लागू की गयी है।

- भारतीय निर्यातकों को भारतीय ब्राण्डों के संवर्धन एवं विपणन में संवर्धनात्मक सहायता दी जाती है।

– भारत और चाय आयातक देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मेलों और विशिष्ट प्रदर्शनियों में भागीदारी, विशिष्ट भण्डार एवं बाजार में जाकर नमूने प्रस्तुत करना, क्रेता-विक्रेता बैठकें और चाय शिष्टमंडलों को भेजना तथा बुलाना चाय-निर्यात को बढ़ाने के लिए टी बोर्ड द्वारा किए गए कुछेक अन्य कार्यकलाप हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

6811. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कौन-सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) विश्व बैंक द्वारा सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से अब तक किए गए कार्य का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता से द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना नामक एक बहु-राज्यीय क्षेत्र परियोजना पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के लिए अनुमोदित की गई सहायता राशि 100.26 मिलियन एसडीआर है। पश्चिम बंगाल के संबंध में मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार, 68.03 मिलियन एसडीआर (404.4 करोड़ रुपए) के लगभग कुल संवितरण किए जा चुके हैं।

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत, राज्य के विभिन्न भागों में जिला अस्पतालों (18), उप मंडलीय अस्पतालों (38), सरकारी अस्पतालों (27), ग्रामीण अस्पतालों (95), ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (8), और लोक स्वास्थ्य केंद्रों (28) का उन्नयन करने संबंधी 214 सिविल निर्माण कार्य आरम्भ किए गए हैं।

शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष अदालतें

6812. श्री चिंतामन वनगा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु विशेष अदालतें गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें कितने मामले दाखिल किए गए और दोष सिद्धि का राज्य-वार प्रतिशत क्या है; और

(घ) दोष सिद्धि की प्रतिशतता कम होने के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी हां।

विभिन्न राज्यों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन 137 अनन्य विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को छोड़कर, जो प्रधान रूप से जनजातीय क्षेत्र वाले राज्य हैं, सभी राज्य सरकारों ने विद्यमान सेशन न्यायालयों को अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित किए गए अनन्य विशेष न्यायालयों और उनके स्थानों के ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अप्रैल, 2000 में अपनी रिपोर्ट में यह कथन किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन मध्य प्रदेश में गठित विशेष न्यायालयों के अनुभव के अधार पर निम्नलिखित कारण सामने आए हैं, जो दोषसिद्धि की निम्न दर के लिए उत्तरदायी हैं:

(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने में विलंब।

(2) शत्रुता के कारण गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करना।

(3) गलत रिपोर्टें और शिकायतकर्ताओं तथा साक्षियों के कथनों में विरोधाभास।

(4) साक्षियों/शिकायतकर्ताओं का पक्षद्रोही हो जाना।

(5) अभियुक्त और पीड़ित व्यक्तियों का न्यायालय के बाहर समझौता करना।

विवरण I

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अनन्य विशेष न्यायालयों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम/न्यायालयों की अधिकारिता
1.	आंध्र प्रदेश	1. गुंटूर 2. चित्तूर 3. मेहबूबनगर 4. नेल्लोर 5. कुर्नूल 6. कुड्डापाह 7. मेडक 8. करीमनगर 9. कृष्णा 10. निजामाबाद 11. प्रकाशम 12. सिकंदराबाद।
2.	बिहार	नौ प्रभागीय स्थान और पूर्वी चंपारण तथा भोजपुर जिले में भी।
3.	छत्तीसगढ़	1. रायपुर 2. दुर्ग 3. राजनांदगांव 4. बिलासपुर 5. रायगढ़ 6. सरगुजा 7. जगदलपुर।
4.	गुजरात	1. बनासकांठा (पालनपुर) 2. अहमदाबाद (ग्रामीण) 3. कच्छ (भुज) 4. अमरेली 5. वडोदरा 6. जूनागढ़ 7. पंचमहल 8. राजकोट 9. सूरत 10. सुरेन्द्रनगर।
5.	कर्नाटक	1. बीजापुर 2. गुलबर्गा 3. कोलार 4. रायचूर 5. मैसूर 6. बेलगाम।
6.	मध्य प्रदेश	1. धार 2. शाजापुर 3. मुरैना 4. शहडोल 5. दमोह 6. रायसेन 7. मंडला 8. सीहोर 9. भिंड 10. टीकमगढ़ 11. मंडलेश्वर 12. देवास 13. मंदौर 14. इंदौर 15. होशंगाबाद 16. जबलपुर 17. विदिशा 18. पन्ना 19. छतरपुर 20. उज्जैन 21. गुना 22. सतना 23. रीवा 24. नरसिंहपुर 25. सागर 26. ग्वालियर 27. राजगढ़ 28. भोपाल 29. झाबुआ।
7.	राजस्थान	1. अलवर 2. पाली 3. प्रतापगढ़ 4. जयपुर 5. अजमेर 6. उदयपुर 7. जोधपुर 8. कोटा 9. बीकानेर 10. मेड़ता 11. टोंक 12. गंगानगर 13. बारां 14. सवाई माधोपुर 15. दौसा 16. झालावाड़ 17. भीलवाड़ा।
8.	तमिलनाडु	1. तिरुची 2. मदुरई 3. तंजावुर 4. तिरुनेलवेली।
9.	उत्तर प्रदेश	1. फर्रुखाबाद 2. उन्नाव 3. बस्ती 4. बांदा 5. इटावा 6. हमीरपुर 7. गोंडा 8. कानपुर शहर 9. बंदायूं 10. सुल्तानपुर 11. बाराबंकी 12. बुलंदशहर 13. गोरखपुर 14. वाराणसी 15. पीलीभीत 16. एटा 17. देवरिया 18. झांसी 19. फैजाबाद 20. आगरा 21. कानपुर ग्रामीण 22. बहराइच 23. लखनऊ 24. जालौन 25. मेरठ 26. गाजियाबाद 27. सिद्धार्थ नगर 28. मिर्जापुर 29. चन्दौसी 30. बलरामपुर 31. फतेहपुर 32. गाजीपुर 33. मैनपुरी 34. कन्नौज 35. गौतमबुद्ध नगर 36. हरदोई 37. श्रावस्ती 38. बागपत 39. बरेली 40. ज्योतिबाफुले नगर।
10.	उत्तरांचल	नैनीताल।

विवरण II

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन न्यायालयों में लंबित मामलों और वर्ष 2001 के दौरान उनके निपटान को दर्शित करने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2001 में न्यायालयों में मामलों की संख्या, अग्रनीत मामलों सहित	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्धि हुई	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषमुक्ति की गई	निपटाए गए मामलों की कुल संख्या (4+5)	निपटाए गए मामलों की कुल संख्या में से दोषसिद्धि का %	निपटाए गए मामलों की कुल संख्या में से दोषमुक्ति का %	वर्ष 2001 के अंत में न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या	वर्ष 2001 के अंत में न्यायालय में लंबित मामलों का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3251	61	756	817	7.47	92.53	2434	74.87
2.	असम	6	0	0	0	0	0	6	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	*बिहार	3439	41	344	385	10.65	89.35	3054	88.80
4.	छत्तीसगढ़	2179	231	459	690	33.48	66.52	1489	68.33
5.	गोवा	2	0	1	1	0	50.00	1	50.00
6.	गुजरात	15053	34	541	575	5.91	94.09	14478	96.18
7.	हरियाणा	108	0	11	11	0	100.00	97	89.81
8.	हिमाचल प्रदेश	31	1	11	12	8.33	91.67	19	61.29
9.	कर्नाटक	4977	3	430	433	0.69	99.31	4544	91.30
10.	केरल	1945	6	126	132	4.55	95.45	1813	93.21
11.	मध्य प्रदेश	12765	547	2153	2700	20.26	79.74	10065	78.85
12.	महाराष्ट्र	8973	33	1118	1151	2.87	97.13	7822	87.17
13.	उड़ीसा	7118	17	237	254	6.69	93.31	6864	96.43
14.	पंजाब	48	0	3	3	0.00	100.00	45	93.75
15.	राजस्थान	8427	290	1678	1968	14.74	85.26	6459	76.65
16.	तमिलनाडु	2338	47	387	434	10.83	89.17	1904	81.43
17.	उत्तरांचल	548	50	163	213	23.47	76.53	335	61.13
18.	उत्तर प्रदेश	81585	599	5808	6407	9.35	90.65	75178	92.15
19.	पश्चिमी बंगाल	93	2	7	9	22.22	77.78	84	90.32
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	0	2	100.00	0.00	0	0.00
21.	चंडीगढ़	2	0	0	0	0	0	2	50.00
22.	दमन और दीव	4	0	2	2	0	100.00	2	100.00
23.	दादरा और नागर हवेली	9	0	0	0	0	0	9	100.00
24.	दिल्ली	48	1	1	2	50.00	50.00	46	95.38
25.	पांडिचेरी	6	0	2	2	0	100.00	4	66.67
	योग	1,52,957	1,965	14,238	16,203	12.13	87.87	1,36,754	89.41

टिप्पण: 1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का विस्तार जम्मू-कश्मीर पर नहीं है।

2. 8 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/ अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप द्वारा शून्य आंकड़ा रिपोर्ट किया गया।

3. झारखंड की राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होनी है।

4. * बिहार राज्य के केवल 18 जिलों के आंकड़े।

गेहूं का आवंटन

6813. श्री नरेश पुगलिया:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक, 2 अप्रैल, 2003 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''एनीमल फीड फार एक्सपोर्ट टर्न्स अप एट फ्लोर मिल्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) इस मामले में तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है:

गेहूं की 2001-2002 की फसल, उसके पकने/कटाई स्तर के दौरान वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। सरकार ने निर्धारित विनिर्दिष्टियों में छूट देते हुए किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए उक्त वर्ष के दौरान लगभग 108 लाख टन चमकहीन गेहूं की वसूली की। यद्यपि खाद्यान्नों का रंग दखने में चमकरहित था। तथापि, पौषणिक क्षमता के मामले में चमकहीन गेहूं उतना ही अच्छा था जितना की ठोस गेहूं होता है। तथापि, उनकी दिखावट के कारण कुछ राज्य सरकारों ने उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरित करने हेतु स्वीकार करने में अनिच्छा दिखाई। तब यह निर्णय किया गया कि स्टाक की निर्यातकों को और घरेलू व्यापार हेतु पेशकश की जाएगी। स्टाक को केवल पशुचारे अथवा निर्यात के लिए उपयोग करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। वास्तव में चमकहीन गेहूं की आटा मिलों और निर्यातकों को एक साथ ही पेशकश की गई थी।

चमकहीन गेहूं की स्थिति की दिसम्बर, 2002 में समीक्षा की गई और यह पाया गया कि निर्यातकों और घरेलू व्यापार की कुल मांग तत्समय उपलब्ध स्टाक से कहीं अधिक थी। अत: सोच-विचार के बाद यह निर्णय लिया गया कि 18 दिसम्बर, 2002 तक किए गए सभी पक्के निर्यात करारों को पूरा किया जाएगा और निर्यातकों के लिए आगे कोई स्टाक निर्धारित नहीं किया जाएगा तथा शेष स्टाक को घरेलू उद्योग हेतु आरक्षित कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए समाचार पत्रों में तुरन्त एक खंडन जारी कर दिया था।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

6814. श्री सईदुज्जमा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों (ओबीयू) को पूरे देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में शाखाएं स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी विदेशी बैंकों (ओबीयू) को विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुछ शर्तों पर जोर दिया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्र में इस समय ऐसी कितनी शाखाएं काम कर रही हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 जून, 2003 के पूर्व क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार की विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना शुरू ही नहीं हो पाई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) एक्जिम नीति 2002-07 में की गई घोषणा की पहली बार अपतटीय बैंकिंग इकाई (ओबीयू) को विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में स्थापित किए जाने की अनुमति दी जाएगी, के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष आर्थिक जोन में अपतटीय बैंकिंग इकाई की स्थापना की योजना तैयार की है। उक्त योजना के निबंधनों के अनुसार, भारत में परिचालन कर रहे बैंक अर्थात् सरकारी क्षेत्र के बैंक, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक, जो विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत हैं, अप-तटीय बैंकिंग इकाई स्थापित करने के पात्र हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23(1)(क) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन में अप-तटीय बैंकिंग इकाई खोलने के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लेनी अपेक्षित होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की शर्त में यह निर्धारित किया गया है

कि अपतटीय बैंकिंग इकाईयों को सिर्फ विदेशी मुद्रा में ही कारोबार करने की अनुमति दी जाएगी और उनके भारतीय रुपए में कारोबार करने, घरेलू मुद्रा बाजार में पहुंच आदि पर प्रतिबंध होगा। मूल बैंक से यह अपेक्षा होगी कि वह न्यूनतम 10 मिलियन अमेरिकी डालर प्रदान करें। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं पर लागू सभी विवेकपूर्ण मानदंड अपतटीय बैंकिंग इकाईयों पर लागू होंगे।

(घ) अलग-अलग विशेष आर्थिक जोन में अपतटीय बैंकिंग इकाईयां स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आप बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स तथा आईसीआईसीआई बैंक को ''सिद्धान्त रूप में'' अनुमोदन दे दिया है। अब तक भारत में परिचालन कर रहे किसी विदेशी बैंक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विकास परियोजनाओं के लिए सहायता

6815. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में उनके मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न विद्यमान विकास परियोजनाओं के विकास हेतु धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित और संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

क्र.सं.	योजना का नाम	जारी की गई निधियों के ब्यौरे (लाख रुपये)				प्रयुक्त निधियां
		2000-01	2001-02	2002-03	कुल	
1.	विकास केन्द्र योजना	150	600	शून्य	750	750
2.	महत्वपूर्ण अवस्थापनापरक शेष योजना (सी आई बी)*	200	शून्य	शून्य	200	200
3.	निर्यात अवस्थापनापरक तथा संबद्ध क्रियाकलापों का विकास करने के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई)	शून्य	50	2800	2850	50

*मार्च, 2002 में ए.एस.आई.डी.ई. के साथ मिला दिया गया।

विकास केन्द्र योजना तथा सी.आई.बी. योजना के अन्तर्गत जारी की गई निधियों का पूर्णत: उपयोग किया गया है। वर्ष 2001-02 में ए.एस.आई.डी.ई. के अन्तर्गत जारी की गई 50 लाख रुपये की राशि का भी पूर्णत: उपयोग किया गया है। वे परियोजनाएं, जिनके लिए निधियां वर्ष 2002-2003 में ए.एस.आई.डी.ई. योजना के अन्तर्गत जारी की गई थीं, क्रियान्वयनाधीन हैं और इन निधियों के उपयोग किये जाने के लिए अवधि अभी समाप्त भी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

भू-सीमा शुल्क कार्यालय की स्थापना

6816. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल संधि के अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा पर नए भू-सीमा शुल्क कार्यालय की स्थापना हेतु नेपाल सरकार की सहमति प्राप्त करना उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने बिहार के मधुबनी जिले के पास भारत-नेपाल सीमा पर लोकाहा बाजार में नए भू-सीमा शुल्क कार्यालय की स्थापना के लिए नेपाल सरकार की सहमति प्राप्त करने के संबंध में उनके मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उक्त बाजार में नए भू-सीमा शुल्क कार्यालय की कब तक स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) से (ग) जी, हां, इस मामले में भारत सरकार तथा महामहिम नेपाल सरकार के बीच हुई व्यापार संबंधी संधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

मुद्रण क्षेत्र को उद्योग का दर्जा

6817. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुद्रण क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) "लीथो मुद्रण उद्योग सहित मुद्रण" को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची के शीर्षक 38 के उपशीर्ष (5) विविध उद्योग के अन्तर्गत प्रविष्टि के अनुसार "अनुसूचित उद्योग" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बीएसई संसेक्स

6818. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बजट 2003 प्रस्तुत होने के उपरांत प्रथम सप्ताह के दौरान बाम्बे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) का बाजार में पूंजी निवेश लगभग 4 प्रतिशत नीचे चला गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) बंबई स्टाक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण बजट दिवस अर्थात् 28 फरवरी, 2003 को 619872.6 करोड़ रुपए से गिरकर 7 मार्च, 2003 को 595004.96 करोड़ रुपए हो गया। यह गिरावट लगभग 4 प्रतिशत थी।

(ख) बीएसई के अनुसार, मध्य पूर्व में आसन्न संघर्ष ने संभवत: बाजार स्थिति को निरुत्साहित किया था जिसके परिणामस्वरूप, इक्विटी कीमतों में कमी रही। यह एक ऐसा रुख था जो कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नजर आया जो 28 फरवरी, 2003 से 7 मार्च, 2003 के बीच डो. जोन्स नास्दाक कम्पोजिट, एफटीएसई तथा एसएंडपी 500 जैसी कंपनियों के सूचकांक क्रमश: 1.91 प्रतिशत, 2.41 प्रतिशत, 4.91 प्रतिशत तथा 1.46 प्रतिशत गिर गए।

चावल का स्टाक

6819. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल का स्टाक तेजी से कम किया जा रहा है और गेहूं के स्टाक में पांच मिलियन टन की भारी कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार नई अनाज निर्यात नीति के एक अंग के रूप में खाद्यान्न निर्यात या विकल्पत: बढ़ते एक्स ग्रैनरी मूल्यों के संबंध में मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार को इस कदम से विश्व अनाज व्यापार और सरकारी अनाज भंडार में किसी भारी कमी को रोकने में किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध महरिया): (क) 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं का स्टाक क्रमश: 171.57 लाख टन और 156.45 लाख टन है जो निर्धारित मानदंड से अधिक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अनिवासी भारतीयों द्वारा लगाई गई शर्तें

6820. **श्री वाई.वी. राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनिवासी भारतीय भारत के सामाजिक विकास में योगदान करने के लिए कुछ शर्तें लगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जूट सेक्टर का विकास

6821. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूट सेक्टर में करोड़ों रुपए निवेश करने के बावजूद इस क्षेत्र में विकास अभी भी पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जूट सेक्टर में विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी बाजारों में भारतीय जूट उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम से जूट उत्पादकों और इससे संबंधित अन्य को कितना लाभ होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी, नहीं।

पटसन के सामानों का उत्पादन वर्ष 1991-92 में 12.78 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 16.01 लाख मी. टन हो गया है और मेस्टा सहित कच्चे पटसन का उत्पादन वर्ष 1992-93 में 74.23 लाख गांठ से बढ़कर वर्ष 2001-02 के दौरान 105 लाख गांठ हो गया है। पटसन विविधीकृत उत्पादों (जेडीपी) पर बल देने से जेडीपी के निर्यात में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जेडीपी के निर्यात का कुल मूल्य वर्ष 1997-98 में 63.76 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 134.74 करोड़ रुपए हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने विदेशी बाजार में भारतीय पटसन उत्पादों के संवर्धन के लिए कई उपायों की पहल की है। पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जेएमडीसी) जो एक सांविधिक निकाय है, विविध निर्यात संवर्धन उपायों को कार्यान्वित करती है जिसमें घरेलू व निर्यात बाजारों में विभिन्न व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकें, कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन करना/भाग लेना शामिल है। सरकार ने वर्ष 2002-03 के दौरान नवीन योजना अर्थात् बाह्य बाजार सहायता योजना का 2002 से एक वर्ष के लिए विस्तार किया है जिसके अंतर्गत पटसन के सामानों की विशिष्ट श्रेणियों के निर्यात हेतु विभिन्न दरों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, शुरू की है। सरकार ने पटसन के सामानों पर शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम (डीईपीबी) भी जुलाई 2002 से शुरू की है। इन उपायों से वर्ष 2001-02 के बजाय वर्ष 2002-03 के दौरान पटसन के सामान के निर्यात में लगभग 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प विकास निगम को वित्तीय सहायता

6822. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर हस्तशिल्प विकास निगम ने बेंत, बांस और इमारती लकड़ी से बने उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (एन.ई.एच.एच.डी.सी.), लि., शिलांग से बेंत, बांस और इमारती लकड़ी से बने उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए सहायता हेतु, कोई भी प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिल

6823. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में निजी, सहकारी और सरकारी क्षेत्र की कितनी चीनी मिलें हैं और इनमें से कितनी कार्य कर रही हैं;

(ख) किसानों को प्रति क्विंटल गन्नों का कितना भुगतान किया जा रहा है और सरकार द्वारा चीनी मिलों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार को सम्पूर्ण गन्ना फसल की खरीद न किए जाने संबंधी शिकायतें भी मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) उत्तर प्रदेश में निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में संस्थापित और कार्यरत चीनी मिलों की संख्या के संबंध में तथा पेराई कार्य के आरम्भ होने के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क्रम सं.	क्षेत्र	संस्थापित चीनी मिलें (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)	उन चीनी मिलों की संख्या जिन्होंने चीनी मौसम 2002-2003 के लिए पेराई कार्य आरम्भ किया
1.	निजी	58	51
2.	सहकारी	27	27
3.	सार्वजनिक	22	22
	कुल	107	100

(ख) वर्तमान चीनी मौसम 2002-2003 के लिए उत्तर प्रदेश में सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों से 95/-रुपये से 100 रुपए प्रति क्विंटल के रेंज में गन्ना मूल्य अदा करने के लिए कहा गया है जबकि निजी चीनी मिलें गन्ना किसानों तथा संबंधित चीनी मिलों के बीच हुई सहमति के अनुसार किसानों को अग्रिम के रूप में कुल मिलाकर 70/- रुपये से 90/- रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में मूल्य अदा कर रही हैं।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा समस्त गन्ने की खरीद नहीं करने के संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

[अनुवाद]

डाक बचत योजना

6824. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रबंधन सूचना प्रणाली में निवेशकों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त कारकों के लिए क्या प्रावधान हैं;

(ग) क्या लघु बचत एजेंटों, एसोसिएशनों, निवेशकों ने लघु बचत डाक विभाग में संयुक्त कारकों वाली ऐसी योजना पर मनमाने तरीके से ब्याज को रोक दिए जाने संबंधी अनेक शिकायतें दर्ज कराई हैं?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) मासिक आय लेखा योजना के अन्तर्गत एकल खाते में निवेश हेतु उच्च सीमा तीन लाख रुपए तथा संयुक्त लेखे में छह लाख रुपए निर्धारित की गयी है।

(ग) से (ङ) मासिक आय लेखा योजना सहित लघु बचत योजनाओं से संबद्ध मुद्दों पर प्राप्त शिकायतों पर, यदि कोई हों, कार्रवाई ऐसी योजनाओं को शासित करने वाले नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखकर की जाती है।

भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैण्डर्ड का प्रचार-प्रसार

6825. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) के पास महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर निगरानी रखने हेतु कोई तंत्र है ताकि इसका स्टैण्डर्ड निरंतर अद्यतन बना रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए नए मानकों अथवा संशोधनों हेतु प्रस्तावों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। मानक प्रतिपादन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर निगरानी रखने हेतु भारतीय मानक ब्यूरो की मैकेनिज्म (तंत्र) इसकी तकनीकी समितियों के माध्यम से होती है जिनमें प्रभागीय परिषदें, विभागीय समितियां, उप-समितियां तथा पैनल शामिल हैं। प्रत्येक तकनीकी क्षेत्र में एक प्रभागीय परिषद होती है जो विभिन्न विभागीय समितियों को नीति संबंधी मामलों पर परामर्श देती है। इन तकनीकी समितियों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे-उपभोक्ताओं, नियामक तथा अन्य सरकारी निकायों, उद्योग, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों तथा परीक्षण संगठनों के प्रतिनिधियों में से लिए गए विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ब्यूरो द्वारा उद्योग और प्रौद्योगिकी के निर्धारित क्षेत्रों में मानकों के प्रतिपादन हेतु प्रभागीय परिषद् (डिविजन काउंसिल) का गठन किया गया है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य मानकों के प्रतिपादन/संशोधन के लिए अपेक्षित अनुसंधान तथा विकास से संबंधित मामलों में सलाह देना है। यह विभिन्न देशों के अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों द्वारा प्रतिपादित मानकों की जांच भी करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस प्रणाली में और अधिक सुधार करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ब्यूरो द्वारा जिन मानक प्रारूपों पर सभी स्टाक होल्डरों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं उनकी सूची को वेबसाइट में डाल दिया जाए। स्टाक होल्डर मानक के मसौदे की प्रतिलिपि सीधे वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकार, संघ क्षेत्र प्रशासन, उपभोक्ता संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, औद्योगिक समितियों, व्यावसायिक निकायों, ब्यूरो के सदस्यों तथा उसकी तकनीकी समितियों के सदस्यों द्वारा मानक के प्रतिपादन/पुनरीक्षण/संशोधन/निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो मानकों के प्रतिपादन में संलग्न विभिन्न समितियों/पैनलों के संघटकों को भी वेबसाइट पर डालने का विचार कर रहा है।

एशियाई विकास बैंक से आर्थिक सहायता

6826. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अगले चार वर्षों में एशियाई विकास बैंक से आर्थिक सहायता के रूप में 8 बिलियन डालर की आर्थिक सहायता की मांग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजनार्थ इसकी जरूरत है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक के हाल ही के "कन्ट्री स्ट्रैटजी प्रोग्राम मिशन 2003-06" ने कैलण्डर वर्ष 2003 से 2006 के दौरान भारत को 7.5 बिलियन अमरीकी डालर की सहायता मुहैया कराने का प्रस्ताव किया है। परिवहन, ऊर्जा, शहरी अवसंरचना, वित्तीय, कृषि और प्राकृतिक संसाधन संबंधी क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए इन ऋणों पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

महिला विकास कोष के अंतर्गत योजनाएं

6827. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए "महिला विकास कोष (उद्योगों को प्रोत्साहन)" के अंतर्गत उनके मंत्रालय द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम/योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्रियान्वयन एजेंसियां कौन-कौन सी हैं और इन कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण/अनुदान/अन्य वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या फार्मूला अपनाया गया; और

(ग) ऋण/अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता के रूप में गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में उक्त योजनाओं के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए और तत्संबंधी वर्षवार/कार्यक्रमवार/योजनावार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के संवर्धन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए "महिला विकास कोष (उद्योगों का संवर्धन)" के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा कोई कार्यक्रम/स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.टी.सी. द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

6828. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन टुबैको कम्पनी की अगले सात से दस वर्षों में इ-चौपाल और कृषि व्यवसाय में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो आई.टी.सी. द्वारा शुरू की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और यह किन-किन राज्यों में शुरू की जा रही है; और

(ग) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) इंडियन टुबैको कम्पनी लिमिटेड ने सूचना दी है कि अगले सात से दस वर्षों में उनका ग्रामीण विकास की पहलों में लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इन पहलों में ग्राम संयोजन (ई-चौपाल), एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन, समाज व फार्म फोरस्ट्री, महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण और ग्रामीण समुदायों के बच्चों की आरंभिक शिक्षा शामिल होगी। फिलहाल ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैली हुई हैं। अंतत: इन परियोजनाओं को भारत में लगभग 15 राज्यों में लागू करने का भी प्रस्ताव है। फिलहाल, ई-चौपाल नेटवर्क सेवाएं लगभग 11,000 ग्रामों में हैं और उपर्युक्त अवधि के दौरान इन्हें 1,00,000 ग्रामों तक फैलाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

जनजातीय विकास के लिए बिहार से प्राप्त प्रस्ताव

6829. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से हाल ही में जनजातीय विकास का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय विकास के लिए बिहार राज्य में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों और राज्य सरकार को वर्ष 2002-2003 के दौरान योजनावार निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	निर्मुक्त निधियां
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	556.56
2.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान	209.00
3.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	0.30
	कुल	765.86

पांच सौ रुपये के जाली नोट

6830. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिछले कुछ समय से पांच सौ रुपये के मूल्य वर्ग के जाली नोट अधिक प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके मद्देनजर सरकार ने पांच सौ रुपये के मूल्य वर्ग के नये नोटों की सीरीज जारी की है और उपभोक्ताओं को केवल नई सीरीज के नोट देने का बैंकों को निर्देश भी दिया है;

(ग) क्या कुछ बैंक अब भी पुरानी सीरीज के नोटों की आपूर्ति कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है जो सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997 और 2000 में अतिरिक्त प्रतिभूति गुणों के साथ 500/- रु. मूल्यवर्ग के नोटों की एक नई श्रृंखला जारी की गयी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और करेंसी चेस्टों को उपभोक्ताओं को पुराने डिजाइन (अशोक स्तंभ श्रृंखला) वाले 500/-रुपए मूल्य वर्ग के नोटों का निर्गम/पुनर्निगम न करने का अनुदेश भी दिया है।

(ग) और (घ) बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात की पुष्टि की है कि वे जनता को पुरानी श्रृंखला के नोट जारी नहीं कर रहे हैं। अनुदेशों का पालन न करने वाले बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र

6831. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में स्थान-वार कितने कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र वास्तविक रूप में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और कब से;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है और केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का इसमें कितना हिस्सा था;

(ग) क्या पन्द्रह दिनों अथवा अधिक दिनों के पश्चात् कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द किये जाने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] (क) मध्य प्रदेश राज्य में इस समय विभागीय तौर पर अथवा अन्य संगठनों द्वारा चलाए जा रहे, किसी भी कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण

6832. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चार बड़े महानगरों में कंप्यूटरीकरण के लिए कुछ न्यायालयों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन न्यायालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार का कंप्यूटरीकरण केवल उच्च न्यायालयों तक ही सीमित रहेगा अथवा इसका विस्तार ऐसे नगरों के जिला न्यायालयों तक भी किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के चार महानगरों के नगर न्यायालयों को कंप्यूटरीकरण के लिए चयनित किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान केंद्रीय सरकार ने महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों में से प्रत्येक को अपने-अपने राज्यों में उच्च न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए विनिर्दिष्ट रूप से 1.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के नगरों में जिला न्यायालयों में कंप्यूटरीकरण का कार्य पहले ही आरंभ किया जा चुका है।

निधियों का इलेक्ट्रानिक अंतरण

6833. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय बैंकों ने देश के विभिन्न बैंकों की पांच सौ शाखाओं में "निधियों का इलेक्ट्रिानिक अंतरण आरंभ करने के लिए एक योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से बैंकों ने यह योजना चलायी है; और

(ग) बैंकों की और अधिक शाखाओं को जोड़ने वाली इस योजना का विस्तार करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा दस खत्तों का निर्माण

6834. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) ने देश में गेहूं भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से दस खत्तों (साइलोस) का निर्माण करने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार कौन-कौन से राज्यों में इनका निर्माण किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीनी विकास ऋण

6835. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के चीनी कारखानों हेतु गन्ना विकास के लिए चीनी विकास ऋण की स्वीकृति देने वाले कई प्रस्तावों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इन प्रस्तावों की सिफारिश कब तक की गई थी;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो चीनी उद्योग हेतु गन्ने के विकास के लिए चीनी विकास निधि में से कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चीनी कारखानों के लिए ऋण स्वीकृत करने में विलंब के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) इन प्रस्तावों की महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सिफारिश की गई थी।

(ग) इन प्रस्तावों की इस विभाग द्वारा जांच और छानबीन की गई थी।

(घ) और (ङ) चीनी विकास निधि के प्रारंभ से 221.57 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे और गन्ने के विकास प्रयोजनों के लिए राज्य में चीनी मिलों को 151.80 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे।

भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) का निवेश

6836. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एलआईसी का राज्यवार कितना निवेश रहा; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एलआईसी को राज्यवार कितना प्रीमियम आया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम का पिछले तीन वर्षों के दौरान का राज्य-वार निवेश तथा प्रीमियम आय को दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	निम्नलिखित वर्ष के दौरान निवेश			प्रीमियम आय		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मध्य प्रदेश	*450.32	259.35	238.19	1356.01	1275.90	1688.74
2.	छत्तीसगढ़	—	5.01	85.14	—	422.95	459.72
3.	उत्तर प्रदेश	#462.61	479.83	636.14	2981.23	3944.52	4512.11
4.	उत्तरांचल	—	2.34	33.69	—	480.78	522.63

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	बिहार	$128.82	193.05	554.77	1472.90	1319.01	1588.16
6.	झारखंड	—	23.54	77.76	—	785.40	949.83
7.	अरुणाचल प्रदेश	1.64	11.42	8.94	8.09	11.98	15.50
8.	असम	169.45	176.52	151.27	553.64	741.87	939.07
9.	मणिपुर	11.00	11.00	12.38	31.26	42.98	42.31
10.	मेघालय	28.04	29.31	19.57	23.18	38.49	46.09
11.	मिजोरम	50.98	55.98	54.22	3.23	4.90	6.54
12.	नागालैंड	51.24	46.59	49.51	18.96	26.96	31.34
13.	उड़ीसा	184.85	195.41	173.68	530.46	730.34	882.38
14.	सिक्किम	19.86	18.03	10.03	15.63	25.05	25.17
15.	त्रिपुरा	78.81	86.77	84.07	50.43	72.16	88.73
16.	पश्चिम बंगाल	433.91	870.03	788.35	2411.40	3263.08	4644.01
17.	दिल्ली	1541.77	1071.74	1699.22	1559.63	2281.55	3375.28
18.	हरियाणा	42.98	62.66	40.44	634.15	908.89	1085.80
19.	हिमाचल प्रदेश	399.46	324.43	304.24	165.09	230.53	263.52
20.	जम्मू-कश्मीर	114.35	101.26	275.81	180.69	255.89	287.50
21.	पंजाब	407.38	585.21	518.91	778.54	1093.61	1337.13
22.	राजस्थान	491.09	360.81	605.00	1233.86	1781.53	2091.83
23.	आंध्र प्रदेश	557.99	565.89	960.16	2066.79	2273.67	3441.73
24.	कर्नाटक	544.25	846.25	1258.03	1652.43	1806.48	2688.15
25.	केरल	532.92	718.64	549.74	1210.49	1623.92	1895.83
26.	तमिलनाडु	728.58	1189.27	950.16	2279.65	2711.55	3484.38
27.	गुजरात	997.38	881.54	1155.09	1897.69	2735.14	4034.93
28.	महाराष्ट्र	4495.86	2642.62	3467.95	4461.40	3566.92	8533.64
29.	अंडमान और निकोबार	—	—	—	7.35	10.42	11.26
30.	चण्डीगढ़	41.75	61.91	65.81	103.98	125.55	146.52
31.	गोवा और दमन	196.39	32.63	15.98	133.30	177.55	231.44
32.	पांडिचेरी	2.00	2.00	4.00	29.29	107.75	78.68
	जोड़	13165.77	11911.04	14846.25	27849.75	34877.32	49429.95

*मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मिश्रित आंकड़े।
#उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के मिश्रित आंकड़े
$बिहार तथा झारखंड के मिश्रित आंकड़े।

सिंगापुर के साथ व्यापारिक समझौता

6837. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया-
श्री अधीर चौधरी:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 2003 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स', में'' ''सिंगापुर पी.एम्स. विजिट सेट टु बूस्ट ट्रेड टाइज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंगापुर के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ कोई चर्चा की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) सिंगापुर के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौंते का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) भारत सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) को सम्पन्न करने की व्यावहारिकता के संबंधित भारत-सिंगापुर संयुक्त अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श हुए। हमारे प्रधानमंत्री के अप्रैल, 2002 में सिंगापुर दौरे के समय दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच विचार-विमर्शों के बाद इस दल का गठन किया गया था।

(ग) और (घ) सीईसीए संबंधी वार्ताओं को आरंभ करने के आशय के एक संयुक्त घोषणापत्र और एक समझौता ज्ञापन, जिसमें आसियान एकीकरण (आईएआई) की पहल के ढांचे में नए आसियान-कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में भारत-सिंगापुर सहयोग की व्यवस्था है, पर दौरे के समय हस्ताक्षर किए गए थे। तथापि, किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

विद्युत परियोजनाओं के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की सहायता

6838. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने गुजरात में विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है/स्वीकृति नहीं मिली है/लंबित हैं;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) आईडीबीआई द्वारा लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने गुजरात राज्य में 2906 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली साठ परियोजनाओं को अब तक 3014 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता दी है। जहां तक इसके ब्यौरों का संबंध है, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों तथा वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबंधों के साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के अनुसार लोग वित्तीय संस्थाओं के अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित सूचनाएं प्रकट नहीं की जा सकती हैं।

(ग) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि आठ सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं में से एक परियोजना की मंजूरी को कंपनी के अनुरोध पर रदद् कर दिया गया था जबकि दूसरी परियोजना ने मंजूर सहायता राशि का लाभ नहीं उठाया।

(घ) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि राज्य में आठ सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं में कुल 13,039 करोड़ रु. का निवेश अंतर्ग्रस्त है। आईडीबीआई ने इन परियोजनाओं का 3014 करोड़ रु. की मंजूरी दी है।

(ङ) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में आईडीबीआई से वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु कोई भी विद्युत परियोजना लंबित नहीं है।

समाचार छपाई कारखानों में बिना स्याही वाले संयंत्रों को आरंभ किया जाना

6839. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ समाचार छपाई कारखानों में बिना स्याही वाले संयंत्र आरंभ किये गये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, वेल्लौर और कोट्टायम, केरल में आरंभ किये गये ऐसे संयंत्रों की क्षमता का ब्यौरा क्या है और ऐसे संयंत्रों को आरंभ करने से क्या लाभ, परिणाम प्राप्त हुए हैं और कितनी कार्यकुशलता बढ़ी है;

(घ) क्या सरकार देश में समाचार छपाई के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना उत्पादन/घरेलू मांग, आयात और निर्यात रहा;

(च) क्या आयात से हमारा घरेलू उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समाचार छपाई के आयात के लिए कर ढांचा कैसा होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) अखबारी कागज एक लाइसेंस मुक्त उद्योग है। अखबारी कागज का विनिर्माण करने वाली उन मिलों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं, जिन्होंने बिना स्याही वाले संयंत्रों को अधिष्ठापित किया है।

(ग) दिनांक 11.12.2002 को चालू किये गये मैं. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड के बिना स्याही वाले संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 100 टन है, आशा है कि इस संयंत्र के स्थिर हो जाने पर इससे लगभग 33,000 मीट्रिक टन विशुद्ध लुग्दी का प्रतिस्थापन हो पायेगा, जिससे प्रतिवर्ष 1500 हेक्टेयर वन भूमि पर निर्भरता से मुक्ति मिल पायेगी; पर्यावरणीय सुधार हो पायेंगे तथा अखबारी कागज के उत्पादन में लगभग 5 प्रतिशत तक वृद्धि हो पायेगी और इससे ही रद्दी कागज के संग्रहण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल पायेंगे।

(घ) जी हां, देश में अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये सम्मिलित हैं। (1) अखबारी कागज उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना; (2) अखबारी कागज के विनिर्माण हेतु लुग्दी का कर मुक्त आयात; तथा (3) अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-I में सम्मिलित की गई मिलों द्वारा विनिर्मित अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गई है।

(ङ) से (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन, घरेलू मांग आयात तथा निर्यात के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(लाख मी. टन में)

वर्ष	उत्पादन	घरेलू मांग	आयात	निर्यात
2000-2001	6.34	10.78	4.44	0.11
2001-2002	6.20	10.64	4.44	0.11
2002-2003	5.61 फरवरी, 2003 तक	-	4.58 जनवरी, 2003 तक	0.053 दिसंबर, 2002 तक

अखबारी कागज के आयात पर लागू सीमा शुल्क दर 5 प्रतिशत है।

काफी बोर्ड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

6840. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय काफी बोर्ड ने वर्षवार कुल कितने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना का विकल्प चुना;

(ख) क्या यह योजना अब भी चालू है;

(ग) क्या बोर्ड स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने के पश्चात् प्रशासनिक व्यय में कमी लाने में सफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) काफी विपणन के उदारीकरण के परिणामस्वरूप बोर्ड के काफी विपणन कार्यकलापों को वर्ष 1994 से चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया गया था। बाद में बोर्ड की विपणन शाखा में कार्यरत कार्मिकों के लिए एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (वीआरएस) की पेशकश की गई थी और कुल 1688 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए विकल्प दिया था तथा बोर्ड की सेवाएं छोड़ दी थीं जिनके वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	वी.आर.एस. का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की सं.
1995-99	1684
2000	2
2001	–
2002	2

हालांकि वीआरएस-94 के लिए विकल्प देने वाले सभी कर्मचारियों को बोर्ड की सेवाओं से वर्ष 1995-99 के दौरान कार्यमुक्त कर दिया गया था परन्तु दो कर्मचारियों को अनुशासनिक जांच लंबित होने के कारण क्रमश: वर्ष 2000 और 2002 में कार्यमुक्त किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। काफी विपणन कार्यकलापों के उदारीकरण से पहले काफी बोर्ड के पास लगभग 3000 कर्मचारी थे जबकि बोर्ड के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या मात्र लगभग 1100 है। इस प्रकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम शुरु होने के बाद बोर्ड का वेतन और भत्तों, यात्रा/महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते आदि पर प्रशासनिक खर्च काफी कम हो गया है।

आईएमएफ ढांचे में परिवर्तन

6841. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने आईएमएफ कोटे के वितरण के व्यापक सुधार की मांग करते हुये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में परिवर्तन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे भारत जैसे विकासशील देशों को विशेषकर अपने विदेशी कर्ज के बोझ को हल्का करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी; और

(घ) भारत के प्रस्ताव पर आईएमएफ की एक्जिक्यूटिव बाडी की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति तथा आईएमएफ के बोर्ड आफ गवर्नर्स की बैठकों में भारत ने कहा है कि आईएमएफ के कोटे में विकासशील देशों के हिस्से में समुचित वृद्धि की जानी चाहिए।

(ग) विकासशील देशों, में जिनमें भारत भी शामिल है, के लिए कोटे में वृद्धि करना उनके ऋण के बोझ से प्रत्यक्षत: संबंधित नहीं है। तथापि, इससे विकासशील देश आईएमएफ बोर्ड में अधिक मताधिकार प्राप्त कर सकेंगे और परिणामस्वरूप आईएमएफ में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे।

(घ) यह निर्णय लिया गया कि आईएमएफ का कार्यकारी बोर्ड आईएमएफ में कोटे के वितरण से संबंधित मामलों को बारीकी से मानीटर करेगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिये बीमा पालिसी

6842. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना" के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को बजटीय सहायता देने पर सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने उसी योजना के लिये सरकार से वही सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार ने 2003-04 के बजट में 55 वर्ष से अधिक की आयु के नागरिकों के लिए "वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना" नामक एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना के तहत लाभ 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज-दर पर आकलित किए जाएंगे। इस योजना के तहत निवेशित निधियों पर एलआईसी द्वारा अर्जित वास्तविक आय और पेंशन लाभ के बीच के अन्तर की सरकार द्वारा वार्षिक रूप से एलआईसी को प्रतिपूर्ति की जाएगी। चालू वर्ष के लिए 30 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार को निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं से इस योजना में भाग लेने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों पर सरकार विचार कर रही है।

राज्यों को विशेष सेवाएं दिया जाना

6843. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कराधान प्रयोजनार्थ कुछ विशिष्ट सेवाओं को राज्यों को स्थानांतरित करने के संबंध में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने संविधान में उपयुक्त संशोधन करने के लिए विधायी उपाय प्रारंभ किए हैं जिनसे संविधान की 7वीं अनुसूची की केन्द्रीय सूची में विशिष्ट प्रविष्टि के रूप में सेवाओं पर लगाने की व्यवस्था की जा सके तथा अनुच्छेद 270 में परिणामी संशोधन करने के साथ-साथ एक नया अनुच्छेद 268क अन्त:स्थापित किया जा सके। इससे संसद को कानूनी तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवाओं पर कर लगाने के तौर-तरीकों का निर्धारण करने तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा करों को एकत्र करने तथा इन करों से प्राप्त आय का विनियोग करने का अधिकार मिल जाएगा। यह विधायी प्रक्रिया अभी पूरी की जानी है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

6844. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक ''राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी'' की स्थापना की थी/ स्थापना का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अकादमी की कब तक स्थापना किये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी हां।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन तारीख 17 अगस्त, 1993 को रजिस्ट्रीकृत एक सोसायटी है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख उद्देश्य, (1) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, (2) उच्चतम न्यायालय में कार्य कर रहे अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध करना, (3) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में न्यायालय प्रबंध और न्याय प्रशासन का अध्ययन करना, और (4) न्यायालय प्रबंध और प्रशासन से संबंधित विषयों में अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार, व्याख्यान और अनुसंधान आरंभ करना, आयोजित करना और उन्हें सुकर बनाना हैं। अकादमी भोपाल में अवस्थित है और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने तारीख 5.9.2002 को भोपाल में अकादमी के भवन का उद्घाटन किया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

धन वापसी पर ब्याज दर

6845. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अग्रिम करों पर कंपनियों और व्यक्तियों को धन वापसी पर दी जाने वाली ब्याज दर में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का कंपनियों और व्यक्तियों को धन वापसी का समय से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) आयकर अधिनियम की धारा 244 क के अंतर्गत कर-निर्धारितियों को धन वापसी जारी करने में विलंब के कारण आयकर विभाग द्वारा संदत्त ब्याज की दर समय-समय पर अलग-अलग है ताकि वह बाजार में मौजूद ब्याज की दर के अनुरूप हो सके।

(ख) वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा दिनांक 1.5.2002 से ब्याज की दर तीन-चौथाई प्रतिशत प्रतिमाह से कम करके दो-तिहाई प्रतिशत प्रति माह की गई है। यह बाजार में उपलब्ध ब्याज की दर के तुलनीय है।

(ग) धनवापसी आदेशों का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों में कम्प्यूटरों पर विवरणियों को संसाधित करना, धनवापसी के मामलों की विवरणियों को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित करना, धनवापसी वाउचर पुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, अतिरिक्त मानवशक्ति की तैनाती आदि शामिल हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में करदाताओं के बैंक खातों में धन वापसियों को सीधे क्रेडिट करने के लिए इलेक्ट्रिानिक निकासी प्रणाली प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

दिवालिया घोषित बैंक

6846. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिवालिया घोषित किये गये सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा निवेशकों को धन लौटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में किसी भी बैंक को दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

न्यायाधीशों की नियुक्ति

6847. श्री कमलनाथ: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया है ताकि न्यायपालिका में बढ़िया से बढ़िया विधिक प्रतिभा को आकृष्ट किया जा सके जैसा कि 2 मार्च, 2003 के 'दि स्ट्टेसमैन' में खबर प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायिक नियुक्तियों में बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध विधिक प्रतिभा को आकर्षित करने की अक्षमता न्यायपालिका में प्रमुख अवरोध रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी हां। तथापि, यह कथन व्यवसाय कर रहे वकीलों की आय के बराबर वेतन का संदाय करने में सरकार की असमर्थता और न्यायपीठ में आने के लिए शीर्ष वकीलों की अनिच्छा के संदर्भ में दिया गया था। अन्यथा, न्यायाधीशों का चयन उनकी शैक्षिक अर्हताओं, व्यवसाय की प्रकृति और सीमा, व्यवसाय की अवधि, विशेषज्ञता का क्षेत्र और पिछले तीन वर्ष के लिए उनकी वृत्तिक आय को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नियुक्ति के समय व्यक्ति की कार्यक्षमता, उसका न्यायिक सामर्थ्य, स्वाभाव और सत्यनिष्ठा को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) सरकार एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों/मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करने के साथ-साथ न्यायाधीशों के लिए एक आचार-संहिता भी तैयार करेगा।

आंध्र प्रदेश में चीनी का भारी भंडार

6848. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में चीनी फैक्ट्रियों में चीनी का भारी भंडार जमा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की फैक्ट्रियों में जमा चीनी के समूचे भंडार को जारी करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किये गए अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) 31, मार्च 2003 को स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश की मिलों के पास 11.47 लाख टन (अनंतिम) चीनी का स्टाक था जबकि पिछले वर्ष की इसी तारीख को 11.35 लाख टन चीनी का स्टाक था। अत: मिलों के पास चीनी का स्टाक कमोबेशी पिछले वर्ष के समान ही था।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र की 5 चीनी मिलों तथा सहकारी क्षेत्र की 6 चीनी मिलों के समस्त स्टाक को रिलीज करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं क्योंकि इन मिलों का निजीकरण कर दिया गया था। तद्नुसार इन मिलों के पास उपलब्ध समस्त स्टाक को छ: बराबर मासिक किस्तों में रिलीज किया जा रहा है।

इंटरनेशनल कंवेन्शन सेंटर

6849. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अंतर्राष्ट्रीय मानक के कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन शहरों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय मानक के दो ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटरों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन दो परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) इन दोनों परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ख) जी हां।

(ग) से (ङ) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानक के दो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटरों की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया है। इन केन्द्रों के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से निधियां जुटाई जानी हैं, जिसमें सरकार केवल अर्थक्षमता निधिपोषण अन्तरालों के लिए धन जुटाएगी। शहरी विकास मंत्रालय से इन केन्द्रों के लिए स्थापना निर्धारण करने के लिए कहा गया है।

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद् का गठन

6850. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच के लिए परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद का गठन और निर्यात विकास कोष का सृजन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिषद् के लिये कोई कार्यविधि बनाये जाने पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना निर्यात परिषद् किस सीमा तक कोष उपयोग को अंतिम रूप देगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सरकार ने परियोजना निर्यात संवर्धन के बारे में सिफारिशें करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव (विदेश व्यापार एवं निवेश) की अध्यक्षता मे एक कार्य बल का गठन किया था। इस कार्य बल ने जनवरी, 2003 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ एक परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद का गठन करने और एक निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) का सृजन करने की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) इस कार्यबल ने यह भी सिफारिश की है कि परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी) परियोजना का निर्यात बढ़ाने के लिए एक शीर्षस्थ संगठन के रूप में कार्य करेगा। पीईपीसी की रूप रेखाओं के बारे में, कार्यबल ने यह सिफारिश की है कि पीईपीसी एक स्वायत्तशासी निकाय होगा और इस निकाय का मुख्य कार्य परियोजनाओं के शीघ्र अभिज्ञान आसूचना एकत्र करना, केन्द्रीकृत डाटाबेस का रख-रखाव, संधीय नीति को प्रोत्साहित करने इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मिशनों, भारत सरकार, एग्जिम इंडिया, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी), उद्योग संघ एवं वाणिज्यक बैंकों के बीच आपसी कारगर कार्यवाही सहयोग उत्पन्न करना होगा। इस कार्यबल ने यह भी सिफारिश की है कि एक महानिदेशक पीईपीसी का अध्यक्ष होगा जो कार्यबल की सिफारिशों के अनुसार गठित की जाने वाली उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति में स्थायी रूप में आमंत्रित व्यक्ति होगा। इस पीईपीसी में परामर्शी एवं प्रौद्योगिकी विकास का कार्य देखने हेतु प्रभाग भी होंगे। कार्य बल की सिफारिश के अनुसार, इस निकाय का सृजन करने के लिए इक्विटी अंशदान सरकार, उद्योग/उद्योग संघ एवं संस्थानों से आएगा।

(घ) एग्जिम इंडिया के एग्जिम बैंक के अंतर्गत, भारत सरकार ने अपनी ओर से ईडीएफ का संचालन करने के लिए एग्जिम इंडिया की नियुक्ति की है। परियोजना निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धी आसान शर्तों पर दीर्घावधि वित्तपोषण प्रदान करने में एग्जिम इंडिया को सक्षम बनाने की दृष्टि से, इस कार्य बल ने यह सुझाव दिया है कि भारत सरकार एक निश्चित अवधि में अमरीकी डालर में ईडीएफ का वित्त पोषण करने पर विचार करे। कार्यबल के अनुसार परियोजना निर्यात को सहायता प्रदान करने के अभिज्ञात प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने का एक उचित साधन हो सकता है।

कांतिहीन गेहूं की खरीद

6851. श्री इकबाद अहमद सरडगी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों और मिल मालिकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम से कांतिहीन गेहूं की खरीद पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो कांतिहीन गेहूं के समस्त भंडार को बेचने के लिए भारतीय खाद्य निगम को कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो पूर्व में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और अब प्रतिबंधों को हटाने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) कांति खोने वाले गेहूं की कुल अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ङ) इसकी बिक्री हेतु क्या तिथि निर्धारित की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) 2001-02 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए लगभग 160 लाख टन चमकहीन गेहूं की वसूली की गई थी।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम को 31 मार्च, 03 तक चमकहीन गेहूं की बिक्री पूरा कर लेने की सलाह दी गई थी।

कल्याण योजनाओं को खाद्यान्न की आपूर्ति

6852. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित कल्याण योजनाओं के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति प्रभावित हो रही है;

(ख) क्या संबंधित मंत्रालय उनके द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आपूर्ति के लिए भुगतान को प्रभावित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो आज की तिथि तक प्रत्येक संबंधित मंत्रालय से कितनी धनराशि वसूली की जानी है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से पूर्व में की गई आपूर्ति से संबंधित विशाल बकाया धनराशि के बावजूद मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली मध्याह्न भोजन योजना हेतु खाद्यान्न की आपूर्ति जारी करने के निदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) मध्याहन भोजन योजना के अधीन आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के लिए 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर 983.85 करोड़ रुपए बकाया हैं।

(घ) और (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 28 नवम्बर, 2001 के आदेश में भारत संघ और भारतीय खाद्य निगम को यह निदेश दिया है कि योजनाओं के लिए समय पर उचित औसत गुणवत्ता के अनाज का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना

6853. श्री नरेश पुगलिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 में जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किए जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे जिले कौन से हैं जहां उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का राज्यवार गठन किया गया है;

(घ) इस संबंध में वर्ष 2003-04 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए है; और

(ङ) देश के प्रत्येक जिले में उपभोक्ता संरक्षण परिषद् कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना के उपबंधों को उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के जरिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में धारा 8 (क) और 8 (ख) के द्वारा नई धाराओं के रूप में शामिल किया गया है जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

"8 क जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद-(1) राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा उस तारीख से जिसको वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करेगी, प्रत्येक जिले के लिए एक परिषद् की

स्थापना करेगी जिसको जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के नाम से जाना जाएगा।

(2) जिला उपभोक्ता परिषद (इसको बाद में जिला परिषद् कहा गया है) मैं निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्

(क) जिला कलेक्टर (जिस नाम से भी पुकारा जाता हो), जो इसका अध्यक्ष होगा; और

(ख) ऐसी संख्या में अन्य सरकारी और गैर सरकारी सदस्य जो ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करते हों जिनको राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(3) जिला परिषद की बैठकें आवश्यकतानुसार होंगी, किन्तु एक वर्ष में दो से कम बैठकें नहीं होंगी।

(4) जिला परिषद की बैठकें जिले के भीतर उस समय और उस स्थान पर होंगी जिसको अध्यक्ष उचित समझता हो और अपने कारोबार के संचालन के संबंध में जिला परिषद ऐसी प्रक्रिया अपनाएगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो।

8ख. जिला परिषद के उद्देश्य-प्रत्येक जिला परिषद का उद्देश्य जिले के भीतर धारा 6 के खण्ड क से च में निर्धारित उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्द्धन और संरक्षण करना होगी।''

(ग) से (ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के संशोधित उपबंधों, जिनको 15 मार्च, 2003 से लागू किया गया है, को प्रभावी बनाने के लिए राज्य उपभोक्ता संरक्षण नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। अत: राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना किए जाने की अपेक्षा करना बहुत जल्दबाजी होगी।

आलू का निर्यात

6854. श्री अनन्त नायक:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आलू के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत से आलू का निर्यात किन देशों को किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन देशों को निर्यातित आलू की मात्रा और मूल्य कितना है;

(घ) आलू के उत्पादन और निर्यात के संबंध में भारत से प्रतिस्पर्धा करने वाले देश कौन से हैं;

(ङ) विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु आलू की उच्च उत्पादकता हेतु किए गए अनुसंधान, यदि कोई हों, का क्या ब्यौरा है;

(च) क्या हाल के अमरीका-इराक युद्ध से देश से किया जाने वाला आलू का निर्यात प्रभावित हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो आलू के मूल्यों में गिरावट, आलू का निर्यात करने वाले राज्यों में इसके आधिक्य से बचने के लिए वैकल्पिक बाजार का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) आलू के निर्यात के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- फसल पूर्व और फसलोत्तर बेहतर प्रथाएं अपनाने, कृषकों को उत्तर गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन और वितरण तथा उन्हें अधिक कीमत प्राप्ति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में केवल आलूओं के संबंध में कृषि निर्यात क्षेत्र (ए ई जेड एस) की स्थापना करना।
- कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- आहार अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान आलूओं के संबंध में आबद्ध रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय परस्पर कार्य कलापों की एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करना।

(ख) भारत से आलूओं के लिए कुछ मुख्य निर्यात गंतव्य स्थान बंगला देश, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात आदि हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में भारत से विभिन्न देशों को निर्यात किए गए आलू की मात्रा और मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) आलू के कुछ मुख्य निर्यातक देश जर्मनी, फ्रांस नीदरलैंड, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, स्पेन, पाकिस्तान और चीन हैं।

(ङ) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सी पी आर आई) शिमला अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है जिनका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना, अधिक उपज वाली रोग प्रतिरोधक किस्मों और कृषि कार्य प्रथाओं का विकास करना, अधिसूचित किस्मों के रोग मुक्त प्रजनक बीजों का उत्पादन करना है।

(च) और (छ) इस समय निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है।

विवरण

विभिन्न देशों को भारत से ताजा आलू का निर्यात

मात्रा: किग्रा
मूल्य: रुपए

देश	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अंगोला	—	—	55,000	4,25,714	—	—
आस्ट्रेलिया	15,500	46,950	—	—	3,015	14,367
बंगला देश	47,97,560	190,98,926	—	—	1,84,020	10,18,146
बहरीन	1,400	12,096	40,000	2,28,750	—	—
ब्रुनेई	—	—	22,400	2,15,468	—	—
जर्मनी	75,000	3,79,518	—	—	—	—
यू के	75,000	3,46,513	—	—	—	—
इटली	—	—	—	—	14,400	1,54,231
जापान	50,000	2,83,703	—	—	—	—
श्रीलंका	218,48,979	1109,15,193	144,86,623	832,55,910	3,86,910	24,30,243
मालदीव	—	—	7,075	42,052	—	—
मारीशश	25,000	1,62,938	7,50,000	60,16,572	20,000	82,411
मलेशिया	3,89,562	31,73,829	1,76,992	10,02,529	2,65,800	14,09,778
नेपाल	2,73,360	8,70,608	54,40,296	139,66,272	63,42,769	188,47,089
ओमान	—	—	1,03,480	5,46,219	1,200	12,703
कतर	700	1,817	—	—	—	—
सऊदी अरब	2,300	17,598	37,125	2,43,685	5,310	24,801
सिंगापुर	1,63,613	7,49,290	71,918	5,42,104	87,00	4,32,700
यू ए ई	4,82,200	34,73,338	13,55,855	91,44,480	9,41,902	88,84,430
यू एस ए	—	—	90,000	3,79,229	30,000	95,496
कुल	282,00,174	1395,32,317	226,36,764	1160,08,984	82,82,326	334,06,395

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस।

खाद्य तेल की मांग

6855. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान देश में खाद्य तेलों की कितनी मांग रही;

(ख) क्या सरकार घरेलू उत्पादन के माध्यम से इस मांग को पूरा करने में समर्थ है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने हेतु इसका आयात करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने के कारण खाद्य तेलों का आयात महंगा हो गया है;

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) 2001-2002 के दौरान देश में खाद्य तेलों की मांग 103.36 लाख टन थी। तथापि, खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति और आयात को हिसाब में लेकर 2002-2003 के दौरान देश में खाद्य तेलों की मांग 94 लाख टन होने का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नारियल तेल को छोड़कर खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। इस प्रकार खाद्य तेलों का आयात आयातकर्त्ताओं के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करेगा। फिलहाल सरकार खाते पर खाद्य तेलों का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) खाद्य तेलों के आयात पर कोई अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगाया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूखा राहत प्रबंधन

6856. श्री राजो सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए राज्यों को खाद्यान्न के आवंटन के बारे में अग्रिम सूचना देने हेतु केन्द्रीय राहत आयुक्त को अधिकृत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के कारण सूखा राहत प्रबंधन कई समस्याओं से जूझ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार आरंभ में राज्यों को आवंटित खाद्यान्न का 50 प्रतिशत जारी करने पर विचार कर रही है जिससे कि राज्यों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) से (ङ) राहत रोजगार सृजित करने के लिए खाद्यान्नों का आवंटन सूखा संबंधी कार्यबल द्वारा अपनाए गए निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। अप्रैल-जून, 2003 की अवधि के लिए गंभीर रूप से प्रभावित अधिकांश राज्यों के लिए अग्रिम में रिलीज दे दिए गए है और केवल उन राज्यों के लिए ऐसा नहीं किया गया है जिनके पास पूर्व की अवधि की उपयोग न की हुई पर्याप्त मात्रा बची हुई है। यह व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य क़र रही है और इस प्रक्रिया से खाद्यान्नों की रिलीज में विलंब होने के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

[अनुवाद]

गेहूं और चावल की उपलब्धता

6857. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में चावल और गेहूं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राज्यवार कितनी है;

(ख) क्या गेहूं और चावल की यह उपलब्धता उक्त राज्य विशेष की आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो किसी राज्य विशेष की गेहूं और चावल की प्रति व्यक्ति आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या कई राज्यों ने यह शिकायत की है कि प्रति व्यक्ति खपत को पूरा करने हेतु उन्हें केन्द्रीय पूल से उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जा सके, क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) चावल और गेहूं की राज्यवार प्रति व्यक्ति उपलब्धता का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। तथापि, वर्ष 2002 हेतु समग्र रूप में देश के लिए खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता (अनंतिम) 181.50 किलोग्राम प्रति वर्ष थी जिसमें 84.80 किलोग्राम चावल और 62.10 किलोग्राम गेहूं शामिल है।

(ख) और (ग) विभिन्न फसलों की राज्यवार और जिंसवार आवश्यकता का हिसाब नहीं लगाया जा रहा है। खाद्यान्नों की 205.31 मिलियन टन नियामक आवश्यकता के प्रति वर्ष 2001-02 के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन 212.05 मिलियन टन होने का अनुमान है। तथापि, सरकार खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय कर रही है और इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना क्रियान्वित करना, नई प्रौद्योगिकियों के विकास और बढ़ावा देने पर जोर देना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित करना, जल-संभर विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

(घ) और (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय पूल से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जाने वाला खाद्यान्नों का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका प्रयोजन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्यान्नों की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करना नहीं है। फिलहाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की एक समान मात्रा में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन किया जा रहा है।

खाद्यान्न की खरीद का विकेन्द्रीकरण

6858. श्री सुबोध मोहिते: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिसर्च फाउंडेशन फार साइंस, टेक्नालोजी एंड इकालोजी ने खाद्यान्न की खरीद, भंडारण एवं वितरण के विकेन्द्रीकरण का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अध्ययन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) इस विभाग को ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है और न ही ऐसी कोई अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तथापि, खाद्य राजसहायता के व्यय में कमी करने के रूप में बचत करने, वसूली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि करने और स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए अधिकतम मात्रा तक स्थानीय वसूली को प्रोत्साहित करने की दृष्टि में खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना शुरू की गई थी। यह योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उत्तरांचल में चल रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दक्षिण अमरीकी देशों के साथ व्यापार संबंध

6859. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी अमरीकी देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ब्राजील के साथ द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) इस संबंध में दोनों देशों के बीच किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ब्राजील के साथ एक अधिमानी व्यापार करार को अंतिम रूप देने के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव है। ब्राजील प्राधिकारियों के साथ वार्ताएं करने के लिए व्यापार सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है।

वस्त्र निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता

6860. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन को यह अभ्यावेदन दिया है कि भारत ने वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत द्वारा वस्त्र और परिधान निर्यात में 'निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता' की प्राप्ति के बाद भारतीय वस्त्र निर्यातों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमरीका ने डब्ल्यूटीओ की सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों संबंधी समिति से 31 जनवरी, 2003 को यह अनुरोध किया था कि भारत से वस्त्रों और अपैरल निर्यात की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता का निर्धारण, सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों संबंधी करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 27.6 (ख) के अनुसार डब्ल्यूटीओ के सचिवालय द्वारा शुरू किए गए परिकलन के आधार पर किया जाए। जिन उत्पादों के लिए यह अनुरोध किया गया था, उनमें हारमोनाइज्ड सिस्टम आफ नोमेनक्लेचर के अध्याय 50-59 और 60-63 में उल्लिखित समस्त वस्त्र और अपैरल शामिल हैं। इन अध्यायों में प्रत्येक में दो और चार अंकों के शीर्षों, दोनों में परिकलन करने का अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूएस ने यह भी अनुरोध किया था कि निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता का निर्धारण, वर्ष 1996 और परवर्ती प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए किया जाए।

सरकार रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक जांच कर रही है और सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों संबंधी करार के अंतर्गत विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इतनी जल्दी इसके संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना अनुपयुक्त होगा क्योंकि अभी इस मामले पर डब्ल्यूटीओ की सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों संबंधी समिति ने औपचारिक रूप से विचार नहीं किया है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति

6861. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जहां तक राजपत्रित नौकरियों अथवा श्रेणी-एक और श्रेणी-दो में रोजगार का संबंध है, उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं, सम्बद्ध कार्यालयों, शोध एवं विकास संस्थाओं एवं सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने पदों को नहीं भरा गया है और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कुछ पदों (सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के श्रेणी-एक और श्रेणी-दो) को न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और इसके निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में आरक्षण नीति का कड़ाई से अनुपालन कर रहे हैं। ये संस्थान हैं:

(1) वायदा बाजार आयोग, मुम्बई

(2) राष्ट्रीय टेस्ट हाउस, कोलकाता

(3) भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची

(4) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली

(5) क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला (अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बंगलौर, गुवाहाटी और फरीदाबाद)

(6) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली

(7) भारतीय खाद्य निगम

(8) केन्द्रीय भंडारण निगम

(9) हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन

(10) शर्करा निदेशालय

(11) वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय

(12) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर

(13) अन्न सुरक्षा अभियान कार्यालय

(14) भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान, हापुड़ और इसके 5 फील्ड स्टेशन।

(ग) उपर्युक्त (ख) में सूचीबद्ध संगठनों से उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो में अन्य पिछले वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पद मौजूद हैं। आज की तारीख की स्थिति के अनुसार [वैज्ञानिक ''ख'' (समूह ''क'') के ग्रेड में 9 पद]।

(घ) (1) 16.5.2000 से 31.3.2002 तक की अवधि के लिए सीधी भर्ती की रिक्तियां भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भर्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

(2) भारतीय खाद्य निगम में 1000 प्रबंधन प्रशिक्षुओं और 7 सहायक प्रबंधक (हिन्दी), श्रेणी-II के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। नीति के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(3) अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें 3 वर्ष तक ऊपरी आयु-सीमा में ढील देने जैसी विभिन्न रियायतें दी जाती हैं।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उनके द्वारा ही भरी जाएं, अन्य पिछड़े वर्गों कि रिक्तियों पर आरक्षण समाप्त करने के संबंध में प्रतिबंध है।

नई व्यापार प्रणाली

6862. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''सेबी'' ने शेयर बाजारों में नई व्यापार प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई प्रणाली के क्या लाभ हैं;

(घ) क्या नई प्रणाली से शेयर हस्तांतरण के वास्तविक निपटानों की आवश्यकता से बचा जा सकेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि इसने स्टाक एक्सचेंजों में कोई नई व्यापार पद्धति शुरू नहीं की है। तथापि, निपटान चक्र 1.4.2003 से टी+3 से घटाकर टी+2 कर दिया गया है।

(ख) दिनांक 1.4.2003 से निपटान चक्र टी+3 से घटाकर टी+2 कर दिया गया है जिसका अर्थ है कि टी (सौदा) दिवस को किए गए सौदे टी+2 दिवस को निपटा दिए जाएंगे। उदाहरणार्थ यदि सौदा सोमवार को हुआ है तो निपटान बुधवार को कर दिया जाएगा। यदि सौदा मंगलवार को होता है तो निपटान वीरवार को कर दिया जाएगा।

(ग) अल्पकालिक निपटान चक्र महवपूर्ण रूप से जोखिम घटाता है और व्यापार व निवेश करने की लोचशीलता बढ़ाता है। इसके अलावा, अल्पकालिक निपटान चक्र में बाजार जोखिम प्रबंधन काफी अधिक प्रभावोत्पादक बन जाता है।

(घ) सेबी ने एक चरणबद्ध तरीके से शेयरों का अभौतिकीकरण शुरू किया है जहां अब शेयर डीमैट फार्म में निपटाए जा रहे हैं। तथापि, लघु निवेशकों के लिए, अधिकतम 500 भौतिक शेयर (जो अनिवार्य डीमैट सूची में हैं) और उनका जो भी मूल्य ह्रास बेचने हेतु एक अतिरिक्त ट्रेडिंग विन्डों स्थापित की गई है।

(ङ) यह अतिरिक्त ट्रेडिंग विंडो लघु निवेशकों को अधिकतम 500 भौतिक शेयर, उनके मूल्य का ध्यान किए बिना, (जो अनिवार्य डीमैट सूची में हैं) बेचने हेतु सुविधा उपलब्ध कराती है। यह सुविधा केवल पंजीकृत शेयरधारकों को उपलब्ध है। इसके अलावा, इन शेयर के क्रेताओं को भौतिक रूप में बाजार में शेयरों के पुन: प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

फूलों के निर्यात हेतु समझौता

6863. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय फूलों की बढ़ती मांग के मद्देनजर फूलों के निर्यात के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों को फूलों का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेकओवर कोड संबंधी कार्य दल

6864. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने टेकओवर कोड में कमियों को दूर करने के लिए कार्य दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्य दल के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सेबी (शेयरों का प्रचुर अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के पुनः अवलोकन और पुनः निरीक्षण करने और आवश्यक संशोधन, यदि कोई हों, करने के लिए सेबी के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक आंतरिक दल का गठन किया गया है।

(ग) से (ङ) इस दल का गठन अप्रैल, 2003 में किया गया है और रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

सऊदी अरब के व्यापार प्रतिनिधिमंडल की यात्रा

6865. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2002 में सऊदी अरब से व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की और भारत में व्यापार करने हेतु गहरी रुचि अभिव्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो सऊदी अरब ने किस क्षेत्र में भारत में निवेश करने की रुचि दिखाई है;

(ग) क्या किसी ठोस प्रस्ताव पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी हां। स्माल एंटरप्राइसेज सपोर्ट कमेटी आफ जेद्दाह चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, सऊदी अरब के अध्यक्ष श्री जियाद बी अल-बासम की अध्यक्षता में एक दस-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिसम्बर 19-25, 2002 के दौरान नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमि. (एन एस आई सी) के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य भारत में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एस एम ई) को सहायता देने की पद्धति को समझना और भारतीय उद्यमों के साथ तकनीकी और व्यावसायिक गठबंधन के अवसरों का भी पता लगाना था।

(ख) एन एस आई सी और जेद्दाह चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, सऊदी अरब के बीच सहयोग, के लिए विचार किए गए क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं-

- एस एम ई एस के लिए साध्यता अवसर अध्ययन करना।
- लघु उद्यमों का पता लगाना और भारतीय उद्यमों के साथ सहभागिता का प्रबंध करना।
- क्षेत्र विशिष्ट प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान और व्यावसायिक प्रनिधिमंडलों को भेजना और बुलाना।
- सऊदी अरब में भारतीय एस एम ई एस उत्पादों/परियोजनाओं की प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(ग) और (घ) इस दौरे के समय सऊदी अरब में एस एम ई एस के विकास के लिए एन एस आई सी और जेद्दाह चैम्बर आफ कार्मस एंड एंडस्ट्री के बीच संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था।

सामान्य भविष्य निधि नियमों में संशोधन

6866. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य भविष्य निधि नियम केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माणार्थ कुल जमा राशि के 90 प्रतिशत तक के आहरण की अनुमति देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कैंसर आदि जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित कर्मचारियों के इलाज हेतु इसी प्रकार का प्रावधान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कैंसर मरीजों और अन्य गंभीर मरीजों के ईलाज हेतु 90 प्रतिशत तक सामान्य भविष्य निधि से आहरण करने के लिए सामान्य भविष्य निधि नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) नियमावली में अंशदाता के खाते में जमा राशि की 75 प्रतिशत राशि निकालने

की व्यवस्था है, बशर्ते कि कर्मचारी 15 वर्ष की सेवा कर चुका हो अथवा अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने की तारीख से 10 वर्ष पूर्व अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, आवेदन किया हो। तथापि, सामान्य भविष्य निधि नियामावली में सुपात्र मामलों में इन शर्तों को शिथिल करने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारियों तथा/अथवा उनके आश्रितों के चिकित्सीय उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.)/रेलवे आदि जैसे विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों तथा/अथवा सी.एस. (मेडिकल एटेन्डेन्स) रूल्स के तहत भी विभिन्न लाभ सी.एस. (एम.ए.)/सी.जी.एच.एस. नियमावली में पैकेज दरों, जहां कहीं मौजूद हों, की 90 प्रतिशत राशि अग्रिम में देने अथवा सरकार/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत अनुमानित राशि, जो भी कम हो, देने की व्यवस्था है। इसको देखते हुए, कैंसर रोगियों तथा अन्य गंभीर रोगियों को अपनी चिकित्सीय उपचार के लिए सामान्य भविष्य निधि से 90 प्रतिशत राशि निकालने में समर्थ बनाने के लिए सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी का उत्पादन

6867. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान चीनी की कितनी आवश्यकता है और इसके उत्पादन हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा राज्यवार कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया गया है;

(ग) क्या गन्नें का उत्पादन चीनी मिलों की अधिष्ठापित क्षमता से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) चीनी मिलों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और ये मिलें वर्ष 2000 से राज्यवार कितनी प्रतिशत क्षमता पर कार्य कर रही थीं; और

(च) सरकार द्वारा चीनी मिलों के कार्यकरण को सुधारने, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने, राज्यों में और अधिक चीनी मिलों की स्थापना करने तथा चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) चीनी मौसम 2002-2003 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान घरेलू खपत के लिए अनुमानित आवश्यकता 185.00 लाख टन है। सरकार द्वारा चीनी के उत्पादन के संबंध में लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ख) गत तीन चीनी मौसमों में प्रत्येक मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। लगभग 60 प्रतिशत गन्ने का उपयोग चीनी मिलों द्वारा व्हाइट क्रिस्टल शुगर बनाने के लिए तथा शेष गन्ने का उपयोग खंडसारी एवं गुड़ तैयार करने तथा बीज एवं चूसने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

(ङ) चीनी मिलों की संस्थापित क्षमता तथा चीनी मौसम 1999-2000 (अक्तूबर-सितम्बर) से जिस क्षमता पर मिलें कार्य कर रही हैं, उसी प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। तथापि, गन्ने का विकास करने, चीनी मिलों का आधुनिकीकरण, पुनर्स्थापन तथा विस्तार करने के प्रयोजनों के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है। गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 2001-2002 के 62.05 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्तमान चीनी मौसम 2002-2003 के लिए 69.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था।

विवरण I

पिछले तीन चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	चीनी मौसम 1999-2000	चीनी मौसम 2000-01	चीनी मौसम 2001-2002 (अ)
1	2	3	4
पंजाब	4.20	4.96	5.93
हरियाणा	4.77	5.86	6.23
राजस्थान	0.14	0.06	0.05
उत्तरांचल	—	—	4.45

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	45.56	47.55	52.53
मध्य प्रदेश	1.03	0.93	0.73
गुजरात	11.41	10.73	10.56
महाराष्ट्र	65.03	67.05	55.84
बिहार	3.68	2.88	3.52
असम	0.04	0.03	0.00
उड़ीसा	0.53	0.34	0.25
पश्चिम बंगाल	0.03	0.03	0.00
आंध्र प्रदेश	11.82	10.22	10.49
कर्नाटक	15.71	16.04	15.77
तमिलनाडु	17.20	17.81	18.36
पांडिचेरी	0.49	0.38	0.39
केरल	0.14	0.07	0.04
गोवा	0.15	0.16	0.08
अखिल भारत	181.93	185.10	185.22

(अ)-अनंतिम

विवरण II

चीनी मिलों की संस्थापित क्षमता तथा चीनी मौसम 1999-2000 (अक्तूबर-सितम्बर) से जिस क्षमता पर मिलें कार्य कर रही थी उसकी प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य	चीनी मौसम 1999-2000		चीनी मौसम 2000-2001		चीनी मौसम 2001-2002 (अ)	
		संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	क्षमता उपयोग %	संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	क्षमता उपयोग %	संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	क्षमता उपयोग %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पंजाब	6.60	63.64	6.60	75.15	6.84	86.70
2.	हरियाणा	4.27	111.71	4.58	127.95	5.18	120.27
3.	राजस्थान	0.23	60.87	0.23	26.09	0.23	21.74
4.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	108.01
5.	उत्तर प्रदेश	45.33	100.51	47.02	101.13	41.18	127.56
6.	मध्य प्रदेश	1.10	93.64	1.55	60.00	1.55	47.10
7.	गुजरात	10.71	106.54	10.71	100.19	10.71	98.60
8.	महाराष्ट्र	52.43	124.03	55.86	120.03	61.70	90.50
9.	बिहार	4.73	77.80	4.73	60.89	4.73	74.42
10.	असम	0.18	22.22	0.18	16.67	0.18	0.00
11.	उड़ीसा	1.02	51.96	1.02	33.33	1.02	24.51

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	पश्चिम बंगाल	0.07	42.86	0.07	42.86	0.07	0.00
13.	नागालैंड	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
14.	आंध्र प्रदेश	8.84	133.71	8.84	115.61	8.84	118.67
15.	कर्नाटक	10.83	145.06	11.33	141.57	12.31	128.11
16.	तमिलनाडु	14.85	115.82	14.85	119.93	15.24	120.47
17.	पांडिचेरी	0.38	128.95	0.38	100.00	0.38	102.63
18.	केरल	0.10	140.00	0.10	70.00	0.07	57.14
19.	गोवा	0.09	166.67	0.09	177.78	0.09	88.89
	अखिल भारत	161.82	112.43	168.20	110.05	174.44	106.18

(अ)-अनंतम

[हिन्दी]

सिले सिलाये वस्त्रों का अवैध निर्यात

6868. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड सहित कई राज्यों में निर्यातकों ने सिले सिलाये वस्त्रों का अवैध रूप से निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या कुछ उत्पाद शुल्क अधिकारी और अन्य अधिकारी भी इस अवैध निर्यात में संलिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाये गए लोगों के विरूद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 122.55 करोड़ रुपए की अंतर्ग्रस्तता वाले 196 मामलों का पता लगाया गया था जिनमें सिले-सिलाये वस्त्रों का अवैध निर्यात पाया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इन मामलों में उत्पाद शुल्क अधिकारियों सहित 28 अधिकारियों को कथित रूप से अन्तर्ग्रस्त पाया गया है।

(ङ) कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा माल को जब्त कर लिया गया है। मामले भी निर्णीत किए गए हैं, माल को जब्त कर लिया गया है और अर्थदण्ड लगाया गया है। उपयुक्त मामलों में दोषी व्यक्तियों को कोफेपोसा के तहत गिरफ्तार/निरूद्ध किया गया है।

[अनुवाद]

सिंगापुर मुद्दों के संबंध में यूरोपीय संघ का प्रस्ताव

6869. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ विश्व व्यापार संगठन के कैनकन मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सिंगापुर संबंधी चार मुद्दों पर चर्चा हेतु भारत को राजी करने का प्रयास कर रहा है;

(ख) क्या यूरोपीय संघ ने सेवा संबंधी वार्ताओं में उदारीकरण हेतु प्रमुख भारतीय मांग को समर्थन देने का संकेत दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ट्रेड कमीशनर आफ यूरोपियन कमीशन ने हाल में भारत की यात्रा की और उससे विचार-विमर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो दोनों ओर के बीच चर्चा के मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) यूरोपीय आयोग के व्यापार आयुक्त श्री पास्कल लामी हाल ही में भारत आए थे और दिनांक 13 मार्च, 2003 को उन्होंने अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ वाणिज्य एवं उद्योग तथा विधि एवं न्याय मंत्री के साथ विचार विमर्श किया था। उन पर यह दबाव डाला गया था कि विकासशील देशों को बहुपक्षवाद का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हुआ। भारत की विभिन्न बहुपक्षीय व्यापार मुद्दों से संबंधित अनेक चिंताओं से भी उन्हें विचार-विमर्श के दौरान अवगत कराया गया था। सिंगापुर मुद्दों पर हमारी इस स्थिति को पुन: दोहराया गया था कि चार मुद्दों अर्थात् व्यापार और निवेश, व्यापार और प्रतिस्पर्धा नीति, सरकारी खरीद में पारदर्शिता तथा व्यापार की सुविधा देने से संबंधित अध्ययन प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और नियम बनाने की कोई चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। सेवाओं के संबंध में यूरोपीय आयोग की ओर से विशेषत: यूरोपीय संघ के कामगारों और व्यापार संघों के साथ आप्रवासन से संबंधित संवेदनशीलता का उल्लेख किया गया था। सेवाओं में व्यापार से संबंधित सामान्य करार के ढांचे के अंतर्गत सेवाओं में व्यापार संबंधी अधिदेशित वार्ताएं चल रही हैं जो मुख्यत: अनुरोध-प्रस्ताव नीति पर आधारित हैं। भारत और यूरोपीय आयोग दोनों ने आपस में अनुरोध किए हैं और दोनों सक्रिय रूप से वार्ताओं में शामिल हैं। कृषि के संबंध में हमने विशेषत: इस तथ्य की दृष्टि से कि भारतीय जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा कृषि पर निर्भर है, घरेलू स्तर की संवेदनशीलता प्रदर्शित की है।

बलात्कार संबंधी लंबित मामले

6870. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न न्यायालयों में बलात्कार से संबंधित कितने मामले लंबित हैं;

(ख) उक्त मामले कितने समय से लंबित हैं;

(ग) इन मामलों के निपटान में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु न्यायालयों को कुछ निर्देश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 के अंत में बलात्संग से संबंधित 56,343 मामले लंबित थे।

(ख) और (ग) बलात्संग के लंबित मामलों की अवधि के संबंध में ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। बलात्संग के मामलों के निपटान में विलंब के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अभियुक्त की गैर उपस्थिति, समन/वारंट जारी करने में अन्वेषणकर्ता अभिकरणों और पुलिस की ढिलाई, अभियुक्त का फरार हो जाना, न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों का भरा न जाना, आदि सम्मिलित हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने लंबे समय से लंबित मामलों के, जिनके अंतर्गत बलात्संग के मामले भी हैं, शीघ्रतापूर्वक निपटान के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों का गठन किया है।

[हिन्दी]

जापान द्वारा पूंजी निवेश

6871. श्री रामदास आठवले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन घरेलू उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनमें गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जापान द्वारा निवेश किया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान जापान ने कुछ संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जापान द्वारा इन संयुक्त उद्यमों में परियोजनावार कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ङ) क्या जापान का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ और संयुक्त उद्यमों में निवेश करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) 2000-2002 के दौरान, जापानी कंपनियों और उनके भारतीय साझेदारों के बीच हुए संयुक्त उद्यमों वाले अनुमोदनों की संख्या तथा जापान से भारत में होने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) के अंतर्वाह निम्न प्रकार हैं:

वर्ष (जनवरी-दिसम्बर)	सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए जापान से प्राप्त एफडीआई के प्रस्ताव		जापान से भारत में होने वाला एफडीआई अंतर्वाह* (रुपये करोड़ में)
	संख्या	राशि	
2000	57	828.94	985.69
2001	59	703.66	996.54
2002	75	575.51	1980.46

*अंतर्वाहों आर बी आई+एफ आई पी बी + शेयरों के अधिग्रहण के जरिए प्राप्त होने वाली राशियां शामिल हैं।

(ङ) और (च) जी हां। जापानी निवेशक भारत को मध्यम व दीर्घ अवधि के हिसाब से एक महत्वपूर्ण निवेश लक्ष्य के रूप में देखते हैं। जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन सर्वे 1999-2002 के अनुसार भारत का रैंक पांचवां (लघु अवधि-तीन वर्षों में) तथा दूसरा (दीर्घावधि-दस वर्षों में) है। जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाइजेशन (जेईटीआरओ), जैपनीज् एग्जिम बैंक, मिनिस्ट्री आफ इकानामी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री (एम.ई.टी.आई.) के सर्वेक्षणों में भारत को विभिन्न कारकों के कारण एक आदर्श निवेश लक्ष्य की रेटिंग दी गई है. ये कारक हैं: उदार एफडीआई नीति, मजबूत बृहद् आर्थिक मौलिक तत्व, बड़े-बड़े आर्थिक सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जैड.) एफडीआई की प्रवृत्तियां और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना। वर्ष 1991 से 2002 के बीच भारत में होने वाले कुल एफडीआई अंतर्वाहों की दृष्टि से जापान का स्थान चौथा है और इस अवधि के दौरान कुल एफडीआई अंतर्वाहों में उसका हिस्सा 7.83 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

एम.आर.टी.पी.सी. के अन्तर्गत मामले

6872. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औषध निर्माताओं के विरुद्ध मनमाने मूल्य लेने और अनुचित व्यापार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के कारण एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में कई मामले दायर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एम.आर.टी.पी.सी. में ऐसे दायर मामलों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) एम.आर.टी.पी.सी. द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2000 से एमआरटीपी आयोग में फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के संबंध में दायर किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	मामला शुरू करने की तारीख/मामला सं.	शीर्षक	सुनवाई की अगली तारीख	स्तर
1	2	3	4	5
1.	23.2.2000 आरटीपीआई 25/2000	डीजी (आई एंड आर) बनाम नोल फार्मस्यूटिकल्स मुम्बई	-	जांच का नोटिस 12.4.2001 को डिस्चार्ज किया गया

1	2	3	4	5
2.	23.2.2000 आरटीपीआई 28/2000	डीजी (आई एंड आर) बनाम कैडीला हैल्थकेयर	–	जांच का नोटिस 16.8.2001 को डिस्चार्ज किया गया
3.	1.8.2000 आरटीपीआई 84/2000	डीजी (आई एंड आर) बनाम बैल फार्मस्यूटिकल्स मुम्बई	–	जांच का नोटिस 19.12.2001 को डिस्चार्ज किया गया
4.	20.10.2000 आरटीपीआई 151/2000	डीजी (आई एंड आर) बनाम एल्बर्ट डेविड लि., कोलकाता	–	जांच का नोटिस 15.1.2002 को डिस्चार्ज किया गया
5.	16.11.2000 आरटीपीआई 165/2000	डीजी (आई एंड आर) बनाम केयर फार्मस्यूटिकल्स लि. कोलकाता	1.8.2003	अन्तिम बहस के लिए नियत डिस्चार्ज किया गया
6.	30.11.2000 यूटीपीआई 173/2000	श्री गौतम घोष, कोलकाता बनाम चरक फार्मस्यूटिकल्स (इण्डिया) लि.	–	12.12.2000 को निरस्त कर दिया यया
7.	1.6.2001 यूटीपीई 62/2000	स्मीथ कलाइन बीकेम बनाम पारस फार्मस्यूटिकल्स लि., गुजरात	–	23.4.2002 को बन्द कर दिया गया
8.	1.3.2001 आरटीपीई 30/01	डीजी (आई एंड आर) बनाम बायोवेद फार्मस्यूटिकल्स प्रा. लि.,	–	6.7.2001 क निरस्त कर दिया गया
9.	1.3.2001 आरटीपीई 33/01	डीजी (आई एंड आर) बनाम बायोवेद फार्मस्यूटिकल्स प्रा. लि. गुजरात	–	5.7.2001 को निरस्त कर दिया गया
10.	13.3.2001 आरटीपीई 39/01	डीजी (आई एंड आर) बनाम बायोवेद फार्मस्यूटिकल्स प्रा. लि.,	–	16.5.2001 को निरस्त कर दिया गया

1	2	3	4	5
11.	28.9.2001 आरटीपीई 83/01	डीजी (आई एंड आर) बनाम रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज लि. एवं अन्य	27.5.2003	प्रतिवादियों के द्वारा उत्तर के नोटिस के लिए
12.	28.9.2001 आईटीपीई 84/01	डीजी (आई एंड आर) बनाम रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज लि. एवं अन्य	27.5.2003	प्रतिवादियों के द्वारा उत्तर के नोटिस के लिए
13.	28.9.2001 आईटीपीई 85/01	डीजी (आई एंड आर) बनाम रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज लि. एवं अन्य	27.5.2003	प्रतिवादियों के द्वारा उत्तर के नोटिस के लिए
14.	28.9.2001 आईटीपीई 86/01	डीजी (आई एंड आर) बनाम रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज लि. एवं अन्य	27.5.2003	प्रतिवादियों के द्वारा उत्तर के नोटिस के लिए
15.	8.8.2002 यूटीपीई 88/02	वी के शर्मा, दिल्ली बनाम थर्मक्स लैबोरेट्रीज, फार्मस्यूटिकल्स, हरियाणा	–	3.7.2002 को निरस्त कर दिया गया
16.	19.2.2002 आरटीपीई 13/02	सन फार्मस्यूटिकल्स, बड़ोदरा बनाम ओप्टिका फार्मस्यूटिकल्स लि. हरियाणा	21.8.2003	आवेदन को पुन: शामिल होने के लिए विचारार्थ
17.	13.11.2002 आरटीपीई 60/02	कृपा मेडीकेयर बनाम गलैक्सो स्मिथकिन फार्मस्यूटिकल्स लि. हरियाणा	8.8.2003	प्रतिवादियों के जवाब के लिए

बाजार में पहुंच को नियंत्रित करने हेत उपाय

6873. श्री कमलनाथ: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार विशेषज्ञों ने सरकार से विश्व व्यापार संगठन के अधीन विकसित देशों के दबाव का मुकाबला करने हेतु सुरक्षोपाय करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो व्यापार विशेषज्ञों के ऐसे विचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव बाजार में पहुंच को नियंत्रित करने हेतु समुचित सुरक्षोपाय करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) भारत दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। कृषि और गैर-कृषि उत्पादों तथा सेवाओं के लिए बाजार पहुंच की वार्ताओं में भारत अपनी इस स्थिति की पुनरावृत्ति कर रहा है कि अधिदेश के विकास लक्ष्य का पूर्णरूपेण पालन किया जाना चाहिए तथा विकासशील देशों की चिंताओं/हितों को वार्ताओं की रूपरेखाओं में ब्यौरेवार शामिल किया जाना चाहिए। भारत यह सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय, सर्वपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्तरों पर पूर्ण प्रयत्न करेगा कि इन वार्ताओं के अंतिम निष्कर्ष में विकासशील देशों की चिंताएं/हित पूरी तरह दर्शाए जाएं।

भारत-जापान व्यापार सहयोग

6874. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति की 31वीं संयुक्त बैठक बंगलौर में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापानी कंपनियां बंगलौर तथा देश के कुछ अन्य प्रमुख शहरों में निवेश करने के लिए बहुत उत्सुक हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या 2002-2003 के दौरान भारत-जापान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त समिति ने भारत-जापान द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में वांछित गति लाने के उद्देश्य से निवेश एवं व्यापार आधारभूत सुविधाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने पर विचार किया था।

(ग) से (ङ) भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2003 के दौरान जापान से प्राप्त निम्नलिखित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया:

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदनों की संख्या वित्तीय	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश राशि (करोड़ रुपए में)
1.	गुजरात	5	5.18
2.	हरियाणा	7	26.98
3.	कर्नाटक	13	464.63
4.	मध्य प्रदेश	1	36.14
5.	महाराष्ट्र	12	7.49
6.	तमिलनाडु	7	10.08
7.	उत्तर प्रदेश	6	0.03
8.	दिल्ली	21	12.68
9.	अन्य	5	0.10

मूल्य स्थिरता कोष

6875. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 500 करोड़ रुपए मूल्य का स्थिरीकरण कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में शामिल किए जाने वाले रबड़ उत्पादकों, काफी उत्पादकों, चाय उत्पादकों तथा तंबाकू उत्पादकों की कुल संख्या क्या है;

(घ) इसमें से प्रत्येक श्रेणी को अभी तक कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(ङ) उन्होंने किस सीमा तक इस राशि का उपयोग किया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी, हां। चाय, काफी, रबड़ एवं तंबाकू के उपजकर्ताओं के लाभार्थ 500 करोड़ रुपए की मूल राशि से एक कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना की गई है। शुरूआत में इस योजना से इन वस्तुओं के लगभग 3.42 लाख ऐसे उपजकर्ता लाभान्वित होंगे जो 4 हैक्टेयर तक की प्रचालन जोत वालों में सबसे अधिक जरूरतमंद होंगे।

(घ) और (ङ) वस्तु-वार उपलब्ध कराई गई तथा उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे स्कीम के कम से कम एक वर्ष अथवा अधिक समय तक प्रचालित रहने के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे।

भारतीय खाद्य निगम के लिए सतर्कता तंत्र

6876. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्नों के भंडार की चोरी और दुर्विनियोजन को रोकने हेतु कोई सतर्कता तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन के पास कितने सतर्कता मामले लम्बित हैं और दिसम्बर, 2002 तक कितने ऐसे मामले जोड़े गए;

(घ) प्रत्येक मामले में जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या खाद्य भंडारों की छिटपुट चोरी/चोरी को समाप्त करने हेतु भारतीय खाद्य निगम अपने "वाच एंड वार्ड" स्टाफ के स्थापन पर सी.आर.पी.एफ. तथा सी.आई.एस.एफ. के अर्धसैनिक बलों को तैनात करेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) जी, हां।

(ख) उठाईगीरि/चोरी/दुर्विनियोजन को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं का सुरक्षा निरीक्षण/औचक जांच की जाती है। भारतीय खाद्य निगम के सुरक्षा कार्मिक तथा होमगार्ड/विशेष पुलिस अधिकारी जैसी अन्य एजेंसियां स्टाक की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है।

(ग) और (घ) एक अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन के पास 1568 सतर्कता मामले लंबित थे और दिसम्बर, 2002 तक इनमें 2296 और मामले जुड़ गये थे। तथापि, 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार अप्रैल, 2002 तक की अवधि के दौरान 2098 मामलों का निपटान करने के बाद भारतीय खाद्य निगम में विभिन्न अवस्थाओं में केवल 1766 सतर्कता मामले लंबित थे।

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य निगम के गादामों में खाद्यान्नों की उठाईगिरी/चोरी को रोकने के लिए नियमित निगरानी कर्मचारी तैनात किए जाते हैं तथा जहां कहीं कर्मचारियों की कमी होती है वहां राज्य/पुलिस प्राधिकारियों से विशेष पुलिस अधिकारी/होमगार्ड तैनात करके वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाती है। भारतीय खाद्य निगम के कुछ संवेदनशील डिपुओं/गोदामों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम के निगरानी कार्मिकों के स्थान पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया शुल्क

6877. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान सर्वाधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर देने वाली सरकारी क्षेत्र की प्रथम पांच कंपनियां कौन सी हैं;

(ख) वित्त वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 के दौरान सबसे अधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर देने वाली निजी क्षेत्र की प्रथम पांच कंपनियां कौन सी हैं; और

(ग) उपर्युक्त वित्त वर्ष के दौरान एच.पी.सी.एल. तथा बी.पी.सी.एल. द्वारा कितना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिया गया?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अधिकतम राशि का भुगतान करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम पांच कम्पनियों के नाम हैं: (1) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (3) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (4) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम तथा (5) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र की उन प्रथम पांच कंपनियों के नाम, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान आयकर की अधिकतम राशि का भुगतान किया है, निम्नानुसार है-

क्र.सं.	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
1.	तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम	तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम	तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम
2.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	इंडियन आयल कारपोरेशन	इंडियन आयल कारपोरेशन

1	2	3	4
3.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.	भारत पेट्रोलियम लिमिटेड	भारत पेट्रोलियम लिमिटेड
4.	जीवन बीमा निगम	भारत संचार निगम	जीवन बीमा निगम
5.	विदेश संचार निगम	भारतीय स्टेट बैंक	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.

(ख) निजी क्षेत्र की उन पांच कम्पनियों के नाम जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2002-03 तक के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर की अधिकतम राशि का भुगतान किया है, निम्नानुसार हैं:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

क्र.सं.	2000-01	2001-02	2002-03
1.	आई.टी.सी. लि.	आई.टी.सी. लि.	आई.टी.सी. लि.
2.	रिलायन्स पैट्रोलियम लि.	रिलायन्स पैट्रोलियम लि.	रिलायन्स पैट्रोलियम लि.
3.	गोडाफ्रे फिलिप्स (इंडिया)	हुंडई मोटर्स इंडिया लि.	मारुति उद्योग लि.
4.	टिस्को	टेल्को	टेल्को
5.	टेल्को	टिस्को	टिस्को

आयकर

क्र.सं.	2000-01	2001-02	2002-03
1.	आई.टी.सी.लि.	सिटी बैंक एन.ए.	आई.टी.सी.लि.
2.	हिन्दुस्तान लीवर लि.	आई.टी.सी. लि.	हिन्दुस्तान लीवर लि.
3.	सिटी बैंक एन.ए.	हिन्दुस्तान लीवर लि.	हिन्डाल्को लि.
4.	आर्रनिका इंटरनेशनल	हिन्डाल्को लि.	हिन्डाल्को लि.
5.	डयूश बैंक ए.जी.	हीरो होन्डा मोटर्स	बी.जी. एक्सप्लोरेशन (एनरान)

(ग) ऊपर उल्लिखित वित्तीय वर्षों के दौरान एच.पी.सी.एल. तथा बी.पी.सी.एल. द्वारा अदा किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निम्नानुसार है:

क्र.सं.		2000-01	2001-02	2002-03
1.	एच.पी.सी.एल.	5541	5892	6297
2.	बी.पी.सी.एल.	4511	4901	5007

चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

6878. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के संबंध में निर्णय की अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण या निर्गम) विनियम, 2000 में चीन से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में कोई देश-विशेष संबंधी प्रतिबंधों की व्यवस्था नहीं है। चीन से निवेश संबंधी प्रस्तावों सहित एफआईपीबी को प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर आवश्यक अंतर्मन्त्रालयी परामर्श के बाद प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

खाद्यान्नों का भंडारण और परिवहन

6879. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रति क्विंटल खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण तथा परिवहन पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उपर्युक्त अवधि के दौरान चावल तथा गेहूं के लिए निर्धारित ओवरहेड प्रभारों में वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खाद्यान्नों की वास्तविक लागत की तुलना में खाद्यान्नों के संरक्षण पर भारी राशि खर्च की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भारतीय खाद्य निगम द्वारा उक्त लागत को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खरीद, भंडारण और ढुलाई पर प्रति क्विंटल हुआ व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	खरीद	भंडारण	ढुलाई*
गेहूं			
2000-01 (वास्तविक)	744.13	12.66	59.25
2001-02 (अ.)	742.04	14.29	39.02
2002-03 (सं.अ.)	763.02	16.84	42.40
2003-04 (ब.अ.)	777.94	19.52	48.79
चावल			
2000-01 (वास्तविक)	991.15	12.66	59.82
2001-02 (अ.)	1063.02	14.29	16.36
2002-03 (सं.अ.)	1094.96	16.84	23.68
2003-04 (ब.अ.)	1106.35	19.52	29.88

(*व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2001-02 से ढुलाई लागत पर एक भाग बफर स्टाक रखने की लागत में शामिल किया जा रहा है।)

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान खाद्यान्नों की आर्थिक लागत के एक भाग के रूप में गेहूं और चावल के लिए प्रति क्विंटल प्रशासनिक ऊपरी प्रभारों में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2003-04 के लिए प्रक्षेपण अनुमानों पर आधारित है। प्रशासनिक ऊपरी प्रभारों का विवरण निम्नानुसार है:-

दर प्रति क्विंटल

वर्ष	गेहूं	चावल
2000-01 (वास्तविक)	16.65	16.65
2001-02 (अ.)	15.07	15.07
2002-03 (सं.अ.)	13.80	13.80
2003-04 (ब.अ.)	14.41	14.41

(घ) और (ङ) जी, नहीं। बफर स्टाक के रख-रखाव पर खर्च की गई राशि वास्तविक लागत अर्थात गेहूं और चावल की ऊपर दी गई खरीद लागत की तुलना में कम है। खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखने पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	स्टाक रखने की लागत (रुपये/क्विंटल)
2000-01 (वास्तविक)	173.23
2001-02 (अ.)	222.05
2002-03 (सं.अ.)	284.28
2003-04 (ब.अ.)	339.31

(च) उक्त लागत को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार है:

(1) भंडारण लागत कम करने के लिए 75 प्रतिशत औसत क्षमता का उपयोग प्राप्त करना।

(2) खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और संचलन में होने वाली कमियों के संबंध में हानियों को कम करने का प्रयास करना।

(3) रेलवे डिमरेज प्रभारों को कम करने का प्रयास करना।

(4) परिणामी प्रवेश स्तर के पदों पर न्यूनतम भर्ती करके प्रशासनिक लागत को नियंत्रित करना।

(5) पुराने स्टाक का निर्गम और सी. एंड डी. श्रेणी स्टाक का निपटान करना।

(6) भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए बोरियों की मशीन से सिलाई करना और खाद्यान्नों की हैंडलिंग 50 किलोग्राम की बोरियों में करना।

(7) कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित करना।

(8) खाद्यान्नों की हानियों को कम करने का प्रयास करना।

मुक्त व्यापार संधि

6880. श्री सुबोध मोहिते:
श्री ब्रह्मानन्द:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने किन देशों के साथ मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) इन समझौतों पर इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या सरकार का किसी अन्य देश के साथ मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ङ) मुक्त व्यापार नीति से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत और श्रीलंका के बीच दिनांक 28 दिसम्बर 1998 को नई दिल्ली में एक मुक्त व्यापार करार (एफ टी ए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एफ टी ए को दिनांक 1 मार्च 2000 को सीमाशुल्क अधिसूचना जारी कर के लागू कर दिया गया है।

(ख) भारत और श्रीलंका के बीच एफ टी ए लागू होने के पश्चात् द्विपक्षीय व्यापार कारोबार में हुई वृद्धि इस प्रकार है:

मूल्य लाख रुपए

क्र.सं.	वर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	भारत का श्रीलंका के साथ कुल व्यापार	235,514.76	313,006.87	333,018.83
2.	%वृद्धि	17.90	32.90	6.30

स्रोत: डीजीसीआईएंड एस कोलकाता

(ग) और (घ) थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार संधि के संबंध में एक करार के ढांचे को अंतिम रूप देने और सिंगापुर के साथ एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग करार के लिए वार्ताएं शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। व्यापक आर्थिक सहयोग से संबंधित करार के ढांचे को अंतिम रूप देने का निर्णय भी लिया गया है जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के साथ माल, सेवाओं और निवेशों में मुक्त व्यापार शामिल होगा। आसियान के सदस्य देश ब्रुनेई, दारूसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, द लाओ पोपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम हैं। अंततः मुक्त व्यापार करार करने के लिए मर्कोसुर (ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरूग्वे) के साथ किए जाने वाले करार के ढांचे को अंतिम रूप देने का भी निर्णय लिया गया है।

(ङ) ऐसे मुक्त व्यापार करारों से टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप बेहतर बाजार पहुंच सुलभ करा कर देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के प्रवाहों में वृद्धि होने की उम्मीद है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

6881. श्री ए. नरेन्द्र:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न उपभोक्ता संगठनों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग गठित करने के सुझाव पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान एक प्रेस रिपोर्ट की ओर आकर्षित कराया गया है जिसमें यह कहा गया है कि उपभोक्ता उत्पादों के विभिन्न विनिर्माता पैक पर कंपनी का नाम और इसके पते का उल्लेख नहीं कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) सभी पैकशुदा वस्तुओं पर विनिर्माता के नाम और पते की घोषणा करना बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों के तहत एक अनिवार्य अपेक्षा है। इस अपेक्षा का अनुपालन न किए जाने पर दाण्डिक उपबंधों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नियमों के उपबंधों को लागू करना राज्य प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है। जब भी उल्लंघन का पता चलता है, राज्य प्राधिकारियों द्वारा कानून के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सरकार के ध्यान में उपभोक्ता उत्पादों के किसी भी विनिर्माता द्वारा अपने पैक पर कम्पनी का नाम और पता न दिए जाने का कोई मामला नहीं लाया गया है।

ऋण वसूली अधिकरण के अधिकारियों के लिए भर्ती नियम

6882. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी ऋण वसूली अधिकरणों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमों को प्रकाशित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के स्थायी तौर पर आवेदन हेतु कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो समूह 'क' के कितने अधिकारियों ने अभी तक स्थायी तौर पर आवेदन हेतु विकल्प दिया है और जिनके आवेदन उनके मंत्रालय में लम्बित हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) ऋण वसूली अधिकरणों में समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों (सहायक रजिस्ट्रार एवं लेखा सहायक के पद को छोड़कर) से संबंधित ग्रेडों के भर्ती नियमों में नियमन/समावेश का प्रावधान है।

(ग) से (छ) डी आर टी में समूह 'क' अधिकारियों के नियमन/समावेशन के लिए सात आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक मामले में मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है। पात्र अधिकारियों के आवेदन/अभ्यावेदन विभागीय पदोन्नति समिति की शीघ्र होने वाली आगामी बैठक में भर्ती नियमों में यथानिर्धारित उनकी अर्हता एवं अनुभव पर आधारित उनकी उपयुक्तता के संबंध में निर्णय लेने के लिए पेश किए जाएंगे।

अन्य पिछड़े वर्गों की राजपत्रित नौकरियों के लिए आरक्षण नीति

6883. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जहां तक राजपत्रित नौकरियों अथवा श्रेणी-एक और श्रेणी-दो में रोजगार का संबंध है उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी विभागों, स्वायत्तर संस्थाओं, संबद्ध कार्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियां प्रदान करने हेतु आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो संस्थावार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने पदों को अभी तक नहीं भरा गया है और अ.पि.व. के लोगों के लिए नियत कुछ आरक्षित पदों (सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों) में श्रेणी 'एक' तथा श्रेणी 'दो' को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा तत्काल ऐसे रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

सेबी द्वारा डाटाबेस सिस्टम

6884. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टाक एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया की योजना नेशनल शेयर डिपोजिटरी लिमिटेड की मदद से अपने डाटाबेस का विस्तार करने की है;

(ख) यदि हां, तो इस डाटाबेस का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सेबी द्वारा इस डाटाबेस को सार्वजनिक किया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी सूचना को गोपनीय रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सेबी द्वारा ऐसे मामलों में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अफीम की खेती

6885. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** अफीम की खेती के बारे में 13.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3910 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया जहां कि इन राज्यों में पिछले एक वर्ष के दौरान अफीम की अवैध खेती नष्ट की गयी थी; और

(ख) क्या अफीम की अवैध खेती रोकने हेतु इन राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् ठोस कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[हिन्दी]

झारखंड के उद्यमियों को आई.डी.बी.आई. की सहायता

6886. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) को झारखंड के उद्यमियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत आवेदनों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आई.डी.बी.आई. द्वारा राज्य के उद्यमियों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का वर्षवार और ईकाई-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) आई डी बी आई द्वारा झारखंड राज्य के उद्यमियों से 2000-2001 से 2002-2003 तक प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
2000-2001	3	2
2001-2002	4	3
2002-2003	0	0

(ग) 2000-01 से 2002-03 तक आई डी बी आई द्वारा झारखंड राज्य की औद्योगिक इकाइयों को संवितरित सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपयें करोड़ में)

वर्ष	इकाइयों की संख्या	संवितरित राशि
2000-2001	7	34
2001-2002	4	6.2
2002-2003	1	6.5

बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति रिवाजों तथा वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबंधों के अनुसार और साथ ही लोक वित्तीय संस्थाएं (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के तहत लोक वित्तीय संस्थाओं के अलग-अलग संघटकों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं जा सकती।

(घ) अलग-अलग राज्यों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि अवस्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी पात्र और व्यवहार्य परियोजनाओं को सहायता स्वीकृत की जाती है।

[अनुवाद]

मिस्र को गेहूं का निर्यात

6887. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिस्र भारत से गेहूं आयात करने हेतु हाल ही में सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिस्र को गेहूं कब तक निर्यात किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) और (ख) भारत-मिस्र संयुक्त कार्य दल की बैठक के दौरान मिस्र के प्रतिनिधि मंडल ने यह सूचित किया था कि कुछ प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते हुए भारतीय गेहूं का आयात किया जा सकता है।

(ग) कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

कोल्ड ड्रिंक उत्पादकों द्वारा एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन

6888. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कोल्ड ड्रिंक उत्पाद एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का व्यापक स्तर पर उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में साफ्ट ड्रिंक मैटेरियल्स के उन उत्पादकों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का उल्लंघन करने हेतु शिकायतें दर्ज हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) वर्ष 2000 से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने साफ्ट ड्रिंक उत्पादकों के विरुद्ध व अनुचित व्यापार प्रथा के आरोपों के लिए सात जांचें संस्थित की हैं। इन जाचों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	जांच सं./वर्ष	प्रतिवादी सहित जांच का शीर्षक	अभ्युक्तियां, यदि कोई हो
1.	यू टी पी ई. 26/2000	डा. के हरिबाबू सदस्य विधान सभा, आन्ध्र प्रदेश बनाम मल्टीनेशनल साफ्ट ड्रिंक कंपनी (शिकायत आम थी और किसी विशेष कंपनी के विरुद्ध नहीं थी)	माननीय आयोग ने 28.3.2001 को मामला बंद कर दिया क्योंकि अनुचित व्यापार प्रथा का कोई मामला नहीं निकला
2.	यू टी पी ई. 57/2000	महानिदेशक (आई एंड आर) बनाम कैम्पा बेवरीज प्रा. लि., न. दिल्ली	सुनवाई की अगली तारीख 29.07.2003
3.	आर टी पी ई. 49/2000	महानिदेशक (आई एंड आर) बनाम पेप्सी फूड लि. संगरूर पंजाब एंड जय ड्रिंक्स प्रा. लि. जयपुर, राजस्थान।	सुनवाई की अगली तारीख 22.07.2003
4.	आर टी पी ई. 1/2001	पूणा बाटलिंग, मुम्बई, महाराष्ट्र बनाम हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरीज प्रा. लि. नई दिल्ली कोका कोला कं. जिओरजिया, यू एस ए एंड कोका कोला इंडिया लि. गुडगांव, हरियाणा।	31.07.2001 को वापस लिया गया।
5.	आर टी पी ई. 60/2001	कान्ति बेवरीज प्रा. लि. व अन्य, मुम्बई, महाराष्ट्र बनाम कोका कोला क., जिओरजिया, यू एस ए कोका कोला इंडिया लि., गुडगांव, हरियाणा व हिन्दुस्तान कोका कोला बाटलिंग, गुडगांव, हरियाणा।	सुनवाई की अगली तारीख 21.08.2003
6.	आर टी पी ई. 61/2001	एक्वा मिनरल्स लि., मुम्बई, महाराष्ट्र। बनाम हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरीज प्रा. लि., नई दिल्ली कोका कोला क. जिओरजिया, यूएसए एंड क्रिस्टल स्प्रिंगस प्रा. लि. कोलकाता, पं. बंगाल।	न रखे जाने योग्य के कारण 25.7.2001 को निपटान किया गया।
7.	यू टी पी ई. 10/2003	पी के रस्तोगी। बनाम पैप्सी फूड्स प्रा. लि. एवं अन्य।	सुनवाई की अगली तारीख 26.08.2003

[अनुवाद]

आई.एस.आई. मार्क का दुरुपयोग

6889. श्री पी.एस. गढवी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अनेक मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या ऐसे मामलों में अनेक सरकारी कर्मी भी शामिल थे; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे सरकारी कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आई.एस.आई. चिह्न के दुरुपयोग के 102 मामलों का पता लगाया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (5 मई, 2003 तक)
आई.एस.आई. चिह्न के दुरुपयोग के पता लगाए गए मामलों की संख्या	35	33	34

(ग) आई.एस.आई. चिह्न का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों/फर्मों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (5 मई, 2003 तक)
चलाए गए मुकदमें	22	18	3
न्यायालय में निर्णीत मामले (पूर्व वर्ष में दायर किए गए मामले भी शामिल हैं।)	5	6*	5

*दो मामले में अपराधी को बरी किया गया।

(घ) और (ङ) ऊपर बताए गए चार मामलों में यह आरोप लगाया गया था कि भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा उचित जांच नहीं की गई। इन मामलों की जांच भारतीय मानक ब्यूरो के सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है।

बोस्निया के साथ समझौता

6890. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बोस्निया विभिन्न व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने हेतु सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बोस्निया के अनेक शिष्टमंडलों ने मार्च, 2003 के दौरान भारत का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित मुख्य समझौते कौन-कौन से हैं; और

(घ) इससे दोनों देशों के बीच किस हद तक व्यापार संबंध बढ़ेंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी हां। भारत सरकार ने बोसनिया और हर्जेगोविना के साथ दोनों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के संवर्धन के लिए अप्रैल, 2002 में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार बोसनिया एवं हर्जेगोविना की सरकार के साथ अन्य करारों जैसे दोहरे कराधान को रोकने वाले करार, द्विपक्षीय संवर्धन एवं संरक्षण करार आदि पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं का भी अध्ययन कर रही है।

(ख) मार्च, 2003 के महीने के दौरान बोसनिया एवं हर्जेगोविना से किसी शिष्टमंडल के भारत का दौरान नहीं किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक बार करार को अंतिम रूप दिए जाने तथा इस पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की उत्तम संभावना होगी।

जीवन बीमा निगम के पालिसी पत्रों का खोना

6891. श्री ए. ज्ञानदेसिकन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम का पालिसी-पत्र खो चुके लोगों को अपनी पालिसी की प्रतिलिपि (डुप्लीकेट कापी) प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम द्वारा ऐसे मामलों को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि पालिसी की दूसरी प्रति (डुप्लीकेट पालिसी) जारी करने के लिए उनकी एक नियत विधिक कार्य प्रणाली है। पालिसीधारक को एक क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करना पड़ता है तथा सुदृढ़ वित्तीय हैसियत वाले व्यक्ति की एक निष्पक्ष जमानत देनी होती है। इसके साथ ही पालिसी-दस्तावेज के गुम हो जाने, निगम पालिसी संबंधी धनराशि, यदि कोई दावा उत्पन्न होता है, की अदायगी के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता।

मूलभूत परियोजनाओं हेतु प्राथमिकता के आधार पर निधियां

6892. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "एसोचैम" ने सरकार को सलाह दी है कि मूलभूत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर और कम ब्याज दर पर निधियां मुहैय्या करायी जानी चाहिए;

(ख) क्या "एसोचैम" ने एकल खिड़की प्रणाली लागू करने की भी सलाह दी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या रुख है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) "एसोचैम" द्वारा 15 जनवरी, 2003 को आयोजित की गई एक बैंकर्स-बोरोअर्स मीट में, बैंकों द्वारा निधियां मुहैया कराने के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए थे। इनमें एक सुझाव यह भी था कि एक एकल खिड़की प्रणाली के जरिए ढांचागत और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए सभी वित्तीय एवं सेवा पैकेज उपलब्ध कराकर बैंकों के दृष्टिकोण में बदलाव लाया जाए। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दर तथा निधियां उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया था। "एसोचैम" ने सूचना दी है कि उन्होंने इन मुद्दों पर सरकार को कोई अभ्यावेदन (रिप्रजेन्टेशन) नहीं दिया है।

कपास का आयात

6893. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय कपास निगम (काटन कारपोरेशन आफ इंडिया) को वर्ष 2002-2003 के सीजन के दौरान कपास की 2 लाख गांठों का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो कपास का आयात करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन अपने पहले और दूसरे चरण में अच्छी प्रगति कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में करीब 250 लाख गांठों की अनुमानित मांग को क्षेत्रफल और उपज दोनों में वृद्धि के माध्यम से पूरा किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] (क) सरकार ने मिलों की ओर से मांग सूची के आधार पर कपास का आयात करने के लिए भारतीय कपास निगम (सी सी आई) को अनुमति दी है। सी सी आई 'बैक टू बैक' आधार पर मिलों की विशिष्ट मांग पर आयात करेगी और किसी सूची अथवा बफर स्टाक रखने के लिए स्वयं आयात नहीं करेगी।

(ख) प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वांछित गुणवत्ता मानदंडों वाले कच्चे माल की खरीद करने के लिए ऐसे प्रयोक्ता मिलों, जो स्वयं के बल पर आयात करने की स्थिति में नहीं हैं, को सक्षम बनाना। सीसीआई द्वारा आदेशों का ढेर लगाने से मितव्ययिता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर मूल्य सुनिश्चित होता है।

(ग) जी हां।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु वस्त्र और पटसन उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कपास की 215 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.) की खपत का प्रक्षेपण किया है। कपास कृषि के अंतर्गत प्रक्षेपित क्षेत्र 94.2 लाख हेक्टेयर और उपज 388 कि.ग्रा लिंट प्रति हेक्टैयर है।

(ङ) कपास प्रौद्योगिकी मिशन का क्रियान्वयन 13 कपास उत्पादक राज्यों में किया जा रहा है जिसका उद्देश्य कपास का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है। मिशन का लघु मिशन 2 का प्राथमिक रूप से ध्यान, किसानों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाना, एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन, नई किस्मों आदि को लोकप्रिय बनाने पर केन्द्रित है। उत्पादकों के उत्पादन, बुनियादी और प्रमाणित बीजों, प्रमाणित बीजों का वितरण, डिलिंटिग मशीनों की स्थापना, संयंत्र उपकरणों की स्थापना हेतु सहायता दी जाती है।

राजकोषीय घाटा

6894. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 1 जुलाई और 1 जनवरी को राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में क्या रहा;

(ख) इसे नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या उद्योग विकास की दर और राजस्व वसूली में अद्योगामी रूझान देखने को मिला है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों हेतु तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (एफडी) इस प्रकार था:

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा

	2000-01	2001-02	2002-03
1 जुलाई की स्थिति के अनुसार	1.2	1.8	1.6
1 जनवरी की स्थिति के अनुसार	3.1	3.9	3.5

(ख) उपरोक्त सभी वर्षों के केन्द्रीय बजटों में राजकोषीय समकेन की जरूरत हो समझा गया और राजस्व बढ़ाने और व्यय को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपाय प्रस्तावित किए गए। सरकार सामान्य कर दरों की नीति, एक व्यापक कर आधार और अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया अपनाती रही है ताकि करों का अपेक्षाकृत अधिक अनुपालन, कर-स.घ.अ. अनुपात में सुधार हो सके और राजकोषीय घाटे को प्रबंधकीय सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित किया जा सके। वर्ष 2003-04 के केन्द्रीय बजट में कई पहलों का भी प्रस्ताव किया गया है जिनमें अन्यों के साथ-साथ, कर तंत्र का यौक्तिकीकरण, बेहतर नगद प्रबंधन और उच्च लागत वाले विदेशी और आन्तरिक ऋणों का पूर्व-भुगतान शामिल है। आशा है कि इन उपायों से जीडीपी के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2002-03 (सं.अ.) के दौरान 5.9 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2003-04 (ब.अ.) के दौरान 5.6 प्रतिशत हो जाएगा।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमानों के अनुसार गत तीन वर्षों के संबंध में उपादान लागत और चालू मूल्यों पर उद्योग की संवृद्धि दरों और केन्द्र के सकल कर राजस्व की वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं:

पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अन्तर

		2000-01	2001-02	2002-03
(1)	उद्योग में वृद्धि (उपादान लागत और चालू मूल्यों पर)	11.9	6.2	8.8
(2)	केन्द्र के सकल कर राजस्व की वृद्धि।	9.8	-0.8	18.6*

*संशोधित अनुमान के अनुसार।

आंतरिक व्यापार नीति

6895. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार नीति को तैयार करने के लिए ऐसोचैम द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सरकार को आंतरिक व्यापार नीति के संबंध में ऐसोचैम से प्राप्त किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न की उपलब्धता

6896. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति, प्रति दिन, प्रति माह कितनी मात्रा उपलब्ध रही है;

(ख) क्या प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा देश में खाद्य की प्रति व्यक्ति आवश्यकता से काफी कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति, प्रति दिन/प्रति मास उपलब्धता निम्नानुसार थी:

(आंकड़े किलोग्राम में)

वर्ष	खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति, प्रति दिन उपलब्धता	खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति, प्रति मास उपलब्धता
2000	0.454	13.632
2001	0.423	12.675
2002 (अ.)	0.497	14.916

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को घटिया गुणवत्ता वाले चावल/गेहूं की आपूर्ति

6897. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा कुछ राज्यों को की गई घटिया गुणवत्ता वाले चावल और गेहूं की आपूर्ति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान तथा इस वर्ष आज तक कितनी शिकायतें मिली हैं और शिकायत करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, मानकों के अनुरूप उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी।

2000-2001 के दौरान खराब गुणवत्ता के खाद्यान्नों, विशेष रूप से ढील दी गई विनिर्दिष्टयों के अधीन वसूल किए गए चावल की गुणवत्ता के बारे में अरूणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, सिक्किम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई थी। उपभोक्ताओं की अनिच्छा को देखते हुए 1997-98 खरीफ विपणन मौसम के ढील दी गई विनिर्दिष्टयों के चावल की आपूर्ति रोक दी गई थी।

2001-2002 के दौरान चमकहीन गेहूं की आपूर्ति करने के बारे में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई थी जबकि गोवा और केरल की सरकारों ने खराब गुणवत्ता के चावल के स्टाक के बारे में शिकायत की थी। राज्य सरकारों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ऊपरी दिखावट को छोड़कर चमकहीन गेहूं उतना ही अच्छा है जितना ठोस गेहूं है और ऐसा विशेषरूप से पौषणिक मात्रा के रूप में है। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए थे कि गोवा और केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केवल अच्छी गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति की जाए।

2002-03 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चमकहीन गेहूं की खराब गुणवत्ता जारी करने के बारे में राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों से शिकायत प्राप्त हुई थी और कर्नाटक तथा केरल की सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अधीन खराब गुणवता का चावल जारी करने के बारे में शिकायत की थी। उपभोक्ताओं की अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए चमकहीन गेहूं की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। भारतीय खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए थे कि कर्नाटक और केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केवल अच्छी गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति की जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब गुणवत्ता के चावल और गेहूं की आपूर्ति किए जाने के बारे में इस वर्ष के दौरान किसी भी राज्य से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य सरकारें भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्नों का उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों के स्टाक का निरीक्षण करने और उसकी गुणवत्ता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। राज्य सरकारों को यह अनुदेश भी दिए गए हैं कि स्टाक की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करें जिसका रैंक निरीक्षक के पद से कम न हो।

एस.बी.आई. द्वारा आई.एफ.सी.आई. को अपने अधिकार में लेना

6898. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय स्टेट बैंक इस वित्तीय संस्था को अपने अधिकार में लेने के लिए सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलोजी

6899. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलोजी (एन.आई.एफ.टी.) के केन्द्रों की राज्यवार संख्या क्या है और ये केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में ऐसे और अधिक केन्द्रों स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] (क) निफ्ट द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर प्रत्येक में एक केंद्र की स्थापना की गई है:

अवस्थिति	राज्य
नई दिल्ली	दिल्ली
मुंबई	महाराष्ट्र
कोलकाता	पश्चिम बंगाल
चेन्नई	तमिलनाडु
गांधी नगर	गुजरात
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
बैंगलूर	कर्नाटक

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओं की बिक्री

6900. श्री रामदास आठवले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुछ और वस्तुओं तथा कुछ गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओं (नान-पी.डी.एस. आइटम्स) को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह शिकायत की है कि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत न तो पूरा कोटा मिल रहा है और न ही अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित की जा रही वस्तुओं की मौजूदा सूची में कोई नई वस्तु शामिल नहीं की गई है। तथापि, राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे उचित दर दुकानों के माध्यम से बिक्री करने के लिए साबुत नमक, चाय, नहाने का साबुन, दाल, अभ्यास पुस्तिकाएं आदि जैसी दैनिक उपयोग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर की वस्तुएं शामिल करके इन दुकानों से बेची जाने वाली वस्तुओं की सूची को बढ़ाएं ताकि इन्हें उपभोक्ताओं को तुरन्त उपलब्ध कराया जा सके और दुकान की व्यवहार्यता में सुधार किया जा सके।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सभी श्रेणियों के लिए सभी राज्यों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। योजना आयोग के गरीबी अनुमानों और 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या निर्धारित की गयी है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन का आधार बिना किसी अपवाद के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक-समान रूप से लागू किया गया है और

किसी एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष के लिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अत: राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए/राशन कार्ड जारी किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वास्तविक संख्या जो योजना आयोग से भिन्न है के आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर आबंटन में परिवर्तन करने के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम के लिए यह अपेक्षित होता है कि यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरित करने के लिए राज्यों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानकों के अनुरूप खाद्यान्नों की आपूर्ति करे। राज्य सरकारें भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्नों का उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों के स्टाक का निरीक्षण करने और उसकी गुणवत्ता के बारे में स्वयं संतुष्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सरकारों को यह अनुदेश भी दिए गए हैं कि स्टाक की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करें जिसका रैंक निरीक्षक के पद से कम न हो।

[अनुवाद]

एयरबस की खरीद हेतु चीनी का निर्यात

6901. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयर बस की खरीद हेतु भारतीय चीनी के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ वस्तु विनिमय व्यापार प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) क्या भारत ने इस तरह के वस्तु विनिमय सौदों को पहले भी मलेशिया के साथ किया है। जिसके अंतर्गत मलेशिया में रेल नेटवर्क निर्माण के ठेके को प्राप्त करने के लिए मलेशिया से पामआयल का आयात किया गया;

(ग) क्या पूर्णत: व्यापारिक उद्देश्य के बजाए ऐसे कदमों से भारत की तकनीकी सर्वोच्चता और ऐसी वस्तुओं की संचालनात्मक किफायत संबंधी हित संकट में पड़ जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) ई यू देशों को चीनी के निर्यात के एयर बस वायुयान के आयात के साथ जोड़ने वाले किसी ऐसे विशिष्ट सौदे पर दोनों पक्षों द्वारा कोई सहमति नहीं हुई है।

(ख) मलेशियाई रेलवे द्वारा परियोजना का एक ठेका इरकान को भारत में आयात किए जाने वाले पाम आयल उत्पादों में प्रति व्यापार के आधार पर दिया गया था।

(ग) और (घ) हमारे व्यापारिक भागीदारों के साथ ऐसे वाणिज्यिक सौदों को अंतिम रूप देते समय तकनीकी सक्षमता, प्रचालनात्मक आर्थिक स्थिति और वाणिज्यिक दृष्टिकोण आदि सहित भारतीय हितों को ध्यान में रखा जाता है।

कंपनियों के तुलन-पत्र

6902. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की निष्क्रिय कंपनियों को अपने लेखों और तुलन-पत्रों को कम से कम खर्चों सहित अद्यतन करने की अनुमति देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निष्क्रिय कंपनियों तथा उनके प्रबंधन की भारी जुर्मानों तथा अन्य प्रभारों के दिए बिना तुलन-पत्रों को फाइल करने में सहायता करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) सरकार ने एक सरल निकास योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत निष्क्रिय कंपनियों कंपनियों के रजिस्टर से अपने नाम हटा सकती हैं। योजना में ऐसी कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरल प्रक्रिया अपनाएं और केवल 2000 रु. की एक मुश्त फीस का भुगतान करें।

कुकिंग आयल का आयात

6903. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ऐसे कुकिंग आयल के काकटेल का आयात कर रहा है जिसे व्यापार क्षेत्र में परिष्कृत पामआयल के रूप में जाना जाता है लेकिन वह भारत में कच्चे पामआयाल के रूप में उतरता है जिस पर आयात शुल्क की कम दर लगती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न तो मलेशिया का सीमा शुल्क विभाग और न ही मलेशिया पत्तन में अन्तरराष्ट्रीय सर्वेक्षण आधिकारिक रूप में कच्चे तेल के एक भी टन के निर्यात का लेखा जोखा रखते हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय पत्तनों में बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का लेबल लगा तेल किस तरीके से उत्तर रहा है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उपभोक्ता सहकारिताएं

6904. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.सी.एफ. का राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्मेलन में कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई है;

(ग) क्या देश में उपभोक्ता सहकारिताएं आत्मनिर्भरता की स्वाभाविक कमजोर का सामना कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो देश में उपभोक्ता सहकारिताओं को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड ने देश में चार स्तरीय उपभोक्ता सहकारी ढांचे के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने तथा उदारीकृत अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिदृश्य में उपभोक्ता सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए तौर तरीकों का सुझाव देने हेतु उपभोक्ता सहकारिता पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। यह सम्मेलन फरवरी, 2003 में नई दिल्ली में हुआ था और उसमें उपभोक्ता सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए उठाए जाने वाले अनेक कदमों की सिफारिश की गई। सिफारिशों में व्यापक स्तर के विषय शामिल हैं जिन पर सरकार के विभागों और राज्य सरकारों के बीच और आगे चर्चा करने की आवश्यकता है। इसमें इस देश की सहकारी समितियों के बीच कारोबार की गतिविधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के बीच समन्वय का प्रस्ताव भी रखा गया है।

(ग) और (घ) इन सिफारिशों पर देश में बदले हुए आर्थिक और व्यापारिक परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपभोक्ता सहकारिता को मजबूत बनाने हेतु विशिष्ट कदम उठाने से पूर्व संबंधित संगठनों/विभागों/राज्य सरकारों के बीच चर्चा और विचार किया जाना अपेक्षित है।

मंत्रालय के संशोधित प्राक्कलन

6905. श्री रामजी मांझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मंत्रालयों और विभागों पर बार-बार दबाव डाल रही है कि संशोधित प्राक्कलन वास्तविक स्तरों के काफी निकट हो;

(ख) यदि हां, तो बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन हमेशा ही अवास्तविक साबित हुए हैं जिससे सारी योजना असफल हो जाती है; और

(ग) यदि हां, तो यथार्थ रूप से योजना तैयार करने और अवास्तविक प्राक्कलन हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, संशोधित अनुमानों में केवल वही मदें शामिल की जानी चाहिएं जिनका वर्ष के दौरान भुगतान किए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) आयोजना एवं आयोजना-भिन्न दोनों के संबंध में वास्तविक व्यय-निरपवाद रूप से समग्र संशोधित अनुमानों के अन्तर्गत रहा है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ सरकार को धनराशि देना

6906. श्री विष्णुदेव साय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 में केन्द्रीय सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को योजनावार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) राज्य सरकार द्वारा इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितनी धनराशि व्यपगत की गई और कितनी धनराशि जमा रखी गई है;

(ग) क्या इस धनराशि का जमा किया जाना नियम के अनुकूल है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) राज्यों से अपेक्षित है कि इन निधियों का उपयोग आबंटित प्रयोजन के लिए ही करें। यदि अनुमोदित/संशोधित योजना परिव्यय की तुलना में योजना व्यय में कोई कमी आती है तो राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता से समानुपातिक कटौती की जाती है। राज्य सरकारें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से निधियों के समुचित उपयोग हेतु राज्य विधान मंडल के प्रति जवाबदेह हैं।

विवरण

वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का स्कीमवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	मद	2001-02	2002-03
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	322.35	360.94
2.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	7.17	11.22
3.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अन्य)	113.30	203.33
4.	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	1271.15	1349.91
5.	लघु बचत अग्रिम	316.41	550.74
6.	सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ.	64.51	123.40
7.	गैर-योजना सहायता	48.28	38.54

[अनुवाद]

भारतीय मानक ब्यूरो, अहमदाबाद के अधिकारियों का वेतन

6907. श्री राजेश वर्मा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो, अहमदाबाद के अनेक अधिकारियों को पिछले चार माह से उनका वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और;

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो, अहमदाबाद के अधिकारियों/कर्मचारियों को कब तक शीघ्रातिशीघ्र उनके वेतन का भुगतान किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो के अहमदाबाद स्थित शाखा कार्यालय के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन मिल रहा है। केवल एक अधिकारी का सितम्बर, 2002 से 20 फरवरी, 2003 तक का वेतन कार्य से अवैध रूप से अनुपस्थित रहने के कारण रोका गया है जो अभी तक नियमित नहीं हुआ है।

मापक फीतों के विनिर्माताओं द्वारा अनियमितताएं

6908. श्री अम्बरीश: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब में मापक फीतों के विनिर्माताओं द्वारा की गई घोर अनियमितताओं के बारे में शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुई हैं जो तोल और माप अधिनियम में निर्धारित अनेक नियमों और शर्तों का कठोरता से पालन नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो आपके मंत्रालय और नियत्रक वैद्य माप पद्धति (तोल और माप) पंजाब द्वारा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों/सुझावों का ब्यौरा क्या है और आपके मंत्रालय द्वारा और उपर्युक्त नियंत्रक द्वारा प्रत्येक शिकायत पर अलग-अलग क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उपर्युक्त विनिर्माता मापक फीतों का निर्यात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में निर्यात किए मापक फीतों का ब्यौरा क्या है और दोनों प्रकार के निर्यात के लिए उनके प्रकार और लम्बाई-वार संख्या अलग-अलग क्या है; और

(ङ) देश में उन राज्यों और क्रेताओं का ब्यौरा क्या है जहां और जिन्हें अप्रत्यक्ष निर्यात के मामलों में ही उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसे मापक फीतों का प्रेक्षण किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) पंजाब में मापक फीते के विनिर्माताओं द्वारा अनियमितताएं बरतने के आरोप में हाल ही में मंत्रालय में निम्नलिखित संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं:

संसद सदस्य	तिथि	शिकायत का स्वरूप
श्री रामजी मांझी	30.4.2003	केंद्र सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना
श्री पदमनाव बेहरा	25.4.2003	जिसमें गैर-मानक फीते के निर्माण की अनुमति दी गई है, में अपेक्षित विवरणियों को प्रस्तुत न किया जाना।
श्री राम प्रसाद सिंह	11.4.2003	विनिर्माताओं द्वारा अन्य सरकारी एजेंसियों को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ दी गई विवरणी की पुन: जांच करने की मांग करना।
श्री लक्ष्मण जिलूवा	9.4.2003	
डा. पी.के. पटसानी	8.4.2003	
श्री शीश राम सिंह	11.4.2003	उत्पादन ब्यौरे से संबंधित रजिस्टरों को न रखना।

पंजाब के प्रवर्तन प्राधिकारियों के परामर्श से शिकायतों की जांच की जा रही है। विधिक माप विज्ञान नियंत्रक, पंजाब ने सूचित किया है कि उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक, पंजाब जो राज्य में विनिर्माण लाइसेंस जारी करने के प्राधिकारी हैं, ने बताया है कि विनिर्माता अपने मापक फीतों को सीधे निर्यात करते हैं। क्योंकि निर्यातित फीतों को प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सत्यापित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए उक्त विनिर्माता अपनी आवधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इसलिए गत पांच वर्षों के दौरान निर्यात किए गए फीतों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, विनिर्माताओं को यह निदेश दिया गया है कि अपने विनिर्माण लाइसेंस के नवीकरण के लिए वे अपनी विवरणी प्राधिकारियों को प्रस्तुत करें।

औषधि कम्पनियों द्वारा कम/अधिक मूल्य दर्शाने वाले बीजक

6909. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औषधि कंपनियों के विरुद्ध कुछ कम/अधिक मूल्य दर्शाने वाले बीजक के मामले लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियां कौन सी हैं और ये मामले कब से लम्बित हैं;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। एक करोड़ रुपये से अधिक के अंतर्ग्रस्त शुल्क के ऐसे मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है जो न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं:

कंपनी का नाम	कब से लम्बित
मैसर्स सांई मीरा इनोफार्मा प्राइवेट लि., चेन्नई	जून, 2002
मैसर्स यूनिवर्सल मेडीकेयर लि., ठाणे	अप्रैल, 2002
मैसर्स नोवा केयर प्रा. लि., फाजलपुर	अप्रैल, 2002
मैसर्स पानफार्मा पानेलाव, हालोल	मई , 2002
मैसर्स परामेसिआ लि., हैदराबाद	अक्तूबर, 2002
मैसर्स सांई मीरा फार्मास्यूटिकल्स (प्रा.) लि, चेन्नई	अगस्त, 2002
मैसर्स निकोलास पीरामाल (इं.) लि., पीथमपुर	फरवरी, 2002

(ग) और (घ) चूंकि मामले का सरकार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मध्य निपटान होना बाकी है अत: कुछेक मामले लंबित पड़े हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए किए गए उपायों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ मामले को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास करना और नियमित रूप से मामलों की मानीटरिंग करना शामिल है।

इंटरनेट कनेक्शन

6910. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न पत्तनों पर उन सीमा शुल्क विभागों का ब्यौरा क्या है जो अपनी प्रणाली को डी जी एफ टी और इंटरनेट के साथ नहीं जोड़ते हैं;

(ख) क्या पटपड़गंज, दिल्ली में प्राधिकारी सत्यापन के लिए इंटरनेट के साथ जोड़े सभी मामलों में संयुक्त निदेशक, विदेशी व्यापार, केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र, नई दिल्ली का पुष्टि पत्र जारी करने के लिए कहते हैं;

(ग) सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि सभी मामलों में सत्यापन हेतु कम्प्यूटर के साथ आवश्यक सम्पर्क इंटरनेट में किया जाए; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) देश भर के विभिन्न सीमा शुल्क केन्द्रों में से 23 बड़े सीमा शुल्क केन्द्र, जहां भारतीय सीमा शुल्क ई.डी.आई. प्रणाली (आई.सी.ई.एस.) इस समय काम कर रही है, आइसनेट परियोजना के अंतर्गत आइसनेट के जरिये विदेश व्यापार महानिदेशालय से जुड़े हुए हैं।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशक (डी.जी.एफ.टी.) कार्यालय द्वारा जब कभी कोई लाइसेंस जारी किया जाता है तो उसकी एक संपुष्टि प्रति डाक द्वारा सीमा शुल्क कार्यालय को भेजी जाती है। आई.सी.डी. पटपड़गंज को भी इसी तरह से संपुष्टि प्राप्त होती है। उसके बाद सीमा शुल्क में पंजीकरण के समय सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा पंजीकरण करने से पहले उसकी असलियत तो सत्यापित करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय से सीधे प्राप्त लाइसेंस की प्रति से उसका मिलाप किया जाता है। यह प्रक्रिया नकली लाइसेंस से पंजीकृत होने से रोकने के लिए प्रचलित है। तथापि, कुछ मामलों में, जब डाक सेवा में देरी या किसी अन्य जगह से संपुष्टि प्रति प्राप्त नहीं होने पर सीमा शुल्क अधिकारी डी.जी.एफ.टी. के कार्यालय के साथ पत्राचार करके संपुष्टि मांगते हैं। संपुष्टि शीघ्र हासिल करने हेतु समुचित ध्यान दिया जाता है।

जहां तक डी.जी.एफ.टी. के वेबसाइट से इंटरनेट के जरिये संपुष्टि को सत्यापित करने का संबंध है, आई.सी.डी. पटपड़गंज के पास अभी तक इसके लिए आवश्यक संपर्क व्यवस्था नहीं है। जल्द ही नए कम्प्यूटर इंस्टाल किए जाने वाले हैं। उसके बाद इंटरनेट के जरिए आललाइन सत्यापन कर पाना संभव हो सकेगा।

(ग) सीमा शुल्क भवनों द्वारा डेडिकेटेड लीज्ड लाइन नेटवर्क के जरिए सत्यापन किया जाता है, जो कि एक सुरक्षित नेटवर्क है। तथापि, व्यक्तिगत लाइसेंसधारी इंटरनेट के जरिये आइसनेट के जरिये आइसनेट वेबसाइट नामत: डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.डाट आइसनेट डाट डाट इन पर पहुंच कर अपने लाइसेंस डाटा की स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं।

(घ) नेटवर्क तथा किसी अवधिकृत पहुंच की कोशिशों से निपटने के लिए आइसनेट फायरवास और इंटुजन डिटेक्शन सिस्टम जैसे सुरक्षा उत्पाद इंस्टाल किए गए हैं। इसलिए सत्यापन केवल डेडिकेटेड लीज्ड लाइनों के द्वारा ही किया जाता रहेगा।

एन.सी.सी.एफ. द्वारा फ्रैंचाइज शोरूम की निगरानी

6911. श्री रघुनाथ झा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** 19.7.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 907 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.सी.एफ. फ्रैंचाइज शोरूम का पर्यवेक्षण और निगरानी उन शोरूमों में तैनात अपने कर्मचारियों से नहीं करा रही है बल्कि उनका पर्यवेक्षण और निगरानी केवल आंशिक रूप में की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार एन.सी.सी.एफ. के कार्यक्रम को सुचारु बनाने और उनके विक्रेताओं के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड एक बहुराज्य सहकारी समिति है और अपने कारोबार तथा अन्य प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने के लिए इसका अपना निदेशक मंडल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि अपने रजिस्टर्ड सप्लायरों के साथ व्यावसायिक सहयोग के तहत स्थापित शोरूम की निगरानी और पर्यवेक्षण राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

घटिया टेप के आयात की अनुमति

6912. श्री एस. मुरूगेसन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दिनांक 30 मई, 2001 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 481 (ई) असाधारण भाग II, खंड 3-उपखंड (ii) के द्वारा कुछ आयातकों को घटिया टेप मापकों का पुन: निर्यात करने के लिए उनके आयात की अनुमति प्रदान की गयी;

(ख) यदि हां तो ऐसे आयातकों, उनके आयात का ब्यौरा क्या है और प्रवेश संख्या के बिल और तिथि आयात के पत्तन और सीमा शुल्क क्लीयरैन्स के स्थान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आयातकों ने उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित शर्त संख्या 4 का समय पर कठोरतापूर्वक पालन किया है;

(घ) यदि हां, तो पुन: निर्यात के लिए की वचनबद्धता पर अनुमति प्रदान किये गये ऐसे आयातों के विरुद्ध उनके द्वारा किये गये पुन: निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा ऐसे आयातकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) ऐसे आयातकों द्वारा कितना वार्षिक सत्यापन और स्टाम्प शुल्क जमा कराया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) इस संबंध में जारी की गई 30 मई, 2001 की गजट अधिसूचना संख्या 481 (अ) की प्रति एक विवरण के रूप में संलग्न है। अन्य अपेक्षित जानकारी पंजाब में प्रवर्तन प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग-II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 357] नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2001/ज्येष्ठ 9, 1923

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मई, 2001

का.आ. 481 (अ)—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक (साधारण) नियम, 1987 के नियम 18, 19 और 20 के साथ पठित बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 22 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स न्यू वेव इन्जस्ट्रीज, होशियारपुर रोड़, जालंधर-144004 को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख में तीन मास की अवधि के भीतर केवल पुन: निर्यात के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अमानक टेप मापों के आयात करने के लिए अनुज्ञा देती है, अर्थात्:-

(1) चाइना नेशनल एयरो टेकनोलोजी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैंगजो कंपनी, 257 तीयूचांग रोड़, हैंगजो, चीन के बीजक सं. 00एचएफ 209322 तारीख 28 नवंबर, 2000, एल.सी.सं. 0806970087 तारीख 28 अक्तूबर, 2000 द्वारा आयातित 3 मी. (9 फीट) माप वाले स्टील टैप के 210040 पीस।

यह अनुज्ञा निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात्:-

(1) अनुज्ञा या तो 13 मी.मी. की चौड़ाई के 3 मी. (9 फीट) या 16 मी.मी. की चौड़ाई के 3 मी. (9 फीट) माप के टैपों की कुल 210040 पीस मात्रा के लिए बीजक सं. 00एचएफ209322 तारीख 28 नवंबर, 2000 द्वारा मैसर्ज चाइना नेशनल एयरो टेक्नोलोजी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैंगजो, चीन से प्राप्त पारेषण के आयात के लिए है;

(2) भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी अमानक बाट और माप का विक्रय या अन्यथा वितरण नहीं किया जाएगा;

(3) प्रत्येक अमानक बाट और माप पर यह घोषणा होगी कि यह "केवल निर्यात प्रयोजनों के लिए" है;

(4) फर्म, तीन मास की समाप्ति के पश्चात्, उसके द्वारा निर्यातित अमानक बाट और माप की मात्रा तथा उस व्यक्ति की विशिष्टयों के संबंध में, जिसको ऐसा निर्यात किया गया है, एक विवरण केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी; और

(5) फर्म उसके द्वारा आयातित ऐसे अमानक बाट और माप की संख्या, उसके द्वारा निर्यातित अमानक बाट और माप की संख्या और अमानक बाट और माप के स्टाक की संख्या का मासिक अभिलेख रखेगी। इस प्रकार रखा गया अभिलेख केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(6) पत्तन प्राधिकारी, माल की निकासी के पूर्व, विनिर्माता से यथोचित प्रत्याभूति के साथ यथोचित कीमत का एक बंधपत्र लेगा कि माल, भारत में इसके आयात के तीन मास की अवधि के भीतर पुन: निर्यात कर दिया जाएगा।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम.-20 (2)/2001]
एस. नौटियाल, अपर सचिव

घटिया टेप के विनिर्माताओं को लाइसेंस

6913. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार की अनुमति के बिना विशेषकर महाराष्ट्र में कुछ विनिर्माताओं को निर्यात के प्रयोजनार्थ घटिया मापक टेप के विनिर्माण का लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे निर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें उपर्युक्त स्वीकृति दी गई है और ऐसी स्वीकृतियों की वैधता की अवधि कितनी है;

(ग) केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना ऐसी स्वीकृति दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी स्वीकृतियां जारी करने हेतु उत्तरदायी नियंत्रक और ऐसी अवैध स्वीकृतियों से लाभ उठाने वाले लाभार्थियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान ऐसी स्वीकृति प्राप्त करने वालों द्वारा निर्यात किए गए टेपों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य कितना है और उनके द्वारा कितने सत्यापन तथा स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मापक फीता की जांच और स्टैम्पिंग

6914. श्री मंजय लाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माप और तोल अधिनियम, 1976 की धारा 41 (7) के अनुसार मापक फीते का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक मौके पर ही इसकी जांच और स्टैम्पिंग शुल्क का संग्रहण कर जांच नहीं हो जाती और स्टैम्प नहीं लगा दी जाती है;

(ख) क्या उक्त शुल्क का संग्रहण किसी मापक फीते की प्रकार और लंबाई के आधार पर किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो पंजाब और महाराष्ट्र में ऐसे शुल्क का भुगतान करने वाले निर्माताओं का ब्यौरा क्या है और क्या वे जांच और स्टैम्प किए जाने वाले टुकड़ों की संख्या की घोषणा पहले ही कर देते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या माप और तोल (प्रवर्तन) नियम, 1986 की अनुसूची 11 नियम 16 (3) में निर्धारित नियमों के अनुसार नियंत्रक प्रत्येक बार जांच प्रमाण पत्र जारी करता है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से जांच और स्टैम्प किए गए मापक फीतों की लंबाई-वार संख्या और प्रकार क्या हैं और प्रत्येक से कितना जांच और स्टैम्पिंग शुल्क का संग्रहण किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 41 (7) के अंतर्गत किसी भी प्रकार के सत्यापन शुल्क की वसूली नहीं की गई है। पंजाब के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अवधि	सत्यापित किए गए स्टील एवं फाइबर ग्लास के फीतों की संख्या (लंबाई 1 मीटर से 100 मीटर तक)		अदा किए गए सत्यापन शुल्क की राशि रुपए में	
	एफ.एम.आई.लि.	फ्रीमैन्ज लि.	एफ.एम.आई.लि.	फ्रीमैन्ज लि.
2000-2001	135730	154579	1239535	1059835
2001-2002	141332	201462	1268375	1434300
2002-2003	110612	164412	1069340	1179821

(घ) जी, हां। पंजाब में हर बार सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

(ङ) जैसा कि ऊपर भाग (ग) के जबाव में बताया गया है।

मापक फीतों के उत्पादकों द्वारा रजिस्टर का रखरखाव

6915. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैध लाइसेंस धारक मापक फीतों के उत्पादकों को माप-तोल अधिनियम, 1976 की धारा 35 अनुसूची 10 नियम 13 (1) के अनुसार रजिस्टर का रख-रखाव करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रजिस्टर का रख-रखाव करने वाले उत्पादकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे उत्पादकों द्वारा उपर्युक्त रजिस्टर के रख-रखाव किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) क्या उपर्युक्त उत्पादों द्वारा रख-रखाव किए जा रहे ऐसे रजिस्टरों की प्रतिमाह कुछ विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा पुन: जांच की जाती है और उन पर हस्ताक्षर लिये जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो रजिस्टर की प्रविष्टियों के सही होने को किस प्रकार से सत्यापित किया जाता है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) बाट तथा माप (सामान्य) मानक नियम, 1987 के नियम 26 के साथ पठित तथा अंतर्राज्यीय सौदों के संबंध में कथित नियमों की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत निर्धारत बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 35 के अनुसार मापक फीतों के लाइसेंसधारी विनिर्माताओं को रजिस्टर रखना आवश्यक है। अंतर्राज्यीय सौदों के संबंध में नियम 13 (1) के साथ पठित और राज्य प्रवर्तन नियमों की दसवीं अनुसूची के तहत निर्धारित बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा 23 के तहत उन्हें इसी प्रकार का रजिस्टर रखना आवश्यक है।

(ख) महाराष्ट्र में मैसर्स स्कैनन हार्डवेयर प्राइवेट लि., ठाणे, एवं मैसर्स क्लास टेप कंपनी, रायगढ़ ने तथा पंजाब में मैसर्स एफ.एम.आई. लि., लुधियाना एवं मैसर्स फ्रीमैन्ज मेजर लि., लुधियाना ने अपने-अपने राज्यों के बाट तथा माप प्रवर्तन प्राधिकरणों से लाइसेंस ले रखे हैं। जबकि महाराष्ट्र के लाइसेंसधारी विनिर्माता आवश्यक रजिस्टर नहीं रख रहे हैं और पंजाब के विनिर्माता रख रहे हैं।

(ग) से (ङ) पंजाब में प्रत्येक माह रजिस्टरों की जांच की जाती है, पर उन पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते। जारी किए गए सत्यापन प्रमाण-पत्रों के आधार पर रजिस्टरों की प्रति जांच की जाती है। महाराष्ट्र में संबंधित प्राधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

बुकिंग फोरवर्ड कोन्ट्रैक्ट्स

6916. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनियों को उनके पूर्व समय के कार्य निष्पादन के आधार पर बुकिंग फोरवर्ड कोन्ट्रैक्टस के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर की छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी नए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की छूट से कितने निगमों को लाभ पहुंचेगा;

(घ) क्या ऐसी संविदाओं के लिए कोई अधिकतम सीमा तय की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या छोटी फर्मों का इसी प्रकार की कोई और छूट दी जाएगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख): जी, हां। प्रतिष्ठित ट्रैक और विशाल आयात/निर्यात कारोबार वाली बड़ी कंपनियों के लिए वास्तविक परिस्थितियों (एक्सपोजर) से उभरने वाले मुद्रा संबंधी जोखिमों की कारगर और सक्रिय प्रबंध व्यवस्था को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक, आवेदन किए जाने पर, बिना दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, उनके विगत के निष्पादन के आधार पर, वायदा संविदाएं बुक कराने के लिए उच्चतर सीमाओं की अनुमति देने पर विचार करेगा। वर्धित सीमा के तहत बुक की गई ऐसी वायदा संविदाएं "सुपुर्दगी" (डिलीवरेबल) आधार पर होंगी।

(ग) यह मूल्यांकन करना कठिन है कि ऐसी छूट से कितने निगमों को लाभ होगा।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत डीलरों को अपने निर्यातक/आयातक ग्राहकों को तीन वर्ष के औसत आयात/निर्यात निष्पादन के आधार पर आकलित सीमा/सीमाओं तक, विगत में निष्पादन के आधार पर बुकिंग के लिए वायदा संविदाएं प्रस्तुत

करने की अनुमति दी गई है। यह इस शर्त के अधीन है कि इस प्रकार बुक की गई और बकाया वायदा संविदाएं किसी भी समय-विशेष पर पात्र सीमा के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। छूट केवल 100 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा में ही दी गई है। यह सुविधा मुख्यतया प्रतिष्ठित ट्रैक रिकार्ड वाली कंपनियों को अपने मुद्रा संबंधी जोखिम से बचने में सहायता देने के लिए है।

(च) और (छ) विगत-निष्पादन के आधार पर वायदा संविदाएं बुक कराने से संबंधित मानदंड एक-समान हैं। 100 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा हटाकर, केवल बड़ी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का प्रयास किया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि का आबंटन

6917. **श्री हसन खान:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुदान सहायता योजनाओं के तहत कारगिल जिले के जन्सकार और मुलवेक के कुछ गैर-सरकारी संगठनों को डेढ़ करोड़ से ज्यादा रुपए की धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या नियमों के तहत अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर जांस्कर, कारगिल जिला, जम्मू व कश्मीर में बुद्धिस्ट यूथ एसोसिएशन नामक संगठन को वर्ष 1995-96 से 2001-2002 तक एक आवासीय स्कूल, तीन गैर-आवासीय स्कूलों और एक सचल औषधालय के रख-रखाव और संचालन के लिए 1,12,80,541/-रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ख) और (ग) संगठन के नियमों के अंतर्गत यथावांछित पूरे अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं। तथापि, मंत्रालय के अनुरोध पर जांच करके राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि संगठन को निर्मुक्त संपूर्ण निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए उसे अनुमोदित किया गया था। मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है।

जेट एयरवेज द्वारा आयकर का भुगतान

6918. **श्री किशन सिंह सांगवान:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार जेट एयरवेज की कुल परिसम्पत्तियां और वार्षिक आय कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान जेट एयरवेज की आय कितनी थी;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में एयरवेज ने सरकार को आयकर और अन्य वित्तीय देनदारियां चुका दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कम्पनी द्वारा आयकर और अन्य वित्तीय देनदारियां न चुकाये जाने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) गत तीन वर्षों में मैसर्स जेट एयरवेज की कुल परिसंपत्तियां एवं विवरणीगत आय संलग्न विवरण-I के अनुसार है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स जेट एयरवेज द्वारा दिखायी गई आय एवं संदत्त करों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II के अनुसार है।

(ङ) मैसर्स जेट एयरवेज के विरुद्ध आयकर जमा न कराये जाने के बारे में कोई मामला लंबित नहीं है। अत: कोई कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

गत तीन वर्षों में मैसर्स जेट एयरवेज की कुल परिसम्पत्तियां और विवरणीगत आय

क्रम सं.	वित्त वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	विवरणीगत आय/हानि	कुल परिसम्पत्तियां
1	2	3	4	5
1.	1999-2000	2000-2001	(हानि) 21.57 करोड़ रुपए	1768.70 करोड़ रुपए

1	2	3	4	5
2.	2000-2001	2001-2002	(हानि) 80.05 करोड़ रुपए	1965.04 करोड़ रुपए
3.	2001-2002	2002-2003	(हानि) 177.53 करोड़ रुपए	4356.60 करोड़ रुपए

विवरण II

आयकर अधिनियम की धारा 115 जे ए/115 जे बी के अन्तर्गत समझी गई आय और गत तीन वर्षों में मैसर्स जेट एयरवेज द्वारा संदत्त कर

क्रम सं.	वित्त वर्ष	कर निर्धारण वर्ष	आयकर अधिनियम की धारा 115जे ए/115जेबी के अन्तर्गत समझी गई आय	संदत्त कर
1.	1999-2000	2000-2001	3.79 करोड़ रुपए	1.46 करोड़ रुपए
2.	2000-2001	2001-2002	13.64 करोड़ रुपए	1.16 करोड़ रुपए
3.	2001-2002	2002-2003	-शून्य-	-शून्य-

व्यय सुधार आयोग

6919. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान विशेषकर कर्मचारियों की संख्या कम करने के क्षेत्र में व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारियों की संख्या कम करने में मंत्रालय/विभाग-वार कितनी सफलता हासिल की गई है; और

(घ) इस उपाय से अब तक सरकारी व्यय में प्राप्त बचतों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है। अब तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लगभग 13,050 पदों को समाप्त किया जा चुका है। ये हैं नामत: सूचना और प्रसारण-1424, आर्थिक कार्य-1903, सार्वजनिक उद्यम-15, आपूर्ति-996, इस्पात-6, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस-17, रसायन और पैट्रो-रसायन-624, उर्वरक-19, खनन-62, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण-135, कृषि और सहकारिता-214, जहाजरानी-6, महिला और बाल विकास-175, पर्यावरण एवं वन-779, संस्कृति-12, वाणिज्य-90, शहरी विकास-6411, पर्यटन-28, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन-134 इन पदों को समाप्त करने के परिणामस्वरूप व्यय में अनुमानत: 120 करोड़ रुपए की वार्षिक कमी आने की संभावना है।

चीनी जारी करने की प्रणाली

6920. **श्री जे.एस. वराड:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अगली तिमाही के लिए बाजार में चीनी जारी करने से देश की 450 मिलों में से एक तिहाई मिलों को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय के पीछे क्या कारण हैं;

(घ) वे कौन-से राज्य हैं जहां ये मिलें अवस्थित हैं; और

(ङ) यह निर्णय किस हद तक सहायक रहा है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) 534 संस्थापित चीनी मिलों में से 405 चीनी फैक्ट्रियों को मई, 2003 मास के दौरान खुले बाजार में बेचने के लिए गैर-लेवी चीनी आबंटित की गई है।

(ख) और (ग) जिन चीनी मिलों ने न्यायिक कार्यवाही की है, वे विभिन्न रिट याचिकाओं तथा दीवानी मुकदमों में माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों द्वारा शासित होती हैं।

(घ) और (ङ) मिलें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा गोवा में स्थित हैं। खुले बाजार में तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भी चीनी की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं

6921. **श्री विष्णुदेव साय:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने देश के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु क्या योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सहायता प्रदान की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में आदर्श विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और गुरुकुल विद्यालय को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) छत्तीसगढ़ में "जवाहर आदिम जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना" की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश में अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों की प्रतिभा के संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और उपलब्ध कराई जा रही सहायता के प्रकार विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में 8 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए 285.00 लाख रुपए और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के बीच शिक्षा के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शाक्षिक परिसरों (कन्या शिक्षा परिसर) के लिए 28.814 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की है। उल्लिखित अन्य योजनाओं का कार्यान्यन राज्य सरकारें अपने-अपने बजट से करती है।

विवरण

1. अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

इस योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थानों के मान्यताप्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को एक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। कुलबद्ध देयता पर 100 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। बद्ध देयता की राशि, जो योजना अवधि के अंतिम वर्ष में हुए व्यय के बराबर होती है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों को बद्ध देयता की शर्त से मुक्त रखा गया है और 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

2. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति छात्रों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कोचिंग पूर्व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है ताकि उन्हें अखिल भारतीय भर्ती प्रकृति वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने में मदद मिले। राज्य सरकार को उनके द्वारा किए गए व्यय का 50 प्रतिशत और गैर सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

3. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा उन्नयन (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक उपचारी और विशेष कोचिंग प्रदान करके उनकी प्रतीक्षा का उन्नयन करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। उपचारी कोचिंग का उद्देश्य जबकि विभिन्न विषयों में कमियों को दूर करना है, विशेष कोचिंग का उद्देश्य छात्रों को इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा विधाओं

जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए तैयार करना है।

4. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि आदि पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र अनुसूचित जनजातीय छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराना है। पूरा व्यय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 आधार पर बांटा जाता है। संघ राज्य क्षेत्र को 100 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

5. एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)

राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान का एक हिस्सा छठी से बारहवीं कक्षा के जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इन आदर्श आवासीय स्कूलों में 420 छात्र होंगे जिनमें से 50 प्रतिशत लड़कियां होगी। ऐसे प्रत्येक स्कूल के निर्माण के लिए गैर-आवर्ती अनुदान के रूप में 2.50 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल की तादात पूरी होने के बाद कर्मचारियों का वेतन, मैस-प्रभार, वेशभूषा आदि जैसे आवर्ती व्यय के लिए वार्षिक आवर्ती अनुदान 30.00 लाख रुपए तक सीमित होगा।

[अनुवाद]

मंत्रिमंडल का आकार छोटा करना

6922. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्यों में मंत्रिमंडल के सतत् बढ़ते हुए आकार और प्रशासनिक सुधार संबंधी संतनाम समिति की सिफारिशों जिसमें विधान-मंडलों के आकार के अनुपात में मंत्रिमंडल का आकार सीमित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है के मद्देनजर सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ कानून बनाने अथवा भारत के संविधान में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) संविधान (सतानवेवां संशोधन), विधेयक, 2003 में, जो तारीख 5.5.2003 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि मंत्रिपरिषद् का आकार, संबंधित सदनों की, चाहे विधान मंडल एक सदनीय द्विसदनीय हो, सदस्य-संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। विधेयक में छोटे राज्यों की दशा में न्यूनतम सात मंत्रियों की संख्या के लिए भी उपबंध है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

6923. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
डा एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया और पैसिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग (ई.एस.सी.ए.पी.) द्वारा पहले प्रकाशित सर्वेक्षण में वर्ष, 2003 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6 प्रतिशत आकलित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या एशिया और पैसिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग (ई.एस.सी.ए.पी.) ने अब वर्ष 2003 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद कम करके 5.1 प्रतिशत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या कारण बताये गये हैं;

(घ) एस्पैक (ई.एस.पी.ए.पी.) की रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गये या उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) एशिया और पैसेफिक के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) ने मार्च 2003 में प्रकाशित अपने "एशिया और पैसिफिक का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2003" में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष, 2003 में 6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। 17 अप्रैल, 2003 को सर्वेक्षण के मीडिया लांच के समय ईएससीएपी ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किए गए अनुमान के आधार पर 5.1 प्रतिशत की संशोधित वृद्धि दर का उल्लेख किया। ईएससीएपी द्वारा प्रस्तुत अनुमान वर्ष, 2003 में वृद्धि की संभावनाओं संबंधी उनके अवबोधन पर आधारित हैं। भिन्न-भिन्न एजेंसियों ने वृद्धि की संभावनाओं के अपने अवबोधन के आधार पर वृद्धि के

अनुमान लगाए हैं। सरकार ने ईएससीएपी द्वारा किए गए अनुमानों को ध्यान में रखा है।

(ङ) वर्ष 2003-2004 के केन्द्रीय बजट में कई पहलें प्रस्तावित की गई हैं जैसे कि निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए सरकारी धनराशि जुटाते हुए आधारढांचा विकास को बढ़ावा देना, निजी निवेशों को बढ़ावा देना और राजकोषीय समेकन के उपाय करना। आशा है कि इन पहलों से अर्थव्यवस्था के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मापक टेपों के विनिर्माताओं द्वारा भुगतान किया गया शुल्क

6924. श्री अधीर चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मापक टेप (सीईटीएसएच संख्या 9017-90) उत्पाद पर कितने प्रतिशत उत्पाद शुल्क का भुगतान देय है;

(ख) भुगतान की गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धनराशि का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लुधियाना और मुम्बई के मापक टेपों के प्रत्येक विनिर्माता द्वारा सेनवेट क्रैडिट की कितनी धनराशि का दावा किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक उपरोक्त विनिर्माता द्वारा विनिर्मित मात्राओं का ब्यौरा क्या है और उनका आंकलित मूल्य कितना था; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क का भुगतान करके और निर्यात के लिए बगैर भुगतान किए अर्थात् पूरी छूट के साथ अथवा शून्य शुल्क दर पर उपरोक्त प्रत्येक विनिर्माता द्वारा स्वीकृत की गई/हटाई गई मात्रा का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और उनका आकलन योग्य मूल्य कितना था और दोनों प्रकार की उपरोक्त स्वीकृतियों/हटाए जाने पर भुगतान की गई उत्पाद शुल्क की धनराशि कितनी थी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) 16 प्रतिशत यथा मूल्य।

(ख) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(ग) संलग्न विवरण-II के अनुसार।

(घ) संलग्न विवरण-III के अनुसार।

विवरण I

क्र.सं.	विनिर्माता का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रदत्त शुल्क		दावा किया गया सेनवेट क्रेडिट (हजार रु. में)
			पी.एल.ए. (हजार रु. में)	सेनवेट (हजार रु. में)	
1.	मैं स्कानन हार्डवेयर प्रा. लि., मुम्बई	2000-01	363	1205	1205
		2001-02	470	1127	1373
		2002-03	730	1316	1316
2.	फ्रीमैन्स मैजर्स लि. लुधियाना	2000-01	9100	6600	7100
		2001-02	10100	6400	7300
		2002-03	9000	9300	8300
3.	फेम्स्टो मैजरिंग इंड. लि., लुधियाना	2000-01	7900	9400	1100
		2001-02	6900	9800	9300
		2002-03	6000	11500	11100

विवरण II

क्र.सं.	विनिर्माआता का नाम	वित्तीय वर्ष	विनिर्मित मात्रा (संख्या में)	निर्धारण योग्य मूल्य (हजार रु. में)
1.	मैं स्कानन हार्डवेयर प्रा. लि., मुम्बई	2000-01	1188437	13284
		2001-02	1356397	17174
		2002-03	1319136	15386
2.	फ्रीमैन्स मैजर्स लि. लुधियाना	2000-01	3177923	105800
		2001-02	3029109	110900
		2002-03	3447101	125100
3.	फेस्टो मैजरिंग इंड. लि., लुधियाना	2000-01	3884735	132600
		2001-02	3532838	123600
		2002-03	3926798	132700

विवरण III

क्र.सं.	विनिर्माता का नाम	वित्तीय वर्ष	शुल्क के भुगतान पर निकासी की मात्रा	निर्धारणीय मूल्य (हजार रु. में)	बिना शुल्क भुगतान किए निकासी की मात्रा	निर्धारणीय मूल्य (हजार (रु. में)
1.	मैं स्कानन हार्डवेयर प्रा. लि., मुम्बई	2000-01	1160347	12970	शून्य	शून्य
		2001-02	1243267	15741	शून्य	शून्य
		2002-03	1391400	16229	शून्य	शून्य
2.	फ्रीमैन्स मैजर्स लि., लुधियाना	2000-01	2864297	94000	333358	16500
		2001-02	2802963	103400	219782	11500
		2002-03	3154508	114200	229013	16100
3.	फेस्टो मैजरिंग इंड लि., लुधियाना	2000-01	3168749	108200	724626	48100
		2001-02	2987540	104600	574003	45700
		2002-03	3236419	109400	686082	47400

मापक फीते के विनिर्माताओं हेतु लाइसेंस का नवीकरण

6925. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तौल और माप अधिनियम, 1976 के मानकों की धारा 46 (अनुसूची तीन नियम 8) के अनुसार मापक फीते के विनिर्माताओं को प्रत्येक माह के पश्चात् अंतरक और अंतरिती राज्य के नियंत्रकों को विनिर्दिष्ट प्रारूप में सूचना देनी अनिवार्य है जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस का नवीकरण नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो मापक फीते बनाने के लाइसेंसधारक विनिर्माताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब और महाराष्ट्र के कुछ विनिर्माता उपर्युक्त सूचना दिए बिना अपने लाइसेंसों का बार-बार नवीकरण नहीं होता है;

(घ) यदि हां, तो सूचना दिए बिना किस अवधि के लिए लाइसेंसों का नवीकरण किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट शर्तों का पालन किए बगैर मापक फीते के विनिर्माताओं द्वारा लाइसेंसों का नवीकरण कराने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के तहत मापक फीतों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस महाराष्ट्र में मैसर्स स्कैनन हार्डवेयर प्रा. लि., ठाणे और मैसर्स क्लास टेप कम्पनी, रायगढ़, तथा पंजाब में मैसर्स एफ.एम.आई. लिमिटेड, फिरोजपुर रोड़, लुधियाना और मैसर्स फ्रीमैन्स मेजर्स लिमिटेड जी.टी. रोड, लुधियाना को दिए गए हैं।

(ग) और (घ) बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 46 के तहत विवरणियां केवल अंतर्राज्य सौदों के लिए अपेक्षित हैं। महाराष्ट्र में प्रवर्तन प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मापक फीतों के उनके लाइसेंसधारी विनिर्माता अंतर्राज्य सौदे नहीं कर रहे हैं। पंजाब के प्रवर्तन प्राधिकारियों ने बताया है कि मापक फीतों के विनिर्माताओं के लाइसेंसों का नवीकरण अभी तक बिना किसी विवरणी के किया जाता है।

(ङ) पंजाब के प्रवर्तन प्राधिकारियों ने मापक फीतों के विनिर्माताओं को उनके लाइसेंस के नवीनीकरण पर विचार करने के लिए समय-समय पर अपनी विवरणियां प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के पद का सृजन

6926. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सहकारी बैंक क्षेत्र में हाल ही में हुए अनेक घोटालों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक में एक और डिप्टी गवर्नर का पद सृजित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सहकारी बैंकों के विनिमय के संबंध में नए डिप्टी गवर्नर को दी जा रही प्रशासनिक शक्तियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (क) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय मंडल में अन्य के साथ-साथ एक गवर्नर और चार से अनधिक उप गवर्नर शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। तथापि, उप गर्वनरों के चार पदों में से एक पद पारम्परिक रूप से भरा नहीं गया है। तथापि, उप गवर्नर के चौथे पद को भरने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 7 (3) के अनुसार गवर्नर को केन्द्रीय मंडल की सामान्य अधीक्षण की और बैंक के कार्यों एवं कारबार के निदेशन की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। उप गवर्नरों के बीच कार्य का विभाजन गवर्नर द्वारा किया जाता है।

जनजातीयों को पुनर्वास

6927. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनजातीयों के मूल स्थान से उनके विस्थापन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन जनजातियों को वैकल्पिक आवास या अन्य प्रकार का पुनर्वास उपलब्ध करवाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन विस्थापित जनजातियों के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) बड़े बांधों, खानों आदि के निर्माण के लिए विस्थापित जनजातियों

को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजना प्राधिकारियों की पुनर्वास योजनाओं के विधिवत अनुमोदन के अनुसार पुनर्स्थापित किया जाता है। जहां इस प्रकार के विस्थापन होते हैं वहां पुनर्स्थापना की योजना को संबंधित राज्यों के नियमों के अनुकूल होना चाहिए।

मध्यस्थता बोर्ड

6928. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामलों से निपटने के लिए एक मध्यस्थता बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) बोर्ड के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी नहीं। माध्यस्थम् बोर्डों का गठन करने के लिए माध्यमस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। भारत के विधि आयोग ने, जिसने माध्यमस्थम, और सुलह अधिनियम, 1996 पर 176वीं रिपोर्ट दी है, माध्यमस्थम् बोर्ड का गठन किए जाने पर विचार करने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई चिकित्सा बीमा योजना जन रक्षा

6929. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दबे कुचले लोगों के लिए नई चिकित्सा बीमा योजना ''जन रक्षा'' तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) ''सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना'' आरम्भ करने के संबंध में 2003-04 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में, सरकारी क्षेत्र की कुछ साधारण बीमा कंपनियों ने इस पालिसी को पहले ही आरम्भ कर दिया है। इस पालिसी के अंतर्गत, अस्पताल में भर्ती होने के मामले में पूरे परिवार के लिए 30,000/-रुपए तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के मुखिया के लिए 25,000/- रुपए का बीमा कवच तथा अर्जक सदस्य की आमदनी समाप्त हो जाने पर, अधिकतम 15 दिनों तक, 50/- रुपए प्रति दिन की दर से मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत, प्रीमियम की दर एक व्यक्ति के लिए 1/- रुपया प्रति दिन (अर्थात्, 365/- रुपए प्रति वर्ष), पति/पत्नी तथा बच्चों तक सीमित पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए 1.50 रुपए प्रति दिन तथा कुल सात सदस्यों तक की सीमा वाले परिवार में आश्रित माता-पिता को भी कवर प्रदान करने के लिए 2/-रुपए प्रति दिन है। सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के लिए वार्षिक प्रीमियम के तौर पर 100/- रुपए प्रति वर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश

6930. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों के उच्च न्यायालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने न्यायाधीश हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने किस वर्ष अपना कार्यभार संभाला; और

(ख) राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार कुल कितने न्यायाधीश हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है, जिसमें व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है। अत:, उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई आकंड़े नहीं रखे जाते हैं।

तथापि, सरकार ने समय-समय पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को उनसे यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखे हैं कि वे बार से अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों के ऐसे व्यक्तियों और महिलाओं का पता लगाएं जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

6.5.2003 को यथाविद्यमान स्थिति

क्रम सं.	उच्च न्यायालयों का नाम (राज्य)	अनुमोदित पद-संख्या	पदासीन न्यायाधीश	रिक्तियों की संख्या
1.	इलाहाबाद (उ.प्र.)	95	70	25
2.	आंध्र प्रदेश (आं.प्र.)	39	34	05
3.	बम्बई (महाराष्ट्र और गोवा)	60	51	09
4.	कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	50	39	11
5.	छत्तीसगढ़ (छत्तीसगढ़)	06	04	02
6.	दिल्ली	33	27	06
7.	गुवाहाटी (असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा)	19	12	07
8.	गुजरात (गुजरात)	42	30	12
9.	हिमाचल प्रदेश (हि.प्र.)	08	07	01
10.	जम्मू-कश्मीर (ज.-क.)	14	09	05
11.	झारखंड (झारखंड)	12	12	–
12.	कर्नाटक (कर्नाटक)	40	35	05
13.	केरल (केरल)	29	26	03
14.	मध्य प्रदेश (म.प्र.)	29	28	01
15.	मद्रास (तमिलनाडु)	42	37	05
16.	उड़ीसा (उड़ीसा)	16	12	04
17.	पटना (बिहार)	31	24	07
18.	पंजाब और हरियाणा (पं. और ह.)	40	28	12
19.	राजस्थान (राजस्थान)	32	22	10
20.	सिक्किम (सिक्किम)	03	02	01
21.	उत्तरांचल (उत्तरांचल)	07	03	04
	योग	647	512	135

डी.आर.आई. अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न

6931. श्री पी.सी. थामस: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना महानिदेशक को कोचीन पत्तन पर कार आयात के संबध में डी.आर.आई. अधिकारियों द्वारा अनिवासी भारतीयों के उत्पीड़न के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच के आदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय (डी.जी.आर.आई.) को जियाद टी. मोहम्मद कोया से दिनांक 11.2.2003 एवं 21.4.2003 की दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो राजस्व आसूचना निदेशालय, कोचीन द्वारा जांच किए जाने के परिणामस्वरूप कोचीन पत्तन पर पुराने वाहन की निकासी में हुए विलम्ब से संबंधित थीं।

(ग) और (घ) राजस्व आसूचना महानिदेशालय द्वारा शिकायतों पर गौर किया गया था। जांच-पड़ताल करने पर यह पाया गया कि, राजस्व, आसूचना महानिदेशालय, कोचीन को संगठित गिरोहों के संबंध में आसूचना प्राप्त हुई थी जो गलत घोषणा करके और जाली दस्तावेज बनाकर के अपनी नौकरियों की समाप्ति पर खाड़ी देशों से लौट रहे गरीब मजदूरों के नाम पर यात्री कारों का आयात कर रहे थे। ऐसी आसूचना के अनुसरण में, राजस्व आसूचना निदेशालय, कोचीन ने एक यात्री द्वारा बी एम डब्ल्यू x-5 जीप के आयात की जांच-पड़ताल की थी।

यात्री ने केवल 5.05 लाख रु. के मूल्य पर वाहन की निकासी के लिए आगम-पत्र दायर किया था। जांच करने पर पता चला की आयातक यू.ए.ई. में समाचार-पत्र वितरक था और उसके पास वाहन को खरीदने और उसका आयात करने के कोई वित्तीय साधन नहीं थे। घोषित किया गया मूल्य काफी कम पाया गया। वह आयात को सही सिद्ध करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। इसके अलावा, उसके पास वाहन की निकासी के लिए सीमा शुल्क अदा करने के लिए कोई पैसा भी नहीं था।

इस बीच, सीमा शुल्क आयुक्त, कोचीन को गुण-दोष के आधार पर कार का निर्धारण करने और उसकी निकासी करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए उक्त शिकायतों पर आगे कोई कार्यवाही करना उचित नहीं है।

[हिन्दी]

न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते

6932. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करने तथा उनकी नई भर्ती करने में असमर्थता दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कोई आदेश दिया है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी हां। अधिकांश राज्य सरकारें आल इंडिया जजेज एसोसिएशन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 21 मार्च, 2002 के उसके निर्णय में दिए गए निर्देश के अनुसार वेतनमानों के पुनरीक्षण, भत्तों की मंजूरी और न्यायाधीश-पदसंख्या में वृद्धि के कारण पड़ने वाले अत्यधिक वित्तीय भार के बारे में चिंतित थीं। विद्यमान समानताओं से छेड़छाड़ करने पर राज्य कोषों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और कर्मचारी भी न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले भत्तों के बराबर अपने भत्तों को बढ़ाये जाने की मांग करेंगे।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं। तथापि, राज्य वित्त मंत्रियों ने, वित्त मंत्रालय द्वारा तारीख 7 सितंबर, 2002 को बुलाई गई बैठक में उच्चतम

न्यायालय के तारीख 21 मार्च, 2002 के निर्णय को कार्यान्वित करने में अंतर्वलित सांविधानिक, वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दों के संबंध में आने वाली गंभीर कठिनाईयां प्रकट की थी। उन्होंने यह संकल्पित किया था कि राज्य संकल्प या किन्हीं अन्य वैकल्पिक विधायी उपायों के माध्यम से राज्य विधान मंडल में उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

(ङ) केंद्रीय सरकार ने संघ राज्यक्षेत्रों के, जिनके लिए यह प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है, न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों को विनियमित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन संसद् में एक विधेयक पुर:स्थापित करने का विनिश्चय किया है। जहां तक न्यायाधीश-पदसंख्या में वृद्धि करने का संबंध है, उच्चतम न्यायालय में यह प्रार्थना करते हुए एक शपथ-पत्र फाइल किया गया है कि संघ राज्यक्षेत्रों में न्यायाधीश-पदसंख्या में वृद्धि को जनसंख्या की बजाय कार्यभार के आधार पर अनुज्ञात किया जाए। यह विषय न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

ब्यौरों/विवरणियों को प्रस्तुत करना

6933. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब के मापक फीतों के निर्माता अपने अप्रत्यक्ष निर्यातों के ब्यौरों/विवरणियों को अंतरक राज्य के साथ-साथ अंतरिती राज्य के नियंत्रकों को समय पर प्रस्तुत करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पुनर्निर्यात प्रयोजनों हेतु निर्यात खेपों को प्राप्त करने वाले अंतरिती और अंतरक राज्यों के खरीददारों/डीलरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्रेताओं के पास माप तौल सौदों का लाइसेंस है और क्या इन विक्रेताओं ने माप तौल अधिनियम, 1976 की धारा 47 के अनुसार पुनर्निर्यात हेतु आपके मंत्रालय से पंजीयन भी प्राप्त किया है;

(घ) यदि नहीं, तो यह देखने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है कि क्या खेप को वस्तुत: पुनर्निर्यात किया गया है अथवा घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है;

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान अंतरिती और अंतरक राज्य के उपरोक्त प्रत्येक क्रेता द्वारा पुनर्निर्यातित मापक फीतों की मात्रा, प्रकार, लंबाई मूल्यवार और देशवार कितनी है; और

(च) उपरोक्त क्रेताओं द्वारा खेपों का पुनर्निर्यात न किए जाने की स्थिति में उपरोक्त अवधि के दौरान अंतरिती और अंतरक राज्यों के प्रत्येक नियंत्रक द्वारा कितनी धनराशि का सत्यापन किया गया और कितना संपदा शुल्क वसूल किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (च) जी, नहीं। पंजाब के प्रवर्तन प्राधिकारियों ने अब मापक फीतों के विनिर्माताओं को समय-समय पर यथानिर्धारित विवरणियां प्रस्तुत करने का निदेश दे दिया है।

[हिन्दी]

राज्य सभा चुनाव की जमानत राशि

6934. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 2003 के 'राष्ट्रीय सहारा' में "पन्द्रह वर्षों से राज्य सभा की जमानत राशि का पता नहीं" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) उस राशि को अभी तक कोषागार में जमा न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मामले की जांच कराये जाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एक्जिट पोल

6935. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने पहले मीडिया एजेंसियों द्वारा एक्जिट पोल की प्रणाली का अध्ययन किया और इसे न्यायालय में चुनौती दी परन्तु बाद में याचिका वापस ले ली क्योंकि मामले पर निर्वाचन आयोग तथा केन्द्र सरकार के बीच सहमति नहीं हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक दोनों मीडिया एक्टिज पोल कराने के लिए स्वतंत्र हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव मतदान परिणाम की कापी करने अथवा एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई नया विधान बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विधान को कब तक बनाया जाएगा?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बुनकरों की कुशलता बढ़ाने का प्रस्ताव

6936. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में बुनकरों की कुशलता बढ़ाने हेतु यूएनडीपी अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के बुनकरों को सरकार से कोई तकनीकी लाभ अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) संघ सरकार, आंध्र प्रदेश के बुनकरों सहित समस्त देश में हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है:

1. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम
3. मिल गेट कीमत योजना
4. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना
5. कार्यशाला सह आवास योजना
6. बुनकर कल्याण योजना
7. हथकरघा निर्यात योजना
8. हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन
9. हैंक यार्न पर सेनवेट की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना

बुनकर सेवा केन्द्र भी बुनकरों को तकनीकी इनपुट्स और जानकारी मुहैया कराते हैं। आंध्र प्रदेश में दो बुनकर सेवा केन्द्र (हैदराबाद और विजयवाड़ा) में स्थित हैं।

विद्युत करघा बुनकरों को कौशल उन्नयन तथा परीक्षण सुविधा जैसी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए विद्युत करघा सेवा केन्द्रों को आधुनिक करघों, अन्य मशीनरी तथा उपस्करों से युक्त करके उनका उन्नयन किया गया है ताकि सेवा संबंधी गुणवत्ता और आधुनिकीकरण संबंधी सुविधाओं में सुधार लाया जा सके। आंध्र प्रदेश में दो विद्युतकरघा सेवा केन्द्र (हैदराबाद और नागरी) में स्थित हैं।

एलआईसी की जीवन भारती पालिसी

6937. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने महिलाओं के लिये जीवन भारती नाम की नई पालिसी शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एलआईसी की ऐसी ही योजनायें पहले से ही चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो नई योजना शुरू करने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंदराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 8 मार्च, 2003 से महिलाओं के लिए "जीवन भारती" नामक एक नई पालिसी शुरू की है।

(ख) इस पालिसी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इससे पहले भारतीय जीवन बीमा निगम की "जीवन स्नेह" नामक एक योजना थी जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही थी। ब्याज दरों में कमी के कारण 31 दिसंबर, 2001 से इसे निगम द्वारा वापस ले लिया गया था। एलआईसी ने महिला गंभीर रूग्णता कवच और जन्मजात विकलांगता लाभ कवच जैसे

अधिक लाभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से नई योजना जीवन भारतीय शुरू की है। ये लाभ पूर्ववर्ती पालिसी जीवन स्नेह के तहत उपलब्ध लाभों के अतिरिक्त हैं।

विवरण

पालिसी का नाम-जीवन भारती

इस पालिसी के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ उपलब्ध है:

1. गारंटीशुदा वृद्धि-पहले 5 वर्षों के दौरान पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति हजार की बीमित राशि के लिए 50/-रुपए की दर से गारंटीशुदा वृद्धि।

2. उत्तरजीविता लाभ

20 वर्षीय/अवधि के लिए

5 वर्ष की समाप्ति पर देय बीमित राशि का 20 प्रतिशत।

10 वर्ष की समाप्ति पर देय बीमित राशि का 20 प्रतिशत।

15 वर्ष की समाप्ति पर देय बीमित राशि का 20 प्रतिशत।

20 वर्ष की समाप्ति पर देय बीमित राशि का 40 प्रतिशत तथा इसके साथ ही उपचित गारंटीशुदा वृद्धि और बोनस, यदि कोई हों तो।

15 वर्षीय अवधि के लिए

5 वर्ष की समाप्ति पर देय बीमित राशि का 20 प्रतिशत।

10 वर्ष की समाप्ति पर देय बीमित राशि का 20 प्रतिशत।

15 वर्ष की समाप्ति पर देय बीमित राशि का 60 प्रतिशत तथा इसके साथ ही उपचित गारंटीशुदा वृद्धि तथा बोनस, यदि कोई हो तो।

3. मृत्यु लाभ

यदि पालिसी की अवधि के दौरान बीमित महिला की मृत्यु हो जाती है तो पहले से ही प्रदान किये जा चुके उत्तरजीविता लाभों के साथ-साथ पूरी बीमित राशि देय होगी। उपचित गारंटीशुदा वृद्धि तथा उपचित बोनस, यदि कोई हों, भी देय होंगे।

4. दुर्घटना लाभ

इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना संबंधी लाभ ही प्रदान किए जाएंगे लेकिन इसके लिए प्रति हजार बीमित राशि पर 1/- रुपया की दर से अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई अन्य जीवन बीमा योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित 25,00,000 रुपए की अधिकतम सीमा शामिल है।

5. विशेष लाभ

1. महिला गंभीरता रूग्णता (एफसीआई)

इस योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित गंभीर रोगों में से किसी रोग के होने पर बीमित राशि (अधिकतम सीमा 2,00,000 रुपए) के समतुल्य लाभ उपलब्ध होंगे:

स्तन कैंसर

अंडाशय/डिंबवाहिनी (ओवेरियन/पैलोपियन ट्यूब) कैंसर

सर्वाइकल कैंसर

गर्भाशय (यूटरीन) कैंसर

वेजाइनल/वलवाल कैंसर

(ख) जन्मजात विकलांगता लाभ (सीडीबी)

नीचे सूचीबद्ध जन्मजात विकलांगता वाले शिशु के जन्म पर प्रत्येक बालक के संबंध में इस योजना के अंतर्गत बीमित राशि के 50 प्रतिशत के बराबर लाभ (अधिकतम 1,00,000 रुपए तक) उपलब्ध होगा। यह लाभ दो बच्चों के लिए उपलब्ध है और यदि बालक का जन्म प्रस्तावक द्वारा 40 वर्ष की आयु पार कर लेने के पश्चात् होता है तो यह लाभ देय नहीं होगा। यह लाभ केवल 35 वर्ष की आयु तक स्कीम में प्रवेश लेने वाले को देय होगा।

''डाउन्स सिन्ड्रोम,

स्पाइना बाइफिडा,

टेट्रालोजी आफ फाल्लोट,

ईसोफैजियल एट्रिसिया एंड ट्रैकिया-ईसोफैजियल फिस्टुला

एनल एट्रिसिया, एम्पफोरेट एनस, क्लेफ्ट पेलेट विद और विदआउट क्लेफ्ट लिप''

गंभीर रूग्णता अथवा जन्मजात विकलांगता के अंतर्गत दावों के भुगतान का लाभ अन्य लाभों के अन्तर्गत दावों के तदनन्तर भुगतान पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है।

2. मुक्त बीमा कवर

दो वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किए जाने के पश्चात् जब कभी प्रीमियम के भुगतान को समाप्त करना पड़े तो पूर्ण बीमित राशि के लिए जोखिम का कवर प्रथम भुगतान न की गयी प्रीमियम

की देय तारीख से तीन वर्ष के लिए बना रहेगा। तथापि, यह कवर एफसीआई लाभ, सीडीबी लाभ और दुर्घटना लाभ के लिए उपलब्ध नहीं है।

6. विकल्प

1. *जब कभी आवश्यकता पड़े उत्तरजीविता लाभ का नकदीकरण:* पालिसी धारक अपने विकल्प पर किसी भी समय इसकी देय तारीख को या उसके पश्चात् उत्तरजीविता का लाभ प्राप्त कर सकती है। यदि उसने बाद में इसका लाभ उठाने का विकल्प लिया है तो निगम द्वारा निर्धारित की गयी ब्याज दर पर बढ़ी हुई दर से उत्तरजीविता का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

2. प्रीमियमों का अग्रिम भुगतान करने की नम्यता: पालिसीधारक को वर्ष के दौरान अग्रिम तौर पर आगामी वार्षिक प्रीमियम का भुगतान (तीन किस्तों से अधिक में नहीं) करने की सुविधा होगी। यह प्रीमियम पर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की छूट की पात्र भी होगी। निगम को समय-समय पर ब्याज दर में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

3. वार्षिकी के रूप में परिपक्वता आय को प्राप्त करने का विकल्प: बशर्ते कि परिपक्वता की निर्धारित तारीख को पालिसी पूर्णतया प्रवृत्त है तो पालिसीधारक यदि वह ऐसा करना चाहे तो तत्कालिक वार्षिक के रूप में परिपक्वता की राशि प्राप्त कर सकती है। इस विकल्प को परिपक्वता की तारीख से छः महीने पूर्व प्रयोग में लाया जा सकेगा। वार्षिकी की दर परिपक्वता की निर्धारित तारीख के समय प्रचलित तात्कालिक वार्षिक दरों पर आधारित होगी।

अनुसूचित जाति की सूची में कुछ जातियों को शामिल किया जाना

6938. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जातियों को शामिल किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन जातियों की जनसंख्या और निवास स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की अपनी सूची में शामिल करने के लिए क्रमश: 42 और 2 समुदायों की सिफारिश की है। केवल अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित समुदायों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध है। राज्य सरकार ने जिन समुदायों की सिफारिश है वे अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं है, अत: उनकी जनसंख्या और निवास-स्थानों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) आंध्र प्रदेश के 28 समुदायों को अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार की शेष सिफारिशों और उत्तरांचल सरकार की सिफारिशों पर ऐसे दावों के लिए अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

6939. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राजनीतिक दल सरकार पर वर्ष 1991 की बजाय वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने हेतु दबाव डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) तारीख 13.3.2003 को हुई सर्वदलीय बैठक में किए गए विनिश्चय के अनुसरण में, कुछ राजनीतिक दलों ने वर्ष 1991 की जनगणना की बजाय वर्ष 2001 की जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के पक्ष में लिखित रूप में अपनी सहमति अभिव्यक्त की है।

(ग) से (ङ) तदनुसार, सरकार ने लोक सभा में तारीख 2.5.2003 को संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 पुर:स्थापित किया है, जिसे लोक सभा द्वारा तारीख 6.5.2003 को हुई उसकी बैठक में पारित कर दिया गया था।

धान की खरीद के बारे में दिनांक 25.04.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5106 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): प्रश्न के भाग (ख) में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 2002-03 के दौरान खोले गए धान वसूली केन्द्रों की राज्यवार संख्या के संबंध में सूचना मांगी गई थी। प्रश्न के इस भाग के उत्तर में सूचना संलग्न विवरण में दी गई थी जिसमें बिहार राज्य का नाम, जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा 100 धान वसूली केन्द्र खोले गए थे, अनजाने में शामिल करने में रह गया है।

मैं, 9.5.2003 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5106 के सही विवरण की एक प्रति सभा के पटल पर रखना चाहता हूं।

विवरण

वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2002-2003 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खोले गए धान वसूली केन्द्रों की राज्यवार संख्या

राज्य	भारतीय खाद्य निगम
पंजाब	403
हरियाणा	25
दिल्ली	2
राजस्थान	12
आंध्र प्रदेश	111
मध्य प्रदेश	43
बिहार	100
उड़ीसा	20
हिमाचल प्रदेश	4
जोड़	720

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): महोदय, श्री जसवंत सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2003 जो 3 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 300(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) (दूसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 9 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 323(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी और गैर-सूचीबद्ध पब्लिक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (प्रतिभूतियों की पुन: खरीद) संशोधन नियम, 2003 जो 23 अप्रैल 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 348(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7717/2003]

(2) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष तथा आयोग के अन्य सदस्यों का चयन) नियम, 2003, जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 303 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7718/2003]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री अनन्त कुमार): अध्यक्ष महोदय, मैं आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता

ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7719/2003]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, डा. वल्लभभाई कथीरिया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2001-202 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7720/2003]

(3) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड़ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7721/2003]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7722/2003]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) रीजनल कैंसर सेन्टर, तिरुवनन्तपुरम् के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेन्टर, तिरुवनन्तपुरम् के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7723/2003]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 444 (अ), जो 17 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारत में उत्पादित तथा विशेष आर्थिक जोनों की इकाइयों द्वारा निर्यातित सभी प्रकार की चाय को उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण से छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7724/2003]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): महोदय, श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संघ सरकार (2003 की संख्या 4) (सिविल)-स्वायत्तशासी निकाय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7725/2003]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 272(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या 82/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 273(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 274(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों और एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों और कृषि, जल प्रबंधन और ग्रेनाइट उत्खनन क्षेत्र में लगी निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा माल के शुल्क मुक्त आयात को नियंत्रित करने वाली सभी मौजूदा अधिसूचनाओं का समेकन और अधिक्रमण करते हुए निर्यातोन्मुखी इकाइयों और एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा आयात किए गए माल को छूट प्रदान करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7726/2003]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा.का.नि. 265(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यातोन्मुखी इकाइयों, ईएचटीपी इकाइयों, एसटीपी इकाइयों और कृषि, जल प्रबंधन और ग्रेनाइट उत्खनन क्षेत्र में लगी निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा माल की शुल्क मुक्त प्राप्ति को नियंत्रित करने वाली सभी मौजूदा अधिसूचनाओं का समेकन और अधिक्रमण करते हुए निर्यातोन्मुखी इकाइयों और ईएचटीपी/एसटीपी इकाइयों द्वारा घरेलू स्रोतों से प्राप्त माल को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 266(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यातोन्मुखी इकाइयों और एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा घरेलू टेरिफ क्षेत्र में माल की बिक्री को नियंत्रित करने वाली सभी मौजूदा अधिसूचनाओं का समेकन और अधिक्रमण करते हुए शुल्क की रियायती दर की अदायगी पर घरेलू टेरिफ क्षेत्र में माल की बिक्री के लिए निर्यातोन्मुखी इकाइयों और ईएचटीपी/एसटीपी इकाइयों को अनुमति देना और निर्यातोन्मुखी इकाइयों और एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा घरेलू टेरिफ क्षेत्र में बेचे गए माल पर विशेष अतिरिक्त शुल्क की अदायगी से भी छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 267(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा विनिर्मित माल को उन पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा विभिन्न अतिरिक्त शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 268(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं का निरसन करता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 269(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाए गए माल पर विशेष अतिरिक्त-शुल्क की अदायगी से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 270(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय घरेलू संयंत्र और मशीनरी पर देशीय एरन्डी तिलहनों से निर्मित कैस्टर आयल केक को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की अदायगी से छूट देना है जबकि उसे विशेष आर्थिक जोन

में किसी ऐसी इकाई द्वारा भारत में लाया जाता हो जोकि 1 नवम्बर, 2000 से मुक्त व्यापार जोन के विशेष आर्थिक जोन में परिवर्तन से पहले मुक्त व्यापार जोन में विद्यमान थी और कार्य कर रही थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 271(अ) जो 31 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या 35/2002-के.उ.शु. का संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 319(अ) जो 4 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष आर्थिक जोन में इकाई को अपने विनिर्मित माल को शुल्क की अदायगी के बिना अग्रिम लाइसेंस धारक को अथवा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के बराबर शुल्क की अदायगी पर डी एफ आर सी धारकों को सप्लाई करने की अनुमति देना है जब उन्हें यह माल ऐसे अग्रिम लाइसेंस धारक/डी एफ आर सी धारक को जारी अग्रिम निर्गम आदेश के प्रति सप्लाई किया जाता हो तो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7727/2003]

(4) बैंकों तथा वित्तीय संस्थान को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320(अ) जो 8 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ऋण वसूली अधिकरण, पुणे का 3 अप्रैल, 2003 से स्थान परिवर्तन अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7728/2003]

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 11 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/कार्मिक/183/2001-2002 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दमोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 6 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कार्मिक/1146/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 24 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कार्मिक/1807 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बस्ती ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 26 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/कार्मिक/सी-187 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 4 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 38/1444 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कृष्णा ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 4 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या केजीबी/एचओ/पीईआर/513 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विवेश्वरैया ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 6 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वीजीबी/डीआर/आर-90/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 1 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर्स. सेक्ट/पीकेजी-2002-2003/290 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 3 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/1 (डी)/689 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 2 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/1278 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) चैतन्य ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 30 जनवरी, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलआर संख्या 099/3/10/89 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) हावड़ा ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 3 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचजीबी/पीएडी/एसएसआर/4724/2003 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भागीरथ ग्रामीण बैंक (अधिकारी तथा कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 10 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या प्राका/यूएस/सेवा विनियम/0322 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7729/2003]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): महोदय, श्री छत्रपाल सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) दि इंस्टीट्यूट आफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नालाजी, गुड़गाव के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि इंस्टीट्यूट आफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नालाजी, गुड़गांव के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7730/2003]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): महोदय, श्री हुक्मदेव नारायण यादव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो एंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7731/2003]

(ख) (एक) आन्ध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आन्ध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7732/2003]

(ग) (एक) तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7733/2003]

(घ) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1993-1994 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1993-1994 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7734/2003]

(ङ) (एक) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1986-1987 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1986-1987 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 5 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7735/2003]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए वर्ष 2001-2002 की संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर समीक्षा और की गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7736/2003]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7737/2003]

(3) (एक) स्पोर्टस गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्टस गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7738/2003]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2003 जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 102 में प्रकाशित, हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7739/2003]

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 101, जो 1 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित ट्रेड परीक्षण अथवा ट्रेडों या विषयों के साथ परीक्षा के संबंध में राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद विनिर्दिष्ट किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7740/2003]

(3) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 24 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 392(अ) जो 3 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1017 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7741/2003]

(4) (एक) सेन्ट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) सेन्ट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7742/2003]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, श्री अशोक प्रधान की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (क्षेत्रीय समितियों की स्थापना, अवस्थिति तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार) विनियम, 2002, जो 3 मार्च, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1-2/2000-एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7743/2003]

(2) (एक) असम प्राथमिक शिक्षा अचानी परिषद, गुवाहाटी के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम प्राथमिक शिक्षा अचानी परिषद, गुवाहाटी के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7744/2003]

(4) (एक) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7745/2003]

(6) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7746/2003]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 मई, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 मई, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 7 मई, 2003 का हुई अपनी बैठक में पारित विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक 2003 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

(तीन) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 मई, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 मई, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 7 मई, 2003 को पारित विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2003 सभा-पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 10 अप्रैल, 2003 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं:-

1. बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2003
2. विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक 2003

अपराह्न 12.03 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम): महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की हुई 30 से 33वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय—राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) का कार्यकरण—के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावुर): महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2001-2002)' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 25वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2002-2003)' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 35वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-की-गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2001-2002)' के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 26वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2002-2003)' के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 36वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(5) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2001-2002)' के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(6) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2001-2002)' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 28वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(7) जल संसाधन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2001-2002)' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(8) जल संसाधन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2002-2003)' के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 39वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में*

[अनुवाद]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मुझे संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाओं के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

स्टाक बाजार घोटाले और तत्संबंधी मामलों से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट 19 दिसम्बर, 2002 को संसद में पेश की गई थी। इसने अनुशंसित किया था कि सरकार 6 महीने के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि संयुक्त संसदीय समिति की यथासंभव अधिक से अधिक अनुशंसाएं कार्यान्वित हों।

हम घोटाले के कारणों का पता लगाने और निवारक उपाय सुझाने में इसके व्यापक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति के आभारी हैं। संयुक्त संसदीय समिति के विचार-विमर्श से सरकार को बड़ा लाभ हुआ है। इसने समिति की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भी सेबी अधिनियम, में कुछ संशोधन शुरू करने में सहायता की है। इन संशोधनों के माध्यम से प्रतिभूति बाजार के चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने, इन्साईडर ट्रेडिंग और विभिन्न स्क्रिपों की मूल्य धोधाधड़ी में शामिल दलालों और कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सेबी की शक्तियों को बढ़ाया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस समिति की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान यूटीआई अधिनियम, निरस्त कर दिया गया। दिनांक 1 फरवरी, 2003 से यूटीआई को द्वि-विभाजित कर दिया गया है: यूटीआई-1 में यूएस-64 और सुनिश्चित लाभ योजनाएं शामिल हैं और यूटीआई-2 में निवल आस्ति मूल्य आधारित योजनाएं शामिल हैं।

स्टाक एक्सचेंजों के निगमीकरण और पृथक्कीरण के बारे में महत्वपूर्ण अनुशंसाओं के संबंध में सरकार ने प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1963 में संशोधन के उपाय शुरू किए हैं। इसी बीच, दलाल सदस्यों को स्टाक एक्सचेंजों का पदाधिकारी बनना अस्वीकृत कर दिया गया है। सेबी और सरकार ने बाजारों

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7747/2003।

की दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने तथा निवेशकों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक और उपाय भी किए हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 'सेबी' ने एक्सचेंजों के निरीक्षण के लिए एक अलग प्रभाग स्थापित किया है और सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूएस-64 योजना और सुनिश्चित लाभ योजनाओं के निवेशकों को किए गए वायदों का सम्मान करने के लिए कदम उठाए हैं। सभी निवल आस्ति मूल्य आधारित योजनाओं का प्रबंध यूटीआई-2 द्वारा किया जा रहा है, जो सेबी की अनुवर्ती है।

सरकार का प्रयास रहा है कि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों/सुझावों में प्रत्येक पर अमल किया जाए तथा शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही पूरी की जाए। कुछ मामलों में, जहां गलती करने वालों की पहचान की जानी और उन्हें सजा दी जानी है, कार्यवाही शेष है। हम सुनिश्चित करेंगे कि जहां भी ऐसी कार्यवाही लंबित है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए।

अपराह्न 12.08 बजे

(दो) भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपणयान (जी एस एल वी)-डी-2 की दूसरी परीक्षण उड़ान के सफल प्रक्षेपण के बारे में*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि जी.एस.एल.वी.-डी.2 राकेट की द्वितीय परीक्षण उड़ान सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोटा से मई 8, 2003 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

जी.एस.एल.वी.-डी2 एक तीन-चरण वाला राकेट है। यह चार द्रव स्ट्रैप-आनों सहित प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक का तथा द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक का उपयोग करता है। जबकि क्रायोजेनिक तृतीय चरण की आपूर्ति रूस ने की है, इस चरण के नियंत्रण, मार्गदर्शन और इलेक्ट्रानिकी का डिजाइन, विकास और क्रियान्वयन इसरो के वैज्ञानिकों ने किया है। 49 मीटर ऊंचा प्रौद्योगिकीय रूप में जटिल जी.एल.एल.वी.-डी2 राकेट का भार 400 टन है, जिसने जीसैट-2 उपग्रह को लेकर सांय 4.58 मिनट पर उड़ान भरी। सही विलोम गणना तथा लगभग 17 मिनट की सहज उड़ान के बाद, जीसैट-2 अन्तरिक्षयान को इसकी वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। जी.एस.एल.वी.-डी2 ने 1825 किलोग्राम भार की नीतभार क्षमता को उल्लेखनीय रूप में सिद्ध कर दिया है, जोकि इसकी प्रथम परीक्षण उड़ान में प्रमोचित भार की तुलना में लगभग 300 किलोग्राम अधिक है। यह कार्य स्ट्रैप-आनों के लिए उच्चतर प्रैशर इंजनों के उपयोग, को ठोस चरण के लिए उन्नत प्रणोदक भरण के आयोजन, और संरचनात्मक अवयवों के इष्टतमीकरण जैसे सुधारों द्वारा संभव किया गया। जी.एस.एल.वी.-डी2 की इस सफल उड़ान ने प्रथम उड़ान के दौरान प्रदर्शित विविध प्रौद्योगिकियों को वैध बनाया तथा द्वितीय उड़ान के दौरान इनमें सुधार किया।

जीसैट-2 उपग्रह से प्राप्त प्रथम संकेतों से पता चला है कि उपग्रह का स्वास्थ्य सामान्य है। जीसैट-2 उपग्रह को आगामी दिनों में इसकी अन्तिम भू-तुल्यकाली कक्षा में पहुंचाया जायेगा, जिसके बाद इसके सौर व्यूहों और एंटेनाओं का प्रस्तरण किया जायेगा। यह उपग्रह, संचार और मोबाइल उपग्रह सेवाओं के लिए प्रेषानुकरों के साथ-साथ, चार वैज्ञानिक परीक्षण भी ले गया है।

जी.एस.एल.वी.-डी2 की इस सफल उड़ान ने, 2000 किलोग्राम भार की श्रेणी के प्रचालनात्मक संचार उपग्रहों के प्रमोचन की क्षमता स्थापित कर दी है। इस प्रौद्योगिकीय चुनौती वाले मिशन को पूरा करने से, भारत में उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों द्वारा समर्थित इसरो केन्द्रों के प्रयासों की पूर्ति हुई है।

मैं इस सम्मानित सदन से अनुरोध करता हूं कि वे भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा जी.एसएल.वी.-डी2 के सफल प्रमोचन से संबद्ध अन्य प्रतिभागियों को बधाई देने में मेरा साथ दे।

महोदय, यदि मैं ताजा स्थिति बताऊं तो उसे वर्तमान भू-तुल्यकारी हस्तांतरण कक्षा से ऊपर उठाने के लिए जीसैट-2 उपग्रह पर बहुकक्षीय प्रमोचन की योजना बनायी गयी है। इनमें से प्रथम कक्षीय प्रमोचन को उपग्रह पर स्थित 440 न्यूटन लिक्विड अपोजी मोटर को आज सुबह 8.45 बजे 47 मिनट 30 सैकिण्ड की अवधि तक चला कर सफलतापूर्वक किया गया था। उपग्रह सामान्य ढंग से कार्य कर रहा है।

---

* ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7748/2003।

अपराह्न 12.13 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विख्यात स्वतंत्रता सेनानी श्री जगदीश भाई को राजकीय सम्मान से कथित रूप से वंचित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सभा अब योगी आदित्यनाथ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेगी।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल लाना चाहता हूं। श्री जगदीश भाई स्वतंत्रता सेनानी थे। जब जयप्रकाश नारायण, हजारीबाग जेल से भागे, तो पुलिस को यह दिखाने के लिए कि जयप्रकाश नारायण अपनी चारपाई पर सोए हुए हैं, श्री जगदीश भाई उनकी चारपाई पर लेटे। उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत जोखिम उठाई, लेकिन उनके निधन पर, जबकि पूरी केन्द्र सरकार को सूचना थी और दिल्ली सरकार को सूचना थी, लेकिन उनके निधन पर उन्हें जो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, वह नहीं मिला। श्री जगदीश भाई ने स्वतंत्रता की लड़ाई जयप्रकाश नारायण के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। देश की आजादी के संघर्ष में उन्होंने पूरा का पूरा योगदान दिया और देश आजाद होने के बाद, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के निधन पर न दिल्ली सरकार ने, न केन्द्र सरकार ने और न ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सम्मान दिया। यह अत्यन्त अमानवीय कार्य, जो नहीं होना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वेश्चन-आवर सस्पेंशन का, एडजार्नमेंट का मोशन दिया। यहां अरुण जेटली जी बैठे हुए हैं। श्री जगदीश भाई संपूर्ण क्रांति के अगुआ नेताओं में से थे। उनके अनेक सहयोगी यहां बैठे हुए हैं। जे.पी. मूवमेंट के स्तम्भ श्री जगदीश भाई थे। उनके नेतृत्व में हमने काम किया। जब जे.पी. हजारीबाग जेल से भागे, तो जे.पी. की चारपाई पर वे इसलिए लेटे ताकि पुलिस को भ्रम बना रहे कि जे.पी. अपनी चारपाई पर सो रहे हैं। उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो श्री चन्द्रशेखर जी के कार्यालय से प्रधान मंत्री कार्यालय को सूचित किया जाता है, उप प्रधान मंत्री जी को खबर कर दी गई। गृह मंत्री जी ने कहा कि उनके सम्पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अन्त्येष्टि की व्यवस्था कर रहे हैं। उनका वाराणसी में 6 तारीख को देहान्त हो गया, लेकिन उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। जिनके बल पर आज हम सदन में बैठे हुए हैं, जिनके बल पर देश को आजादी मिली, जिनकी वजह से हम लोग चुनकर सदन में आए, उन्हीं लोगों की सरकार स्वतंत्रता सेनानी के देहान्त पर, उन्हें सम्मान न दे, तो यह बहुत अफसोस की बात है।

महोदय, बहुत कम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश में बचे हैं। यदि हमारी सरकार उन बचे हुए स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मान नहीं दे सकती है, तो उस सरकार को वहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। केन्द्र सरकार ने भले ही उन्हें सम्मान नहीं दिया हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करता हूं कि सरकार भले ही उन्हें सम्मान न दे, लेकिन इस सदन द्वारा उन्हें सम्मानित करना चाहिए और आपकी ओर से उनके परिवार को संदेश जाना चाहिए। कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, यह सदन उनका सम्मान करता है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष जी, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि यह अत्यन्त दुखद सवाल है। यह बात सही है कि श्री जगदीश भाई की मृत्यु सही मायने में 5 तारीख को ही हो गई थी। उस दिन मुझे सांयकाल 4 बजे खबर आई, लेकिन डाक्टरों ने उसकी घोषणा नहीं की। उसके आधार पर प्रधान मंत्री, उपराष्ट्रपति और मुझे बताया गया और गृह मंत्री महोदय को भी सूचना दी गई। प्रधान मंत्री महोदय ने शोक संदेश भी भेजा। उपराष्ट्रपति महोदय ने भी उनकी मृत्यु पर शोक-संदेश भेजा। अखबार में छपा, गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री को कह दिया है कि उनकी अन्त्येष्टि पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ की जाए, लेकिन इस सबके बावजूद 5 तारीख को जब मैं 8.15 बजे वहां पहुंचा, तो कोई सरकारी अधिकारी उपस्थित नहीं था। अब तक तो सरकार की कृपा रही है कि मेरे जाने पर सरकारी अधिकारियों को खबर होती है कि मैं आ रहा हूं। सब को मालूम था कि मैं उस दिन उन्हीं की अंत्येष्टि के लिए आ रहा हूं, लेकिन साढ़े ग्यारह बजे जब उनकी लाश को लेकर हम घाट पर गए तो वहां सरकार का कोई अधिकारी नहीं था। मैं वहां मौजूद था और साढ़े 12 बजे से एक बजे तक वहां रहा। मैं जब वहां से चला आया, जब उनकी चिता जल कर समाप्त हो रही थी तो उस समय वहां कोई तहसीलदार रैंक का आदमी फूलों की माला लेकर गया, लेकिन वहां बैठे लोगों ने उसे उनके नजदीक नहीं जाने दिया। मेरे लिए कोई भी अधिकारी नहीं आता है, यह तो उत्तर प्रदेश में सामान्य बात है। मैं देश में जहां भी जाता हूं, वहां मेरे साथ लोग जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों को छोड़कर अधिकारियों का जाना कोई जरूरी नहीं है। मैं वहां से सीधे जयप्रकाश नगर गया और दिन भर वहां रहा। सिवाए वहां के थानेदार और सीओ के जो डिप्टी एसपी होते हैं, जो हमारे लिए थे, कोई बलिया का अधिकारी उस जगह पर नहीं गया।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि हम राजनीति को कहां तक ले जाएंगे। जगदीश भाई जयप्रकाश नारायण जी के केवल सचिव ही नहीं थे, बल्कि वे 1938 में आंदोलन में आए थे। जयप्रकाश जी 1942 में जब हजारीबाग जेल से भागे थे, जैसे मुलायम सिंह जी ने कहा, उस समय वे शैय्या पर सोए हुए थे। उन्होंने पूरी जिन्दगी जेल में बिताई और जेल से निकलने के बाद 1951 में जयप्रकाश जी ने कहा कि आप हमारा घर बना दीजिए। 1951 से लेकर मृत्युपर्यन्त वे उस गांव में रहे। सारे गांव और उस इलाके के लोग आश्चर्य कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार और अधिकारियों तरफ से उन्हें कोई सम्मान देने के लिए क्यों नहीं आया। गृह मंत्री जी इस समय यहां नहीं बैठे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या गृह मंत्री जी की सूचना पर भी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? ये सारी बातें अखबारों में छपी हैं, ये सब जानने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। किस तरह सरकार चल रही है? क्षमा करेंगे, हमारे जो सरकार चलाने वाले मंत्री यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के लिए कहां तक मर्यादा को तोड़ेंगे। चुनाव भले जीत जाएं, आप लोग देश को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में यह घटना साधारण नहीं है। मुलायम सिंह जी ने जगदीश भाई को नि:स्वार्थ कहा। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। वहां जो स्मारक है, वे उसके सचिव थे। वहां प्रधानमंत्री जी और उप प्रधानमंत्री जी भी गए थे। दो-दो उपराष्ट्रपति वहां गए थे। उन्होंने कभी स्टेज पर जाने की कोशिश नहीं की और कभी उनके साथ उनका चित्र नहीं खींचा गया, वे इस तरह के व्यक्ति थे। जहां ये रहते थे, मैं भी उस ट्रस्ट का मेम्बर हूं। वे ट्रस्ट के पैसे से खाना नहीं खाते थे, अपने पेंशन के पैसे से खाते थे। इस तरह के आदमी के साथ ऐसा व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और उप-राष्ट्रपति जी ने इसके लिए संवेदन प्रकट की है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का दिमाग कुछ ज्यादा खराब हो गया है, उनका दिमाग ही नहीं खराब हुआ है, बल्कि उन्होंने सारे देश की मर्यादाओं और परम्पराओं को तोड़ने का एक जघन्य काम किया है। मैं जगदीश भाई से बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वहां जिस तरह प्रशासन चल रहा है अगर वैसे ही चलता रहा तो मेरे जैसे आदमी को भी कहीं ऐसा कोई कदम न उठाना पड़े कि इसी सदन में, जहां हम आज आपको एक साल पूरा करने के लिए बधाई देने वाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी पोटा में गिरफ्तार कर दिया जाए और उसकी सूचना आपको न मिले। ...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, अभी जो विषय आदरणीय चन्द्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी और पासवान जी ने यहां रखा है, वह एक बहुत दुखद प्रसंग है। चन्द्रशेखर जी, द्वारा व्यक्त की गई वेदना और दुख में मैं स्वयं भी शिरकत करती हूं और सरकार की तरफ से भी साझेदारी प्रकट करती हूं।

अध्यक्ष जी, जो लोग भी जयप्रकाश जी के करीबी रहे हैं, वे जगदीश भाई से अपरिचित नहीं थे। चन्द्रशेखर जी स्वयं जानते हैं कि मैं खुद उनके बहुत करीबी अनुयायियों में से रही हूं। मुझे जयप्रकाश जी का बहुत स्नेह प्राप्त रहा है, इसलिए मुझे मालूम है कि जगदीश भाई का क्या रिश्ता जयप्रकाश जी के साथ था। चन्द्रशेखर जी, मैं अदब के साथ सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि इसमें कोई राजनीति नहीं हुई है। उन्होंने स्वयं यह कहा कि प्रधानमंत्री जी और उपराष्ट्रपति जी का शोक संवेदना संदेश पहुंचा और गृहमंत्री जी ने यह कहा कि वे आगे खबर करवा देंगे। लेकिन जैसे उन्होंने यह सवाल पूछा है कि गृहमंत्री जी के आदेशों के बाद भी उनका अनुपालन क्यों नहीं हुआ? यह घटना कैसे घटी की कि कोई सक्षम अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। हम निश्चित तौर पर हम इस बात की जांच करवाएंगे। जो इस समय भावनाएं व्यक्त की गई हैं, वे भी गृहमंत्री जी तक पहुंचेंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि सरकार की ओर से भी और सदन की ओर से भी हम सब सादर आदरणीय जगदीश भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसमें जो चूक हुई है, उस चूक के ऊपर भी जो कार्रवाई उचित होगी, वह निश्चित तौर पर सरकार करेगी। उनकी वेदना और शोक में मैं अपने आपको पुन: सम्बद्ध करती हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, जगदीश भाई को हम सब श्रद्धांजलि और सम्मान अर्पित करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके लिए ऐसी सम्मान की भावना नहीं दिखाई गयी है। अब देखें कि सरकार क्या करती है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, आप चेयर की तरफ से भी दो लाइन बोल दीजिए।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): अध्यक्ष जी, सब लोग कह रहे हैं कि इसमें एक प्रस्ताव बनाकर सदन में पेश हो जाये तो जो कुछ भावनाएं यहां व्यक्त हुई हैं और जो गलती हुई है, वह यहां ठीक हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय: जगदीश भाई के बारे में यहां जो कुछ कहा गया, वह सच है। सदन की संवेदना मैं समझ सकता हूं और इसलिए मैं सभी से विनती करता हूं कि एक मिनट के लिए खड़े रहें और जगदीश भाई को श्रद्धांजलि दें।

अपराह्न 12.22 बजे

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

अपराह्न 12.24 बजे

अध्यक्ष महोदय को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हम आपको कार्यकाल का एक साल पूरा करने के लिए बधाई देते हैं। आगे भी आपको हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आपने जिस तरह से उत्तेजित सदन को शान्त किया, इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं। यह जो सत्र है, इमसें आपने परम्पराओं और मर्यादाओं का पालन किया है, हम आपके इस कार्यकाल को नहीं भूलेंगे और आगे भी आप इस सदन को इसी तरह से चलाते रहें, इसके लिए हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) कालिंग अटेंशन मोशन लेने के पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारे के सारे सदस्यों को एक साल पूरा होने के बारे मे तो मालूम भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को मालूम है। जब एक साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो एक साल के दरम्यान जिस तरीके से, जिस दक्षता से आपने सारी चीजों के बावजूद भी हाउस की कार्यवाही को चलाया है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्लियामेंट के इस सत्र का आज अन्तिम दिन है, जिस तरह से आपने सदन के कार्य को चलाया है और किसी को आपने गलत आभास नहीं होने दिया, जो प्रिजाइडिंग आफिसर्स का होना चाहिए। जज की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, आपने सब को न्याय देने का काम किया है। इसके लिए हर पार्टी के लोग, हर वर्ग के लोग आपके प्रति अनुगृहीत हैं। हम आपको और आपके स्टाक को, जिस तरह से लगन के साथ स्टाफ के लोग, सैक्रेट्रिएट के लोग भी काम कर रहे हैं, हम सब को अपनी ओर से और अपने तमाम साथियों की ओर से बधाई देते हैं। आप दीर्घायु हों और इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, वाकई यह एक अत्यंत सुखद अवसर है। देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था की कार्यवाही की अध्यक्षता आपने जिस तरह से की है उसके लिए आपको बधाई देते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

महोदय, कल आप एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं मैं न सिर्फ आपको बधाई देना चाहता हूं बल्कि आपकी निरंतर सफलताओं के लिए भी हम कामना करता हूं।

सभा का प्रत्येक वर्ग यह महसूस करता है कि आप एक मित्र की भांति हैं। न सिर्फ यहां उपस्थित सदस्यों के बल्कि सम्पूर्ण विपक्ष के भी मित्र हैं और ऐसा अध्यक्ष हैं जो कि संसदीय लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों को बनाये रखने में अत्यंत सजग हैं। हमें आपकी ओर से सदैव पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है और हम इस बात से प्रसन्न है कि आपके अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हमारे द्वारा आपमें व्यक्त विश्वास सही साबित हुआ है।

महोदय, आप एक बहुत बड़े परिवार की अध्यक्षता कर रहे हैं—जो सदस्यों का परिवार है, संपूर्ण सचिवालय और कर्मचारियों का परिवार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक सदस्य प्रसन्नता महसूस करेगा जैसा कि वह आपकी व्यवस्थाधीन प्रसन्नता महसूस करता ही है। हमारी पार्टी और सदस्यों की ओर से मैं आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करने का विश्वास दिला सकता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि सम्पूर्ण विपक्ष भी इसमें हमारे साथ है। हम आपकी सफलता चाहते हैं क्योंकि आपने अपनी सामर्थ्य दिखायी है, आपने जिस प्रकार सदन का संचालन किया है उससे हमारी निष्ठा और विश्वास जीत लिया है।

महोदय, एक बार फिर मैं आपकी निरंतर सफलताओं की कामना करता हूं ताकि यह महान संस्था जनता की संस्था बन सके।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अध्यक्ष पद पर एक साल पूरा करने के उपलक्ष में, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे पूर्ववक्ताओं ने जो भी अपनी संवेदनाएं और विचार व्यक्त किये, उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। सदन की गरिमा को कायम रखते हुए आपने जिस सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चलाई, उसके लिए हम आपको सुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपका कार्यकाल इसी तरह का हो। इसके लिए हम आपको शुभेच्छा देते हैं और आपके अच्छे आरोग्य की कामना भी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपका अभिनंदन करता हूं।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष जी, जिन विषम परिस्थितियों में आपने धीरजपूर्वक और यदि मैं कहूं कि साहसपूर्वक इस सदन को चलाया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप इन परिस्थितियों को पार करेंगे। कभी-कभी मन में शंका होती है कि कहीं आपके रहते ही यह यह संसद निष्क्रिय न हो जाये क्योंकि जिस तरह का भाषण यहां हर परिस्थिति में दिया जाता है, मैं भी उनका जवाब देना जानता हूं लेकिन परिस्थितियों को देखकर मैं चुप रहता हूं। लेकिन जिस प्रकार से आपने संयम दिखाया, साहस दिखाया, धीरज दिखाया और कुशलतापूर्वक इस सदन को चलाया, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरी शुभकामनायें हैं कि आप इसी प्रकार से इस सदन को आगे भी चलाते रहेंगे।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से आपके एक वर्ष तक इस पद पर कुशल एवं सफल रूप से कार्य करने के लिए आपको बधाई देता हूं और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस सदन में कुल मिलाकर 35-40 पार्टिया हैं। इन पार्टियों के बीच में यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अनेक पार्टियों के गठजोड़ हैं। उन सबके बीच में सदन को चलाना बहुत ही कठिन काम है। इस कठिन काम को आपने जितनी कुशलता से चलाया है, हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से सदन चलता रहेगा।

यह शायद पहला अवसर है जब किसी स्पीकर का एक वर्ष पूरा होने के बाद उसका अभिनंदन इस रूप में किया गया हो। मैं समझता हूं कि यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सभी लोग मिलकर एक वर्ष पूरा होने पर इस तरह से आपको बधाई दे रहे हैं। मैं एक बार पुन: आपका अभिनंदन करता हूं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय: थोड़े से लोग बोलने वाले हैं, वे पहले बोल लें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं भी पांच मिनट बोल लूं। सारे लोग तो बोल ही लेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको तो मैं बोलने की इजाजत देने वाला हूं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: कोई और बोलने वाला नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं। मैं खुद बहुत ऐम्बैरेसमेंट फील कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: इससे पता चलता है कि मंत्री जी का कोई पक्ष नहीं ले रहा है।

अध्यक्ष महोदय: इसने मुझे उलझन में डाल दिया है।

[हिन्दी]

आप तो जानते हैं। मैं थोड़ा ही वक्त दूंगा। पांच-दस मिनट में हम इसे पूरा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं एक के बाद एक को बुलाऊंगा। आप सब एक-एक मिनट में इसे पूरा करिये। सदन का समय इस काम में ज्यादा नहीं जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, एक साल इंतहाई खूबसूरती के साथ स्पीकर की हैसियत से आपने पूरा किया, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इस हाउस को चलाने में जिस हिम्मत का साथ आपने दिया, जिस तरह से आपने सदन को चलाया उसमें सखावत भी थी और शुजाअत भी थी, हिम्मत भी थी और नजाकत भी थी। उन तमाम खूबियों के साथ आपने इस हाउस को चलाया। बहुत परेशानियों और मुश्किल वक्त के अंदर भी आपने सब्र और हिम्मत का साथ हाथ से नहीं छोड़ा। मेरी तमाम तरनेक ख्वाहीशात आपके साथ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी आप हाउस को इसी तरह चलाएंगे। मैं खुदावंद करीम से दुआ करता हूं कि आपको इस हाउस को इसी तरह कम्पीटैंस के साथ चलाने के लिए ताकत अता फरमाएं।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, मैं द्रमुक दल की ओर से आपके कार्यकाल का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने पर आपको बधाई देता हूं। आपने राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व देकर तथा सर्वसम्मति से निर्णय लेकर सभा की छवि को सभा के भीतर तथा बाहर बेहतर बनाया है। मुझे आशा है कि आप भविष्य में भी सफल होंगे।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्ना द्रमुक दल के सदस्यों की ओर से मैं आपको बधाई देती हूं कि आपने सभा में कठिन स्थिति का बखूबी सामना किया हैं। आपने वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों सदस्यों को समान अवसर दिए है। मैं आज इस देश की 51 करोड़ महिलाओं की ओर से अनुरोध करती हूं और आशा करती हूं कि आपके कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाएगा।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं, उस पद के लिए कम से कम दो गुणों का होना आवश्यक है—निष्पक्षता और योग्यता। आप दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं। इस वजह से इस कठिन कार्य को आप गतिशील व्यक्तित्व और निर्भीकता के साथ चला रहे हैं। इससे देश की महान जनता की समस्याओं को उजागर करने का काम आपके नेतृत्व में हो रहा है। गांवों के लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं को आपके निर्देशन और परिवेक्षण में हम यहां रख पाते हैं। इसलिए सालभर का समय आपने जिस परिस्थिति में उस पद पर रहकर संभालने का काम किया, इससे लोकतंत्र की गरिमा, संसदीय जनतंत्र की मर्यादा की बढ़ोत्तरी हो रही है और लोकतंत्र का मजबूतीकरण हो रहा है। सालभर के उपलक्ष्य में आपने उस पद का गरिमा के साथ निर्वहन किया और तमाम माननीय सदस्यों और जनाकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए समस्याओं को उजागर करने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बधाई देता हूं और आगे शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह ...*(व्यवधान)* असलियत में यह हम लोगों के अधिकार का मौका है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार): माननीय अध्यक्ष जी, आपका आज एक वर्ष पूरा हुआ है। इस अवसर पर माननीय राम विलास जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी,आदरणीय सोमनाथ जी और अन्य सदस्यों ने जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, मैं भी उसमें अपनी सहमति देता हूं। आज के दिनों में सदन चलाना कसरत करने जैसा है। जिस समय आपने उस आसन को ग्रहण किया था, बधाई देते हुए कई माननीय सदस्यों ने आशंका प्रकट की थी कि कहीं आप रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित तो न होंगे। लेकिन एक वर्ष की अवधि में आपने अपनी दक्षता, निष्पक्षता और निर्पेक्षता के साथ जिस तरह अपने अधिकारों का निर्वहन किया, यह निश्चित तौर पर जादू है जो सर चढ़कर बोला और आज सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं भी उसमें हूं और अपनी पूरी शुभकामना देता हूं कि आपकी आयु लम्बी हो, आप बार-बार जीतकर आएं और इसी तरह हम लोगों की सदारत करें। लाख-लाख धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदम्बरम): महोदय, हमें आप पर गर्व है। आपने अपनी प्रशासनिक क्षमता तथा सार्वजनिक जीवन के अनुभवों से सभा का मार्गदर्शन किया है। आपका व्यवहार सभी के साथ अच्छा रहा है। एक 'कूरल' है जो इस तरह शुरू होती है:

''काड़ीलोचची मेल्ला इरिया''

इसका अर्थ है कि आप डंडा तो उठाएं लेकिन उससे मारना नहीं चाहिए। कई बार जब आवश्यक था तो आप बहुत कठोर रहे और कभी आवश्यकतानुसार आप काफी नरम भी रहे। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि अपने अनावश्यक रूप से सभा को स्थगित नहीं किया। आप बहुत अच्छी तरह से इस सभा को नियंत्रित करते रहे हैं। आप इस सभा के प्रत्येक सदस्य को अवसर प्रदान करने में उदार रहे हैं। हम सभी आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम पी.एम.के. दल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): मैं अपनी तरफ से और मुस्लिम लीग की तरफ से दिल-ए-मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि आप जिस बेहतरीन अन्दाज के अंदर इस ऐवान को चला रहे हैं, वह स्पीकर के ओहदे और इस कुर्सी की अजमत और इसकी शान को बढ़ा रहा है। आपने कामनसेंस और रूल्स दोनों को मिलाकर ऐसी शानदार रवायत कायम की है जो अपनी मिसाल आप है। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से यह ऐवान चलता रहेगा। इस वक्त भी देखिए, जीरो आवर है और कितने शांत और सीरिन तरीके से हम यहां पर बैठे हैं और किसी को अपने जीरो आवर नोटिस का ख्याल नहीं आ रहा है। कम से कम इस वक्त किसी की तकरीर पर कोई टाइम लिमिट नहीं लगाइए और हमें जितना बोलना है, बोलने दीजिए क्योंकि तकाजा है कि जिस अंदाज में हमारा हाउस चलता रहा और काम करता रहा है, उसके लिए आप काबिले-मुबारकबाद हैं कि आपने टरब्यूलेंट से टरब्यूलेंट हाउस का शानदार ताउन हासिल किया है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी शान के साथ आपकी सदारत और स्पीकरशिप में यह ऐवान चलता रहेगा।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونناني): میں اپنی طرف سے اور مسلم لیگ کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ جس بہترین انداز کے اندر اس ایوان کو چلا رہے ہیں، وہ اسپیکر کے عہدے اور اس کرسی کی عظمت اور اسکی شان کو بڑھا رہا ہے۔ آپ نے کامن سینس اور رولس دونوں کو ملا کر ایسی شاندار روایات قائم کی ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ ہمیں اُمید ہے کہ اسی طریقے سے یہ ایوان چلتا رہے گا۔ اس وقت بھی دیکھئے، زیرو آور ہے اور کتنے سکون اور سیدھے طریقے سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اپنے زیرو آور نوٹس کا خیال نہیں آ رہا ہے۔ کم سے کم اس وقت کسی کی تقریر پر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں لگائیے اور ہمیں جتنا بولنا ہے، بولنے دیجئے کیونکہ تقاضا ہے کہ جس انداز میں ہمارا ہاؤس چلتا رہا ہے اور کام کرتا رہا ہے، اس کے لئے آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے ٹربیولینٹ سے ٹربیولینٹ ہاؤس کا شاندار تعاون حاصل کیا ہے۔ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور اُمید کرتے ہیں کہ اسی شان کے ساتھ آپ کی صدارت اور اسپیکر شپ میں یہ ایوان چلتا رہے گا۔ شکریہ!

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, अत्यधिक हर्ष और निष्ठा से मैं आपके शासन का एक वर्ष पूरा होने पर आपको बधाई देती हूं। पिछले एक वर्ष से यह काफी अशांत और कोलाहलपूर्ण रहा। कुछ विधेयकों ने सभा में हंगामा खड़ा कर दिया और हमारी भावनाओं को उद्धेलित कर दिया। मैं आपको कहना चाहती हूं कि कई बार मुझे भी आपके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, उस संरक्षण का क्या है हुआ जो हमें इनसे चाहिए।

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, जब हम अनेक महिलाओं के पक्ष का समर्थन करते हैं तो हम हमेशा आशा करते हैं कि यहां और अधिक रेणूका चौधरी होनी चाहिए। मेरे विचार से यह आंशिक कारण है कि वे इस सभा में महिला आरक्षण विधेयक को पारित नहीं करने देते।

इसके अलावा, हम इस राष्ट्र के दूरस्थ क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं जो संसद में भारत की जनता के हित और कल्याण को देख रहे हैं, संसद की सर्वोत्तम परम्पराओं को तथा इस राष्ट्र की प्रभुसत्ता को बनाए हुए हैं। कभी जगह हम भावुक हुए, आपने हमारा उचित मार्गदर्शन किया। मैं आपके स्वास्थ्य और सुख की कामना करती हूं और यदि वित्त मंत्री तथा संसद इच्छुक हों तो कर मुक्त अवकाश की भी कामना करती हूं।

अगले चुनावों तक आपको शुभकामनाएं देती हूं।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) अध्यक्ष महोदय, आपने जिस बहादुरी के साथ और जिस विनम्रता के साथ बतौर अध्यक्ष इस सदन की कार्यवाही को चलाया है और एक साल पूरा किया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से हार्दिक मुबारकबाद देता हूं और जो गुण हमने देखे हैं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की याद करते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से परिवार के मुखिया के नाते स्वर्गीय देवीलाल जी लोगों को जोड़ते हुए इस देश की राजनीति को एक नयी दिशा देते थे, आपने भी सारी पार्टीज को जोड़कर जिस बहादुरी के साथ और जिस योग्यता के साथ इस सदन को चलाने का काम किया है, वह काबिले-तारीफ है और इसके लिए हम बार-बार आपको मुबारकबाद देते हैं। भविष्य में भी हम उम्मीद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसी योग्यता के साथ आप कामयाब होते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद): महोदय, मैं अपने दल की ओर से आपका एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने पर आपको बधाई देता हूं। आपने जिस तरह से सभा का संचालन किया, वह प्रशंसनीय है। आपने हमारे अलग-अलग विचारों को बड़े धैर्य से सुना।

[हिन्दी]

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि बहुत से सांसदों को आपने उनका छात्र जीवन याद करा दिया है। एक हैड मास्टर के रूप में आपने बड़े सुचारू रूप से काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आने वाला वर्ष है, उसमें थोड़ा समय आप छोटी पार्टियों को भी देंगे। इस उम्मीद के साथ आपको बहुत-बहुत बधाई।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिरोमणि अकाली दल तथा अल्पसंख्यकों की ओर से आपको बधाई देता हूं और हमारे वाक् स्वतंत्र्य तथा विशेषाधिकारों के संरक्षक के रूप में आपकी निष्पक्षता के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपने उल्लेखनीय कार्य किया है जिसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

महोदय, यदि विपक्ष, जिसका मैं सदस्य हूं, आपको ईमानदारी से बधाई दे रहे हैं तो मुझे आशा है कि सदन ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र की पुरानी परम्पराओं का अनुसरण करेगा और भावी चुनानों में आपके विरुद्ध किसी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देगा।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, आप कांटों के सिंहासन पर बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपने इसे वास्तव में फूलों का सिंहासन बना दिया है। आपका अत्यधिक धैर्य-शिष्टाचार, जैसा कि श्री जयपाल रेड्डी ने इस शब्द का प्रयोग किया है—आपकी राजनीतिज्ञता, आपका अनुभव, आपका व्यवहार, और मामले से निपटने का आपका तरीका एकदम अनोखा है। मेरे विचार से आपने सभी को बोलने का अवसर दिया फिर चाहे वह वरिष्ठ सदस्य हो या कनिष्ठ, बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी। आपकी नजर सब पर रहती है। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपको आने वाले समय में भी सफलता मिलती रहेगी। मैं, अपने दल की ओर से आपको शुभकामना देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने (इचलकरंजी): अध्यक्ष महोदय, आज आपके कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो गया है। उसके लिए मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी आपको हार्दिक बधाई देती हूं। मैं आपके सुखी, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करती हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए बधाई देता हूं।

[श्री रामदास आठवले]

आपने बहुत ही अच्छा एक साल पूरा किया।
सारे सांसदों को आपने बहुत प्यार दिया।
आपने विरोधी दल और सरकारी पक्ष को
कभी-कभी क्रोध दिया।
इसीलिए आपने एक साल पूरा किया।
आज का यह आवर, है जीरो।
मगर आज जीरो आवर के बन गए हैं आप हीरो।

इस हाउस में हमारे जैसे और रघुवंश बाबू जैसे सदस्य हैं, इस हाउस को चलाना कितना मुश्किल है, यह आपने भी महसूस किया होगा। लेकिन फिर भी आपने बखूबी हाउस को चलाया। आपकी पार्टी का करेक्टर अलग होगा, लेकिन आपका करेक्टर अलग है। यहां आपने सबको सम्भालने का काम किया है। आपके लोक सभा अध्यक्ष के रूप में एक साल का कार्य पूरा करने पर मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही आने वाले डेढ़ साल के लिए भी आपको बधाई देता हूं। डेढ़ साल के बाद क्या होगा, यह मुझे पता नहीं है। हम आपको आगे भी सहयोग करते रहेंगे। मुझ जैसे सदस्य का भी आपने आदर किया, हम भी आपका आदर करते हैं। आप इसी तरह काम करते रहें और हाउस को चलाते रहें। हम जैसी कई छोटी पार्टियां हैं। आज तो हमारा एक मैम्बर है, भारतीय जनता पार्टी के 1982 में दो मैम्बर थे लेकिन अब उनके 182 मैम्बर हैं। हमारी पार्टी के भी दस साल के बाद 100 या 182 मैम्बर बन सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने हमें मौका दिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): अध्यक्ष जी, आपका एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर आपको मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। जिस निष्पक्षता और योग्यता के साथ आपने हाउस में काम किया और छोटी एवं बड़ी पार्टियों, सीनियर और जूनियर मैम्बर्स का ध्यान रखते हुए उन्हें मौका दिया, उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री अली मोहम्मद नायक—नहीं हैं। आने के बाद भाषण करेंगे। श्री सुरेश जाधव।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सर, आप हमारे गुरू हैं और मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि आप हाउस में स्पीकर बन गये। आज पूरा सदन आपको प्यार करता है और अभी जो सदन में सांसद और नेता बोले हैं उनका प्यार भी आपने हासिल किया है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी और गर्व है। आपने सदन में जो आदर्श कायम किया है, उसकी छाया में हमारे जैसे सभी सदस्य काम करते रहेंगे। मेरी तरफ से और मेरी पार्टी शिव सेना की तरफ से आपको हार्दिक बधाई।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष जी, मैंने आपसे इसलिए समय मांगा कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे दक्षिण भारत के दो सदस्य बोल चुके हैं लेकिन उत्तर भारत से कोई सदस्य नहीं बोला है। अध्यक्ष जी, एक साल जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसे बीत जाए जैसे दो महीने ही बीते हों, उससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना महान है। हमें शुरू में पता नहीं था कि आप सदन का संचालन इतनी सफलतापूर्वक करेंगे। आज आपकी जितनी प्रशंसा सदन में हो रही है, उससे भी ज्यादा हम आपकी प्रशंसा सदन के बाहर करते हैं। इससे पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व कितना गरिमापूर्ण है। मैं भी प्राथमिक सदन का चेयरमैन रह चुका हूं, कानपुर में मेयर रह चुका हूं। मुझे पता है कि कितनी परेशानियां आती हैं और खासकर जिन परिस्थितियों में तेरहवीं लोक सभा चल रही है, आपने जिस अंदाज से और जिस तरीके से सदन को चलाने की कोशिश की है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी लोक इस डैमोक्रेटिक प्रोसेस के अंग हैं। हम लोग आपसे शिक्षा लेकर, आपसे सीख लेकर, आगे चलकर, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। आपको पुन: बधाई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अनेक सदस्यों ने बोला है। अनेक अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं। लेकिन, पहला, यह मेरे लिए उलझनभरा है और दूसरा इस चर्चा के लिए सभा का समय लेना भी उचित नहीं है। अत:, मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि मैं आप सबकी भावनाएं से अवगत हो गया हूं—कृपया मुझे सहयोग दीजिए। कृपया इस मुद्दे पर और अधिक समय न लगाएं। अब श्रीमती सुषमा स्वराज बोलेंगी।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, आज आप अपने अध्यक्षीय कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर रहे हैं। पिछले वर्ष 10 मई को आपने यह आसन ग्रहण किया था। हो सकता है, उस समय इस सदन के कुछ सदस्यों के मन में आपकी कार्यशैली को लेकर कुछ भ्रान्तियां रही हों, लेकिन एक पखवाड़े के भीतर ही आपने अपने काम करने के ढंग से उन भ्रान्तियों को निराधार कर दिया। आपने पूरी निष्पक्षता और योग्यता से इस सदन का संचालन किया। कभी दुलार से, कभी प्यार से और कभी फटकार से एक आम राय बनाते हुए आप सदन को एक साथ लेकर चले हैं। बजट सत्र के दौरान नई जिम्मेदारी के साथ मुझे आपके काम करने

के ढंग को करीब से देखने का मौका मिला। जो व्यक्तिगत स्नेह और सहयोग इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके साथ हुआ है, उसके लिए मैं आपके प्रति अलग से आभार प्रकट करना चाहती हूं।

आज जिस तरह से भावनायें सदन में प्रकट की गई हैं, उससे यह साफ आभास मिलता है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष आपसे संतुष्ट भी है और प्रसन्न भी। यह किसी भी स्पीकर के लिए इससे बड़ी आत्म-संतोष की बात नहीं हो सकती है। आपका कार्यकाल उपलब्धताओं से भरा हुआ है। उसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी शामिल हैं। एक कमी जो महिला सांसदों को खटक रही है, मुझे लगता है, वह कमी भी आपके दूसरे कार्यकाल में पूरी होगी।

अध्यक्ष जी, सभी नेताओं ने अपनी ओर से जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है, जिसके लिए आपने 16 जून को बैठक आहूत कर ली है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आपका अगला कार्यकाल उसी उपलब्धि से प्रारम्भ हो और निश्चित तौर पर आपको वहां भी आम-सहमति बनाने में सफलता मिले, जो सफलता आपने अपने हर उस मुकाम पर प्राप्त की है, जो कठिन ही नहीं बल्कि जटिल भी था। इसलिए निश्चित तौर पर आप उसमें सफल हों। यही शुभकामनायें देते हुए आपको इस अच्छे और शानदार कार्यकाल के लिए बधाई देती हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। मैंने इतनी शाकाहारी चर्चा इसके पहले कभी नहीं सुनी थी। इसलिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

नि:संदेह मैं आप सब का आभारी हूं और आपने जो कुछ कहा मैं उसके लिए आपको अत्यधिक धन्यवाद देता हूं। मैं यह जरूर कहूं कि मैंने कुछ अशंका के साथ एक वर्ष पूर्व यह प्रतिष्ठित पद संभाला था। मैं थोड़ा आशंकित था क्योंकि मैंने सोचा था कि अध्यक्ष का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक वर्ष के अनुभव के बाद में बेहिचक यह बात स्वीकार करता हूं कि यह कार्य नि:संदेह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

माननीय सदस्यों, इस अवधि के दौरान मुझे सभा में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सभा के माननीय नेता, विपक्ष के नेता, सभी राजनैतिक दलों तथा वर्गों के नेताओं के सहयोग से मैं सभा की कार्यवाही कुल मिलाकर सुचारू रूप से चला पाया और मुझे विश्वास है कि यह संचालन सभी के लिए संतोषजनक रहा।

मेरा सदैव विश्वास रहा है कि संसदीय लोकतंत्र में वाद-विवाद और चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। अत:, मैंने प्रक्रिया के नियमों द्वारा मुझे दी गई शक्तियों का प्रयोग इस तरह से किया कि सभा के सभी दल अपने विचार व्यक्त कर पाएं ताकि सभा में चर्चाधीन मामलों पर विभिन्न मत अभिव्यक्त किए जा सकें।

आप सहमत होंगे कि सभा मौखिक द्वन्द्व का स्थान हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से इससे अधिक आक्रामक कुछ भी नहीं। इसलिए सदस्यों को सभा का व्यवस्थित कार्य संचालन सुनिश्चित करने तथा इसकी कार्यवाहियां अबाधित रूप से चलाने में पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करने के दायित्व को समझना चाहिए। हम सभी लाखों लोगों को प्रतिनिधि हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस तरह से व्यवहार करें कि इस सम्मानीय सभा की प्रतिष्ठा बढ़े और यह देश के सर्वोच्च विधायी संस्थान के रूप में प्रभावी रूप से कार्य कर सके। इसलिए हमें जनता के कल्याण के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए जिसने हमें इस सम्मानीय सभा हेतु निर्वाचित किया है।

पिछले एक वर्ष से मेरा प्रयास सभा के कार्यकरण को और अधिक कारगर बनाकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाना रहा है। आप सबके सहयोग से लोक सभा विगत एक वर्ष के दौरान लगभग 100 विधेयक पारित कर पाई है। शीतकालीन सत्र में ही सभा ने उन विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की जोकि पिछले 30 वर्षों में रिकार्ड रहा है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि सभा में इस सत्र के दौरान कुल सूचीबद्ध प्रश्नों में से मौखिक रूप से दिए गए उत्तरों की प्रतिशतता 19 प्रतिशत बढ़ गई है जबकि पिछले तीन सत्रों के दौरान यह प्रतिशतता क्रमश: 9, 11 और 16 थी। व्यवधान के कारण सभा का समय बर्बाद और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के कारण सभा स्थगन में भी कमी आई है। हम निश्चित रूप से प्रगति कर रहे हैं। यद्यपि, आप सभी सहमत होंगे कि इनमें और सुधार किए जाने की अभी भी गुंजाइश है।

मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने संसद के स्वर्ण जयंती के अवसर पर अध्यक्ष का यह सम्माननीय पद संभाला। दोनों सदनों के सभी नेताओं और सदस्यों के सहयोग से हमने उचित रूप से स्वर्ण जयंती मनाई।

माननीय सदस्यो, मुझे विश्वास है कि मुझे भविष्य में भी सभा के सभी दलों का सहयोग और स्नेह मिलता रहेगा और हम इस सहयोग की भावना से महिला आरक्षण विधेयक पर भी विचार करने का तरीका ढूंढ लेंगे। सर्वसम्मति से एक साथ काम करके हम संसदीय लोकतंत्र को अधिक सार्थक बना सकते हैं तथा आम आदमी की शिकायतों का अधिक सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से निवारण कर सकते हैं।

[अध्यक्ष महोदय]

मैं एक बार फिर नेताओं, उपनेताओं, संसदीय कार्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी, सभी राजनैतिक दलों के नेताओं और समूहों तथा प्रत्येक सदस्य को उनके सहयोग और शिष्टाचार के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभा की कार्यवाही संचालन में दिए गए सहयोग के लिए उपाध्यक्ष महोदय श्री पी.एम. सईद साहब तथा सभापति की तालिका के सदस्यों का भी आभारी हूं।

मैं, सभा के कार्य संचालन में लोक सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा दिए गए अत्यधिक सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मैं एक बार फिर सभी माननीय नेताओं तथा सदस्यों को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देता हूं।

मित्रों, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझमें विश्वास व्यक्त किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री योगी आदित्यनाथ।

...(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): हमने माननीय पर्यावरण और वन मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव की सूचना दी है। उसे शीघ्र ही लिया जाए। *...(व्यवधान)*

महोदय, इस सदन को मंत्री जी द्वारा जारी अधिसूचना के स्वरूप का निर्णय करना होगा जो कि इस राष्ट्र की आम जनता के हित में नहीं है। मात्र राजनीतिक हितों की प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रेस में वक्तव्य दिया है। तटवर्ती क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाये जाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गयी थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' में इन सभी विषयों पर चर्चा की जा सकती है।

...(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: हमें इसे उठाने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: 'शून्य-काल' में आप इस विषय को उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: समय बहुत कम है। मैं 15-20 मिनट जीरो आवर के नोटिस लेना चाहता हूं। ऐसा हो सकता है कि कालिंग अटैंशन अगले सैशन के लिए पोस्टपौन कर दें और उस समय मैं आपको बोलने का पूरा समय दूंगा।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, यह गंगा के प्रदूषण से संबंधित मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इसे जल्दी पूरा कीजिए।

योगी आदित्यनाथ: मैं इसे जल्दी पूरा कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हिन्दु धर्म संस्कृति के एक पवित्र आधार और प्रमुख प्रतीक की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। *...(व्यवधान)* क्या नियम 377 के अधीन मामले मध्याह्न भोजनावकाश पूर्व अथवा पश्चात् लिये जायेंगे?

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को मध्याह्न भोजनावकाश के पश्चात् लिया जाएगा।

अपराह्न 1.00 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना*

गंगा नदी में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने के कारण होने वाले प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"गंगा नदी में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने के कारण होने वाले प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): अध्यक्ष महोदय, गंगा नदी की जल गुणता में स्वीकार्य मानकों तक सुधार

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी 7749/2003।

करने के उद्देश्य से गंगा कार्य योजना 1985 में शुरू की गई थी। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 25 श्रेणी-1 के शहरों में प्रदूषण निवारण कार्य शुरू किए गए थे।

उद्योगों से गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुल 187 घोर प्रदूषित उद्योगों की मानीटरिंग के लिए अभिनिर्धारण किया गया है। इनमें से 133 उद्योगों ने बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित कर लिए हैं और शेष 54 उद्योग बंद कर दिए गए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ओर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन उद्योगों की नियमित रूप से मानीटरिंग कर रहे हैं।

कानपुर के ऊर्ध्वप्रवाह में स्थिति डिस्टिलियरों और कृषि आधारित उद्योगों से रंगदार बहिस्रावों के निस्तारण के कारण जनवरी और फरवरी, 2003 में इलाहाबाद में संगम पर गंगा की जलगुणता प्रभावित हुई थी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हस्तक्षेपों के बाद मार्च, 2003 के शुरू में इन बहिस्रावों का निस्तारण रोक दिया गया था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दोषी इकाईयों के विरुद्ध कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे उद्योग वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय में बहिस्रावों का निस्तारण नदी में न करें।

जहां तक घरेलू प्रदूषण का संबंध है 1985 में कुल अपशिष्ट जल अनुमानत: 1340 मिलियन लीटर प्रतिदिन था। इसकी तुलना में संसाधनों की कमी के कारण गंगा कार्य योजना चरण-1 के अन्तर्गत 873 मिलियन लीटर प्रतिदिन (65 प्रतिशत) की शोधन क्षमता के तदनुरूप कार्य ही किए गए थे जो मार्च, 2000 में पूरे हो गए थे। इस परियोजना पर कुल 452 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चूंकि गंगा के आस-पास बसे शहरों से पैदा होने वाला अपशिष्ट जल इस समय अनुमानत: लगभग 2500 मिलियन लीटर प्रतिदिन है इसलिए गंगा कार्य योजना चरण-1 के अन्तर्गत सृजित सीवेज शोधन क्षमता इस समय कुल भार की केवल 35 प्रतिशत ही है। शेष प्रदूषण भार को आंशिक रूप में (लगभग 800 मिलियन लीटर प्रतिदिन) चल रहे गंगा कार्य योजना चरण-2 के अन्तर्गत लिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में निधियों की कमी के कारण शेष लगभग 830 मिलियन लीटर प्रतिदिन (जो अधिकांशत: हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना में है) को नहीं लिया जा सका है।

गंगा कार्य योजना चरण-1 के क्रियान्वयन के बाद परिसम्पत्तियों के प्रचालन एवं रख-रखाव की समस्याओं की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। परिसम्पत्तियों के प्रचालन एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व राज्यों की क्रियान्वयन एजेंसियों का है जो इन प्रयोजनों हेतु पर्याप्त राशियां उपलब्ध नहीं करा रही हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न स्तरों पर बातचीत करने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल निर्णय द्वारा राज्य वित्त आयोग की अन्तरण निधियों से एजेंसियों को प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए पर्याप्त और समय से राशियां उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ने भी इस प्रयोजन हेतु समान राशियां उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल में प्रचालन एवं रख-रखाव से संबंधित स्थिति संतोषजनक होने की सूचना प्राप्त हुई है।

अपराह्न 1.03 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो बातें कही हैं और गंगा प्रदूषण के बारे में जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है, उनमें से उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण और वे महानगर, जो गंगा के किनारे स्थिति हैं, उनके अवशिष्ट जल द्वारा जो प्रदूषण होता है, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। गंगा प्रदूषण के कारणों में एक प्रमुख कारण गंगा के विभिन्न स्तरों पर बनाये गये बांध हैं जिन्होंने गंगा की प्राकृतिक धारा को रोक दिया।

सभापति महोदय, दूसरा कारण यह है कि गंगा के विभिन्न किनारों पर औद्योगिक इकाइयां हैं, उन इकाइयों का कचरा है जिन पर अब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाये हैं। उन्हें नदी में गिरा देने से प्रदूषण पैदा हुआ है। तीसरा कारण यह है कि विभिन्न महानगरों के गन्दे नालों का दूषित जल, सीवेज का जल है। उस गंदे जल को बगैर फिल्टर किये हुये गंगा में बहाने से यह स्थिति पैदा हुई है। माननीय मंत्री जी ने गंगा के प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार 187 उद्योगों का यहां जिक्र किया है। जब कि अगर अकेले कानपुर को देखा जाए तो वहां तीन सौ से अधिक चमड़ा उद्योग हैं। इसके अलावा कानपुर में पेपर मिलें हैं। ऋषिकेश से लेकर गंगासागर तक गंगा के प्रवाह में हजारों औद्योगिक इकाईयां हैं, जिनमें आज तक ट्रीटमैन्ट प्लान्ट्स नहीं लगे हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, लेकिन कहीं भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो बोर्ड गठित हुए हैं और जो उनका कार्य है, उसमें कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। इनका कार्य कहीं दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने मात्र 187 उद्योगों के बारे में बताया है, यह उन्हें किस और कब के अध्ययन के आधार पर बताया है, अभी वह 1985 के बारे में

[योगी आदित्यनाथ]

बता रहे हैं, 1985 से लेकर 2003 तक काफी प्रगति हुई है और आप किस गंगा एक्शन प्लान की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि उसका कार्य कहीं भी इस रूप में नहीं हो पाया है, जो वास्तव में जनता के हित में हो या जिस उद्देश्य को लेकर इसका गठन किया गया है, वह अपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया है। इन सभी औद्योगिक इकाइयों का चयन किस रूप में किया गया है। अकेले कानपुर में ही तीन से अधिक चमड़ा उद्योग हैं, इसके अलावा वहां पेपर मिल्स भी हैं तथा ऋषिकेश से लेकर गंगासागर तक चाहे उत्तरांचल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, यहां पर औद्योगिक इकाईयों का कचरा गंगा में जाता है और इन औद्योगिक इकाईयों में कहीं भी ट्रीटमैन्ट प्लान्ट्स नहीं लगाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्या करने जा रहा है।

माननीय मंत्री जी ने एक दूसरी बात कही है कि विभिन्न महानगरों का अपशिष्ट जल, सीवेज का जल गंगा नदीं में चला जाता है। उसके लिए कहीं फिल्टर या ट्रीटमैन्ट प्लान्ट्स नहीं लगाये गये हैं। आज के दिन गंगा की अविरल धारा, जो प्राकृतिक धारा है, उसे टिहरी में रोक दिया गया है। जब गंगाजल ही उस प्रवाह में नहीं आयेगा तो औद्योगिक इकाईयों का जो कचरा, अपशिष्ट जल और नालों का गंदा पानी होगा, क्या उससे गांगा के अस्तित्व पर संकट नहीं आयेगा। विभिन्न धर्माचार्यों ने गंगा के अस्तित्व पर संकट के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, वह स्वाभाविक रूप से होगा और इस स्थिति पर इस बार के माघ मेले में प्रयाग में धर्माचार्यों ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है। अगले वर्ष कुंभ का पवित्र पर्व हरिद्वार में होने जा रहा है। उस अवसर पर क्या स्थिति पैदा होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब टिहरी बांध बना था तो क्या वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से राय ली गई थी। दूसरी बात कोटेश्वर में और अन्य स्थानों पर खूनी और लक्ष्मण झूला आदि प्रस्तावित बांध हैं, क्या उनके लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से राय ली गई है और इसी के साथ मैं जानना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप भाषण नहीं दे सकते हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: इसके साथ में जानना चाहता हूं कि एक बार इसके पूर्व भी गंगा के अविरल प्रवाह रोकने का प्रयास हुआ था। 1916 में गंगा के अविरल प्रवाह, जो प्राकृतिक प्रवाह है, उसे न रोकने के लिए एक एग्रीमैन्ट हिन्दू समाज के साथ हुआ था। क्या उसकी ओर भी मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि एक वर्ष के समय में मैंने दो बार उन सदस्यों से विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जो गंगा-यमुना तट से जुड़े हैं। इसके लिए मैंने 130 सदस्यों को आमंत्रित किया और वहां मेरे अधिकारियों ने उन सदस्यों के समक्ष अपने विचार व्यक्त किये।

मैं उन मित्रों से बात-चीत करने का इच्छुक था ताकि स्थानीय समस्या संसद सदस्यों द्वारा सुलझायी जा सके। दोनों मौकों पर मात्र कुछ सदस्यों ने ही उन बैठकों में हिस्सा लिया। पहले मौके पर मात्र चार सदस्य बैठक में उपस्थित हुए और पिछले सप्ताह दूसरे मौके पर मात्र 14 संसद सदस्य बैठक में उपस्थित हुए। मैंने योगी आदित्यनाथ जी को भी आमंत्रित किया था परन्तु वह बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

वे काफी इच्छुक हैं। मेरे विचार में योगी आदित्यनाथ इच्छुक नहीं हैं। परन्तु तथ्य यह है कि 187 उद्योगों में से 133 उद्योगों ने ही अपशिष्ट शोधन संयंत्र लगाये हैं। जिन 54 उद्योगों में अपशिष्ट शोधन संयंत्र नहीं लगे हैं वे बंद कर दिये गये हैं। वास्तविक समस्या यह है। महोदय, पिछली बार संगम में गंगा नदी में रंगीन पानी बहाया गया था। उस मनोवैज्ञानिक भय की वजह से लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से डर रहे थे। यह निश्चित तौर पर प्रदूषण नहीं है। यहां तक कि पवित्र मौकों पर भी वे रंगीन पानी का इस्तेमाल करते आये हैं। इसका मतलब, यह नहीं है कि वे प्रदूषित पानी से प्रभावित हैं। क्या आप बात समझ रहे थे? वास्तव में, वह प्रदूषित जल नहीं है। परन्तु महोदय इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि तुरंत गंगा नदी में गंदे पाने के बहाव को रोका जाये। उपचार के बाद पानी दिया जा रहा था। मैंने अधिकारियों से कहा था कि उन सभी उद्योगों को बंद कर दें जो कि गंदा पानी छोड़ रही हैं। मात्र बरसात के समय में ही पानी छोड़ा जा सकता है। उस समय तक उन्हें प्रदूषित पानी अपने उद्योगों में ही रोकना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि रंगीन पानी प्रदूषित है। अभी हाल ही की मेरी वाशिंगटन यात्रा में मैंने एक प्रयोगशाला देखी। मैंने वाशिंगटन में इंजिनियरों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की उन्होंने कहा कि बिसलरी के रंग को दूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक वह स्तर प्राप्त नहीं किया है। उनके पास ऐसी कोई तकनीकी नहीं है। यदि ऐसी कोई तकनीकी होती तो हमने उसका प्रयोग कर लिया होता। उस समय तक रंगीन जल को उद्योगों के अंदर संचित रखना होगा। केवल मानसून के दौरान ही वे इस जल को नदी में छोड़ सकते हैं। नि:संदेह ही इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। यही विषय का सार है। अब मैं नहीं समझता कि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसके आधार पर ही मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं तो इस गंगा के मामले में बहुत ज्यादा रुचि रखता हूं और जितनी बैठकें मंत्री जी ने बुलाई हैं, सबमें मैं उपस्थित रहा हूं।

महोदय, माननीय चन्द्रशेखर जी भी गंगा के किनारे के रहने वाले हैं। गंगा की वर्तमान स्थिति से यह देश पूरी तरह से अवगत है। जो आंकड़े दिये गये हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं और ये आंकड़े मैं इसलिए गलत कह रहा हूं कि लोक लेखा समिति का सदस्य होने के नाते मैं गंगा कार्य योजना की समीक्षा करने के लिए अभी टिहरी से पटना तक गया था और 1998 में हावड़ा से इलाहाबाद तक शिप द्वारा आया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1985 में जब माननीय राजीव गांधी जी ने गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया था बनारस के दशाश्वमेध घाट से, जिस स्थान से यह कार्य आरंभ किया गया था, वहां खुला नारा अनइंटरप्टैड गंगाजी में गिर रहा है, कहीं कोई अवरोध नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के आंकड़ों से ही बताना चाहता हूं कि हरिद्वार में 160 एम.एल.डी. डिसचार्ज होता है जबकि ट्रीटमैंट केवल 18 का होता है। इसी तरह से कानपुर में गवर्नमेंट रिकार्ड में 360 एम.एल.डी. डिसचार्ज निकलता है। ट्रीटमैंट केवल 102 का होता है। ये जो ट्रीटमैंट प्लान्ट लगाए गए हैं और जो पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली की हालत यह है कि वहां चार घंटे ही बिजली रहती है। नतीजा यह होता है कि केवल चार घंटे ये चलते हैं। इन्होंने अपने आंकड़ों में दिखा दिया कि पंपिंग हाउस बना दिये, एस.टी.पी. बना दिये और ट्रीटमेंट हो रहा है। जब वहां पावर ही नहीं होती है तो उस स्थिति में कोई ट्रीटमैंट वहां नहीं होता है और प्रदूषित पानी सीधा अनइंटरप्टैड गंगा जी में गिरता है। जो जनरेटर लगाए गए हैं, वह भी मैं बता दूं कि इलाहाबाद में दारागंज के पंपिंग स्टेशन पर जब मैं पहुंचा, तो वहां जो एक साल पहले जनरेटर लगाया गया था, वह ट्राली पर खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि यह ट्राली पर क्यों खड़ा हुआ है, तो लोगों ने बताया कि रात को ही लाकर खड़ा किया गया है, यह किसी अधिकारी के यहां चलता था। जब मैंने डीजल भरने वाला रजिस्टर मांगा, तो वह भी वहां नहीं था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा कार्य योजना केवल एक छल है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं।

मेरा पहला सवाल यह है कि गंगा कार्य योजना बनाते समय क्या जो धन आबंटित किया गया था 452 करोड़ रुपये, उसके पहले क्या कोई अध्ययन कराया गया था कि इसमें कितने प्रकार का प्रदूषण और कितनी मात्रा में प्रदूषण गिरते हैं?

सभापति महोदय, मेरा मानना यह है कि गंगा में केवल शहरी प्रदूषण नहीं गिरता है, जैसा बताया गया कि 25 एम.एल.टी. प्रदूषण गिरता है, वह अलग है। उसके अलावा कारखानों का प्रदूषण अलग है। दूसरे उसमें जो लाशें प्रवाहित की जाती हैं और गंगा किनारे घाट पर शव दफनाए जाते हैं, वह प्रदूषण है। गंगा के किनारे धोबी घाट बन गए हैं। उन पर धोबी डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं वह प्रदूषण है। पांचवें नंबर का प्रदूषण खेतों में फर्टीलाइजर डालते हैं, वह वर्षा से बहकर गंगा में आता है।

महोदय, दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि पूरी गंगा कार्य योजना में पैसा भारत सरकार का लगा है, प्रदेश सरकारों ने योजना बनाई, जिला परिषदों ने उसे लागू किया और नगर निगमों और नगर परिषदों को उसका जिम्मा दिया। उनके पास साधन नहीं हैं। इस बात को स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है। इसलिए वे इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पा रहे हैं।

महोदय, नदियां सम्पत्ति किस की हैं, सिंचाई विभाग की। क्या केन्द्र सरकार ने सिंचाई विभाग को विश्वास में लिया, जिन कारखानों का प्रदूषण गंगा में आता है, उनको नियंत्रित करने के लिए क्या केन्द्र सरकार ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को इस योजना में शामिल किया। इसी तरह गंगा के किनारे अनेक शहरों में पर्यटन केन्द्र स्थित हैं, क्या केन्द्र सरकार ने पर्यटन विभाग को इसमें शामिल किया? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने आपको काफी समय दिया है, अब मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: सभापति महोदय, जैसी सरकार की आधी-अधूरी योजना है, वैसे ही आप मुझे बीच में टोक कर मेरे सवाल को भी आधा-अधूरा छुड़वा रहे हैं। कम से कम मुझे सवाल तो पूरा पूछ लेने दीजिए।

महोदय, कितनी नदियां गिरती हैं, यह भी बताया जाए, उन नदियों की हालत क्या है, जो यमुना गोमती और सरयू नदियां हैं, उनकी हालत क्या है? मुझे सवाल तो पूरा करने दीजिए। जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उन्हें तो पूछ लेने दीजिए, तभी तो मंत्री जी उत्तर देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप भाषण नहीं दे सकते क्योंकि मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था आप कृपया बैठ जाएं। अब मंत्री को जवाब देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: मैं यह पूछना चाहता हूं कि यमुना, गोमती और सरयू की हालात क्या है उनमें जो नदियां बहकर गिरती हैं, उनका कचरा निकालने के लिए क्या व्यवस्था की है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, इसके बारे में माननीय सदस्य को पिछले सप्ताह ही सूचित कर दिया था। जब इन्होंने अभ्यावेदन दिया था। बोलने के लिए इनके पास पर्याप्त सामग्री है। लेकिन साथ ही *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी: सभापति महोदय, मुझे प्रश्न भी पूछने नहीं दिए जा रहे हैं। जब मेरा सवाल नहीं सुना जाएगा, तो मंत्री जी क्या उत्तर देंगे और ऐसी स्थिति में मैं सदन में बैठकर क्या करूंगा। मुझे इस बात का अफसोस है। मैं मंत्री जी का क्या उत्तर सुनूं। जब मुझे प्रश्न नहीं पूछने दिया जा रहा है, तो मैं मंत्री जी का क्या उत्तर सुनूं। अत: मैं सदन से बहिर्गमन कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.17 बजे

(तत्पश्चात् श्री चिन्मयानन्द स्वामी सभा सदन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सदस्यों ने अनेक नोटिस दिए हैं तथा वे सभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। आप सारे समय को बर्बाद कर रहें। यह क्या है? कृपया बैठ जाएं।

मंत्री जी आप अपना उत्तर जारी रखिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: सभापति महोदय, आप मंत्री जी से प्रश्न ही नहीं पूछने दे रहे हैं। जब मंत्री जी प्रश्न ही नहीं सुनेंगे तो उत्तर क्या देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, गंगा नदी में 75 प्रतिशत प्रदूषण मल जल से होता है और उद्योगों से केवल 25 प्रतिशत प्रदूषण होता है। गंगा नदी में मल-जल को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार तथा स्थानीय नगर निगमों की है। गंगा नदी के जल को साफ करने के उद्देश्य से 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने गंगा कार्य योजना शुरू की। धनाभाव के कारण उस समय केवल 452 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया तथा कुल अपशिष्ट जल 1340 एम एल डी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) था। सीमित संसाधनों के कारण वे 65 प्रतिशत अपशिष्ट पदार्थों का शोधन करने में ही सफल हो सके। लेकिन अब यह अपशिष्ट जल 2500 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। 872 मिलियन लीटर प्रतिदिन की तुलना में, जिसे हम पहले ही शोधित कर चुके हैं, अब केवल 35 प्रतिशत ही बाकी बचता है। हमने 45 प्रतिशत जल के शोधन के लिए निधियों का प्रावधान किया है। गंगा हमेशा के लिए प्रदूषण मुक्त हो जायेगी आप इसकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? यह सम्भव नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि नदी तटों पर स्थित नगर निगमों को प्रदूषित जल नदी में जाने से रोकने के उपाय करने होंगे। परन्तु केन्द्रीय स्तर पर जितनी भी राशि हमें प्रदान की गयी उससे हमने कुछ परिसम्पत्तियां सृजित की हैं।

लेकिन परिसम्पत्तियों के सृजन के बाद, परिसम्पत्तियों के सही रख-रखाव की आवश्यकता होती है और यही प्रश्न है। इस संबंध में हमने अनेक बार बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारी से बात की, लेकिन मैं उन्हें दोषी नहीं मानता। दोनों सरकारों को उचित सलाह दी गयी। हाल की मात्रा के दौरान भी हमने लोगों को सलाह दी और अब वे आगे आ रहे हैं। परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए वे तैयार हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि अगर वे परिसम्पत्तियों का रख-रखाव भली-भांति करेंगे तो अच्छे परिणाम आयेंगे। मैं समझता हूं कि अब सही दिशा में काम हो रहा है और जल की गुणवत्ता में जल्द से जल्द सुधार आयेगा। लेकिन साथ ही जब तक वे हमें और राशि प्रदान नहीं करते, हम अच्छे जल की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जितनी राशि दी गयी थी क्या उसका उचित उपयोग हुआ। प्रश्न यह नहीं है लेकिन सीमित धनराशि के बावजूद हमने आई.आर.आर. का 20 प्रतिशत प्राप्त किया है। आई.आर.आर, जो एक विशेष संस्थान द्वारा प्रमाणित किया जाता है वह 20 प्रतिशत है। इससे साफ जाहिर होता है कि परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की गयी। गंगा कार्य योजना चरण-2 के लिए भी हमने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस परियोजना का कार्य भी अच्छी प्रगति कर रहा है। अत: हमें अंधकार को दोष नहीं देना चाहिए अपितु उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब डा. वी. सरोजा बोलेंगी।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मेरी ओर से इस मुद्दे को उठाने की अनुमति माननीय सदस्य श्री टी.एम. सेल्वागनपति को दी जाये।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): महोदय, क्या आप 'शून्य काल' शुरू कर रहे हैं।

सभापति महोदय: जी हां।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): मैं आपका ध्यान निन्दा प्रस्ताव की सूचना की ओर दिलाना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, इस माह की 4 तारीख को माननीय पर्यावरण और वन मंत्री के विरुद्ध उनके आचरण की निंदा करने और राजनैतिक प्रतिशोध के लिए जारी गैर-कानूनी अधिसूचना पर गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए निंदा प्रस्ताव दिया गया।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, उनके बोलने के बाद मुझे बोलने की अनुमति दी जाये।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: सूचना बहुत ही गम्भीर विषय से संबंधित है। माननीय मंत्री द्वारा जारी की गयी अधिसूचना राष्ट्र के हितों के विपरीत है। ये गैर कानूनी अधिसूचना जारी करने के लिए मंत्री के आचरण पर हमें चर्चा करनी थी। ये चर्चा इसलिए होनी है क्योंकि उनका आचरण जनता की राय के विपरीत है। तमिलनाडु सरकार ने जब एक कालेज की जीर्ण-शीर्ण इमारत को तोड़ने और विधान परिषद् परिसर के निर्माण का आदेश दे दिया तो एक मंत्री ने सार्वजनिक सभा में बोल दिया था कि वे इस पर चुप नहीं बैठेंगे तथा वह सभी समाचार-पत्रों में छप गया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जब तक वह जिंदा हैं। वे माननीय मुख्यमंत्री डा. जयललिता के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार द्वारा नये सचिवालय की इमारत नहीं बनने देंगे। महोदय, यह बोला गया हड़बड़ी में बिना राज्य सरकार तथा शहरी विकास मंत्रालय, जो किसी भी क्षेत्र में निर्माण के बारे में आदेश जारी करता है, से परामर्श किये बिना अधिसूचना जारी की गयी।

संविधान के अनुच्छेद 75(4) के अनुसार मंत्री ने गोपनीयता और पद की गरिमा बनाये रखने की जो शपथ ली थी उन्होंने ठीक उसके विपरीत कार्य किया है। उन्होंने संविधान की अवहेलना की है इसलिए इस पद पर बने रहने का उन्हें कोई हक नहीं। इस गैर-कानूनी अधिसूचना जारी करने के उनके आचरण पर सदन को गहरी चिंता प्रकट करनी चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र पर इसका प्रभाव कैसा होगा? तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु विधान परिषद की इमारत के निर्माण के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से आने के बाद, इस अधिसूचना को जारी कर पर्यावरण मंत्री के पद का दुरुपयोग किया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। तथा इसकी चिंता भी नहीं की कि इसका तटीय क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा।

इस गैर-कानूनी अधिसूचना से संपूर्ण पूर्वी और पश्चिमी तट प्रभावित होंगे। तमिलनाडु में ए आई ए डी एम के की सरकार के विरुद्ध राजनैतिक हिसाब चुकाना ही इस अधिसूचना का उद्देश्य है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने नियम 184 के अंतर्गत नोटिस दिया हुआ है और वह माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, यह नोटिस, चार दिन पहले दिया गया था और आपकी ओर से कोई सूचना नहीं आ रही। मामला गम्भीर परिणामों का है तथा यह गम्भीर किस्म का मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, अगर इन्होंने नियम 184 के अंतर्गत नोटिस दिया हुआ है, तो अब आप इन्हें इतने सारे आरोप लगाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब इन्हें उन सब मामलों को 'शून्य काल' में उठाने की अनुमति दी गयी है। आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो उस समय आप भी कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदुर): उन्हें इस मुद्दे को 'शून्य काल' में नहीं उठाना चाहिए। नियम 184 के अंतर्गत उन्होंने पहले ही नोटिस दिया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस मुद्दे को उठाने की अनुमति माननीय अध्यक्ष महोदय ने दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: उस पर मैं विवाद नहीं कर रहा, लेकिन इन्हें यह सब आरोप नहीं लगाने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, यही मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय: आप इसे पहले ही उठा चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: इस मामले को बहुत पहले उठाना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वर्तमान सत्र का आज अंतिम दिन है। इसे आप अब उठा रहे हैं। यह मामला माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इसे उठा चुके हैं। अब कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, मुझे इस पर बोलने की अनुमति दी जाये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अगर आप कुछ कदम चाहते हैं तो आप भी संक्षेप में कह सकते हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, यही मुद्दा तमिलनाडु विधान सभा में उठाया गया था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने वक्तव्य भी दिया तथा उस वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने माननीय केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध आरोप भी लगाये हैं ...*(व्यवधान)* अत:, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी को बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये। ...*(व्यवधान)* यह मामला न्यायालय में है तथा न्यायालय के विचाराधीन है ...*(व्यवधान)*।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, हम चाहते हैं कि इस संबंध में मंत्री जी उत्तर दें।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। अब मैं अन्य मदों पर चर्चा शुरू कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, माननीय मंत्री जी यहां हैं उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): आप अगर आज किसानों का मामला डिस्कस नहीं करेंगे तो सदन नहीं चलेगा, यह मैं बता दे रहा हूं। अगर आपने यही तय कर लिया है तो यह नहीं होगा। अगर आपने तय कर लिया है कि किसानों का मामला नहीं उठने देंगे तो सदन नहीं चलेगा, मैं आपसे कहे दे रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: तो क्या आपका कहना है कि उन्हें अपनी समस्याएं उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, कुंवर अखिलेश सिंह?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: क्या आप चाहते हैं कि रोज यहां हंगामा हो? आपने एक परम्परा तय की थी कि जब हम कार्यस्थगन प्रस्ताव लाएंगे तो हम यहां मामला उठाएंगे। दो दिन से माननीय अध्यक्ष महोदय ने चेयर से बार-बार यह कहा है कि हम शून्य प्रहर में सुनेंगे, उसके बाद भी नहीं सुना जायेगा, तब भी मौका नहीं दिया जायेगा तो यह कौन सा तरीका है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। प्रत्येक सदस्य का हक है कि वह अपनी समस्या उठाये। अब श्री रामजीलाल सुमन को मैंने अवसर प्रदान किया है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.28 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन–*जारी*

(दो) देश में गन्ना उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में मैंने कृषि मंत्री श्री अजित सिंह जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस 2 मई को माननीय अध्यक्ष जी को दिया था। मेरे द्वारा आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं पर 11 मार्च को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 10 अप्रैल को शून्य काल में ...*(व्यवधान)*।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राम जी लाल सुमन, कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय अध्यक्ष को आपकी कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन से संबंधित सूचना मिल गयी है जिसमें 11 मार्च, 2003 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते समय कृषि मंत्री द्वारा तथ्यों को छिपाने और सभा को गुमराह करने वाले मामले को 10 अप्रैल, 2003 शून्यकाल के दौरान उठाया गया था। माननीय अध्यक्ष ने इस मामले पर कृषि मंत्री को 5 मई, 2003 को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। वह इस मामले पर कृषि मंत्री की टिप्पणी प्राप्त होने के बाद निर्णय लेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तथ्य माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किये हैं, वे राज्य सरकार के तथ्य हैं। एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली और एक आदमी हास्पिटल में एडमिट है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब आप नहीं बोल सकते। यह विशेषाधिकार से संबंधित मामला है और मैंने अभी-अभी आपकी सूचना से संबंधित स्थित को स्पष्ट किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: जान-बूझकर गन्ना किसानों के सवाल पर तथ्यों को छिपाया गया है। इस सरकार ने कहा कि एक किसान मरा है जबकि हमने कहा कि तीन किसान मरे हैं। आलू उत्पादक किसानों की समस्या बहुत गंभीर है। वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। *...(व्यवधान)* सदन को गुमराह करने का काम किया गया है। यह अत्यधिक गंभीर मामला है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामजी लाल सुमन, माननीय अध्यक्ष को आपकी सूचना मिल गयी है। यह विचाराधीन है:

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: जब तक मंत्री जी इस मामले पर अपना उत्तर नहीं देते आपको प्रतीक्षा करनी होगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, मंत्री जी जब तक रिप्लाई नहीं देंगे, तब तक क्या सदन में आवाज नहीं सुनी जायेगी? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, जब तक मंत्री अपना उत्तर नहीं देते, आपको प्रतीक्षा करनी होगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): मान्यवर, मिनिस्टर साहब रिप्लाई देने के लिए कभी नहीं आयेंगे। *...(व्यवधान)* मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि तीन दिन से हम गन्ना किसानों, आलू किसानों के मामले में कार्य स्थगन का प्रस्ताव दे रहे हैं। आज किसानों का आक्रोश इतना बढ़ चुका है कि वे विजय चौक पर सीधे जाकर प्रधान मंत्री जी का पुतला फूंक रहे हैं। उसके बाद शर्म और हया इस सरकार में नहीं है। *...(व्यवधान)* किसान आत्महत्या करता जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: आप उनको बुलाइये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपको सूची के अनुसार बुलाऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको तुरन्त बोलने की अनुमति दे दूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी अपनी स्पीच नहीं कर पायेंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): सभापति जी, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की दो यूनिट कानपुर में हैं। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: आप पूरे देश को जो दिखाना चाहते हैं, देश वही देखेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि कपड़ा मंत्री जी इस सदन में मौजूदा हैं। ...*(व्यवधान)* एक अथर्टन मिल्स है और दूसरी म्योर मिल है। ये दोनों मिलें बरसों से बंद पड़ी हैं। वहां के श्रमिक बेकार हैं। वहां पिछले आठ सालों से ढाई सौ मजदूरों का वेतन बकाया है। इसके साथ-साथ एम.वी.आर.एस. का पैसा भी उनका बकाया है। यहां पर माननीय मंत्री जो बैठे हुए हैं। उन मिलों की मशीनों को औने-पौने दामों में बेचा जा रहा है। अथर्टन मिल की मशीनों को जिनकी कीमत कम से कम आठ करोड़ रुपये है, वह केवल चार करोड़ रुपये में बेच दी गयी। इसी तरीके से म्योर मिल की मशीनें जिनकी कीमत कम से कम 15 करोड़ रुपये है, वे केवल छः साढ़े छः करोड़ रुपये में बेच दी गयीं। इन मजदूरों ने अपने वेतन की मांगों के लिए तथा एम.वी.आर.एस. की मांगों के लिए हाई कोर्ट में पेटीशन दायर कर रखी है लेकिन नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन तमाम मैनेजमैंट ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया। इतना ही नहीं वे उन मजदूरों को न तो तन्ख्वाह देने के ऊपर विचार कर रहा है और न ही उन मजदूरों को एम.वी.आर.एस. का बकाया पैसा देने पर विचार कर रहे हैं। इन मिलों की संपत्तियों को औने-पौने दामों में बेचने की कोशिश की जा रही है चाहे वह अथर्टन मिल हो चाहे म्योर मिल हो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं कि जब तक यह विवाद हाई कोर्ट में लंबित है तब तक उन मिलों की मशीनों और अन्य संपत्तियों को हरगिज न बेचा जाये। उन तमाम मजदूरों का जिनका वेतन बकाया है, उनके वेतन का भुगतान किया जाये और एम.वी.आर.एस. के जो मुकदम लंबित हैं, उन लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाये। जब तक यह सब न किया जाये तब तक किसी भी मिल की परिसंपत्तियों को, मशीनों को बेचने से रोका जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हमारे पास लगभग दस सूचनाएं हैं। यदि आप चाहते हैं कि सभी सदस्यों को बोलने का मौका दूं तो हम दोपहर के भोजन हेतु अवकाश नहीं कर सकेंगे। अभी अपराह्न 1.30 बजे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति महोदय, महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति बहुत गंभीर है विशेष कर मराठवाड़ा और विदर्भ में। महाराष्ट्र के 12 जिलों में सूखे की बहुत ही गंभीर स्थिति है। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा तथा जानवरों को खाने के लिए चारा नहीं मिल रहा। अभी महाराष्ट्र गवर्नमैंट को सैंटर गवर्नमैंट से सूखा राहत कोष के तहत जो सहायता दी गयी है, वह राहत भी सूखा पीड़ित किसानों तक नहीं पहुंची है। टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। लेबर के पास कोई काम नहीं है और महाराष्ट्र के 12-13 जिलों के लोग पीने के पानी के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। हाथ के लिए काम नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और महाराष्ट्र सरकार को कोई सहायता भी नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को सूखा पीड़ित राहत के लिए जो पैसा दिया गया, उसे भी अमल में नहीं लाया गया। सूखा पीड़ित किसान बुरी तरह मर रहे हैं। उनकी पूरी फसल तबाह हो गई है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को दिशा-निर्देश दें। सूखा पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार इंटरवीन करे और तुरंत कोई उपाय करे।

[अनुवाद]

श्री विनयकुमार सोराके (उदुपी): सभापति महोदय, नेशनल फिशवर्कर्स फोरम द्वारा दिया गया मांग-पत्र केन्द्र के पास लंबित है। उनके द्वारा लंबित मांगें निम्न प्रकार हैं:

- मछुआरों की डीजल आपूर्ति पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि।
- परंपरागत मत्स्य नौकाओं के लिए मिट्टी के तेल के कोटा में वृद्धि।
- मुरारी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन।
- जलचर-पालन विधेयक, 2000 को वापस लेना।
- मानसून के दौरान गहरे समुद्र के जालपोतों पर प्रतिबंध।
- समुद्र तटीय क्षेत्र विनियमन दिशानिर्देशों में संशोधन कर इस क्षेत्र में मछुआरा समुदाय के आवासों/झोपड़ियों के लिए अनुमति देना।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मछुआरों की मांगों को स्वीकार कर उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान करे। धन्यवाद।

सभापति महोदय: अब श्री अखिलेश सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय सभापति महोदय, गन्ना किसानों, आलू किसानों, धान और गेहूं किसानों के प्रकरण पर इस सदन में एक बार नहीं, कई बार चर्चाएं कराई गई और इस चर्चा के बाद जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्रीगण ने उत्तर दिए तो उनके पश्चात् उनका अनुपालन नहीं किया गया। इसी सदन के अंदर आदरणीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री शरद यादव बैठे हुए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अखिलेश सिंह आपने पदोन्नत सहायक अभियंताओं की सेवा शर्तों के बारे में नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: यह जीरो आवर का नोटिस है और मैंने गन्ना किसानों के बारे में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं उस पर बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वह समाप्त हो चुका है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय ने *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने सोचा आप 'शून्य काल' के लिए दिये गये नोटिस के विषय पर बोलना चाहते हैं। आप कोई अन्य मामला यहां नहीं उठा सकते।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: जब मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप सूची में उल्लिखित मामले के अलावा कोई दूसरा मामला नहीं उठा सकते।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: जब हमने एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया था तो स्पीकर साहब ने अपनी सीट से परमीशन दी थी कि आपको जीरो आवर में बोलने का मौका दिया जाएगा। आप कार्यवाही उठाकर देख लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं, मुझे माननीय अध्यक्ष द्वारा बोलने वालों की सूची दी गयी है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: एक बार नहीं कई बार गन्ना किसानों के सवाल पर चर्चा हुई। इस सदन के अंदर श्री शरद यादव ने, जब मुंडेरवा में तीन किसान मारे गए तो राज्य सरकार के बयान के आधार पर जो बयान दिया, उसमें एक किसान के मरने की बात कही गई और उसी दिन शाम को सदन के अंदर हमने प्रमाणित कर दिया कि मुंडेरवा में एक नहीं, तीन किसान मारे गए हैं और राज्य सरकार ने गलत बयानी की। परन्तु सदन ने राज्य सरकार की गलत बयानी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिससे राज्य सरकार का मनोबल लगातार बढ़ता गया। राज्य सरकार का मनोबल इतना बढ़ गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद की आड़ में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों का पक्ष लेते हुए यह कह दिया कि राज्य को गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सदन परम्पराओं के आधार पर चलता है। अब तक यह परम्परा रही है कि राज्य सरकार जो मूल्य निर्धारित करती है, उन मूल्यों को ही चीनी मिल मालिक देते रहे हैं। गत वर्ष भी उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिकों ने किसानों को उसी मूल्य को देने का कार्य किया और गत वर्ष उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 95 रुपये और 100 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य मिला था। यह बात मैं इसलिए आपके संज्ञान में रखना चाहता हूं कि अभी इस समस्या के निराकरण के लिए प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री साहिबा को दिल्ली में तलब किया तो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने कहा कि अगर राज्य को अधिकार दे दिया जाए, हमको अधिकार दे दिया जाए तो हम चीनी मिल मालिकों को नाच नचा देने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शुगर केन परचेज एक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार है कि जो निर्धारित मूल्य है, वह निर्धारित मूल्य 14 दिन के अंदर चीनी मिल मालिकों से किसानों को अदा करवाएं। यदि 14 दिन के अंदर चीनी मिल

[कुंवर अखिलेश सिंह]

मालिकों से अदा नहीं करवाती हैं तो उत्तर प्रदेश शुगर केन परचेज एक्ट के अनुसार उन्हें बकाया पर ब्याज देना होगा और तीस दिन के अंदर गन्ना किसानों की अदायगी नहीं होती है तो चीनी मिल मालिकों के खिलाफ रिकवरी सार्टिफिकेट जारी होगा। यह बात खाद्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार इस एक्ट के अंदर प्रभावी कार्रवाई करे। *...(व्यवधान)* तो किसानों को बहुत हद तक लाभ दिलाकर चीनी मिल मालिकों के मनमानेपन पर अंकुश लगा सकती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी यदि आप उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अभी मैंने बात ही नहीं रखी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: 15 सूचनाएं और हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: यह देश के 80 प्रतिशत लोगों का मामला है। अगर इसको दो मिनट में आप हल करना चाहते हैं तो कैसे होगा। *...(व्यवधान)* मैंने इसलिए कहा कि आप मुझे कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में मौका दें। *...(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलांकारा): अन्य सदस्यों ने भी नोटिस दिया है। हमारा भी नोटिस है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: अगर कांग्रेस के लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं चला जाता हूं। रमेश चेन्नितला जैसे वरिष्ठ सदस्य सहयोग नहीं कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): हमें भी मौका दिया जाए। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: आप पहले बोल लें। मैंने तो कहा था कि मैं अंतिम वक्ता के रूप में बोल लूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला: और सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): किसानों के मुद्दे पर मैं आपका समर्थन करता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह आप पीठासीन अधिकारी को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मुझे यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि किसानों के मामले में यह सदन गंभीर नहीं है और आज किसानों का आक्रोश चरम सीमा तक पहुंच चुका है। कल किसानों ने विजय चौक पर प्रधान मंत्री जी का पुतला तक जलाया। किसानों ने गन्ना जलाने का काम किया और वे आलू को जलाने का काम कर रहे हैं। किसानों के अंदर आक्रोश है। आप इसे समझने की कोशिश करें। अगर इस आक्रोश को ठीक से समझने की आप कोशिश नहीं करेंगे तो किसान आंदोलन, उग्रवाद की तरफ बढ़ेगा और इससे देश में एक नयी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों को इस शोषण से मुक्ति दिलानी होगी।

अभी मैं आपके संज्ञान में सर्वोच्च न्यायालय के 31.1.2001 के आदेश का उल्लेख करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ कितनी धोखाधड़ी की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ कितनी धोखाधड़ी की है, यह तथ्य भी आपके सामने रखना चाहता हूं। 31.1.2001 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो समझौता मूल्य होगा, वह मूल्य ही लागू होगा लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय में छिपाया गया और उच्च न्यायालय के विरुद्ध अभी 28.02.2003 को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार और चीनी मिल मालिकों के खिलाफ अवामानना का नोटिस जारी किया। मैं खाद्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का यदि आप अनुपालन करा दें तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 95 रुपया और सौ रुपया क्विंटल कम से कम गत वर्ष के बराबर गन्ने का मूल्य मिल जाएगा। इस आदेश के अंदर यह भी है कि अगर एक गन्ना समिति के अंदर दो चीनी मिलें हैं और एक चीनी मिल ज्यादा दाम दे रही है तो

दूसरी चीनी मिल कम दाम नहीं दे सकती। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज का उदाहरण देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री जी यहां हैं। आप उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: हमारे यहां सिसवा की चीनी मिल है और सरकारी चीनी मिल हैं और गरौड़ा की चीनी मिलें निजी क्षेत्र की मिल हैं। निश्चित रूप से सिसवा की चीनी मिल किसानों को 95 रुपया और सौ रुपया क्विंटल दे रही हैं और गरौड़ा की चीनी मिल किसानों को 82.50 रुपया प्रति क्विंटल दे रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक गरौड़ा की चीनी मिल को भी किसानों को 95 रुपया और सौ रुपया देना चाहिए। अभी परसों हमारे क्षेत्र के किसानों ने तथा महिलाओं ने मोहनापुर गांव के सेन्दुरिया चौराहे पर बड़ी तादाद में रास्ते जाम किया तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने महिलाओं के बाल पकड़कर उनको घसीटने का काम किया, पीटने का काम किया। आज किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, ...*(व्यवधान)* सरकार उस पर गंभीर नहीं है। यदि किसान घर की महिलाओं को पुलिस व प्रशासन द्वारा बेरहमी से पीटा जाएगा तो आक्रोश भड़केगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुंवर अखिलेश, आपने यह मामला उठाया है। अब उन्हें उत्तर देने दीजिए। माननीय मंत्री जी आप उत्तर दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: क्या आप मंत्री जी से इसका उत्तर चाहते हैं?

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: आलू के सवाल पर इसी सदन में कृषि मंत्री जी ने कहा था कि आलू की सरकारी खरीद होगी लेकिन अभी तक आलू की खरीद नहीं हो रही है। आगरा में कई परिवार आत्महत्या कर चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसान की जो स्थिति है, इस स्थिति से किसानों को बचाने के लिए सरकार पहल करे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): सभापति जी, माननीय अखिलेश सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, उस पर कई बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से एम.एस.पी. पांच रुपए बढ़ाया गया है। हमने ट्रांसपोर्ट का जो इंटरनल फ्रेट रेट है, वह भी दिया है। कल ही हम लोग रिलीज मेकेनिज्म लाए हैं। हमारे हाथ में जो एस.डी.एफ. है, उसमें 1100 करोड़ रुपए का लक्ष्य है, जिसमें 676 करोड़ रुपए किसानों के लिए ही एलाट किए गए हैं। इस तरह से हमने कई कदम इस सम्बन्ध में उठाये हैं। प्रधान मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में तीन बार मीटिंग बुलाई है और वे भी इसमें उपस्थित रहे हैं। इस समस्या के साथ सदन और सरकार भी जूझती रही है। अखिलेश सिंह जी ने जो मामला उठाया है, उसमें एम.एस.सी. भारत सरकार देती है। परम्परा रही है कि सूबाई सरकारें घोषणा करती हैं। पिछले साल गन्ने का प्रति क्विंटल मूल्य 95 रुपए निर्धारित किया गया था। इस साल भी घोषित हुआ था। अखिलेश सिंह जी जिस आदेश का जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि वह मुझे अभी दे दें। मैं उसको एग्जामिन कराऊंगा और उससे जो मदद मिल सकती है, वह हम करेंगे।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी गन्ना किसानों को 540 रुपए प्रति टन मिल रहे हैं। मंत्री जी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ महाराष्ट्र का भी जिक्र करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइये। वह इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: सभापति जी, महाराष्ट्र का सवाल उठाया गया है। जो बफर स्टाक बनाया गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह क्या है? ऐसा नहीं चलेगा। जब किसानों से संबंधित मुद्दों पर यहां चर्चा हो रही थी तो सभा की गणपूर्ति तक नहीं थी। मैं यहां उपस्थित था और इसमें भाग ले रहा था। और अब आप किसानों की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। जब किसानों के मुद्दों पर सभा में चर्चा हो रही थी तो सदन में कई स्थान रिक्त पड़े थे।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: सभापति जी, आप ठीक कह रहे हैं। जाधव जी ने जो मामला उठाया है, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि हमने 20 लाख मीट्रिक टन बफर स्टाक बनाया है। उसमें बफर स्टाक को आधार बनाया है। सबसे ज्यादा किसानों को फायदा आपके सूबे में होगा। भारत सरकार की पालिसी है, वह पूरे देश के गन्ना किसानों की समस्या के ऊपर केन्द्रित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नई समस्या पैदा हो गई है। देश में दो सूबे ऐसे हैं जहां 80 प्रतिशत चीनी बनती है। एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में यह संकट पैदा हुआ है कि वहां परम्परा रही है कि केन्द्र सरकार जो स्टेचुटरी प्राइस तय करती थी, वह कम से कम होता था, उसके बाद राज्य सरकारें उसको बढ़ाने का काम भी करती थी, वहां 95 रुपए एम.एस.पी. पिछले साल मिल रहा था, लेकिन उस पर डैडलाक हुआ और लोग हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले आए। समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री भी यहां आए थे। केन्द्र की तरफ से उप प्रधानमंत्री जी, अजित सिंह जी और मैं उस मीटिंग में शामिल हुए थे। उस मीटिंग में इस गम्भीर मामले पर विचार हुआ था। उस मीटिंग में मुख्य मुद्दा यह था कि जो अंतर है, उसको कौन पूरा करे। सरकार के सामने यही मुख्य संकट है। या तो राज्य सरकार पूरा करे या चीनी मिलें पूरा करे या भारत सरकार पूरा करे। हमने उत्तर प्रदेश की निजी चीनी मिलों के मालिकों को यहां बुलाकर बातचीत की और कहा कि आप कोई रास्ता निकाल कर लाएं। इस बार मूल्य नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ यह घोषणा हुई है कि पिछले साल की जगह 100 रुपए दिया जाए। वहां की कोआपरेटिव और दूसरी मिलें यह दे रही हैं। हमने उनसे कहा है कि बातचीत करके हमें बताने का काम करें कि कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। इस मामले में हमसे जो भी बन पड़ा, वह हमने पूरा किया है। एस.डी.एम. में 1300 करोड़ रुपए हैं। 1100 करोड़ रुपए की उद्योग को राहत दी जा चुकी है। उद्योग की जब बात उठती है तो उसमें किसान भी आता है, उपभोक्ता भी आता है और इंडस्ट्री भी आती है। ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं और हम तीनों को बचाना चाहते हैं। ग्रामीण इलाके का यह काफी बड़ा उद्योग है, इसी इलाके के किसान खुशहाल हैं। यदि उनकी माली हालत किसी इलाके में ठीक है तो इसी इलाके में ठीक है। देश भर के किसानों की हालत ठीक बने, इस मंशा से हम कोशिश कर रहे हैं और अभी वार्ता जारी है, रास्ता निकालने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उससे मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। सुप्रीम-कोर्ट के किसी जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया है, मैं उसको एग्जामिन करूंगा और इसके सहारे मामला बन सके तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, प्रेस में इस तरह की खबरें आयी हैं कि केन्द्र सरकार विदेश में कार्य करने वाले भारतीयों को दोहरी नगरिकता देने पर विचार कर रही है। यह विचार अच्छा है, लेकिन इसमें भेदभाव हो रहा है। इससे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा यूरोप जैसे पश्चिमी देशों में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन दूसरे देशों में भारतीय मूल के रहने वाले लोग इससे लाभान्वित नहीं होंगे। खाड़ी देशों में भारतीय मूल के लाखों लोग कार्य कर रहे हैं लेकिन वे इससे लाभान्वित नहीं होंगे। सिंगापुर में भारतीय मूल के बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं। सिंगापुर और मलेशिया में कार्य कर रहे तमिल और मलयाली इस दोहरी नागरिकता के अधिकार से लाभान्वित नहीं होंगे। आस्ट्रेलिया में भी बहुत से भारतीय हैं, वे इससे लाभान्वित नहीं होंगे। इसलिए, यह एक भेदभावपूर्ण कदम है।

इसलिए, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह विदेश में कार्य कर रहे सभी भारतीयों के बारे में समान रूप से विचार करे। पश्चिमी देशों में कार्य करने वाले भारतीयों को दोहरी नागरिकता देना और दूसरों को मना करना ठीक बात नहीं है। ये उचित व्यवहार नहीं है। विदेश में तथा मध्य-पूर्व और सुदूर पूर्व में कार्य करने वाले तमिल और मलयाली लोगों को भी इस निर्णय का लाभ मिलना चाहिए।

आज के अखबार में यह खबर प्रकाशित हुई है कि ब्रिटेन में पैदा होने वाले भारतीयों को इसका लाभ मिलेगा। बहरहाल, जब उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक लोग ब्रिटेन में पैदा ही नहीं हुए हैं तो उन्हें दोहरी नागरिकता कैसे दी जाएगी?

इसलिए, इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, केवल यही बात उचित लगती है कि विदेश में कार्य करने वाले सभी भारतीयों को दोहरी नागरिकता का अधिकार दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: अब मैं श्री रमेश चेन्नितला को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें क्योंकि अपराह्न 2.00 बजे हम विधेयक पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: वे सदस्य जिन्होंने नोटिस दिए हैं, केवल वही खड़े हों और बोले। श्री रमेश चेन्नितला ने 'शून्य काल' के दौरान बोलने का नोटिस दिया है।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): खाड़ी देशों में 15 लाख से भी अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात तथा खाड़ी देशों से बड़ी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं। ऐसा दो कारणों से हो रहा है। पहला कारण यह है कि अरब देशों में बड़े-बड़े विभागों का अरबीकरण हो रहा है जिसके कारण वहां हजारों लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि मध्य-पूर्व में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा घोषित आम माफी के कारण 50 हजार से भी अधिक लोगों को 'देश से बाहर' जाने का आदेश दे दिया गया है।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। अपराह्न 2.00 बजे विधेयक पर चर्चा शुरू होगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं उनकी बात से सहमत हूं क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा वह सही है।

श्री रमेश चेन्नितला: गन्ना किसानों के विषय पर आपने आधा घंटा दिया है। मुझे यह एक वाक्य पूरा करने दीजिये।

खाड़ी देशों से हजारों लोग वापस आ रहे हैं। इन श्रमिकों का पुनर्वास करना केन्द्र सरकार का दायित्व है। खाड़ी देशों से जो लोग वापस आ रहे हैं, उन सभी को बहुत कम मजदूरी दी जाती है। केरल सरकार के नोरका विभाग ने इनके लिए पहले से ही कुछ योजनाएं चला रखी हैं। इन लोगों की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय को आगे आना चाहिए ताकि उनका देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न विभागों और संस्थाओं में पुनर्वास किया जा सके।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस बारे में उचित कदम उठायें ताकि इन लोगों का देश के विभिन्न भागों में उचित ढंग से पुनर्वास हो सके। धन्यवाद।

सभापति महोदय: यदि अपने आप को उनसे संबंद्ध करना चाहते हैं, तो आप मुझे बात दें, तो मैं कह दूंगा कि आप अपने आप को उनसे संबद्ध कर रहे हो।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हम अपने आपको उनसे संबद्ध करना चाहते हैं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): हम अपने आपको उनसे संबद्ध करना चाहते हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं इस मुद्दे पर स्वयं को श्री चेन्नितला के साथ सम्बद्ध करता हूं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मैं भी स्वयं को इस मुद्दे के साथ सम्बद्ध करती हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, केन्द्र सरकार को इन श्रमिकों का पुनर्वास करने हेतु तत्काल कदम उठाने चाहिए। ...*(व्यवधान)* एन.ओ.आर.के.ए. प्रकोष्ठ की शक्तियां बहुत सीमित हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सब ने स्वयं को इस मुद्दे के साथ सम्बद्ध किया है।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैंने एक और सूचना दी है।

सभापति महोदय: श्री थामस, यदि समय बचा तो मैं आपको बुलाऊंगा। अब मैंने श्री सिमरनजीत सिंह मान को बुलाया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): सभापति महोदय, मुझे सदन में इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। यह पोटा के दुरुपयोग से संबंधित है। मुझे उत्तर प्रदेश में श्री राजा भइया, तमिलनाडु में एक पत्रकार और कुछ मुस्लिम नजरबंदों के बारे में बहुत दुखद रिपोर्ट मिली है। समाजवादी पार्टी के नेता ने भी यह वक्तव्य दिया है कि उन्हें पोटा के अन्तर्गत हिरासत में लिए जाने का भय है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने भी आज सदन में एक वक्तव्य दिया है कि यदि इस तरह चलता रहा तो एक दिन उन्हें भी पोटा के अन्तर्गत हिरासत में लिया जा सकता है।

महोदय, मुझे यह समाचार भी मिला है कि वैल्लोर कारागार में श्री वैको के प्रकोष्ठ का तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस प्रकोष्ठ में कोई पंखा नहीं है। उन्हें वैल्लोर से 500 किलोमीटर दूर एक वैन में बैठाकर ले जाया गया और कोई सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मैं इस सदन में यह पूछना चाहूंगा कि कल प्रधानमंत्री जी ने इस सभा में यह वक्तव्य दिया था कि जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और वहां एक लोकतान्त्रिक सरकार के गठन के पश्चात ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यहां केवल एक पंक्ति का उल्लेख है। इसमें लिखा है, 'श्री वैको की सुरक्षा के संबंध में'। इसीलिए मैंने आपको अनुमति दी थी। आपने उनके बारे में बात नहीं की है। अब आप जम्मू और कश्मीर, पत्रों और इन सब चीजों के बारे में बोल रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: मैंने प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा था उसे मुझे सभा पटल पर रखने दें।

सभापति महोदय: इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। यह नियम 377 के अधीन मामला नहीं है। आप इसे उन्हें ही भेजें।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, वित्त विधेयक पर बहस का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री जी ने सदन में ताड़ के तेल पर आयात शुल्क में कमी की घोषणा की थी। यह भी कहा गया था कि यदि किसानों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा तो उस पर बाद में विचार किया जा सकता है। मैं बता दूं कि नारियल उत्पादक किसान गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। जो किसान अन्य कृषि उत्पादों से खाद्य तेलों का उत्पादन कर रहे हैं वे भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं सरकार से नारियल उत्पादक किसानों और अन्य किसानों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं को हल करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, अजमेर जिला राजस्थान में संवेदनशील जिलों में से एक है। परन्तु जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजस्थान की वर्तमान सरकार अल्पसंख्यकों को तुष्टिकरण के नाम पर तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने हेतु सब प्रकार के नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर अजमेर बाईपास पर ग्राम पालरा तहसील व जिला अजमेर कुल रकबा 14 बीघा एक बिस्वा भूमि अजमेर के खादिमों की संस्था अंजूमन कमेटी को मदरसा बनाने के नाम पर आबंटित कर दी है। जिसके कारण आस-पास के रहने वाले हजारों ग्रामीणों में घोर असंतोष व्याप्त है तथा पिछले लगभग 2 माह से वे आन्दोलनरत हैं।

खादिमों की इस संस्था के साये में अनेक कुख्यात अपराधी तत्वों को संरक्षण मिलता रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में धौला कुआं के अन्दर बुरका पहने एक अपराधी दस साल बाद पकड़ा गया है। जिसने 1993 में अजमेर के अन्दर अश्लील चित्र छाया काण्ड के नाम पर हिन्दुस्तान को बदनाम कर दिया। इस संस्था ने बहन-बेटियों की इज्जत लूटी थी। इसके बाद सूरत में 23 करोड़ रुपए की स्मैक स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई। वे खादिम अन्जूमन के मैम्बर हैं और आईएसआई की गतिविधियों को पनपाने और बंगलादेशियों को संग लेने वाली है। उस अन्जूमन संस्था को मदरसे के लिए 14 बीघा एक बिस्वा जमीन दे दी गई है, जिसके कारण गांव के लोगों में असंतोष व्याप्त है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और साम्प्रदायिक सद्भावना हेतु राजस्थान सरकार को निर्देशित करे कि भूमि आवंटन रद्द किया जाए।

अपराह्न 2.00 बजे

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान नए छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ दिलाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने से पहले वहां की सड़कें जर्जर हालत में हैं। वहां आवागमन की सुविधा अवरुद्ध हो गई है। छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के बाद इसकी राजधानी रायपुर हो गई। बिलासपुर में हाई कोर्ट, रेलवे जोन और अन्य संभागीय कार्यालय हैं लेकिन लोगों को राजधानी आने-जाने में असुविधा हो रही है। वहां ट्रैफिक बढ़ गया है जिससे अधिकतर दुर्घटनाएं हो रही हैं। सीआईएफ रोड के अन्तर्गत राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं जो पैंडिंग हैं। पैंडिंग वर्क को शीघ्र स्वीकृति दी जाए। वे सड़कें निम्नलिखित हैं—चिरहुल्ला से पथरिया, पथरिया से छिंदभोग, पेंडरा से कच्ची, रतनपुर-बेलगहना रोड़, बिलासपुर-मूंगेली से पंडरिया, मुंगेली-जबलपुर वाया मुंगेली और मुंगेली से रायपुर सड़कें राजधानी को जोड़ती हैं। मैं इन सड़कों की स्वीकृति दिए जाने हेतु अनुरोध करता हूं। मेरी मांग पर जरूर ध्यान दिया जाए और पैंडिंग रोड्स को स्वीकृति दी जाए।

डा. महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल): सभापति महोदय, एचएमटी रानीबाग, नैनीताल, उत्तरांचल इकाई भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ मुख्यालय बैंगलोर से संचालित होती है। उक्त कारखाने में 1 अप्रैल, 2003 को मात्र 619 कर्मचारी ही सेवारत रह गए हैं जिस में 124 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। देश की वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीति से यह कारखाना भी प्रभावित हुआ है। बाकी कमी को मुख्यालय प्रबन्धन की उद्योग एवं श्रमिक विरोधी नीतियों ने पूरा कर दिया है। प्रबंधन के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण 20 लाख घड़ी निर्माण की क्षमता वाले उपरोक्त इकाई का लक्ष्य 8 लाख कर दिया गया है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यशील पूंजी एवं कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कर्मचारियों को अक्टूबर, 2002 से अप्रैल, 2003 तक सात माह का वेतन भुगतान नहीं हुआ। वेतन के अभाव से कर्मचारी अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती एवं कापी किताबों व मासिक फीस नहीं दे पा रहे हैं। अगर कार्यशील पूंजी एवं कच्चा माल इस इकाई को उपलब्ध होता तो इस इकाई के कर्मचारी भरसक मेहनत करके कारखाने में क्षमता के अनुरूप उत्पादन कर लाभान्वित होते। इस कारखाने की घड़ियों की मांग पूरे देश के साथ-साथ विशेष तौर पर पूरे उत्तर भारत में है। यहां सेना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को भी तैयार किया जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि इस इकाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए पांच करोड़ रुपए कार्यशील पूंजी की स्वीकृति एवं कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मुनियप्पा, यद्यपि आपकी सूचना यहां मेरे पास नहीं है तथापि एक विशेष मामला मानते हुए मैं आपको मामला उठाने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया केवल आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं। भारत गोल्डमाइन लिमिटेड के श्रमिकों को गत 20 वर्षों से उनका वेतन नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। महोदय, अब तक 30 श्रमिक मर चुके हैं। यह मामला न्यायालय में लंबित है। लेकिन सरकार इस के निपटारे हेतु आगे नहीं आ रही है।

इसलिए, मैं सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का निपटारा करने और भारत गोल्डमाइन लिमिटेड के श्रमिकों की समस्याओं को सदा के लिए दूर करने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): सभापति महोदय, मैं यहां अपने राज्य से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए खड़ी हुई हूं जो कि लंबे समय से केन्द्र सरकार के पास लंबित है।

गत कई वर्षों से गुजरात सरकार केन्द्र सरकार से बार-बार अनुरोध कर रही है कि वह कांडला पत्तन न्यास के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि का विकास करने हेतु उसे राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दे। यह मामला अभी भी अनुसुलझा है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस मामले को स्थायी रूप में सुलझाने का अनुरोध करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, समाज का एक वर्ग चंडीगढ़ संघ राज्य प्रशासन या चंडीगढ़ आवास बोर्ड की आवास योजनाओं में सम्मिलित होने से अक्सर छूट जाता है और यह वर्ग है निम्न मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग। इनके लिए कभी कुछ नहीं किया गया।

महोदय, मैं सरकार से इस दिशा में तत्काल कदम उठाए जाने का अनुरोध करता हूं जिससे कि भविष्य में एक साझी योजना बनाई जा सके जिसमें कुछ योगदान वे लोग करें, कुछ योगदान नियोक्ता करें और एक साझा कोष बनाया जा सके व इस कोष का उपयोग उस कार्य हेतु किया जा सके।

महोदय, जब हम प्रत्येक को आश्रय प्रदान किए जाने की बात करते हैं तो समाज का यही वर्ग, जो कि कर्मचारी हैं, जो इस शहर में कई वर्षों से रह रहे हैं, चाहे वे सरकारी नौकरी में हों या निजी क्षेत्र की नौकरी में, इसका लाभ नहीं उठा पाता है। अत: समाज के इस वर्ग के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

सभापति महोदय: अब, विधायी कार्य लेते हैं। श्री अरुण जेटली को एक विधेयक प्रस्तुत करना है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैंने नियम, 377 के अधीन अपनी बात नहीं कही है। मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। चूंकि आपने वह मुद्दा उठाया है तो मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि नियम 377 के अधीन मामलों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* यहां बहुत से संसद सदस्यों ने नियम 377 के अधीन सूचनाएं दी हैं। लेकिन इस नियम का अब कोई महत्व नहीं रहा है। हम अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। मुझे इस शब्द का उपयोग करने पर खेद है। हम अन्य बातों पर भी अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं परन्तु हम यह मद नहीं ले पा रहे हैं जिसके लिए कई माननीय संसद सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं। उन्होंने एक सप्ताह तक प्रतीक्षा की है; उन्होंने मतदान की प्रतीक्षा की है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रत्येक वर्ग आरोपी है। इसका दोष सदन के किसी एक वर्ग के सिर न मढ़ें। हम समय नष्ट नहीं करते। विचारों के आदान-प्रदान के कारण हमारा समय नष्ट होता है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: मुझे उस शब्द का उपयोग करने पर खेद है। हमेशा नियम 377 के अधीन मामलों पर ही गाज क्यों गिरती है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हम समय नष्ट नहीं करते।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.05 बजे

सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित

(एक) संघ राज्य क्षेत्र न्यायिक अधिकारी वेतन और भत्ता विधेयक*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों के वेतनों और भत्तों के विनियमन का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों के वेतनों और भत्तों के विनियमन का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 9.5.2003 में प्रकाशित।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रश्न यह है कि इन्होंने सूचना अवधि में छूट मांगी है। मेरा यह कहना है कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। पहले, मंत्री जी ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें लिखा है:

> ''जैसा कि आल इंडिया जजिज एसोसिएशन के मामले में 5 मई, 2003 को उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है, उच्चतम न्यायालय में 8 मई, 2003 को एक शपथपत्र प्रस्तुत किया जाए जिसमें उन्हें इस विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किया जाये।''

अत: यह स्पष्ट है कि सरकार पहले ही निदेशों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल कर चुकी है। यदि यह सत्य है तो उस विधेयक की विषय-वस्तु एक शपथपत्र का आधार कैसे बन सकते हैं जिसे अभी सदन में पुर:स्थापित किया जाना है? आज वह पुर:स्थापित किया जा रहा है लेकिन जो विधेयक आज पुर:स्थापित किया जा रहा है उसकी विषय-वस्तु के बारे में 8 मई, 2003 को एक शपथपत्र दाखिल किया गया था। ऐसा लगता है कि भारत सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष यह एक स्पष्टतया गलत बयानी का मामला है ...*(व्यवधान)* मुझे मेरी बात पूरी करने दें ...*(व्यवधान)*।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) पुर:स्थापन के स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा कैसे की जा सकती है? ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): क्या आप मात्र वही करना चाहते हैं जो उच्चतम न्यायालय कहता है? ...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार: अभी सभापति महोदय ने सही टिप्पणी की है कि हम सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: सभापति महोदय ने मुझे बोलने की अनुमति दी है। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: सरकार की यह आदत बन गयी है कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में 'उच्चतम न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित' लिखा जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, मैं मंत्री जी को बुलाता हूं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे समाप्त करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: कानून बनाना संसद का कार्य है। कोई और हमें कानून बनाने के लिए नहीं कहे। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहना कि ''उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, हम यह कर रहे हैं'' ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: व्यवधान की वजह से मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर सका। पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। पहली बात यह है कि सभा में विधेयक पुर:स्थापित किए बिना शपथ-पत्र दायर नहीं किया जा सकता है। यदि विधेयक की विषय-वस्तु का शपथ-पत्र का भाग होना जरूरी हो तो पहले सभा में विधेयक को पुर:स्थापित किया जाना चाहिए। विधेयक पुर: स्थापित नहीं किया गया है। ज्ञापन पत्र में उन्होंने आगे कहा है:

> ''चूंकि संसद का चालू सत्र 9 मई 2003 तक रहेगा, इसलिए यह आवश्यक है कि संसद के चालू सत्र में 8 मई 2003 को विधेयक पुर:स्थापित किया जाए।''

परन्तु इन्होंने कल यह विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया, वह इसे आज पुर:स्थापित कर रहे हैं। यह स्पष्टत: गलत बयान का मामला है और सभा को रबड़ की मोहर माना जा रहा है। कार्यपालिका द्वारा सभा को रबड़ की मोहर नहीं माना जा सकता है। परन्तु उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने यही नहीं किया, बल्कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मामले में भी ऐसा ही किया। दो छूटें दी गयी थीं—सूचना छूट और चर्चा छूट।

सभापति महोदय: ठीक है, एक मिनट इंतजार कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: नहीं। कृपया बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मुझे समाप्त करने दीजिए। यह सब कानूनी बातें हैं।

सभापति महोदय: कृपया एक मिनट इंतजार कीजिए। आपने कहा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को विधेयक पुर:स्थापित करने का निर्देश दिया था। मैंने उद्देश्यों और कारणों का कथन पढ़ा है। परन्तु उसमें यह नहीं है। इस तरह की बात मत बोलिए। कोई भी न्यायालय सरकार को किसी प्रकार का कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: वह अलग बात है।

सभापति महोदय: जब ऐसा नहीं है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं उस पर आता हूं।

सभापति महोदय: आपने कहा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है। जब आपने ऐसा कहा तो मैं आश्चर्य चकित रह गया।

मेरा विनिर्णय है कि भारत के उच्चतम न्यायालय सहित कोई न्यायालय संसद को किसी प्रकार का कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है। संसद एक संप्रभु निकाय है, यह लोगों की इच्छा को व्यक्त करती है और यह जनता का सदन है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। मैं उस पर आ रहा हूं। दूसरी बात यह है कि न्यायालय हमें निर्देश नहीं दे सकता है।

सभापति महोदय: यह हमें किसी प्रकार के निर्देश नहीं दे सकता है। वे भी बुद्धिमान लोग हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: केन्द्र सरकार की ओर से यह लापरवाहीपूर्ण रवैया है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को न्यायिक अधिकारियों के वेतन संबंधी कानून न करने के लिए न्यायालय के समक्ष बुलाया था। तमिलनाडु और अन्य राज्य इन्हें पहले ही लागू कर चुके हैं। परन्तु केन्द्र शासित प्रदेशों के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण इन्हें लागू नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त विधेयक यहां पुर:स्थापित करने से पहले वे विधेयक की विषयवस्तु के साथ शपथ-पत्र दायर नहीं कर सकते हैं। मंत्रीजी के वक्तव्य के अनुसार उन्होंने कल शपथ-पत्र दायर किया था। परन्तु विधेयक आज पुर:स्थापित किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा वे विधेयक का मसौदा दे सकते हैं न कि सम्पूर्ण विषय वस्तु।

सभापति महोदय: ठीक है। आप शेष सभी मामले चर्चा के लिए रख सकते हो। अब माननीय मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री अरुण जेटली: विधेयक का पुर:स्थापन किये जाने के स्तर पर दो संभव आपत्तियां हो सकती हैं—एक इस सभा की विधायी क्षमता के संबंध में और दूसरा क्या विधेयक संवैधानिक शक्तियां से निहित नहीं है *...(व्यवधान)*। माननीय सदस्य ने इन दोनों से संबंधित कोई आपत्तियां नहीं उठाई हैं। इसलिए यह दोनों आपत्तियां वास्तव में समर्थन योग्य नहीं हैं इसलिए सभापति महोदय को इस बारे में निर्णय करना है।

जहां तक विषय वस्तु का संबंध है—माननीय सदस्य श्री पवन कुमार बंसल द्वारा टिप्पणी की गयी थी—मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है वह ठीक है कि वेतन निर्धारण कार्यपालिका का कार्य है न कि न्यायपालिका का। उच्चतम न्यायालय के कुछ निश्चित निर्देश थे। उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर यह विधेयक सभा में लाया गया है क्योंकि वेतन ढांचा क्या होना चाहिए, इस कानून को लागू करने का अधिकार वास्तव में कार्यपालिका का है। जो निर्देश दिये गये हैं उनमें कुछ भिन्नता हो सकती है क्योंकि उच्चतम न्यायालय को इस संबंध में बताया जाना था; इस विशेष मामले में कई राज्य विधान सभाओं ने भी कानून बनाये थे।

जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, केन्द्र शासित प्रदेशों में वेतन ढांचे संबंधी निर्णय केन्द्र सरकार का दायित्व है और इस विधेयक में वे सभी विषय हैं *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, सभा में विधेयक पुर: स्थापित किये बिना वह शपथ-पत्र कैसे दायर कर सकते हैं? सभा का प्रयोग 'रबड़ स्टम्प' की तरह नहीं माना जा सकता है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों के वेतनों और भत्तों के विनियमन का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 02.14 बजे

नियम 377 के अधीन मामले@

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नियम 377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे माने जाएंगे।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

@सभा-पटल पर रखे माने गये।

[हिन्दी]

(एक) गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आग से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री बृज भूषण शरण सिंह (गोंडा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोंडा (उ.प्र.) में आग लगने की वजह से आठ सौ से ज्यादा परिवार बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों किसानों की फसल जल चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा समय पर सहायता नहीं दी गई और जिन्हें सहायता दी गई है वह भी कम कर दी गई है। आग से पीड़ित परिवारों की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल आग पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायें। बेघर हुए परिवारों के लिए आवास बनवाये जाएं तथा जिन किसानों की फसल जल चकी है, उन्हें मुआवजा उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाए।

(दो) मध्य प्रदेश के बीना में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): मेरे संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश का बीना नगर जो कि रेलवे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन होने के साथ ही यहां अनाज की काफी बड़ी मंडी है तथा यहां पर बीना रिफाइनरी जैसा बड़ा प्लांट भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा लगाया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण स्थान दूरदर्शन केन्द्र से जुड़े हुए हैं। यहां से 22 किलोमीटर दूर खुरई नगर में भी दूरदर्शन केन्द्र है, किंतु बीना जैसे महत्वपूर्ण नगर में दूरदर्शन केन्द्र नहीं होने के कारण यहां की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा निजी चैनल आपरेटरों को काफी शुल्क देकर उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। पूर्व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के द्वारा बीमा नगर दूरदर्शन केन्द्र प्रारम्भ करवाए जाने के संबंध में कार्यवाही की गई थी।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बीना नगर के आर्थिक, सामाजिक एवम् यातायात के महत्व को देखते हुए यहां पर शीघ्रातिशीघ्र दूरदर्शन केन्द्र प्रारम्भ करवाने का सहयोग करें।

(तीन) देश में बाल श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता।

डा. जसवन्त सिंह यादव (अलवर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश के विभिन्न खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे बाल-श्रमिकों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। देश के विभिन्न गांवों तथा शहरों में करोड़ों की संख्या में बाल-श्रमिक विभिन्न खतरनाक उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु में माचिस, व पटाखा उद्योग, रस्सी उद्योग, कर्नाटक में अगरबत्ती उद्योग, उत्तर प्रदेश में कांच-चूड़ी उद्योग, अलीगढ़ में ताला उद्योग, भदोई में कालीन उद्योग, वाराणसी में जरी कार्य उद्योग, मुरादाबाद में पीतल बर्तन उद्योग, खुर्जा में चीनी-मिट्टी बर्तन उद्योग, आगरा व कानपुर में चमड़ा उद्योग, आंध्र प्रदेश व बिहार में बीड़ी उद्योग, जयपुर में कालीन उद्योग इत्यादि। इसके अलावा पापड़ बेलने, आचार बनाने, कपड़े सिलने, कागज की थैलियां बनाने, पैंकिंग करने आदि में बाल-बालिका श्रमिक काम कर रहे हैं। महोदय, इन बाल-श्रमिकों की हालत इतनी खराब है कि जीवन की अति आवश्यक सुविधाओं से इन्हें वंचित किया जा रहा है। इन बाल-श्रमिकों के लिए न तो शिक्षा की व्यवस्था है और न ही उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाल-श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तथा इनके गरीब माता-पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है, उसे समाप्त करने के लिए वर्तमान कानून का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जाए।

[अनुवाद]

(चार) क्रांतिवीर श्यामजी वर्मा की अस्थियों को स्विटजरलैंड से भारत लाए जाने की आवश्यकता।

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर-पूर्व): क्रांतिवीर श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां वापिस लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट विभाग, गृह मंत्रालय गुजरात सरकार और स्विटजरलैंड स्थित दूतावास के बीच उचित तालमेल के अभाव में विगत 15 वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उनकी अस्थियों को वापिस भारत लाने के लिए तुरंत कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(पांच) उड़ीसा के कालाहांडी और नौपाड़ा जिले में श्रम प्रधान कार्य लिंक परियोजनाओं के लिए समुचित निधि के आबंटन द्वारा पेयजल की गंभीर समस्या का हल किए जाने की आवश्यकता।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): उड़ीसा के कालाहांडी और नौपाड़ा जिले में पीने के पानी का अभाव है और नौपाड़ा जिले के बोडेन खण्ड में जल प्रदूषित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य के अभाव के कारण इन दो जिलों से लोग पलायन कर रहे हैं और वहां दरिद्रता फैली है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध

करता हूं कि जुलाई 2003 तक लेबर इन्टेंसिव लिंक वर्कस के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए।

(छह) महाराष्ट्र सरकार के राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): महोदय, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है जिसके द्वारा बाल श्रमिकों को शिक्षा और पुनर्वास की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एन सी पी एल के तहत केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अनेक प्रस्ताव भेजे गए थे और उनके द्वारा कई अनुस्मारक भी लिखे गये थे। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के कहे अनुसार महाराष्ट्र के संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा उनके अपने-अपने जिलों के वर्ष 2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एस पी) के अंतर्गत प्रस्ताव संशोधित प्रपत्र में भेजें गये परन्तु केन्द्र सरकार ने अभी तक इनको प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों को तुरंत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।

(सात) अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए केन्द्रीय बजट में पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): भारतीय संविधान, विशेषकर अनुच्छेद 15(4) और 16(4) पिछड़े वर्गों के नागरिकों के विकास संबंधी प्रावधान हैं, जो क्रमश: शिक्षा और सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों से संबंधित हैं और इन्हें सभी राज्यों में लागू किया रहा है। परन्तु केन्द्र सरकार अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधीनस्थ विभिन्न शिक्षा संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधान लगू नहीं कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत नियुक्तियों के लिए आरक्षण को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय बजट में पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया नहीं कराई गई है।

केन्द्रीय बजट में वर्ष 2002-2003 के लिए 55 प्रतिशत से ज्यादा की जनसंख्या वाले पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए रु. 10.743 करोड़ का प्रावधान था जिसकी तुलना में 21 प्रतिशत जनसंख्या वाले अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजातियों के लिए रु. 1872.24 करोड़ के बजट का प्रावधान था।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करके अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के प्रति हो रहे अन्याय को समाप्त किया जाए।

(आठ) चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में रह रहे निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए वहनीय स्ववित्तपोषित निम्न आय वर्ग आवास योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता।

श्री पवन कुमार बंसल: (चंडीगढ़): समाज का एक वर्ग, जो प्राय: चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश, प्रशासन या चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड की गृह योजनाओं से वंचित रह जाता है, वह है निम्न आय वर्ग (एल.आई.सी.) बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंडीगढ़ में दशकों से रह रहे हैं। वे सरकारी या निजी प्रष्ठिानों में नौकरी करते है और वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा आवास के किराये के रूप में देने को बाध्य हैं। वे भी शहर में अपना एक अच्छा सा आवास बनाना चाहते हैं उसके लिए वे अपनी आजीविका से बहुत कुछ दे चुके हैं परन्तु कीमतें बहुत ज्यादा हैं।

इसलिए केन्द्र शासित प्रदेश, प्रशासन के लिए यह अनिवार्य है कि वह एक सस्ती स्व-वित्तीय एल आई जी आवासीय योजना बनाये जो कि उन सभी निवासियों के लिए हो जिनकी आय निश्चित सीमा में है और जो चंडीगढ़ में कम से कम 5 वर्ष से रह रहे हों। या कार्य किया हो। प्रशासन द्वारा भूमि प्रदान किये जाने और बैंकों द्वारा सरल शर्तों पर ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त आज की आवश्यकता यह है कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान द्वारा आवासीय कोष की एक योजना चलाई जाए जिसमें से दस साल बाद धन दिया जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि यह दोनों योजनायें प्रारम्भ की जाएं।

(नौ) त्रिपुरा में मेडिकल कालेज खोले जाने की आवश्यकता।

श्री खगेनदास (त्रिपुरा पश्चिम): माननीय प्रधानमंत्री के आग्रह पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिकित्सा ढांचे के आकलन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने पाया कि त्रिपुरा में 442 चिकित्सा अधिकारियों, 477 विशेषज्ञ डाक्टरों और बड़ी संख्या में अर्द्ध-चिकित्सकीय कर्मचारियों का अभाव है। देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में राज्य को कुछ मेडिकल सीटें दी गयी हैं जो कि अपर्याप्त हैं। प्रत्येक वर्ष सैकड़ों मरीज चिकित्सा के लिए त्रिपुरा से बाहर जाते हैं। प्रत्येक को इलाज के लिए काफी वित्तीय भार और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उच्च स्तरीय समिति ने त्रिपुरा में मेडिकल कालेज बनाने की सिफारिश की थी। तब से त्रिपुरा सरकार ने 100 सीटों का मेडिकल कालेज बनाने की परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। राज्य सरकार ने मेडिकल कालेजों के लिए अस्पताल प्रदान करने के

[श्री खगेन दास]

लिए 109 करोड़ रु. के निवेश से जिला अस्पताल का उन्नयन कर उसे 300 बिस्तर वाला अस्पताल बनाने की अन्य परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की थी।

मेरा यह अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्रालय या पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा त्रिपुरा में मेडिकल कालेज शीघ्र शुरू किए जाने के लिए दोनों परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर धनराशि मुहैया करायी जाये।

(दस) हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे प्लेटफार्मों पर हैंडलूम शोरूम खोले जाने की आवश्यकता।

श्री वाई.वी. राव (गुंटूर): हथकरघा उद्योग के मजदूरों को भारत सरकार से काफी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यदि सरकार रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर जगह प्रदान करती है तो हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1000 से ज्यादा स्टाल मुहैया कराये जा सकते हैं। इससे न सिर्फ निर्धनों की मदद होगी बल्कि बुनकरों को भी सहायता प्राप्त होगी। कई राज्यों में 'टिश्यू बाजारों' और किसान मंडियों की सफलता का अनुसरण करते हुए वस्त्र मंत्रालय और रेलवे के सहयोग से प्लेमटफार्मों पर हथकरघा शोरूमों की स्थापना की दिशा में उचित कदम उठाने चाहिएं ताकि दिए गए आश्वासन के अनुरूप युवाओं को 1 लाख से अधिक नौकरियां प्रदान की जा सकें।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जाए।

(ग्यारह) तमिल को प्राचीन भाषा घोषित किए जाने और दिल्ली में तमिल अकादमी स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर): सभी तमिलों द्वारा तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित करने और तमिल को राष्ट्र की अन्य कार्यालयी भाषा बनाने की लगातार मांग की जाती रही है। सभी भारतीय भाषाओं को कार्यालयी सम्पर्क भाषाओं के तौर पर प्रोत्साहित करना चाहिए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और स्वतंत्रता पूर्व के समय से ही तमिल लोग काफी संख्या में यहां रह रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में तमिल भाषा ब्रिटिश काल से ही पढ़ाई जाती रही है और यहां शोध संबंधी सुविधा भी है। दिल्ली में 6 से ज्यादा कालेजों और 7 स्कूलों में तमिल पाठ्यक्रम है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जहां तमिल पढ़ाई जाती है, वहां भी शोध कार्यों के लिए तमिलपीठ की स्थापना की जा रही है। आकाशवाणी पर 1941 से इसके ई एस डी और एन एस डी चैनलों द्वारा तमिल भाषा में प्रसारण किया जाता है। परन्तु दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली में तमिल अकादमी की स्थापना अभी की जानी है। हमारे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई और मध्य पूर्व एशियाई पड़ोसी राष्ट्रों में तमिल भाषा लोगों की पर्याप्त संख्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन के साथ मिलकर तमिल अकादमी की स्थापना करना अनिवार्य राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में तुरंत कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

[हिन्दी]

(बारह) राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक परियोजना के अंतर्गत बिहार में महाराजगंज, सारण से होते हुए मांझी और बरौली के बीच सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): बिहार के सारण कमिश्नरी के अंतर्गत मांझी वाया महाराजगंज बरौली पथ बहुत ही जर्जर हो चुका है। सड़क के नाम पर मात्र अवशेष ही बचा है। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है जिस पर वाहन से यात्रा करना जोखिम भरा कार्य है। यहां तक कि उस सड़क पर पैदल यात्रा करना भी मुश्किल है, जबकि उक्त सड़क छपरा, सिवान और गोपालगंज जिला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को जोड़ने के लिए मुख्य सड़क है। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-88 और राष्ट्रीय राजमार्ग हाजीपुर से गाजीपुर को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। इस सड़क पर वाहन का दबाव सबसे अधिक है जबकि सड़क की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। मैं इस सड़क का निर्माण कार्य केन्द्र सरकार की सीआरएफ योजना के अंतर्गत या लिंक एन.एच. योजना के अंतर्गत कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस पथ को दोनों योजनाओं में शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भी पूर्व में प्रस्ताव भेजा गया था।

(तेरह) हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल को फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता।

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य (शिमला): महोदय, हिमाचल प्रदेश को 'सेबों का राज्य' नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश के बारह जिलों में से सात जिलों में सेब का उत्पादन होता है। नकदी फसल होने के कारण सेब के उत्पादन से जहां हिमाचल के कृषकों व फल उत्पादकों की आर्थिक दशा में सुधार आया है, उसी के साथ सेब के पौधों के लगाने से भूमि संरक्षण व पर्यावरण सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय स्तर के लाभ भी प्राप्त हुए हैं। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों से सेब के उत्पादकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे

मौसम में परिवर्तन व ओलावृष्टि से सेब के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। कृषकों व बागवानों को फसल का उचित मूल्य न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है और बहुत से इस वर्ग के लोग कर्जे में डूबने के कगार पर हैं। प्रदेश सरकार के समर्थन मूल्य के बावजूद इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इन सब समस्याओं के साथ जूझते सेब उत्पादक जब राजधानी की मंडी में अपने फल लाते हैं तो उन्हें उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। इन सब समस्याओं के चलते मेरा केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि सेब को राष्ट्रीय कृषि व बागवानी एवं फसल बीमा योजना के तहत लाया जाए ताकि कृषकों, फल उत्पादकों व सेब के बागवानों की स्थिति में सुधार हो और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

(चौदह) पांच वर्षों के बाद शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंध समिति के लिए निर्वाचन को अनिवार्य बनाए जाने के लिए सिख गुरूद्वारा अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्ध समिति की आम सभा के चुनाव काफी समय से लंबित हैं। 1996 में 17 वर्षों के अंतराल के बाद आम चुनाव हुए थे और 1979 में ये 14 वर्ष विलम्ब से हुए थे।

1966 से, मूल और प्रक्रियात्मक सभी संशोधन शिरोमणि गरुद्वारा प्रबन्ध समिति के साथ विचार-विमर्श कर गृह मंत्रालय द्वारा मात्र एक अधिसूचना द्वारा जारी कर दिये जाते हैं।

लेकिन, जैसा शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्ध समिति के संकल्प में व्यक्त किया गया है, संशोधन करते समय गृह मंत्रालय को सिखों की जनाकांक्षा को ध्यान में रखना चाहिए और अभी तक ऐसा ही होता रहा है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव कराये जाने चाहिए। वर्तमान प्रबन्ध समिति का कार्यकाल सितम्बर, 2001 में समाप्त हो गया था, लेकिन अभी तक इसके चुनाव नहीं कराये गये।

सिखों के साथ न्याय हो, इसके लिए मेरा अनुरोध है कि:

- शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्ध सिमति के चुनाव अविलम्ब कराये जायें;
- सिख गुरूद्वारा अधिनियम, 1925 में उचित संशोधन किये जायें जिससे प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव कराना अनिवार्य हो जाये।

[हिन्दी]

(पंद्रह) महाराष्ट्र विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लाखों दलितों ने 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में हिन्दू धर्म को छोड़ कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। उसके बाद महाराष्ट्र के महार समाज को अनुसूचित जाति की नौकरी में मिलने वाली सुविधा बंद कर दी गई थी। उसके साथ-साथ लोक सभा और विधान सभा की सीटें कम कर दी गई थी। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति की लोक सभा की कुल सीटें 6 थी उनको घटा कर 3 कर दिया गया था और 1990 में तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने बौद्ध समाज को आरक्षण देने का निर्णय लिया लेकिन सीटें बढ़ी नहीं। अभी डिलिमिटेशन कमेटी द्वारा आने वाले 2004 के लोक सभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति की लोक सभा की तीन और विधान सभा की 18 सीटें बढ़ाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लेने की मैं मांग कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, सवा दो बज चुके हैं। अभी कुछ और भी विधेयक हैं जिन पर चर्चा की जानी है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूंगा जिसे मैंने पहले किया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके अवसर दिया जा चुका है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यहां कुछ और माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। हमें उनके लिए भी तैयारी करनी चाहिए।

सभापति महोदय: नहीं मैंने पहले से ही उन्हें सभा पटल पर रख दिया है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यदि हम अंतिम दिन, 'शून्य काल' पर एक घंटा चर्चा कर सकते हैं, तो हम इस मामले को क्यों नहीं उठा सकते?

सभापति महोदय: नहीं, कृपया सहयोग करें। मैंने इस बारे में पहले ही आपको बता दिया है।

श्री पवन कुमार बंसल: ऐसी स्थिति में हमेशा नियम 377 के अधीन मामलों को ही नहीं लिया जाता है।

सभापति महोदय: मैंने, अपने आप, पहले से ही इसे आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया है। इसलिए कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब सभा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 पर चर्चा आरंभ करेगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। कृपया बैठ जाइये।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, नीतिगत निर्णय की दृष्टि से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। यदि सरकार इस मामले में कुछ करना चाहती है, तो इस विधेयक पर कुछ सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाये। *...(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, विधयेकों को इस तरह बेतरतीब ढंग से पेश नहीं किया जा सकता। सभा में विधायी कार्य की कुछ अहमियत है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस विधेयक को पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है। मैं समझता हूं आप कल यहां उपस्थित नहीं थे।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, कृपया हमारे साथ सहयोग करें। हम कुछ मामलों को यहां नहीं उठाते जिन्हें सदन में उठाया जा सकता है लेकिन मेरा विनम्र निवेदन यह है कि *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राधाकृष्णन जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। आप पहले बोल चुके हैं। मैं आपके साथ सहयोग करूंगा।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं यहां पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहूंगा। कृपया इस मामले में जल्दबाजी न करें। महोदय, हम ऐसे मामलों पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। लेकिन इस मामले पर मैं घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सदस्यों की इच्छाओं का इस तरह से सम्मान नहीं किया जाता है, कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण मामलों को उठाना चाहें, जिसके लिए वे बड़ी मेहनत से कापी तैयार करें, आपको सूचनाएं दें, बैलट के लिए इंतजार करें *...(व्यवधान)* मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसमें सहयोग दें। इस मामले पर आपने अभी तक कोई सहयोग नहीं दिया है *...(व्यवधान)*।

सभापति महोदय: इसके पहले भी हमने नियम 377 के अधीन मामलों को "सभा पटल पर रखे गये" के रूप में स्वीकार किया है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इस पर जो दूसरी आपत्तियां हम उठा सकते हैं, नहीं उठा रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नियम 377 के अधीन उठाये गये मामलों का उत्तर आपको कोई भी मंत्री नहीं देगा। इसीलिए हमने इसे सभा पटल पर रखने का निर्णय लिया है। और अब तो उन्हें सभा पटल पर रख भी दिया गया है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: 'शून्य काल' में सदस्यों ने केवल एक बात कही और यह खत्म हो गया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आज हमने ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बोलने का मौका दिया है। यहां तक कि हमने लंच के लिए भी छुट्टी नहीं की।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तुत नियम 377 के अधीन मामलों में, गलत मुद्रण के कारण कुछ शुद्धियां की जानी हैं। मैं इस विषय में शुद्ध की गयी प्रति आपको देना चाहूंगा।

सभापति महोदय: ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं।

अपराह्न 2.18 बजे

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक*—पारित—*जारी*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): माननीय सभापति जी, मैं आपका और हमारी नेता तथा विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा आरंभ करने का अवसर प्रदान किया। विमानन क्षेत्र के लिए

*विधेयक 8 मई, 2003 को श्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा पेश किया गया।

इस प्रकार के विधेयक की अत्यंत आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी और यह प्रसन्नता का विषय है कि अब सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि देश के वर्तमान हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ा दिया जाए और नए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन भी विकसित किये जाएं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। अच्छा हुआ, देर आयद दुरुस्त आयद। मैं अपने नौजवान नागरिक उड्डयन मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन जी को भी बधाई दूंगा कि जिनकी कमान में मंत्रालय ने बहुत प्रगति की है। नए-नए आयाम ढूंढ़े गये हैं और भविष्य में भी इस नौजवान मंत्री से हमें बहुत उम्मीदें हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2003 को गंभीरता से लेंगे और चर्चा में जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे, उन पर विचार करेंगे और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे।

आज सत्र के अंतिम दिन इस महत्वपूर्ण विधेयक पर जल्दबाजी में चर्चा करने पर भी हमें ध्यान देना होगा क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर हो रही इस चर्चा में सभी पक्षों के कई सांसद भाग लेना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव है और बिल को पारित करना भी आवश्यक है। इसलिए आज इसे हम इस सभागृह में पास करना चाहते हैं। संशोधन विधेयक 2000 जो वापस लिया गया उसका सम्बन्ध केवल एयरपोर्ट की लीजिंग से था और जो नया विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह व्यापक स्वरूप का है और इसमें अन्य प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं।

महोदय, इस विधेयक द्वारा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अधीन विमान पत्तनों में अन्य संरचनात्मक काम, जिसे अपग्रेडेशन करते हैं और जिसे ग्रीन फील्ड कहते हैं, यानी नए विमान पत्तनों में प्राइवेट भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि नवीनतम तकनीक का पूरा उपयोग इन विमानपत्तनों पर हो।

महोदय, सेवा और सुविधाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाने के लिए उनमें सुधार की आवश्यकता है और ऐसे सुधार को सुकर और सरल बनाने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप पर्यटन और व्यापार में वृद्धि होगी और आमतौर पर देश की अर्थव्यवस्था प्रोत्साहित होगी। इसके लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि अन्य क्षेत्रों के साथ अन्याय न हो।

महोदय, कोई भी विधेयक या नियम बनाते समय हम तीन मुद्दों पर ध्यान देते हैं—सोश्यल जस्टिस, रीजनल बैलेंस और नेशनल सिक्योरिटी। जब इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है, तो मंत्री महोदय को देखना होगा कि सोश्यल जस्टिस का कहां तक ध्यान रखा गया है, रीजनल बैलेंस और नेशनल सिक्योरिटी का कहां तक ध्यान रखा गया है।

महोदय, सोश्यल सिक्योरिटी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुम्बई और दिल्ली, दो हवाई अड्डों के विकास के लिए अभी हाल ही में पारित बजट में जो प्रावधान किए हैं तीन हजार करोड़ रुपए का प्रावधान इन हवाई अड्डों को आधुनिकीकरण करने के लिए किया गया है और केवल दो शहरों पर ध्यान दिया गया है। तीन हजार करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि जहां सोश्यल जस्टिस की हम बात करते हैं तो मुम्बई हमारी कमर्शियल कैपीटल है और दिल्ली हमारी पालीटिकल कैपीटल है। दोनों बड़े शहर हैं। इस विधेयक के द्वारा दोनों एयरपोर्ट में हम जितने पूंजी निवेश की अपेक्षा कर रहे हैं, उतना निवेश हमें आशा है कि सरलता हो जाएगा। प्राइवेट पार्टी निवेश कर देंगी।

महोदय, इसके मद्देनजर मैं कहना चाहता हूं कि सोश्यल जस्टिस में कई कमिटमेंट हमारे सामने हैं। जैसे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का सवाल है, ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराने का सवाल है, रास्ते बनाने का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, एजूकेशन का सवाल है, इस प्रकार से सरकार को इनकी ओर भी देखना पड़ेगा कि किहीं हम इन महत्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा न कर दें।

महोदय, मुझे मालूम है कि हम एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल स्टेंडर्ड का बनाने के लिए क्यों प्रयास किये जा रहे हैं, उसमें कितना और किस प्रकार का पोटेंश्यल है। यह बात सही है कि आज विश्वभर में कई देश हैं जिनमें फ्रांस, जर्मनी, यू.एस.ए., चीन, हांगकांग और आस्ट्रेलिया आदि हैं जो अपने यहां बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हवाई अड्डों के नवीनीकरण और विस्तार पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। पर्यटन विदेशी मुद्रा का भी अर्जन करता है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत पर्यटन का प्रमुख केन्द्र है फिर भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। देश के कई हवाई अड्डे उपेक्षित पड़े हुए हैं। हम विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में असफल रहे, क्योंकि हम हर जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने में असफल रहे, हम कहीं भी ऐसी सुविधाएं नहीं दे सके। हमारे देश में ऐसे अनेक शहर और स्थल हैं, जो पर्यटन केन्द्रों के निकट हैं। मेरा सुझाव है कि विकसित देशों में भारत की गणना हो, इसके लिए हमें हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से परिपूर्ण बनाना चाहिए और ऐसी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को गंभीरता से क्रियान्वित करना चाहिए।

सभापति महोदय, बार-बार पूंजी निवेश वायबिलिटी की बात होती है। जहां तक ऐसे विमानपत्तनों की वायबिलिटी का सवाल है, दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां नये एयरपोर्ट बनाए गए और उन पर करोड़ों रुपए का खर्च किया गया। ये जब शुरू हुए थे

[श्री विलास मुत्तेमवार]

तो लगता था कि ये वायबल नहीं हैं, लेकिन बद में ऐसे एयरपोर्ट वायबल हुए। मैं म्यूनिख एयरपोर्ट का उदाहरण देना चाहूंगा। 1992 में जब यह एयरपोर्ट यात्रियों के लिए खुला तो इसका विश्व में 51वां स्थान था, 1999 में 44वां हो गया और वर्ष 2000 में 37वें स्थान पर आ गया और आज यह फ्रैंकफर्ट के बराबर महत्वपूर्ण है तथा इस क्षेत्र के अग्रणी हबों में इसकी गिनती हो रही है।

सभापति महोदय, हम जो चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ऐसे एयरपोर्ट बनाने के बाद वे सारे एयरपोर्ट कैसे वायबल हो जायेंगे, मैं बताना चाहता हूं कि विश्व भर में यात्रियों का यही प्रयास रहता है कि किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए छोटे से छोटे मार्ग से पहुंचा जाए। अगर किसी को दिल्ली से न्यूयार्क जाना है तो वह डायरेक्ट फ्लाइट में नहीं जाना चाहता, वह लंदन या पेरिस या फ्रैंकफर्ट या एम्सटर्डम के हवाई अड्डे होते हुए, उड़ान बदलते हुए पहुंचना चाहता है। इन हवाई अड्डों पर एक आकर्षण होता है, इन हवाई अड्डों पर बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतिआधुनिक शोपिंग सेंटर्स उपलब्ध होते हैं, जहां यात्री अगली उड़ान पकड़ने से पहले चार-पांच घंटे का समय व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी ही सुविधाएं भारतीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि यात्रियों को अगली उड़ान पकड़ने से पहले ट्रांजिट सुविधाओं और ड्यूटी फ्री शाप्स का लाभ मिल सके। भारत में भी अधिक से अधिक विश्वस्तर की ट्रांजिट सुविधाओं से परिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय यात्री ट्रैफिक यूरोप के चार हवाई अड्डों में सबसे अधिक है। लंदन में हिथ्रो एयरपोर्ट में प्रतिवर्ष करीब साढ़े पांच करोड़ यात्री, पेरिस में साढ़े चार करोड़, फ्रैंकफर्ट में करीब चार करोड़, एमस्टर्डम में करीब चार करोड़, साऊथ-कोरिया में करीब साढ़े चार करोड़ यात्री और हांग-कांग में करीब साढ़े तीन करोड़ यात्री सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो यहां भी इस तरह का पोजेक्शन हुआ है और तभी मैं समझता हूं कि मंत्रालय ने इस बारे में यात्रियों की सुविधा के लिए हवाई अड्डों के नवीनीकरण के लिए सोचा है। इस संबंध में बोईंग विमान कम्पनी के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट डा. दिनेश केसकर हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि:

[अनुवाद]

> "किसी देश अथवा किसी क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वहां की हवाई यातायात क्षमता जानने का अच्छा उपाय है। दक्षिण पश्चिम एशिया, जहां भारत एक प्रभावशाली देश है, से यह आशा की जाती है कि विश्व में उसकी वृद्धि दर दूसरे नम्बर पर रहेगी और 2002 से 2021 के दौरान यह 4.9 प्रतिशत होगी। यह वृद्धि दर चीन की अनुमानित वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत के बाद दूसरे स्थान पर रहेगी। इसके विपरीत विश्व में औसत वृद्धि दर केवल 2.9 प्रतिशत होने की आशा है.....चीन आश्यर्चजनक 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त कर सबसे आगे है जबकि भारत 4.8 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त कर दूसरे स्थान पर है। संयोग से हाल के विश्व बैंक अनुमान में यह आशा व्यक्त की गयी है कि वर्ष 2020 तक भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। यातायात वृद्धि के मामले में, अगले 20 वर्षों में दक्षिण पश्चिम एशिया में 6.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि होने की आशा है।
>
> वर्ष 2002-2021 के दौरान, विश्वव्यापी वाणिज्यिक विमानों की आश्यकता के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कुल 1.79 ट्रिलियन अमरीकी डालर मूल्य के 23,929 नये विमानों की आवश्यकता होगी.....इस अवधि के दौरान भारत के लिए अनुमानत: 290 नये जेट विमानों की आवश्यकता होगी और जिनका कुल मूल्य 22 बिलियन डालर होगा।"

[हिन्दी]

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि हम देश में विश्व स्तर के हवाई अड्डों के निर्माण को प्राथमिकता दें और इस सम्बन्ध में कम से कम अगले 20 वर्षों की योजना तैयार करें। इसके लिए बजटीय आबंटन और अन्य सभी संसाधनों को जुटाने के अथक प्रयत्न किये जाने चाहिए। ...*(व्यवधान)* अभी तो मैंने शुरूआत की है।

सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि आने वाले दिनों में इस देश में एविएशन इंडस्ट्री का भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसके लिए हमें खबरदारी लेने की जरूरत है।

जहां तक नये विमानपत्तनों के विकास का सवाल है, इस एमेंडमेंट में जहां एनक्रोचमेंट हटाने के लिए कुछ प्रावधान किये गये हैं, कुछ अधिकार इस विधेयक के माध्यम से एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया को मिलने वाले हैं, और मंत्रालय को मिलने वाले हैं, लेकिन इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि जो नये एयरपोर्ट बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा अडंगा लैंड एक्वीजीशन का आता है और उसका इस बिल में कहीं उल्लेख नहीं है। बैंगलौर का ही मसाला हमारे सामने है। बैंगलौर में लैंड एक्वीजीशन के लिए करीब 7-8 साल लग गये और इससे भी प्रोजैक्ट डिले हो गया। ऐसी ही समस्या हैदराबाद के एयरपोर्ट में भी आई। आने वाले दिनों में जहां-जहां हम नये एयरपोर्ट बना रहे हैं, वहां लैंड एक्वीजीशन का सवाल आयेगा। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भी थोड़ा इनीशिएटिव लेने की जरूरत है कि जहां इस प्रकार की योजना आती है तो लैंड एक्वीजीशन में हम जितनी भी जगह

चाहते हैं, वह प्रोजैक्ट के प्रारंभ में ही उस जगह का लैंड एक्वीजीशन हो जाये। लैंड एक्वीजीशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनकी हम जमीन लेते हैं, उन्हें हैंडसम कम्पेंसेशन मिलना चाहिए। हमेशा ऐसा होता है कि इतनी बड़ी योजनाएं होती हैं, करोड़ों रुपये की योजनाएं होती हैं और कम्पेंसेशन का एमाउंट 5-10 करोड़ रुपये में होता है। यह विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि जो लोग अपनी जमीन देते हैं, वे हमेशा के लिए अपनी जमीन से बेदखल होते हैं, उनके जीने का सहारा वही होता है, इसलिए इस पर हमें ध्यान देना होगा कि उन्हें मार्केट रेट से कम्पेंसेशन मिले, उनका अच्छा रिहैबिलिटेशन हो और अगर उनके घर हटाने पड़ते हैं तो उनका भी अच्छा रिहैबिलिटेशन हो। इस विषय को आप विधेयक में तरजीह दें। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि लैंड एक्वीजिशन की जिम्मेदारी हमेशा स्टेट गवर्नमैंट की होती है जबकि स्टेट गवर्नमैंट के अपने साधन लिमिटेड होते हैं। मेरी मांग है कि लैंड एक्वीजिएशन का पैसा देने के लिए हमारी सिविल एवीएशन मिनिस्ट्री राज्य सरकारों की मदद करे।

अभी मंत्री महोदय दिल्ली के हवाई अड्डे का विकास कर रहे हैं, मुम्बई के हवाई अड्डे का विकास कर रहे हैं, बंगलौर और हैदराबाद के हवाई अड्डे को भी इस विधेयक के बाद विकास करें, ऐसा हमारा कहना है। जिस तरह कोच्चि में पहला प्राइवेट हवाई अड्डा अस्तित्व में आया है। विदर्भ के लोग नागपुर में भी इंटरनैशनल मल्टी माडल पैसेंजर और कार्गो हब बनाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। इस संबंध में वहां के मुख्यमंत्री आपके मंत्रालय से वार्ता कर रहे हैं। वे मंत्री जी से मिले भी हैं। पहले श्री विलास राव देशमुख और अब श्री सुशील कुमार शिंदे लगातार मंत्री जी से मिल रहे हैं।

मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि वे इस एयरपोर्ट को जल्दी मान्यता दें। जहां तक नागपुर का सवाल है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि वह देश के मध्य में है। एक अच्छे एयरपोर्ट के लिए जो सुविधाएं चाहिएं, वे सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं। नागपुर का एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के तहत आता है, वह आपरेटिव एयरपोर्ट है, जहां बी-747 टाईप हवाई जहाज उतर सकता है। हैदराबाद में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि नागपुर में यह सुविधा है। वहां 10,500 फीट लंबा रनवे है। वहां बिल्डिंग एक साथ 700 पैसेंजर्स को वह हैंडल कर सकता है। ये सब सुविधाएं वहां हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां तुरंत इंटरनैशनल एयरपोर्ट कारगो एंड पैसेंजर हब बनाने के लिए परमीशन दी जाये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से हमारी मदद होगी।

जहां तक इक्विटी पार्टनरशिप का सवाल है, उसमें पहले यह अड़चन थी कि एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया अपनी प्रापर्टी किसी को दे नहीं सकता था लेकिन इस विधेयक के माध्यम से जो प्रस्ताव आया है, वह महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए सारी तैयारियां की हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हब बनाने के लिए उन्होंने वैसे ही एप्लीकेशन दे दी है। पांच करोड़ रुपये का खर्चा करके लारसन एंड टूबरो रामबोल कंपनी की तरफ से उसकी टेक्नो इकोनामी फिजीबिलटी रिपोर्ट तैयार कराई है जो एक साल से आपके पास है। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमैंट कारपोरेशन का निर्माण उसे अपने हाथ में लेने के लिए किया गया है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि आप मुम्बई, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद के साथ-साथ नागपुर में भी इंटरनेशनल विमानपत्तन का निर्माण करने की घोषणा करें और महाराष्ट्र सरकार को एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की जो प्रापर्टी है, वह इक्विटी के तौर पर, उन्हें महाराष्ट्र को दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो छः महीने में वहं इंटरनेशनल कारगो का आपरेशन शुरू हो सकता है। इसमें आपको थोड़ा दखल देने की जरूरत है।

मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर नहीं बोलूंगा तो अन्याय होगा। मैं मंत्री महोदय से इसलिए भी उम्मीद कर रहा हूं कि नागपुर में उन्होंने हज यात्रा शुरू की, तभी हमारे रनवे को अपग्रेड किया गया। अभी कोई भी वाइज बाडीड एयक्राफ्ट हब कारगो या पैसेंजर का वहां उतर सकता है। पीछे छः हजार हज यात्री हमारे नागपुर से गये और वापिस आये। अब वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, ऐसी घोषणा आप करें और उसके निर्माण के लिए मदद करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में संशोधन हेतु जो विधेयक सभा में पुर:स्थापित किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभारी हूं जिन्होंने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए पूरे विश्व के समक्ष वर्ष 2020 तक भारत को एक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बना देने का लक्ष्य रखा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री की इसी कल्पना को साकार करने के लिए माननीय मंत्री जी ने कई नयी परियोजनाओं का शुभारंभ करने की घोषणा की है। हमें अपने विमानपत्तनों, समुद्र पत्तनों इत्यादि के विकास के लिए नयी परियोजनाएं शुरू करनी होंगी। हमें राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों तथा अन्य

[श्री वी. धनंजय कुमार]

महत्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिए परियोजनाएं आरंभ करनी होंगी। हमें तहसील, जिला और राज्य स्तरों पर गोदामों के निर्माण के लिए परियोजनाएं चलानी होंगी ताकि किसानों को अपने उत्पादों के भंडारण की सुविधाएं मिल सकें और वे अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। हमें कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों की बिक्री के लिए पूरी तरह से विकसित बाजार उपलब्ध करने होंगे।

माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे बार-बार यह बात कहते आये हैं कि यदि कार्य करने की इच्छा हो तो निधियों की कोई कमी नहीं है। उनके कुशल नेतृत्व के अंतर्गत सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए तथा सभी गांवों को आपस में सपंर्क मार्गों से जोड़ने के लिए 56,000 करोड़ रुपये की धनराशि जुटायी है। यह कार्य विगत 50 वर्षों में कभी भी नहीं हुआ।

सरकार द्वारा अब तक इस देश में जितने भी कार्यक्रम लागू किये गये हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनमें से सर्वाधिक सफल कार्यक्रम रहा है। 60,000 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2005 तक स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर-दक्षिण और पूरब-पश्चिम कारीडोर का विकास अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। वास्तव में ये सभी परियोजनाएं हमें भौचक्क कर देने वाली हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि हम भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में किस तरह परिवर्तित कर सकते हैं।

इस बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्तमंत्री जी ने वर्ष 2003-04 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय नि:संदेह दो महत्वपूर्ण विमानपत्तनों, दिल्ली एअरपोर्ट तथा मुंबई एअरपोर्ट के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की बात कही है। ये दोनों विमानपत्तन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार विकसित किये जायेंगे।

हमारा अनुभव बताता है कि हमारे देश के कुल हवाई अड्डों में से आधे से कम औद्योगिक हवाई अड्डे है। आधे से अधिक हवाई अड्डे रक्षा उद्देश्यों के लिए निर्मित है। चूंकि भारत काफी बड़ा देश है वर्तमान के विकास और नये हवाई अड्डों को बनाने की आवश्यकता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की दूरी 300 कि.मी. की है। लगभग इतनी ही दूरी हमारे देश के पूर्व से पश्चिम कोने तक की भी है। हमारा देश इतना अधिक घनत्व वाला है कि घरेलू पर्यटन के लिए विभिन्न स्टेशनों के बीच बेहतर हवाई सम्पर्क बनाये जाने की आवश्यकता है। हमारे यहां कई पर्यटक स्थल है। हम अभी तक भी घरेलू पर्यटन की संभावनाओं का उपयोग नहीं कर पाये है। यदि विभिन्न स्टेशनों के मध्य हम उचित विमान सम्पर्क स्थापित कर पाते है तो मुझे विश्वास है कि यह राष्ट्र के लोगों द्वारा राष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों की यात्रा करने में काफी सहायक होगा। इससे न सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इससे राष्ट्र के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक सम्बंधों को सुधारने में भी मदद मिलेगी। लम्बे समय से धनराशि इस सम्बन्ध में बाधा बनी हुई है। यही बाधा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मार्ग में भी आ रही है। अनुभव यह बताता है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार धनराशि का प्रयोग करने में असफल रहा है। वे नये हवाई अड्डे नहीं बना सके थे। कुछ समय पूर्व मेरे माननीय मित्र श्री विलासराव देशमुख भूमि अधिग्रहण करने के मामले में आ रही कठिनाइयों के बारे में बता रहे थे। आज ही विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्तमान भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण की समस्या भी है। जब भी हम मुंबई हवाई-अड्डे पर उतरते हैं हम घबरा जाते है कि हम हवाई पट्टी पर उतर रहे है या कहीं और उतर रहे है। यही परेशानी हम अनुभव करते है। कई सरकारों ने इन अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को हटाने का प्रयास किया परन्तु किसी न किसी कारणवश वे इन्हें हटाने में सफल नहीं हुई।

इसलिए, इन्हें लागू करने के लिए वर्तमान विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, पर्याप्त प्रावधान नहीं है। अब, सरकार इन तमाम प्रस्तावों को लाई है। यह स्वागत योग्य कदम हैं। यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने इस विधेयक के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें और सुझाव दिये। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि माननीय मंत्री ने स्थायी समिति द्वारा इस विधेयक के प्रावधानों पर विचार करते समय दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों पर पर्याप्त ध्यान दिया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संशोधन के पारित होने पर हवाई अड्डों के विकास की प्रक्रिया और नये हवाई अड्डों के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। अब, इस बारे में उल्लेख किया जा चुका है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय: पूर्वाह्न 3 बजे हमें गैर सरकारी सदस्यों के कार्य शुरू करने है और अभी दो और सदस्यों को बोलना है।

श्री वी. धनंजय कुमार: मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। कर्नाटक राज्य के लोगों की यह लम्बे समय से लम्बित मांग और अनुरोध है कि बैंगलोर में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लम्बे समय से चल रही है। एकमात्र बाधा धनराशि उपलब्धता है वर्तमान क्षेत्रों में व्यापार कर रहे लोगों पर 'विकास शुल्क' लगाकर धन इकट्ठा किया जा सकता है।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): यह श्री सी.के. जाफर शरीफ के संसदीय क्षेत्र में आता है।

श्री वी. धनंजय कुमार: जी, हां महोदय। यह पूरे कर्नाटक के लिए है। एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने से मात्र पर्यटकों को सुविधा ही नहीं मिलेगी, बल्कि इससे कृषि उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

अकेले बंगलौर से काफी मात्रा में फूलों तथा 'गुलाब' का अमेरिका और अन्य देशों को निर्यात किया जा सकता है। इसलिए, इससे बढ़ावा मिलेगा। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बड़े हवाई अड्डों के विकास के नाम पर उन्हें मंगलौर हवाई अड्डे को नहीं भूलना चाहिए। मंगलौर हवाई अड्डे की सबसे छोटी हवाई पट्टी है। भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है और यह विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी गयी है। मुझे विश्वास है कि विमानपत्तन प्राधिकरण नयी हवाई पट्टी के निर्माण के लिए प्रावधान किया होगा। इसमें वृद्धि लानी होगी मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इसके साथ मैं सभा में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। जो मौका आपने मुझे दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: प्रो. प्रेमाजम, आप कृपया पांच मिनट में अपना भाषण पूरा करें।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूं कि इतने महत्व के विधेयक पर इस प्रकार समय-सीमा में विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस विधेयक के बारे में पांच मिनट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

सभापति महोदय: तब हम नियम 193 के अधीन चर्चा के बाद इस विषय को अपराह्न 5.30 बजे ले सकते है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: परन्तु महोदय मुझे तो अभी समय मिला है।

सभापति महोदय: आप जानती है समय कैसे बचाया जाता है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मैं विधेयक का स्वागत करती हूं, परन्तु मुझे कुछ आशंकाएं है। वर्तमान में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास 94 असैनिक हवाई अड्डे और उद्देश्यों के लिए 28 सिविल एन्कलेवों का विस्तृत नेटवर्क है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया गया है कि यह संशोधन देश के विभिन्न भागों के विभिन्न हवाई अड्डों की विकासशील गतिविधियों में मदद के लिए लाया गया है। यह प्रशंसनीय कदम हैं। इसका कोई विरोध नहीं करेगा।

महोदय, समयाभाव के कारण मैं संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में बताऊंगी। एक बिंदु क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित है। यद्यपि हमारे पास असैनिक हवाई अड्डों का विशाल नेटवर्क है फिर भी पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत जैसे कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधाओं की कमी है। हमें उतनी सुविधायें सुलभ नहीं है जितनी की भारत के पश्चिमी या उत्तरी भागों में है। इसलिए जब हम विकास गतिविधियों के संदर्भ में सोचें तो * यह बताना चाहती हूं कि इन सुविधाओं का देश में समान रू. में वितरण होनी चाहिए ताकि लोगों को यह न लगे कि कुछ क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

दूसरी ध्यान देने योग्य बात सुरक्षा संबंध है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पट्टे पर दिये जायेंगे और उनसे शुल्क वसूला जायेगा। नि:संदेह यह शुल्क भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मिलेगा और इसका उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जायेगा। परन्तु हमें इन हवाई अड्डों को एक बार पट्टे पर दिये जाने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय बोली लगाने वाली संस्थाओं विशेषकर इनकी सुरक्षा पर आशंका है।

जिस अगले बिंदु पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी वह यह है कि विदेशी अंशधारिता की भागीदारी किस सीमा तक होनी चाहिए। यदि सरकार के पास अंशधारिता ज्यादा है, तो निश्चय ही, सरकार का सभी विमानपत्तनों पर नियंत्रण भी होगा, लेकिन यदि अधिकांश अंशधारिता विदेशी निविदाकत्ताओं के पास जाती है, तो इससे वास्तव में समस्या पैदा हो जायेगी।

चिंता का एक और विषय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा से संबंधित है। इस विधेयक में, वर्तमान में कार्यकर रहे कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा के बारे में कोई विशेष उपबंध नहीं किये गये हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि विमानपत्तनों को निजी क्षेत्र में पट्टे पर दे दिया जाता है तो फिर हमारी आरक्षण नीति का क्या होगा? क्या विमानपत्तनों को निजी क्षेत्र में पट्टे पर दे दिया जाता है तो फिर हमारी आरक्षण नीति का क्या होगा? क्या विमानपत्तनों को पट्टे पर देने के बाद भी आरक्षण की नीति जारी रहेगी। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय निविदाकर्त्ता आरक्षण के बारे में सरकार के निदेशों को न माने। मैं इस बात पर इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि विगत में कतिपय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के बाद हमें बहुत ही कटु अनुभव हुए हैं। जब सरकारी क्षेत्र की किसी इकाई का विनिवेश होता है, तो उसका अधिग्रहण करने वाली निजी कंपनी यह गारंटी देती है कि वह आरक्षण नीति को जारी रखेगी, लेकिन जैसे ही वह कंपनी उस इकाई पर अपना आधिपत्य जमा पाती है, वह आरक्षण की नीति से मुंह फेर लेती है और

[प्रो. ए.के. प्रेमाजम]

'हायर एंड फायर' की नीति अपना लेती है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इसके बारे में विशेष रूप से उत्तर दें।

जहां तक विमानपत्तनों के प्रबन्धन का प्रश्न है, वर्तमान में स्थिति यह है कि उनका प्रबन्धन वास्तव में ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। यह एक सुविदित तथ्य है। लेकिन एक बार यदि कोई विमानपत्तन पट्टे पर दे दिया जाता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वे इसका प्रबन्धन उचित ढंग से करेंगे?

अपराह्न 2.54 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय, *पीठासीन* हुए]

महोदय, इन वर्षों में निजीकरण के लिए जो तर्क दिया गया है वह यह है कि सरकारी मशीनरी, नौकरशाही कार्यों के उचित ढंग से अंजाम नहीं देती। अब स्थितियों में सुधार लाने के बजाय हर चीज उद्यमियों के हाथ में इस आशा के साथ दी जा रही है कि इससे सब कुछ ठीक से हो जायेगा। लेकिन मैं नहीं समझती कि इससे हमारे विमान पत्तनों की वर्तमान स्थिति में सुधार की कोई गारंटी दी जा सकेगी।

इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह विदेशी अंशधारिता की भागीदारी के केवल 49 प्रतिशत तक की सीमित रखे और इससे अधिक न रखे।

महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मैंने यहां पर जो भी प्रश्न किये हैं वह उनका विशेषरूप से उत्तर दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडीगुल): महोदय, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपको अपना भाषण रखने की अनुमति दी जाती है।

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, उत्तर-पूर्व में बारह विमानपत्तन हैं और इनका रख-रखाव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इन बारह विमानपत्तनों में से छह विमानपत्तन असम में, एक मिजोरम में, एक मेघालय में, एक त्रिपुरा में, एक मणिपुर, एक सिक्किम में और एक नागालैंड में है। इस बारे में मैं माननीय नागर विमानन मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन बारह विमान पत्तनों में से मात्र दो पर आई एल एस (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) उपलब्ध है।

उत्तर-पूर्व मानसून प्रवण क्षेत्र है और गर्मियों के मौसम में यहां बहुत अधिक बादल और धुंध रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आई एल एस के बिना इस मौसम में यहां विमान उड़ाना बहुत मुश्किल होता है। अधिकतर विमान चालक शाम के पांच बजे के बाद न तो यहां विमान उतारना चाहते हैं और न ही यहां से उड़ान भरना चाहते हैं। अब जो विमान यातायात बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए हमें इन विमानपत्तनों को समुन्नत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्तर-पूर्व के इन विमान पत्तनों पर सभी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हों।

अगरतला से एलाएंस एअरलाइन सेवा तथा इंडियन एअर लाइन्स की दो-दो उड़ानें हैं लेकिन जेट एअरवेज या सहारा सेवा की यहां से एक भी उड़ान नहीं है। डिब्रूगढ से एलाएंस एअर सेवा की पांच इंडियन एअरलाइन्स की चार तथा सहारा सेवा की सात उड़ानें हैं। दीमापुर से एलाएंस एअर सेवा की चौदह उड़ानें है तथा यहां से सहारा और जेट एअरवेज की एक भी उड़ान नहीं है। इम्फाल से एलाएंस एअर सेवा की ग्यारह, इंडियन एअरलाइन्स की चार तथा जेट सेवा की बारह उड़ानें भरी जाती है। इसके बाद, गुवाहाटी से एलाएंस एअर सेवा की 31, इंडियन एअरलाइन्स सेवाओं की 13, जेट एअरवेज सेवाओं की 41 तथा सहारा सेवा की सात उड़ानें हैं। जोरहाट से एलाएंस एअर सेवाओं तथा जेट एअरवेज सेवाओं की केवल दो-दो उड़ाने उपलब्ध हैं। बागडोरा से एलायंस एअर सेवाओं की नौ उड़ानें, इंडियन एयरलाइन्स सेवाओं की सात तथा जेट एअरवेज सेवाओं की पांच उड़ानें हैं। लीलाबाड़ी से एलायंस एअर सेवा की तीन उड़ाने हैं लेकिन यहां से न तो इंडियन एयरलाइंस सेवाओं की और न ही निजी एअर लाइन्स सेवा की कोई उड़ान उपलब्ध है। शिलांग से एलायंस एअर सेवा की मात्र तीन उड़ानें उपलब्ध हैं। सिलचर से एलायंस एअर सेवा की ग्यारह उड़ानें हैं लेकिन यहां से निजी एअर लाइन की एक भी उड़ान नहीं है। तेजपुर से एलायंस एअर सेवा की मात्र चार उड़ानें हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में, इन बारह विमानपत्तनों में से, दस विमान पत्तन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित हुए थे। केवल आइजोल तथा मेघालय विमानपत्तन क्रमश: वर्ष 2000 तथा 1970 में निर्मित किये गये थे। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इन विमानपत्तनों की भारत सरकार द्वारा देख-रेख किये जाने की आवश्यकता है, न कि निजी पक्षों द्वारा क्योंकि इन विमानपत्तनों पर ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और उत्तर-पूर्व के इन विमानपत्तनों पर कोई भी निजी पक्ष निवेश करने का इच्छुक नहीं होगा। इन विमानपत्तनों पर आई एल एस सुविधा उपलब्ध नहीं है और सबसे अधिक चौकन्ना करने वाली बात यह है कि हाल में ही सीमापार से ऐसी खबरें आयी हैं कि चीन नागालैंड से बमुश्किल 200 किमी की दूरी पर म्यामांर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक विमानपत्तन बनाना शुरू कर दिया है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर-पूर्व के इन विमानपत्तनों को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है और मान लीजिये की 1962 की तरह भी कोई घटना यहां हो जाती है तो हम क्या करेंगे। इसलिए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन विमानपत्तनों को समारिक महत्व के विमानपत्तन के रूप में लिया जाना चाहिए और इनके समुन्नयन तथा रख-रखाव का खर्च रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए न कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्योंकि वह इतने कम समय में यह कार्य करने में सक्षम नहीं है। यद्यपि श्री शाहनवाज हुसैन के रूप में हमारे पास बहुत ही सक्षम नागर विमानन मंत्री है लेकिन उत्तर-पूर्व के विमानपत्तनों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी भारतीय विमान-पत्तन प्राधिकरण की दशा बहुत ही खराब है क्योंकि वह किसी भी मामले को गंभीरता से नहीं लेता।

महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सिलचर तथा दीमापुर के विमान पत्तनों के समुन्नयन कार्य तुरन्त आरंभ हो। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आज तक कोई विमानपत्तन नहीं है और इसी तरह सिक्किम की राजधानी में भी कोई विमानपत्तन नहीं है। इन सभी बातों की ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, अन्यथा हमें किसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों द्वारा सीमापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमान पत्तन बनाया जा रहा है। इसलिए मैं इस अनुरोध के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि सरकार इन सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करे।

***श्री सी. श्रीनिवासन** (डिंडीगुल): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000, जिसका उद्देश्य विमानपत्तनों को पट्टे पर निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपना है, को तीन दिन पहले वापस ले लिया गया था और जिसे पुन: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 के रूप में पुर:स्थापित किया गया है, को ऐसा माना जा रहा है कि जैसे यह पुरानी बोतल में नयी शराब हो। निश्चिय ही, नये विधेयक में विभाग से संबंधित यातायात और पर्यटन संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा दिये गये सुझावों को भी शामिल किया गया है।

इस विधेयक को विभिन्न सुझावों पर आधारित कतिपय सुधारों के साथ एक व्यापक विधेयक के रूप में लाया गया है। पट्टाधारी को जो कार्य सौंपे जाने का प्रस्ताव है उनमें कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए प्रावधान, विनियामक की नियुक्ति, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा दूसरे निजी संचालकों द्वारा विमानपत्तनों का संचालन सुगम करने हेतु अधिनियम को लागू करना, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा अग्रिम विकास शुल्क लगाने हेतु प्रावधान, वर्तमान विमानपत्तनों के विकास हेतु वित्तपोषण, हरित क्षेत्र विमानपत्तनों का निर्माण तथा विमानपत्तन परिसरों में अनधिकृत कब्जे को हटाने का प्रावधान जैसी सभी बातों को शामिल किया गया है। सरकार का यह दावा है कि अब वह संसद की स्थायी समिति द्वारा सुझायी गयी बातों के आधार पर इस विधेयक को पुर:स्थापित कर रही है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार अपने वायदों के अनुसार सार्थक सुझावों और कार्यों को गंभीरता से लेती है। उदाहरण के लिए इस विधेयक को जितनी द्रुतगति से लाया गया है, मेरे विचार से, इसका उद्देश्य यही है कि इस विधेयक पर सदस्यगण विस्तार से चर्चा न कर सकें। इस स्थिति में इस विधेयक के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इन बातों का न तो अच्छी तरह मूल्यांकन हो पायेगा और न ही उनका उचित ढंग से विश्लेषण।

देश के कई भागों में लघु विमानपत्तनों का उचित रख-रखाव नहीं हो पा रहा है। इस बारे में मैं 10 वर्ष पूर्व निर्मित किये गये टूटीकोरिन विमानपत्तन की दशा की ओर विशेषरूप से इंगित करना चाहूंगा। यह विमानपत्तन एक तरह से अप्रयुक्त पड़ा है। यहां से न तो उड़ान भरी जाती है और न ही किसी यात्री को कोई लाभ मिलता है। इसके निर्माण पर करोड़ों रुपये के व्यय के एवज में इसका कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है।

यदि नागर विमानन मंत्री राज्य के वायुयानों अथवा निजी क्षेत्र की एअरलाइनों के विमानों को चलाने की पहल नहीं कर सकते तो कम से कम वह निजी उड़ान भरने वालों को छोटे विमानपत्तनों के बीच छोटे कैरियर विमान चलाने की अनुमति प्रदान करें। इससे निरर्थक व्यय पर अंकुश लगेगा। टूटीकोरिन में उत्पाद आय ज्यादा है। इससे स्वाभाविक रूप से राज्य द्वारा अधिक राजस्व अर्जित करने में सहायता मिलेगी।

इसी तरह सलेम विमानपत्तन जो करोड़ों रुपये व्यय करके निर्मित किया गया था, बेकार पड़ा है और वहां से कोई भी उड़ान नहीं भरी जाती। आप किसी उपलब्ध ढांचागत सुविधा को यूं ही क्यों बर्बाद कर रहे हैं। सलेम के जनप्रतिनिधि श्री टी.एम. सेल्वागनपति ने इस बारे में सलेम के लोगों द्वारा की जा रही उचित मांग को कई बार इस सभा में उठाया है। लेकिन वर्षों से इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मुझे लगता है कि ऐसा केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये विमानपत्तन तमिलनाडु में है। इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, यह मेरी समझ से परे है। मैं इस बारे में तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को यहां पर पूरी गंभीरता से बताना चाहता हूं। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सलेम से विभिन्न वाणिज्यिक और औद्योगिक शहरों के लिए विमान सेवाएं शुरू करे।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया। मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सी. श्रीनिवासन]

मदुरै विमानपत्तन मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल के पड़ोस में ही है। यहां भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियां समाप्त हो चुकी हैं लेकिन इसकी विस्तार परियोजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह मदुरै विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित करने हेतु कदम उठाये। सरकार को मदुरै विमानपत्तन से दुबई तथा अरब देशों के दूसरे स्थानों पर विमान सेवाएं शुरू करने पर विचार करना चाहिए। यहां से लंदन तथा पश्चिम देशों के दूसरे महत्वपूर्ण शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने पर विचार करना चाहिए।

वैज्ञानिक क्षेत्र में, समय सूची का कड़ाई से पालन और समय पर उड़ान भर निजी चालकों के लिए स्वाभाविक बात है। लेकिन, दुर्भाग्य से इंडियन एअरलाइन्स के लिए यह एक विलम्ब का पर्याय बन गयी है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और उसे विमानों का सही समय पर चालन सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार को इस दिशा में अवश्य ही कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं अब इन-फ्लाइट कैटरिंग सेवा के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इंडियन एअरलाइन्स में दिया जाने वाला भोजन एकदम नीरस और बेस्वाद होता है। इस बारे में माननीय मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन को तुरन्त उपयुक्त कदम उठाना चाहिए। एक मंत्री होने के नाते हो सकता है कि उड़ान के दौरान इन्हें अच्छा खाना मिले और इन्होंने यह नहीं सोचा कि अन्य सभी यात्रियों को भी इसी प्रकार की गुणवत्ता वाला खाना मिले। यह वास्तव में एक दयनीय स्थिति है। यह आवश्यक है कि हमें तमिलनाडु ले जाने वाली उड़ान में तमिल भाषा जानने वाले कर्मचारी हों। यह आवश्यक है कि यात्रियों को हवा में अपने घर पर होने का अहसास हो। यदि आपके पास तमिल भाषा जानने वाले कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं तो आपको भर्ती अभियान शुरू करना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में उस स्थान की भाषा जानने वाले कर्मचारी होने चाहिए। श्री पी.एच. पांडियन पहले ही इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय को लिख चुके हैं।

वर्तमान में हमारे विमानपत्तनों में जो कुछ हो रहा है, जबकि वे सरकार के अधीन हैं, वह उत्साह से परे है। विमानपत्तनों पर संसद सदस्यों के साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है। यहां तक कि पहचान पत्र दिखाने के बावजूद भी सुरक्षा कर्मी बहुत कम आदर देते हैं। इसके बाद सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद सदस्यों को उचित सम्मान मिले। यह इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में निजी संचालन विमानपत्तनों के पट्टेदार होंगे और लोक सेवकों को संकरावस्था में नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए।

यह सरकार स्वयं को सकारात्मक और जवाबदेह प्रदर्शित करने का प्रयास करती है लेकिन अभी दिल्ली दूर है। बहुत सी चीजों को उचित तरीके से नहीं संभाला गया है और हवा में बातें करना ही इस सरकार की विशेषता है। ये अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। मैंने बिना किसी आधार के यह वक्तव्य नहीं दिया है।

हाल ही में चेन्नई विमानपत्तन पर जब दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल को खोला गया था तब जो हुआ था उससे पूरा देश अवगत है। उस उद्घाटन समारोह में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कद हमारे नेताओं में ऊंचा है, ने भी भाग लिया था, कुछ छोटे आदमियों ने तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने का प्रयास किया था।

पहले इस अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल का नाम 14 अप्रैल के एम.जी.आर. के नाम पर रखने की योजना थी। हमारे उप-प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी को इस समारोह में भाग लेना था। लेकिन नागर विमानन मंत्रालय ही इस बात को बेहतर जानता है कि इस कार्यक्रम को क्यों रद्द कर दिया गया था।

इसके एक पखवाड़े बाद ही उसी टर्मिनल का उद्घाटन किया गया और इसका नाम अन्ना के नाम पर 'अन्ना अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल II' रखा गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजयेपी उसके मुख्य अतिथि थे। जब वहां पहले ही एक टर्मिनल अन्ना के नाम पर है तो डा. पुरात्त्ची थलाइव एम.जी.आर. के नाम की उपेक्षा करने की क्या आवश्यकता थी। इसका क्या महत्व है?

इस अवसर पर मैं आपसे जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र और राज्य को बेहतर तालमेल बनाना चाहिए, केवल तभी हम लोगों की बेहतर सेवा कर पाएंगे। हमें ताली बजाने और मिलाने के लिए दो हाथों की आवश्यकता होती है।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को बताया गया था कि इतना ही पर्याप्त होगा कि वे प्रधानमंत्री जी की अगवानी और उन्हें विदाई देने हेतु विमान पत्तन पर आ जाऐं। उन्हें उद्घाटन समारोह में भाग लेने हेतु समुचित निमंत्रण भी नहीं दिया गया था। क्या यह औचित्यपूर्ण है?

तदनुसार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को सूचित किया गया था कि वे मंच के कोने में बैठकर उस समारोह में भाग लेंगी। क्या यह न्यायपूर्ण है, क्या यह न्याय है? जब प्रधानमंत्री और एक राज्य विशेष के मुख्यमंत्री किसी समारोह में भाग लेते हैं तो उन्हें एक-दूसरे के साथ-साथ बैठाना ही उचित है। अनुचित शिष्टाचार के नाम पर कोई बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। आपको यह समझाना ही होगा कि इससे केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध बनाने में सहायता मिलेगी। कम से कम अब तो नागर विमानन

मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों को इस अच्छी परंपरा का पालन करना चाहिए। जिस केन्द्र सरकार ने चेन्नई विमानपत्तन टर्मिनल का नाम भारत रत्न एम.जी.आर. के नाम पर नहीं रखा इसका सुधार करने हेतु आगे आना चाहिए। आप मदुरै विमानपत्तन का नाम एम.जी.आर. के नाम पर रख सकते हैं। मैं केन्द्र सरकार से मदुरै विमानपत्तन का नाम भारत रत्न एम.जी.आर. विमानपत्तन रखने का अनुरोध करता हूं।

डा. एम.जी.आर. जनता के प्रिय थे और उन्होंने एक दल का गठन किया था तथा इसके गठन के चार वर्षों के अन्दर ही वे सत्ता में आ गए थे। वे सफलतापूर्वक तीन बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। आप डा. एम.जी.आर. को, जिन्होंने देश की सम्प्रभुता और एकता की रक्षा में योगदान दिया, मदुरै विमानपत्तन का नाम उनके नाम पर रखकर समुचित रूप से सम्मानित कर सकते हैं।

विमानपत्तन एक प्रकार से किसी देश की वायु सीमा होते हैं। अत: जब आप उन्हें निजी क्षेत्र के लोगों को पट्टे पर दें तो सावधानी बरतें। मैं 'सावधानी' नामक शब्द का उच्चारण करना चाहूंगा आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी नौकरियों में कटौती और निकाले जाने से प्रभावित न हों।

इसी के साथ मैं आपको मुझे इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने पर धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न 3 बजे आरंभ होना चाहिए। इस विधेयक पर सात और लोगों को अभी बोलना है। यदि प्रत्येक संसद सदस्य 2 मिनट तक बोले और माननीय मंत्री जी 10 मिनट लें तो हम इसे आधे घंटे में समाप्त कर सकते हैं। अत:, हम इस विधेयक का समय आधे घंटे बढ़ा सकते हैं और तत्पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य ले सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): आधा घंटा किस के लिए?

उपाध्यक्ष महोदय: इस विधेयक को पूरा करने के लिए।

श्री संतोष मोहन देव: तब उसके बाद केवल गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य ही लिया जाना चाहिए और कुछ नहीं। मैंने अपनी लिखित आपत्ति भी भेजी है।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपने यह दी है।

श्री संतोष मोहन देव: नहीं, आप दिन की समाप्ति के वक्त में विधेयक का समय नहीं बढ़ा सकते। अब केवल गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक ले सकते हैं और कुछ नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस बात पर सदन की सहमति ले रहा हूं कि क्या इस मामले के लिए समय को आधे घंटे और बढ़ाया जा सकता है उसके बाद हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक लेंगे।

श्री संतोष मोहन देव: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 'इस मामले के लिए' का अर्थ केवल गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक से है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, इसका अर्थ है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003।

श्री संतोष मोहन देव: ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, क्या यह सदन यह चाहता है कि इस चर्चा का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): इसके संबंध में हमारे पास बहुत से पूर्वोदाहरण और अनुभव हैं। हमने कई बार विधेयकों को पारित करने हेतु समय में वृद्धि की है। यदि माननीय संसद सदस्य गैर-सरकारी सदस्य के इस विधेयक में रुचि रखते हैं तो आप इस विधेयक के लिए समय में एक घंटे की भी वृद्धि कर सकते हैं। हम आज और एक घंटे का समय बढ़ाकर इसे सात बजे तक समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें और आधे घंटे में यह चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, हम प्रत्येक को दो मिनट का समय देंगे। हम अपनी सहमति दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे अपनी बात जारी रखने दें। श्री के. येरननायडू, आप केवल दो मिनट लें अन्यथा इसमें एक घंटा लग जाएगा और गैर-सरकारी सदस्यों का सारा कार्य समाप्त हो जाएगा।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): यह विस्तार केवल इसी विधेयक के लिए है जो कि सदन के समक्ष है और किसी अन्य कार्य, सरकारी कार्य, के लिए नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: जब हमें वह सीमा पार करनी पड़ेगी तो हम इस पर विचार करेंगे। अब, केवल यही विधेयक है।

श्री जी. एम. बनातवाला: क्या आपने इस मामले को अस्पष्ट रखते हुए सदन की सहमति मांगी है। कैसे? आपने इस मामले को अस्पष्ट रखते हुए सदन की सहमति क्यों मांगी है?

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने केवल इस मामले के लिए समय-सीमायें आधे घंटे की वृद्धि करने के बारे में सदन की सहमति मांगी है। आप अपनी सहमति दे चुके हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): इसमें कितना समय लगेगा?

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें आधा घंटा लगेगा।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): मैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम के लिए भी वर्ष 2000 में इस सदन में एक संशोधन लाया गया था। वह संशोधन स्थायी समिति को अग्रेषित किया गया था। स्थायी समिति ने इसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद ये सारी सिफारिशें की थीं। अत: स्थायी समिति इस विधेयक पर पहले ही गहन चर्चा कर चुकी थी। उन्होंने निष्कासन और निजी निवेश के संबंध में निम्नलिखित आश्चर्यजनक सिफारिशें की थीं। इसके द्वारा हम प्रत्येक स्थान पर वर्तमान विमानपत्तनों का विकास और नए विमानपत्तनों का निर्माण कर सकते हैं। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

हमारे पास 94 नागरिक विमानपत्तन और 28 सैनिक विमानपत्तन हैं जिनका रख-रखाव रक्षा मंत्रालय करता है नागर विमान मंत्रालय 24 विमानपत्तनों का रख-रखाव करता है। अत: इस निजी सहभागिता द्वारा हम इन सभी विमानपत्तनों को बेहतर बना सकते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में विश्व स्तर के विमानपत्तन स्थापित करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने भी दो अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को विश्व-स्तर का बनाने हेतु बजट उपलब्ध कराया है। खुले आकाश की नीति और नए विमानपत्तनों और विमानों के अभाव के कारण प्रत्येक को परेशानी हो रही है। अब, प्रत्येक माननीय नागर विमानन मंत्री जी को अभ्यावेदन भेज रहा है। अब, हमने भी माननीय नागर विमानन मंत्री जी को अभ्यावेदन दिया है कि विमानों की कमी के कारण देश के प्रत्येक हिस्से से सम्पर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। इस विधेयक में पारित होने के बाद निजी निवेश होगा और इससे ये सभी विमानपत्तन विकसित होंगे। खुले आकाश की नीति के बिना, देश के प्रत्येक हिस्से के लिए नई विमान सेवा आरंभ किए बिना इस देश के लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंचेगा अत: इस विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से खुले आकाश की नीति घोषित करने का अनुरोध कर रहा हूं जिससे कि अन्य देशों से अधिक उड़ानें आमंत्रित की जा सकें। इसी के साथ-साथ भारत सरकार ने नए विमान खरीदने का प्रस्ताव किया है। यह विलंब का कारण है। माननीय मंत्री जी ने खुले आकाश की नीति घोषित करनी चाहिए और इसी के साथ-साथ नए विमान खरीदने चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदय, मैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2003 का समर्थन करता हूं।

पहले का विधेयक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2000 जो स्थायी समिति के पास भेजा गया था, वह दो वर्षों तक उनके पास पड़ा रहा। दो वर्ष पश्चात् स्थायी समिति ने अच्छे सुझावों के साथ विधेयक वापिस भेजा है। देर आयद दुरूस्त आयद। इसलिए, मैं वाकई इस विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री के. येरननायडू ने जो कहा उसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् हमारे पास अच्छे हवाई अड्डे होंगे, हवाई अड्डों का आधारभूत ढांचा बनाया जायेगा और निजीकरण को प्रोत्साहित किया जायेगा।

इस विधेयक का हम लम्बे समय से इंतजार कर रहे है। हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार शमशाबाद हवाई अड्डा बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है परन्तु उन नियमों में कुछ कमियां थीं। इस विधेयक के पारित होने से वे कमियां दूर हो जायेगी। मैं वास्तव में इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं।

किसी अन्य सरकार ने वास्तव में यह नहीं किया। इसलिए आगे इस विधेयक को पेश करने के लिए मैं एन.डी.ए. सरकार की प्रशंसा करता हूं और एक बार फिर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ (नंगसौर उत्तर): महोदय इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए मैं माननीय नागर विमान मंत्रीजी को बधाई देता हूं। यद्यपि इस संशोधन विधेयक को लाने में देरी हुई है, फिर भी मैं उसका समर्थन करता हूं।

आज हम विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार, तकनीकी और जैव-प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे है। इसलिए आवागमन बढ़ा है किंतु आधारभूत संरचना अपर्याप्त हो गयो है। प्रौद्योगिकी और जैव-प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बंगलौर आज विश्व बाजार का केन्द्र बन गया है। विश्व के विभिन्न भागों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के मुखिया बंगलौर आ रहे है। वर्तमान हवाई अड्डा बिल्कुल अपर्याप्त है। यहां पर आगमन और प्रस्थान तथा माल की ढुलाई के लिए भी टर्मिनल्स होने चाहिए। इसके लिए काफी पार्किंग क्षेत्र और विमानाश्रय की आवश्यकता है।

जिस किसी ने भी विकसित राष्ट्र में तेजी से बढ़ते हुए व्यापार और अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए इस प्रकार की आधारभूत ढांचा देखा होगा वह इसकी महत्ता को समझ सकता है। देरी से विकास अवरूद्ध होता और वृद्धि से निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों को आवश्यक बोझ उठाना पड़ता है।

महोदय इन बातों के साथ-साथ मैं अपने पूर्वोत्तर राज्य के मित्रों को जिसने इस संबंध में पुरजोर अनुरोध किया है का समर्थन करता हूं। प्रत्येक सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को महत्व दिया है। माननीय नागरिक विमानन मंत्री को भी इस दिशा में ध्यान रखना चाहिए। सूचना व्यवस्था को भी वहां विकसित करने की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संशोधन विधेयक से बंगलौर को एक विश्वस्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने में जो बाधायें आ रही थी वे दूर होंगी और शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो जायेगा। इसके साथ-साथ श्री के. येरननायडू ने जो कहा था मैं उसका भी समर्थन करता हूं।

मैं समझता हूं कि अब नये विमान खरीदने का वक्त आ गया है। जिस प्रकार से आवागमन बढ़ रहा है आप उससे काम नहीं चला सकते हैं। अन्यथा आपको निजी क्षेत्र पर अधिक से अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। नागर विमानन मंत्रालय के सुचारू प्रबंधन के लिए मैं नागर विमानन मंत्रीजी को बधाई देता हूं। हमने विशेषकर उड़ानों की समयबद्धता और सुरक्षा के क्षेत्र में कई सुधार देखे हैं।

अन्ततः मैं माननीय मंत्री जी, समस्त नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुरोध करता हूं कि शेष जो कार्य प्रारम्भ किया जाना है वह प्रारम्भ किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इसके लिए भारत सरकार की ओर से पूर्ण-सहयोग और समर्थन मिलेगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि सरकार अफरा-तफरी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पास कराना चाह रही है। यह विधेयक एक बार पहले आया, वापस हो गया लेकिन यह दूसरा विधेयक आया है। यह विभाग बड़ा स्लिपरी है क्योंकि पहले श्री शरद यादव मंत्री थे, उसके बाद श्री अनंत कुमार आये और अभी भी शाहनवाज मंत्री हैं। यह कैसा विभाग है कि मंत्री का परिवर्तन होता रहता है। इसमें क्या पेंच है, मैं यह सवाल जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया था कि बंगलौर, दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई और मुम्बई हवाई अड्डों को विश्व स्तर का और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक बनाया जायेगा। मैं सरकार से बताना चाहता हूं कि विश्व स्तर के जितने हवाई अड्डे हैं, उनके सामने हमारा एक भी हवाई अड्डा काम का नहीं है और बेकार हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्व स्तर के हवाई अड्डा बनाये जाने का सरकार का विचार है। माननीय वित्त मंत्री जी का कहना है कि इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाये, लीज पर दे दिया जाये। इस तरह सरकार द्वारा हर चीज को बेचने का काम किया जा रहा है। सरकार क्या क्या बेचेगी, हवाई अड्डा बिकेगा, रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म बिकेगा, क्या यह काम हो रहा है? लगता है इन चीजों का सहयोग देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। उपभोक्ताओं को इस बिल से बल मिले या सरकार की आमदनी बढ़े, यह विधेयक इस बात के लिये नहीं है। इनवैस्टर्स की कठिनाई हल कर दे लेकिन न जाने कितनी आतुरता, तीव्रता और बेचैनी है, क्या पेंच है जिसमें एअरपोर्ट अथौरिटी तैयार ही नहीं है। कानून का पेंच भी नहीं है। लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है, उसके लिये विधेयक लाया जाये या नहीं, इस पर यह विधेयक कोई प्रकाश नहीं डालता। सरकार इधर-उधर कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली हवाई अड्डे को ठीक करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये और मुम्बई हवाई अड्डे को ठीक करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये चाहिये जबकि एअरपोर्ट अथौरिटी के पास एक हजार करोड़ रुपया है। शेष 4 हजार करोड़ रुपया चाहिये। आज लोगों को लगा कि लीज पर देने के लिए विधेयक आया है। सरकार स्पष्ट करे कि क्या इसका प्राइवेटाइजेशन करने के लिये उपाय किया गया है या इनवैस्टर्स की कठिनाई को हल करने के लिये यह विधेयक आया है? दक्षिण-पूर्वी एशिया के हवाई अड्डों के स्तर पर लाने के लिये क्या काम किया जा रहा है? पटना को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, अभी मंत्री जी ने बताया। थाईलैंड, श्रीलंका, जापान से बुद्धिस्ट सर्किट में पर्यटन के लिये लोग आ रहे हैं, उसका क्या हिसाब है। गया एअरपोर्ट का काम नहीं किया गया। लोग रांची से घूमकर पटना आते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पटना एअरपोर्ट के सुधार के लिये अब तक क्या किया गया है? गया का विकास करना था, उसका क्या हुआ। यह दुनिया में बहुत मशहूर हवाई अड्डा बन सकता है। दुनिया भर के लोग वहां पर्यटन के लिए आ सकते हैं। उसके बाद हमारे एरिया में मजफ्फरपुर हवाई अड्डा है, जो मृतप्राय पड़ा हुआ है, उसे भी नहीं देखा गया। हमने कहा था कि भगवान महावीर की 2600वीं जयन्ती पर उनके नाम से इन हवाई अड्डे का नामकरण किया जाए, लेकिन उसके विकास की भी कोई बात नहीं हो रही है। इस तरह हम इस विधेयक से सहमत नहीं है। अफरा-तफरी में प्राइवेट लोगों को मदद करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। विश्व स्तर पर सरकार द्वारा हवाई अड्डों को बढ़ाने की बात इसमें नहीं है। इन सारी बातों को देखते हुए इस विधेयक को खारिज किया जाए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): उपाध्यक्ष महोदय मैं विधेयक के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

[श्री रमेश चेन्नितला]

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हवाई-अड्डे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। हवाई अड्डों के आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव उस राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विदेशी निवेश पर पड़ता है। इस विधेयक का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना है। आज यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां हमें ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश की आवश्यकता है।

मैं इस राष्ट्र के ऐसे राज्य से आया हूं जहां राज्य सरकार और नागर विमानन मंत्रालय के प्रयासों से अपनी तरह का प्रथम निजी हवाई अड्डा बनाया गया है। गैर-निवासी भारतीयों को आकर्षित करके, कोच्ची में एक कम्पनी बनायी गयी और कोच्ची में एक नया हवाई अड्डा बनाया गया। इसने अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड प्राप्त कर लिये हैं। इसी प्रकार यदि हम निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दें तो हमारे राष्ट्र के विभिन्न भागों में कई ऐसे हवाई अड्डे होंगे।

आज की इस चर्चा में, सभा में सभी ओर से यह कहा गया कि हमारे-हवाई अड्डों के उन्नयन की आवश्यकता है। हमारे हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधायें होनी चाहिए। क्योंकि विदेशी पर्यटकों को यहां वैसी कोई सुविधायें नहीं प्राप्त होती हैं। त्रिवेन्द्रम और कासीकर हवाई अड्डे भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं है। नि:संदेह त्रिवेन्द्रम राज्य की राजधानी है और इसके हवाई अड्डों को सरकारी तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा घोषित किया गया है परन्तु वहां विद्यमान सुविधायें पर्याप्त नहीं है। शिकायतें मिल रही हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का ध्यान नहीं रख रहा है। वहां माल के रख-रखाव और अन्य सुविधायें भी नहीं है। हवाई अड्डे पर जहाज का उचित देख-रेख और रात को हवाई जहाज कालीकट उतारने की सुविधायें भी नहीं है। कोच्ची हवाई अड्डे पर यह सभी सुविधायें मौजूद है। इसलिए, मेरा यह अनुरोध है कि इन नये क्षेत्रों का लाभकारी दोहन किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अगाती जहां के आप सांसद है वह हमारे देश के सर्वोत्तम पर्यटन स्थलों में से एक है। यदि आप वहां-जायें तो आपको पता चलेगा कि हवाई अड्डे की स्थिति वहां अत्यंत दयनीय है। वी.आई.पी. लांज में मात्र सांसद और अधिकारियों को ही जाने की अनुमति है। सामान्य यात्रियों के लिए बैठने की भी जगह नहीं है। कोच्ची से अगाती और रास्ते में पड़ने वाले पास के अन्य द्वीपों में जाने वाले लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। यह दशा हमारे देश के सर्वोत्तम पर्यटन गतव्यों में से एक की है।

कालीकट हवाई अड्डा हमारे देश के सर्वोत्तम और लाभकारी हवाई अड्डों में से एक है। इस हवाई अड्डे पर सबसे अधिक संख्या में यात्री आते हैं। यहां तक कि हज यात्री भी कालीकट हवाई अड्डे से जा रहे हैं। इस हवाई पट्टी का विस्तार, हम सबके लिए एक सपना था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस कार्य को शीघ्रतापूर्वक किया जाना चाहिये। त्रिवेन्द्रम, कोची और कालीकट हवाई अड्डों को और सुविधाएं दी जानी चाहिए।

खाड़ी देशों को जाने वाले भारतीय यात्रियों की अधिकांश उड़ाने कोटी और कालीकट हवाई अड्डों से जाती हैं, अत: उन्हें और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। खाड़ी देश के इन यात्रियों के प्रति हवाई अड्डे पर कार्यरत कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं है। मेरा आग्रह है कि इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालीहांडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक का समर्थन करने का मुख्य कारण यह है कि वे इस विधेयक के माध्यम से हवाई अड्डों का विस्तार और हवाई अड्डों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गतिविधियों का निजीकरण करना चाहते हैं।

दूसरे, हैदराबाद और बंगलौर हवाई अड्डों का उन्नयन करके उन्हें विश्वस्तर का बनाया जाएगा। लेकिन पूर्वी भारत के एक सांसद के रूप में मैं इस बारे में अपनी शिकायतें रखना चाहूंगा। पूर्वी क्षेत्र की सदा से ही उपेक्षा की गयी है।

हम कोलकाता हवाई अड्डे का उदाहरण लें। काफी लम्बे समय से कोलकाता हवाई अड्डे में कोई सुधार नहीं किया गया है। इसके साथ ही एशियन देशों जैसे जापान एयरलाइन्स और ब्रिटिश एयरवेज की उड़ाने, जो पहले कोलकाता से प्रारम्भ होती थी अब बंद कर दी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें फिर से ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव, आप इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं या नहीं?

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं यह मांग करता हूं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए क्योंकि वहां पर्यटन की काफी सम्भावनाएं हैं। इसके साथ ही इस राज्य में खनिज बहुतायत में उपलब्ध है और भविष्य में यहां काफी विकास हो सकता है। लेकिन उड़ीसा से

हवाई उड़ानों की कमी के कारण विकास प्रक्रिया/गतिविधियां नहीं हो पाती है।

अत: मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वायुदूत के पुराने हवाई मार्ग, अर्थात् वत्कला होते हुए जैपोर जहाजों की सेवा या छोटे ए.टी.आर.सी. हवाई जहाजों की सेवा शुरू करे। इससे उड़ीसा में हवाई सम्पर्क स्थापित हो पाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एयरपोर्ट्स अथोरिटी का प्राइवेटाइजेशन करने से सिक्यूरिटी और सेफ्टी की समस्या आ सकती है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का प्राइवेटाइजेशन करना अच्छी बात नहीं है मुम्बई एयरपोर्ट डैवलप करना है जो वहां जो स्लम्स हैं, उनका ठीक से रीहैबिलिटेशन करने की आवश्यकता है। उनको दूसरी जगह बसाना चाहिए, यह भी हमारी मांग है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को प्राइवेटाइज न करे। अगर पैसा चाहिए तो हम दे देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, आप एक वाक्य में अपनी बात समाप्त करें कि आप इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं या नहीं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से विधेयक पारित किया जा रहा है। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं।

आजकल सदस्यों के अधिकार कम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बजट अधिवेशन के दौरान हमें इन मामलों पर चर्चा करने का समय नहीं मिलता *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, सब लोगों की ओर से आप कोई शिकायत नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: श्री के. येरननायडू की इच्छा आसानी से पूरी की जा सकती है। संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सदस्यों के चर्चा करने के अधिकार को कम क्यों किया जाना चाहिए? वैसे यह सत्र समाप्त होने वाला है। कल सत्र स्थगित किया जा सकता है। वे इसी कार्य को अध्यादेश के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अगले सत्र में गहन चर्चा करके इसे पारित किया जा सकता है। *...(व्यवधान)* इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। हम अपने अधिकार क्यों सीमित कर रहे हैं? हमारा अधिकार है कि हम विमानपत्तन प्राधिकरण के निजीकरण के बारे में चर्चा करें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, हमने समय के बारे में निर्णय लिया, समय निर्धारित किया और समय समाप्त होने के बाद समय बढ़ाया भी।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं कि इस प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। कार्यकारिणी को यह अधिकार नहीं मिला हुआ है कि वह सभा को रबड़ की मोहर के रूप में प्रयोग करे। आप हमारे अधिकार कम क्यों करना चाहते हैं? हमें चर्चा करने का अधिकार है। आप बहुत से उपायों को कम क्यों करना चाहते हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, अब आप अपनी बात समाप्त करें। क्या आप अपना भाषण समाप्त करेंगे?

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस संबंध में एक प्रावधान है। सरकार के पास इसके कार्यान्वयन और कर्नाटक के लोगों की सहायता करने का एक सांवैधानिक प्रावधान है। लेकिन यह हमारे अधिकारों की कीमत पर क्यों हो? हमें चर्चा करने का अधिकार है। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। प्रत्येक सदस्य को इस पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह कैसा संसदीय लोकतंत्र है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन आपकी पार्टी की ओर से प्रो. ए.के. प्रेमाजम पहले ही उनके लिए निर्धारित समय से अधिक समय के लिए बोल चुकी हैं अब आप सदन का समय ले रहे हैं और साथ ही समय के संबंध में शिकायत भी कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, केवल इसी मामले में नहीं बल्कि बहुत से अन्य मामलों में भी वे अध्यक्ष के निर्देशों को लागू न करने के बारे में सभा के समक्ष आए हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैं इस बारे में अपनी निराशा व्यक्त करता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): उपाध्यक्ष महोदय, जिन सम्मानित सदस्यों ने इस विधेयक पर हुई संक्षिप्त बहस में भाग लिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते समय माननीय सदस्य श्री विलास मुत्तेमवार, श्री धनंजय कुमार, प्रो. प्रेमाजम और श्री येरननायडू आदि ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से ऐसा संदेश कदापि नहीं जाना चाहिए कि हम सरकारी एयरपोर्ट का निजीकरण करने जा रहे हैं। इस विधेयक द्वारा जो लीज के प्रावधान हैं, उसे करने जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या बैसीमुथियारी जी, आप प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन: महोदय, इस बिल के द्वारा हम लीज का जो प्रावधान है, उसकी पुनर्संरचना के द्वारा किसी हवाई अड्डे को सुधारने के लिए जो लीगल इनेबलिंग प्रावधान हैं, वे करने जा रहे हैं। किसी भी देश का फर्स्ट इम्प्रैशन एयरपोर्ट से पड़ता है। पूरी दुनिया से जब लोग यहां आते हैं, और यदि हमारा एयरपोर्ट अच्छा नहीं है, भले ही अपना देश कितना ही अच्छा है, लेकिन एयरपोर्ट यदि अच्छा नहीं है, तो अच्छा इम्प्रैशन नहीं पड़ता।

महोदय, हमारे देश में 124 एयरपोर्ट्स हैं। कई सदस्य सवाल उठाते हैं कि हमारे यहां एयरपोर्ट नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि 124 में से केवल 68 एयरपोर्ट आपरेशनल हैं और 56 नॉन आपरेशनल हैं। हम नया बिल लेकर आए हैं, इस बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी ने 24 अक्तूबर, 1998 को ही इस बात की घोषणा की थी कि विश्वस्तर के एयरपोर्ट हम अपने देश में बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम 12 फरवरी, 2000 को कैबीनेट गए और अमेंडमेंट बिल, 2000 लेकर आए। वह बिल स्टेंडिंग कमेटी को भेजा गया। नवम्बर, 2002 में स्टेंडिंग कमेटी ने अपने सुझावों सहित वह बिल लौटाया, जिसे हमने सदन के सामने प्रस्तुत किया है। इसमें हमने स्टेंडिंग कमेटी के करीब-करीब सभी सुझाव मान लिए हैं।

महोदय, जो विषय उठाए गए हैं, उनका विस्तार से उत्तर देना तो अब सम्भव नहीं है, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। यह एयरपोर्ट अथौरिटी अमेंडमेंट बिल 2003, अपने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बैंगलौर और हैदराबाद में विश्वस्तर के एयरपोर्ट हम बना सकेंगे। हमने कोच्चीन में निजी भागीदारी से एक एयरपोर्ट बनाया है। आज एयरपोर्ट अथारिटी के पास यह अधिकार है कि वह जिस एयरपोर्ट को चाहे उसका अधिग्रहण कर सकती है। यदि आज हम रूल और रैगुलेशन के अनुसार देखते और काम करते, तो हम कोच्चीन में निजी भागीदारी से बढ़िया एयरपोर्ट कभी भी नहीं बना सकते थे। चूंकि कोच्चीन के एयरपोर्ट के लिए केरल गवर्नमेंट ने इनीशिएटिव के साथ निर्माण कार्य किया, इसलिए यह सम्भव हो सका है।

महोदय, आज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियमों में यह प्रावधान है कि वह चाहे जिस एयरपोर्ट को टेकओवर कर सकता है। उसके इस अधिकार के कारण कोई भी निजी व्यक्ति एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए धन नहीं लगाना चाहता है। जहां तक इस बिल का सवाल है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम एयरपोर्ट का निजीकरण करने जा रहे हैं और न हम निजी हाथों में एयरपोर्ट को देने जा रहे हैं न इस प्रकार का कोई प्रावधान रखा है कि हम किसी एयरपोर्ट के मैनेजमेंट को किसी निजी कंपनी के हाथों में दे रहे हैं। यदि हमें ऐसा करना होगा, तो उसके लिए हम कैबीनेट में जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे।

महोदय, इसमें जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला उठाया है, उसका हमने इसमें ध्यान रखा है। मैं सारे सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। आपका और सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को सभी ने सपोर्ट किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगी?

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 12 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.30 बजे

विधेयकों के पुर:स्थापन के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अनुपूरक कार्यसूची पर विचार करते हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, आपने कहा कि इस विधेयक को पारित करने के उद्देश्य विशेष के लिए समय बढ़ाया गया था। कोई अनुपूरक कार्यसूची नहीं ली जा सकती। यह हमारी भावनाओं का अनादर होगा। मैंने इस पर आपत्ति के बारे में एक सूचना भी दी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, प्राईवेट मेम्बर बिल का समय हो गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे पहले ही स्वीकृति दे दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे इस पर सभा की सहमति लेनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुपूरक कार्यसूची स्वीकार कर ली है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अनुपूरक कार्यसूची में बताये गये विधेयकों को पुर:स्थापित करने के लिए सदन का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाता हूं।

...(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, हम सदन से बहिर्गमन करेंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): कोई अनुपूरक कार्यसूची नहीं हो सकती ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने सूचना दे दी है। मैं इस विषय पर आऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ आपत्ति है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें। मंत्रीजी तभी इसका उत्तर देने की स्थिति में होंगे और उन्हें बताने दीजिए कि यह जरूरी क्यों है?

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां। चार विधेयक हैं। मैं समझता हूं कि इनमें से दो विधेयकों पर कोई आपत्ति नहीं है और शेष दो विधेयकों पर आपत्तियां हैं। मैं पहले उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा और तब माननीय मंत्रीजी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपके नेता खड़े हैं। अब हम श्री शिवराज पाटिल की बात सुनेंगे।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हमें इस पर गम्भीर आपत्तियां हैं। हमारे सदस्यों को इस पर गम्भीर आपत्तियां है। वे क्या कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। हम उनकी बात सुनेंगे। कृपया उन्हें बताने दीजिए कि यह महत्वपूर्ण और आवश्यक क्यों है। जब वे अपनी बात समाप्त कर लेंगे तो उसके बाद मुझे बोलने की अनुमति दें। तब हम देखेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज पाटील, केवल दो विधेयकों पर आपत्तियां उठायी गयी हैं।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हम निदेश और नियम पढ़ेंगे। वे अपनी बात हमसे मनवा सकते हैं। हमारा विचार कोई अड़चन खड़ी करने का नहीं है पर हमें अपने कर्त्तव्य का पालन करने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां। श्री अरुण जेटली आप उन्हें, अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं संविधान (अठानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 पुर:स्थापित करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव करता हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप उन्हें यह स्पष्ट करें कि इस बारे में शीघ्रता करने की क्या आवश्यकता है, वे यही जानना चाहते हैं ताकि आप उनकी आपत्तियां दूर कर सकें।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, यह विधेयक सदस्यों के बीच परिचालित भी नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, हमने इस सरकार के साथ सहयोग किया है। यह सत्र सर्वोत्तम बजट सत्रों में से एक रहा है। सभी दलों के सहयोग से कार्य सुचारू रूप से चला है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र से आते हैं जो कि कश्मीर की ही भांति विस्फोटक स्थिति में है। हमारे साथ हर मामले में खिलवाड़ मत करें। जो विधेयक आज यहां लाया गया है, एक विवादित विधेयक है। यह अधिकार हमें हमारी मां, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अल्पसंख्यकों की धार्मिक और भाषायी सुरक्षा के लिए वर्ष 1983 में दिया गया था। अब इस बात पर विचार-विमर्श किये बिना, प्राथमिकता के आधार पर यह विधेयक लाया गया है। मैं नहीं जानता कि उन्हें इस बारे में क्या जल्दी है। यदि उन्हें इसे जल्दी ही लाना भी है तो इसे अगले सत्र में लाया जा सकता है जबकि हम इस पर विचार-विमर्श कर सकेंगे। श्री आडवाणी, जो कि हमारे क्षेत्र की स्थिति के बारे में भली-भांति जानते हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जातीय या भाषायी आधार पर कठिनाइयां खड़ी करने का कोई अन्य मौका न दें।

हमने अन्य विधेयक, बोडो विधेयक का समर्थन किया था। हमारी सरकार इसे लायी थी। आपको इसकी क्या जल्दी है? कृपया इस बारे में जल्दबाजी न करें। आप इसे अगले सत्र में ला सकते है। हम इस पर विचार-विमर्श करके कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन कृपया ऐसा न करें। हमें अपने मतदाताओं को इसका जवाब देना है। वे हमें कहेंगे कि सत्र के आखिरी दिन ऐसा करके हम किस प्रकार संसद में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कृपया इसके लिए जोर न दें और इसे वैसे ही रहने दें, यह मेरी विनम्र प्रार्थना है।

महोदय, यदि आप पुस्तक में पढ़ें तो निदेश 19 (ख) में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दो दिनों का नोटिस दिये बिना कोई विधेयक नहीं लाया जा सकता यहां तक कि अब तक इस विधेयक का उद्देश्य भी परिचालित नहीं किया गया है। ऐसा किस तरह किया जा सकता है। कृपया इसकी अनुमति न दें। महोदय, आप संसद सदस्यों के बहुमत की इच्छा के विरुद्ध असामान्य रूप से सरकार की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): इसमें जल्दबाजी का कोई कारण नहीं है। सभी नियमों की उपेक्षा की जा रही है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: ...*(व्यवधान)* अनुपूरक कार्यसूची उस समय लायी गई जबकि समय बिल्कुल नहीं बचा है ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: ...*(व्यवधान)* पूर्व समय में हमने एक विधेयक पुर:स्थापित किया था तो आज सरकार सत्ता में है, उसने आपत्ति उठायी थी। उस समय वे इस ओर बैठे थे और श्री शिवराज वि. पाटील आसन पर थे। उन्होंने हमारे मंत्री जी को विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी थी। आपको पूर्वोदाहरण के अनुसार चलना चाहिए। सदन में पहले भी ऐसा हो चुका है। ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, यह तो अब रोज की बात हो गयी है। ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला: जल्दबाजी करने का तो कोई कारण ही नहीं है। इसमें जल्दबाजी का कतई कोई कारण नहीं है और इसके साथ ही नियमों आदि में ढील दिये जाने की कोई वजह भी नहीं है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सरकार कोई बिल लाना चाहती है तो सत्र का कार्यकाल दो दिन और बढ़ा दे। हम इसके लिए तैयार हैं कि दो दिन सत्र का समय और बढ़ा दिया जाये। लेकिन इस तरह से आपाधापी में यह बिल पास कराना उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को अगर टाइम और चाहिए तो प्राइवेट मैम्बर्स बिल को पोस्टापोन

कर देना चाहिए और इसे अगले सैशन में लाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला: जल्दबाजी करने या नियमों को निलंबित करने का कोई कारण नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुनी जाए। जल्दबाजी करने या नियमों को निलंबित करने का कोई कारण ही नहीं है। विधेयक को लाने से दो दिन पहले परिचालित किये जाने के नियम को निलंबित किया जा रहा है और अनुचित तरीके से सदन का समय बढ़ाया जा रहा है।

महोदय, यह बजट सत्र है। यह सत्र फरवरी में शुरू हुआ था और अब मई है। सरकार के पास अपना कार्य करने के लिए ढाई महीने का समय था। सदन को इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिये। एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक, जो कि संविधान के प्रावधानों या समझौते का उल्लंघन करता है को पुर:स्थापित किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन। उन्होंने आपत्ति उठाने के बारे में एक सूचना दी है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं इस प्रक्रिया का पुरजोर विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, मुझे आपकी सूचना प्राप्त हुई है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सभा को रबड की मोहर के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति है।

जैसा कि श्री जी.एम. बनातवाला ने भी इंगित किया है कि हम यहां पिछले दो-तीन महीनों से मिल रहे है क्या तब सरकार सो रही थी? तब उनके पास इस मामले पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय था और इसे उचित समय पर लाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सत्र के एकदम अंत में वे विवादित मामलों को विधेयक के रूप में ला रहे हैं।

संविधान (संशोधन) विधेयक एक साधारण विधेयक नहीं है। यह भली भांति विचार करके लाया गया एक विधेयक है। बहुत विचार-विमर्श के पश्चात सावधानीपूर्वक इसका मसौदा तैयार किया गया था। यह सब करने और सारी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् वे अनुपूरक मद के रूप में विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं। परिचालित की गयी कार्यसूची में भी यह मुद्दा नहीं था। अब सत्तापक्ष के लिए यह एक आदत बन गयी है कि वे सदन के सामने किसी मुद्दे को लाकर कहते है कि हमें यह करना है। उन्होंने आज की कार्यसूची में इसे यह सोचकर परिचालित किया है कि यहां कम्प्यूटर तो हैं ही वे इसे टंकित कराकर परिचालित कर देंगे। वे समझते है कि यह कोई पुस्तकालय में होने वाली आम बैठक है। उन्होंने नियम प्रक्रियाओं की उपेक्षा करते हुए प्रक्रिया संबंधी नियमों का उल्लंघन करके इस सभा को पुस्तकालय संबंध में होने वाली बैठक बना दिया है। हर रोज वे सदन में नियमों में छूट दिये जाने और अध्यक्ष के 19 (क), 19 (ख) निदेशों में छूट दिये जाने का आग्रह करते हैं। आप सदैव ऐसे मुद्दे यहां लाते है। क्या यह संसद है? क्या इस सम्माननीय सदन, जो कि देश का सर्वोच्च निकाय है, में ऐसा करते हुए लज्जा नहीं आती। मुझे इसमें लज्जा आती है। यदि पुस्तकालय या सचिवालय से कोई मासूम व्यक्ति यहां आकर ऐसी मांग करे तो बात मेरी समझ में आती है। उनके पास विधि मंत्रालय है और विधि विशेषज्ञ है। वे इसे उचित तरीके से उचित समय पर कर सकते थे। इसके स्थान पर वे सभा में आकर हमें अपनी मनमर्जी से बैठने के लिए कह रहे है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, आप हमारे संरक्षक है और मैं आपसे केवल नियमों का अनुसरण करने का अनुरोध करता हूं *...(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह लिखा है कि इन विधेयकों पर विचार किया जायेगा और उन्हे आज ही पारित कर दिया जायेगा। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बाद मैं विनिर्णय दूंगा।

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला असम): मेरी बात भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इस संदर्भ में मैंने सूचना दी थी।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, दुर्भाग्य से यह मानसकिता, प्रयास, अब इस सरकार की आदत बन गयी है प्रत्येक आगामी सत्र में बैठकों की संख्या कम की जा रही है। यदि आप विगत तीन वर्षों के सत्रों को देखें तो हमें जितने दिन बैठकें करनी चाहिए थी उसमें काफी कम की गयी थी। यदि कोई आपात स्थिति होती और अंतिम मिनट में भी विधेयक पुर:स्थापित किया जाता तो हम उसे समझ सकते थे और हम सरकार को सहयोग करना पसंद करते। यहां क्या हो रहा है कि जब सदस्य सभा में उपस्थित होते है तब भी कुछ नियमों को ताक में रखकर विधेयक परिचालित कर दिये जाते हैं। यह वे नहीं होते है जो हमें सुबह मिलते हैं। इनकी आवश्यकता दो दिन होती है। यह स्पष्ट है कि सुबह हमारे घर पर हमें जो कुछ प्राप्त होता है वह उसके आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो हमें उनकी क्षमताओं के बारे में

[श्री पवन कुमार बंसल]

आपत्तियां करने में मदद मिलेगी। तथापि सदन में बैठे हुए मैं स्वयं अभी एकत्र कर रहा हूं; यहां तक कि पत्र भी हमें परिचालित नहीं किये गये थे। मैं जा-जाकर प्रत्येक माननीय सदस्य से पत्र ले रहा हूं। इस प्रकार से यहां काम किया जा रहा है। जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है मैं उसका निश्चय ही विरोध करूंगा। इससे कार्य की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक दिन के विधेयक की लम्बाई या विषय वस्तु से अधिक बड़ा उसकी प्रत्येक धारा में संशोधन और शुद्धि-पत्र का स्वरूप होता है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में भी हम देखते हैं कि संशोधन किये जाते है। क्या इस प्रकार सरकार को कार्य करना चाहिए? क्या इस प्रकार देश के विधायी रिकार्ड रखने चाहिए? आज यही हो रहा है। मैं जानता हूं कि माननीय विधि मंत्री और माननीय उप प्रधानमंत्री जी समर्थ व्यक्ति हैं। वे लोग प्रत्येक चीज की रूपरेखा नहीं बनाते हैं। आज यह दोनों विधेयक परिचालित किये गये है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल हमें इनमें संशोधन करने पड़ेगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अब इस विषय पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री की सुनते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, चार-चार विधेयक पहले ही आये हुए हैं। ...*(व्यवधान)* यह तीन-चार महीने का सेशन हुआ है। नियम 72 के अधीन हम लोगों का विरोध करने का अधिकार है। ...*(व्यवधान)* इस तरह से अफरा-तफरी में कैसे विधेयक आ जायेगा? ...*(व्यवधान)* आज प्राइवेट मैम्बर बिल के समय में भी कटौती की गयी है। ...*(व्यवधान)* इन सभी बातों को देखते हुए यह विधेयक वापिस लिया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस पर क्या कहना है।

डा. जयंत रंगपी: महोदय, मेरी बात भी सुनी जाए क्योंकि मैंने इसकी सूचना दी थी।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, कृपया मुझे आधा मिनट और दीजिए क्योंकि अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं कि है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब मैं अनुमति दूंगा, तभी आप बोल सकते है। अब मुझे मंत्री जी की बात सुनने दें। मैंने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

श्री पवन कुमार बंसल: पहले मुझे अपनी बहस समाप्त कर लेने दें।

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले ही अपनी बहस समाप्त कर चुके थे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये कैसे अफरा-तफरी में विधेयक ला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, कृपया मुझे आधा मिनट दें। इन विधेयकों को अंतिम समय में रखने के लिए जब हमारे पास वक्तव्य हैं, जब हमारे पास कारण है तो हम इसे औपचारिकता के रूप में करने की आशा नहीं करते। उनका कहना है कि सभा स्थगित हो रही है और इन विधेयकों को सभा में पुर:स्थापित करना अनिवार्य है और इसलिए यह किया जा रहा है। जब सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया था तो वास्तव में सभा को क्या कहना था। किन परिस्थितियों की वजह से यह निर्णय लिया गया और यह निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया था। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उस पर मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री पवन कुमार बंसल: यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो यह अलग बात है। मैं अपनी बात रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मुझे उनकी बात सुनने दो।

श्री पवन कुमार बंसल: जो मैं कहना चाहता हूं जब उसे मैं समाप्त कर लूं तब आप उनकी बात सुन सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: जो आप कहना चाहते थे वे आप पहले ही कह चुके है।

श्री पवन कुमार बंसल: आप मुझे पूरी बात भी नहीं करने दे रहे। आप उस सबकी पूर्व कल्पना कर रहे है। आप मुझे बात भी पूरी नहीं कहने दे रहे है। मैं यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस आधे पृष्ठ में ही कारण बताएं हैं। हालांकि, यह कोई कारण नहीं है। इसमें मात्र यह कहा गया है कि सरकार इसे उचित मानती है। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: मात्र पांच मिनट के समय में वे एक करोड़ अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन लेना चाहते है।

श्री पवन कुमार बंसल: हम ठीक-ठीक ब्यौरा जानना चाहते हैं कि कैबिनेट ने इसका निर्णय कब लिया और इस समय किस वजह से यह निर्णय लेना पड़ा जबकि पहले नहीं लिया गया *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, कृपया अब मुझे मंत्री जी की बात सुनने दें।

...(व्यवधान)

डा. जयन्त रंगपी: महोदय, इस विधेयक में असम के एक जनजातीय क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। मैं असम के एक जनजातीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। आपको मुझे संरक्षण देना चाहिए और मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए एक संसद सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकूं इसके लिए आप मुझे समर्थ बनाएं। मुझे विधेयक भी अग्रिम प्रति प्राप्त नहीं हुई है। मुझे विधेयक की प्रति कुछ मिनट पहले ही प्राप्त हुई है। मैं इतने कम समय में इसे पढ़कर इस पर अपनी राय कैसे बना सकता हूं? मैं संसद सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे कर सकता हूं? मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

इस विधेयक के एक खंड द्वारा संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन की बात कही गयी है। संपूर्ण असम क्षेत्र जल रहा है। हजारों युवाओं ने खंड 8 पर आपत्ति व्यक्त की है। इस खंड के माध्यम से असम के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों का संपूर्ण सूचीकृत ढांचा तहस-नहस हो जायेगा। इसके विरुद्ध लाखों छात्र सड़कों पर विरोध प्रकट कर रहे हैं। ऐसे गंभीर मामले पर, मुझे विधेयक की प्रति केवल कुछ मिनट पहले ही उपलब्ध करायी गयी। इस तरह, मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे कर सकूंगा? हमने मणिपुर और नागालैंड में बहुत ही गंभीर मुसीबत देखी है। यदि इस विधेयक पर उचित समय देकर भलीभांति विचार नहीं किया जाता तो इससे भी भयावह जातीय संघर्ष हो सकते हैं। इस तरह इस विधेयक को पेश किये जाने पर मुझे घोर आपत्ति है। इस पर भली-भांति चर्चा होनी चाहिए। इस विधेयक को फिलहाल रोक लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सरकार का दृष्टिकोण भी समझने दीजिये।

डा. जयन्त रंगपी: इसका क्या कारण है कि इस विधेयक को सत्र के अंत में सभा के समक्ष पेश किया गया? इसे पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया गया? इस विधेयक को समय पर परिचालित क्यों नहीं किया गया? आपका संरक्षण चाहिए ताकि संसद सदस्य के रूप में हम अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वहन कर सकें।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं एक भ्रांति दूर कर दूं। कुछ सांसद साथियों को लग रहा है कि हम यह बिल पारित करवा रहे हैं। हम यह बिल पारित नहीं करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सुनने दीजिये कि मंत्री महोदया क्या कह रही हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने खुद खड़ें होकर यह कहा कि आपा-धापी में बिल पास कराने की क्या जल्दी है। इसका मतलब है कि वे सोच रहे हैं कि हम बिल पास करवा रहे हैं। रोंगपी जी ने अभी कहा कि मैं अपना ओपीनियन कैसे दूं, फैग एंड में बिल आया है। ये सब बातें इस बात से निकलती हैं कि हम बिल पारित करवा रहे हैं। हम बिल पारित नहीं करवा रहे हैं, बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल इंट्रोडक्शन के लिए दो आब्जैक्शन्स आई हैं-एक आब्जैक्सन आई है कि 19बी की डायरैक्शन्स फ्लाउट की जा रही हैं और दूसरी आई है कि उन्होंने रीजन नहीं बताए, जो पवन जी ने कहा। अब मुझे उनका जवाब देना है। पहले मैं उन दोनों का जवाब देना चाहती हूं जो यह समझ रहे हैं कि बिल पास करवा रहे हैं। जहां तक क्लाज 19बी का सवाल है, यह बिल्कुल वाजेब बात है कि दो दिन पहले बिल सर्कुलेट होना चाहिए लेकिन इसी क्लाज 19बी में ही लिखा है कि अगर दो दिन पहले सर्कुलेट न किया जाए तो कब किया जा सकता है। अब मैं 19बी का वह पार्ट पढ़ना चाहती हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह: आप सदन का समय दो दिन और बढ़ा दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसमें कोई दो दिन सदन का समय नहीं बढ़ाना। बिल पारित थोड़े ही करना है? अब आप क्लाज 19ख देखिए-

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

[अनुवाद]

''कि अन्य मामलों में जिनमें मंत्री वह कहता हो कि प्रतियां, परिचालित करने के पश्चात् दो दिन से पहले अथवा उस दिन के परिचालित किये बिना भी, विधेयक पुरःस्थापित किया जाये, तो वह अध्यक्ष के विचार के लिए एक ज्ञापन में, जिसमें यह बताया गया होगा कि सदस्यों को पहले से प्रतियां न दिये बिना विधेयक क्यों पुरःस्थापित किया जा रहा है, पूरे-पूरे कारण देगा, और यदि अध्यक्ष अनुमति दे तो विधेयक उस दिन की, जब कि विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विचार हो, कार्य-सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा।''

श्री वरकला राधाकृष्णनः महोदय, मंत्री महोदया ठीक नहीं कह रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री राधाकृष्णन, उन्हें अपना बात पूरी करने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री वरकला राधाकृष्णन, सही और गलत का फैसला आप नहीं, मैं करूंगा। आप माननीय मंत्री जी की बात सुनते क्यों नहीं?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराजः उपाध्यक्ष जी, इसका मतलब है कि अगर 19 बी डाइरेक्शन का उल्लंघन करते हुए आप दो दिन का सरकुलेशन किये बिना बिल लाना चाहते हैं तो सरकार को दो काम करने हैं। एक तो मंत्रियों को रीजन देने हैं। दूसरे स्पीकर साहब से परमिशन मांगनी है और अगर स्पीकर साहब परमिशन दे दें तो बिल इंट्रोडक्शन के लिए वैसे ही लगेगा जैसे 19 बी पूरा हो चुका है। यहां के दोनों काम हुए। ये तीनों रीजन्स, जो बिल पारित हो रहे हैं, मंत्रियों के द्वारा स्पीकर साहब को दिये गये। स्पीकर साहब ने परमिशन दी। स्पीकर साहब से परमिशन मिलने के बाद ये बिल सप्लीमेंट्री लिस्ट आफ बिजनैस में लगे। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह बिल आया है। यहां पूर्व स्पीकर साहब बैठे हैं। उन्होंने भी ऐसी परमिशन दस बार दी होगी। दस बार उनसे 19 बी के लिए एग्जेम्शन मांगा गया होगा। दस बार उन्होंने ऐसी इजाजत दी होगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देवः सुषमा जी आपने स्वयं कहा है कि ''आज की कार्य सूची''। इसका तात्पर्य है इसे अग्रिम रूप से परिचालित किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री संतोष मोहन देव, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये। मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा, लेकिन पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देवः महोदया, आपने स्वयं कहा है कि इसे आज की कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराजः किसी भी दिन की अनुपूरक कार्यसूची उस दिन की कार्यसूची का ही भाग होती है।

श्री संतोष मोहन देवः ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराजः अब सवाल आता है कि दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो गई। दोनों मंत्रियों ने रीजन दिये। स्पीकर साहब ने परमिशन दी। बिल लिस्ट में लग गये। अब सवाल आता है कि एक तो यह है कि इसके बाद इंट्रोडक्शन स्टेज में विरोध हो सकता है लेकिन केवल एक आधार पर और वह लेजिस्लेटिव कंपीटेंस है तो वह विरोध कोई कर नहीं रहा है। अब शिवराज जी ने बात उठाई कि हमें कंविन्स करो कि क्या कारण है। यह बिल क्यों ला रहे हैं। यहीं पर पिछले सप्ताह और यह संयोग है कि पीठासीन सभापति आप ही थे। शिवराज जी ने सवाल उठाया। हमारे यहां स्टैंडिंग कमेटी की व्यवस्था इसलिए है कि वे बिल को थौरोली देखें। हम यह नहीं चाहेंगे कि सरकार बिल लाए और स्टैंडिंग कमेटी को भेजे बिना सदन के सामने रखे। उपाध्यक्ष जी, आप तो जानते हैं कि आज इस सत्र का आखिरी दिन है। हम बिल केवल इसलिए आज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को चला जाए। जो रूँगपी जी ने कहा है कि मैं अपना ओपिनियन कहां रखूं, मैं अपनी बात कहां रखूं। ये बिल इंट्रोड्यूस होंगे तो स्पीकर साहब स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे। माननीय संतोष महोन देव जी, शिवराज जी, अखिलेश जी, रूँगपी जी, बनातवाला जी अपनी बातें स्टैंडिंग कमेटी में रखें, स्टैंडिंग कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगी। उन रिकमेंडेशंस को दुबारा मंत्रालय देखेगा। इसके बाद बिल फिर कैबिनेट के पास जाएगा। फिर बिल पारित होने के लिए आएगा। इन सारी प्रक्रियाओं से बिल गुजरेगा। आज केवल बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है ताकि यह जो एक महीने का समय है क्योंकि अब हम जुलाई के मानसून सैशन में आएंगे।

श्री जी.एम. बनातवालाः तो क्या बिना सोचे-समझे बिल के इंट्रोडक्शन की इजाजत हो जानी चाहिए? ...*(व्यवधान)*

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): تو کیا بنا سوچے سمجھے بل کے انٹروڈکشن کی اجازت ہو جانی چاہئے؟...(مداخلت)

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्टैंडिंग कमेटी अपना काम करे। यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया जाए। आज हम केवल बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम स्कटल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। न हम डिबेट स्कटल करना चाहते हैं, न रौंगपी जी का ओपिनियन हम स्कटल करना चाहते हैं, न बनातवाला जी की बोली हम स्कटल करना चाहते हैं। हम तो शिवराज जी की बात मानते हुए यह बिल आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि बिल स्टैंडिंग कमेटी को चला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: शिवराज जी, आपको कुछ कहना है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आठवले जी, काफी एक्पलेनेश हो गया। 19 बी का काफी व्यापक रूप से बयान हो गया।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय में कहना चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदया बहुत ही दक्ष सांसद हैं, और मैं आशा करता हूं कि वह अपनी दक्षता का प्रयोग हमसे कतिपय उन चीजों के लिए अनुमति प्राप्त करने में नहीं करेंगी जो सच नहीं हैं।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मैं मंत्री महोदय की इस बात के लिए सराहना करता हूं और उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां सभा में यह कहा कि वह सभा में इन विधेयकों को पारित नहीं करवाना चाहती अपितु वह इन विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजना चाहती हैं ताकि संसद सदस्य इन विधेयकों की अच्छी तरह से जांच कर सकें। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। हम आपकी सराहना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। यह रही एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं रिकार्ड को सही रखने भाव दिशा को तय करने के लिए कुछेक बिंदुओं को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाल रहा इसके पक्ष में मैं कुछ तर्क रखना चाहता हूं। आप बहुमत में हैं। आप ही इस पर निर्णय करेंगे। आप जानती हैं कि हम अब तक सहयोग करते आये हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे सहयोगी भी इस पर विचार करेंगे और वे भी यह सुझाव देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा इरादा सहयोग करने का है न कि बाधा डालने का। फिर भी हमें, चीजों को सही ढंग से करना चाहिए। आप केवल लोक सभा अध्यक्ष के निदेश का केवल 19क भाग ही पढ़ रही हैं, जिसमें कहा गया है:

> "(1) विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करने के इच्छुक मंत्री अपने उस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा।"
>
> "(2) इस निदेश के अधीन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि सात दिन की होगी जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दे।"

निदेश 19 ख में कहा गया है कि:

> "कोई विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से जब कि विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विचार हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की गई हो"

यह प्रावधान किस लिए बनाये गये है? ये प्रावधान इसलिए बनाये गये हैं कि विधेयकों को पढ़ने में सांसदों को आसानी हो। जहां तक श्री जेटली के विधेयक का संबंध है, वह विधेयक परिचालन में है। यदि विधेयक नहीं तो कम से कम उस विधेयक की अवधारणा परिचालन में है। लेकिन जहां तक विधेयकों का संबंध है, हमें इन विधेयकों के मिलने तक अच्छी तरह पता था कि इन विधेयकों में क्या है। फिर भी, मैं इसमें बाधा नहीं डालना चाहता। मैं तो केवल रिकार्ड को सही रखने के लिए ऐसा कह रहा हूं ताकि भविष्य में यह हमारे लिए मददगार साबित हो।

श्रीमती सुषमा स्वराज, आपने कहा कि मैंने इस तरह के कई विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति दे दी होती। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने ऐसे चार संविधान संशोधन विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति नहीं दी थी जिन्हें केवल एक घंटे की सूचना पर सभा में पुर:स्थापित करने के लिये लाया गया था और जिन्हें पारित करने को कहा गया था। मैंने ऐसा नहीं किया था *...(व्यवधान)*

ये संविधान संशोधन विधेयक हैं। श्री जेटली का संविधान संशोधन विधेयक न्यायपालिका से संबद्ध है। वह परिचालन में है। इस पर समीक्षा समिति ने चर्चा की है, मीडिया ने चर्चा की है। इस बारे में हमारे कुछ विचार हैं। फिर भी, यह एक ऐसा विधेयक है जो न्यायिक कार्यकरण की तह तक जाता है, और इसे भी स्थायी समिति के पास भेजा जायेगा। इसीलिए, हमें इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

दूसरा विधेयक एक ऐसे निकाय के गठन से संबंधित है जिसके पास प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी शक्तियां होंगी। आप हमें ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए कह रही हैं। फिर, दूसरा विधेयक एक ऐसे कानून को समाप्त करने के बारे में है जो 1983 से अस्तित्व में है। आपके पास पर्याप्त समय था। एक महीना से अधिक समय से यह सत्र चल रहा है। भारत सरकार को यह सोचना चाहिए था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधायन कार्य हैं। इस विधेयक को सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए था, और इसे पारित भी हो जाना चाहिए था। ऐसा किया जा सकता था। आज सत्र का अंतिम दिन है। अब जबकि सभा के स्थगित होने में मात्र दो या तीन घंटे का समय रह गया है आप इस विधेयक को पुर:स्थापित कर रही है और हमसे इसे पारित करने को कह रही हैं। इससे भी बढ़कर बात यह है कि इसे पारित करने में इस तरह भी भ्रांति क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके नोट में ही कहा गया है कि विधेयक को पुर:स्थापित किया जाये और इस पर विचार किया जाये और इस पर विचार किया जाये। इसके नोट में ही यह बात कही गयी है और आप हमें आश्वस्त कर रही हैं कि यह विधेयक विचार के लिए नहीं है। इसलिए आपका यह आश्वासन हमें सहयोग देने में बहुत अधिक मददगार साबित हो रहा है। आप कृपया इस बात को समझें। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इस तरह का कार्य कभी नहीं होना चाहिए। कतई नहीं होना चाहिए। ये संविधान संशोधन विधेयक हैं। यह सभा एक संप्रभु निकाय है। आप हमसे यह आशा लगाये बैठी हैं कि सभा में जो भी विधेयक पुर:स्थापित किये जायें हम उन पर 'हां' और 'न'' में अपना जवाब दें। हम नहीं जानते कि पूर्वोत्तर राज्यों में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देश में इन विधेयकों का क्या प्रभाव होगा।

फिर, हम कई नई बातें शुरू कर रहे हैं। हमारी पीड़ा यही है। आप भी पहले प्रतिपक्ष में थीं और आपने भी इस बात को महसूस किया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह का एक विधेयक, 'दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक अंतिम समय पर सभा के समक्ष लाया गया था और इसे पारित कर किया गया था।

अपराह्न 4.00 बजे

इसके लिए किसी माननीय सदस्य ने नहीं अपितु स्वयं सभापति ने विधेयक को पारित करवाने पर आपत्ति व्यक्त की। उस समय सरकार और प्रतिपक्ष ने यह पूछा गया कि इस विधेयक पर पीठासीन अधिकारी को क्या करना है। उन्हें केवल 'हां' और 'ना' कहना था और उसके बाद विधेयक पारित किया तो उन्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा; और वे बहुत जल्दी यह कहते हुए इस सभा में आये कि उन्हें विधेयक को पारित नहीं करना चाहिए था। वास्तव में, तब ऐसा हुआ था।

वह विधेयक यहां पारित कर दिया गया था; उसके बाद राज्य सभा ले जाया गया; फिस उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गये लेकिन उस पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी। अब भी मैं समझता हूं उस विधेयक को लागू नहीं किया गया। अगले ही सत्र में सरकार ने उस विधेयक पर संशोधन पेश कर दिये।

उस समय सरकार और प्रतिपक्ष, सबने एकजुट होकर यह कहा गया था कि हम यहां बैठे हैं और हम सब विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, तो पाठासीन अधिकारी को इस पर आपत्ति क्यों है?

महोदया, आप इस विधयेक को समझती हैं हम इस विधेयक को समझते हैं। लेकिन यदि समय उपलब्ध नहीं है और विधि निर्माण का कार्य इस ढंग से किया जाये तो यह ठीक बात नहीं होगी। दूसरे देशों में विधेयकों को पारित करने की कोई समय-सीमा नहीं होती, उसके लिए जिसे जितना समय चाहिए उसे उतना समय दिया जाता है। मैं वास्तव में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक पर बोलना चाहता था। मैं वास्तव में बोलना चाहता था, मैं बोलने के लिए अत्यधिक उत्सुक था, मेरा मन कह रहा था कि मैं बोलूं, लेकिन फिर भी मैं बोल नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समय बहुत सीमित था। हर कोई यही कह रहा था कि हमें विधेयक पारित करना है। हमने कहा, ठीक है यदि आपको विधेयक पारित ही करना है तो आप इसे पारित कर सकते हैं।

लेकिन क्या हमें विधि निर्माण का अपना कार्य इस प्रकार करना चाहिए? जब आप पूरे नागर विमानन को इस विधेयक के माध्यम से बदलने जा रहे हैं और जब आप न्यायपालिका के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो क्या हमें इसके लिए केवल दो घंटे का समय आवंटित करना चाहिएं? मेरे विचार से आप 'एक नई राज्य व्यवस्था' बनाने जा रहे हैं; यदि 'नया राज्य' नहीं तो आप कानून से अलग हट रहे हैं; और फिर आप हमसे ऐसा करने को कह रहे हैं। कृपया कम से कम भविष्य में ऐसा न करें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं।

महोदय, आप वहां बैठे हैं; अब यह आपका भाग्य है या मेरा भाग्य है कि प्रत्येक शनिवार को हम किसी न किसी बहस में उलझ जाते हैं। मैं पीठासीन अधिकारी और अन्य किसी के साथ भी बहस में पड़ने में घृणा करता हूं। तथापि, मैं यह अवश्य कहूंगा कि चूंकि आप वहां बैठे हैं तो आप जो विनिर्णय देंगे हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हम उसे स्वीकार करते रहेंगे। तथापि, हमारी अंतरात्मा हमसे यह कहती रहेगी कि जो कुछ हो रहा है वह संभवत: सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु समय देना एक मूल मुद्दा है। यहां तक कि गत शुक्रवार को भी हमने यही किया था ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको एक बात बता दूं। अब मैं सदन की सहमति लूंगा।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यदि माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। मेरे विचार से हम इस बात पर पूर्णतया आश्वस्त हैं कि यह स्थायी समिति को भेजा जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: जी हां।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष जी, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को अफरा-तफरी में कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। प्राइवेट मैम्बर्स के समय को एंक्रोच करके इसे कैसे लाया जा रहा है। हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 4.03 बजे

(तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): नियमों के विपरीत बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी इसका बहिष्कार करती है।

अपराह्न 4.03$^{1}/_{2}$ बजे

(तत्पश्चात् कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 4.03$^{3}/_{4}$ बजे

सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित-*जारी*

(दो) संविधान (अठानवेवां संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 124, 217, 222 और 231 का संशोधन तथा नए अध्याय 4 क का अंत: स्थापन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। अब, माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: महोदय मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.04 बजे

(तीन) संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 332 का संशोधन)

[अनुवाद]

उप-प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.05 बजे

(चार) संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उप-प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

का असम राज्य को उसके लागू होने में, और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान का असम राज्य को उसके लागू होने में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री संतोष मोहन देव उपस्थित नहीं है।

अब डा. जयन्त रंगपी बोलेंगे। मैं समझता हूं कि जो कुछ आप कहना चाहते थे, आप कह चुके है।

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला असम): जी हां, महोदय।

,महोदय, मैं पुर:स्थापन के स्तर पर इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार नियमित रूप से अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 19 ख का आश्रय ले रही है। यह एक असाधारण प्रावधान है। इसी के साथ-साथ निदेश 19 को को भुला दिया गया है। इसने हमारे लिए कठिनाइयां पैदा कर दी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बता दूं कि जब तक अध्यक्ष महोदय बताए गए कारण से आश्वस्त नहीं हो जाते तब तक वे अनुमति नहीं देंगे। आप कृपया निदेश 19 ख के अंतिम पैरे पर एक दृष्टि डालें। माननीय अध्यक्ष महोदय के दिए गए तर्कों से पूर्णतया आश्तस्त होने के बाद ही अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, 19 ख में 'पूरे, पूरे कारण' लिखा है। इसमें यहां कोई कारण नहीं है....कृपया देखें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें कहा गया है:

"परन्तु यह चाहता हो कि प्रतियां, परिचालित करने के पश्चात दो दिन से पहले अथवा उस दिन के परिचालित किये बिना भी, विधेयक पुर:स्थापित किया जाये, तो वह अध्यक्ष के विचार के लिए एक ज्ञापन में, जिसमें यह बताया गया होगा कि सदस्यों को पहले से प्रतियां दिये बिना विधेयक क्यों पुर:स्थापित किया जा रहा है, पूरे-पूरे कारण देगा...."

मैं केवल इस पर निर्भर हूं और इसी के आधार पर उन्हें अनुमति दी है।

श्री पवन कुमार बंसल: कृपया यहां किए गए कारणों को देखें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने आपको नहीं अपितु माननीय अध्यक्ष महोदय को कारण बताए हैं और उनसे पूर्णतया आश्वस्त होने के बाद ही उन्होंने अनुमति दी है।

श्री पवन कुमार बंसल: क्या वे कारण परिचालित किए गए कारणों से अलग हैं? *...(व्यवधान)* मेरा जानने का अधिकार है। मैं केवल यह जानता चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय को जो कोई भी कारण बताए गए हैं क्या वे हमें बताए गए कारणों से भिन्न हैं *...(व्यवधान)* वे वहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय उससे पूर्णतया आश्वस्त हैं और इसीलिए उन्होंने माननीय मंत्री जी को अनुमति दे दी है।

श्री पवन कुमार बंसल: मेरा कहना यह है कि पूरे-पूरे कारण देने पड़ेंगे और वे नहीं दिए गए हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुसार, उन्हें पूरे-पूरे कारण बता दिए गए हैं और इसलिए उन्होंने अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: मैं कम से कम भविष्य के लिए तो कुछ सुझाव दे सकता हूं *...(व्यवधान)* चूंकि आप हंस रहे हैं अत: मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। ज्ञापन में क्या कहा गया है? सरकार ने 10 फरवरी को ये-ये कार्य करने का निर्णय लिया था। यह उस सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले की बात है, जिसे कि तीन महीने बीत चुके हैं। सरकार ने इतना विलंब क्यों किया और अब इस विधेयक को लाई है? मैं संक्षेप में यह पूछ रहा हूं कि इस विलंब के क्या कारण हैं। हम सभी नियमों और सभी अपेक्षाओं को अलविदा कर रहे हैं। संसद से इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है और मूलत: मुझ इसी पर आपत्ति है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): बंसल जी, यह बिल इन्ट्रोड्यूस करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजना है। *...(व्यवधान)* ये सब चीजें स्पीकर साहब देखते हैं, आप नहीं देख सकते हैं। स्पीकर साहब कन्विन्स्ड हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: सरकार ने तीन माह पहले एक निर्णय लिया था। वह विधेयक के संबंध में अंतिम समय में भाग-दौड़ क्यों कर रहे है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्टैंडिंग कमेटी में इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: स्टैंडिग कमेटी की बात नहीं है। यह विधेयक को पुर:स्थापित करने की प्रक्रिया के बारे में है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: रीजन यह है कि आज सदन का आखिरी दिन है। अगर यह बिल इन्ट्रोड्युस नहीं हुआ, तो स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेज सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के लिए ही आज इन्ट्रोड्युस कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: सरकार ने कोई कार्य करने का निर्णय लिया था और तब से वह यह विधेयक को पुर:स्थापित करने हेतु 10 फरवरी से 9 मई तक प्रतीक्षा करती रही। वह गत तीन माह से क्या कर रही थी? अब, वे आपातकालीनी प्रावधान का सहारा ले रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय को पूरे-पूरे कारण बताए हैं और इसके प्रत्युत्तर में वे उनसे सहमत हुए हैं। उन्होंने यह स्वीकर किया है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: यदि माननीय अध्यक्ष महोदय, पीठासीन होते, पूर्ण विनम्रता से मैं यही कहूंगा कि मैंने तब भी यही कहा होता। जो कारण दिए गए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं और यहां तक कि वास्तविक भी नहीं हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष महोदय ने पूरे अधिकार और विवेक से यह अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, सरकार ने तीन महिने तक प्रतीक्षा की है और अब वह बिना किसी आधार के अत्यावश्यकता वाले प्रावधानों का उपयोग कर रही है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूं।

...(व्यवधान)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर): महोदय, ये अध्यक्ष के प्राधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकते *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: स्पष्ट किए गए तमाम कारणों को ध्यान में रखते हुए ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। आप पुन: वही मामला उठा रहे हैं। मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं?

...(व्यवधान)

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला असम): महोदय, दो मिनट के लिए मेरी बात सुनी जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: यह मुद्दा उठाना हमारा कर्त्तव्य है *...(व्यवधान)* संसद विधि और माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए अनुदेशों और निर्देशों के अनुसार ही कार्य करती है। इस मामले में मैं यह कह रहा हूं कि लोगों को यह समझना चाहिए कि यहां चार विधेयक हैं *...(व्यवधान)*

श्री सु तिरुनावुकरसर: महोदय, इन्हें अध्यक्ष के अधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इन मामलों में से एक में यह विशेष रूप से कहा गया है कि यह विधेयक सरकार द्वारा 10 फरवरी को लिए गए निर्णय पर आधारित है। अब, ये अंतिम दिन अत्यावश्यकता वाले प्रावधानों का उपयोग कर रहे हैं। इसे आसानी से दो दिन पूर्व लाया जा सकता था। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यहां तक कि इस मामले में भी माननीय अध्यक्ष महोदय आश्वस्त हुए होंगे। इसीलिए, उन्होंने अनुमति दी है।

डा. जयन्त रंगपी: महोदय, अब सरकार यह कर रही है कि यह विधेयक स्थायी समिति के पास जाएगा। यहां मैं सरकार से विशेषकर छठी अनुसूची में संशोधन करने के संबंध में यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके बहुत गंभीर निहितार्थ होंगे और यह राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)* महोदय, में विशेषकर उस खण्ड के बारे में यह कहना चाहूंगा कि असम के पहाड़ी जिले में बोड़ो समुदाय को पहाड़ी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। अत: मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे 'प्रास्थगित' रखा जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, ये इस बात को स्थायी समिति में उठा सकते हैं। जब विधेयक विचार व पारित करने हेतु लाया जाएगा, ये तब भी उस चर्चा में भाग ले सकते हैं परन्तु पुर:स्थापन के स्तर पर नहीं। पुर:स्थापन के स्तर पर ये केवल विधायी सक्षमता पर आपत्ति कर सकते हैं अन्य किसी बात पर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रंगपी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप यह जानते हैं कि जब स्थायी समिति इस विधेयक पर विचार करे तो आप वहां अपनी बात अच्छी तरह से कह सकते हैं। अन्य सभी सदस्य भी विचार कर सकते हैं और केवल तभी यह इस सदन में आएगा।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, इसे रोकने के बहुत से सुस्पष्ट और ठोस कारण हैं। हम वह नहीं कर रहे हैं। अन्य बहुत से ठोस कारण हैं। मैं उन कारणों की सहायता नहीं ले रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह हमारा कर्त्तव्य है कि भविष्य में उल्लेख हेतु सदन और माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में कुछ बातों को लाया जाये। जब मैंने 'भविष्य' शब्द का उपयोग किया तो वे इस प्रकार से मुझ, पर हंसने का प्रयास कर रहे थे जैसे कि मै जो जानता हूं वे उससे कहीं अधिक जानकारी रखते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का, असम राज्य को उसके लागू होने में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.12 बजे

(पांच) अवैध प्रवासी विधि (निरसन और संशोधन): विधेयक,

[अनुवाद]

उप-प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अवैध प्रवासी अधिकरणों द्वारा अवधारण, अधिनियम, 1983 का निरसन करने और आप्रवासी (आसाम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 का निरसन करने और आप्रवासी (आसाम में निष्कासन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.13 बजे

[अनुवाद]

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री डेन्जिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 7 मई, 2003 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 33वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 7 मई, 2003 को सभा में गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 33वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.14 बजे

गैर–सरकारी सदस्य का संकल्प

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नीतियों

और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा जारी रखने की अनुमति दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, मैं सदन का ध्यान श्री प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6252 के संबंध में माननीय उप-प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। प्रश्न था कि "क्या सरकार ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गये सभी परिपत्र वापस ले लिए हैं जिनका अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए उपबंधित आरक्षण पर प्रभाव पड़ा है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यदि नहीं, तो इन्हें कब तक वापस ले लिए जाने की संभावना है।" उत्तर यह दिया गया था कि 'पहले ही तीन परिपत्रों को रद्द कर दिया हैं। लेकिन इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री जी ने बताया है, 'कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए उन सभी परिपत्रों को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिसका अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए उपबंधित आरक्षण पर प्रभाव पड़े।'

महोदय, मैं इस प्रतिष्ठित सदन का ध्यान पुन: इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में और संसद के बाहर क्या आश्वासन दिया था। इन्होंने कहा था कि डी.ओ.पी.टी. द्वारा वर्ष 1997-98 में जारी किए गए प्रतिकूल प्रभाव वाले सभी तीनों परिपत्रों को वापस लिया जाएगा। इन्होंने आश्वासन दिया था कि संविधान में उपबंधित संवैधानिक जनकल्याण की रक्षा हेतु इसे संविधान की नौंवी अनुसूची में सम्मिलित किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आपसे इस संकल्प का प्रस्तुतकर्ता होने के नाते इस पर विचार के समय यहां उपस्थित रहने की आशा थी। अन्यथा, आप हमेशा बोलते रहते हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, सरकार ने मेरे समय का अतिक्रमण किया है।

डा. वी. सरोजा: महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि संसद के अगले सत्र में सरकार उस वायदे को पूरा करे जो माननीय प्रधानमंत्री ने सभी माननीय संसद सदस्यों से किया था। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी इन सभी पांचों परिपत्रों के बारे में हमने एक बैठक भी की। हमने इस मुद्दे पर तीन दिनों तक बहस की थी। उसी बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था। लेकिन इस बारे में उप प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये इस उत्तर को पढ़कर मैं अचम्भित हूं कि इन आदेशों को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। मैं चाहूंगी कि सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दो अन्य परिपत्रों को वापस लेने के अतिरिक्त एक संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए बाध्य हो ताकि इसे हमारे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके जिससे डा. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो भी संवैधानिक कल्याण उपायों का प्रावधान किया गया था। उन्हें अमल में लाया जा सके।

महोदय, मैं इस माननीय सभा का ध्यान सरकार द्वारा दी जाने वाली शैक्षिक छात्रवृत्तियों की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगी। मैं यह जानना चाहूंगी कि इस सरकार ने विदेश में अध्ययन करने हेतु कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। छात्रों ने अध्ययन के लिए किन पाठ्यक्रमों का चयन किया है, उनमें कितने छात्रों ने विदेश में अपने अध्ययन को पूरा कर लिया है और उनमें से कितने छात्र देश में वापस आ गये है; तथा उनमें से कितने छात्रों की सेवाओं का उपयोग हो रहा है। क्या कभी इन सब बातों को लेकर कोई अध्ययन किया गया है? मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि विदेश में अध्ययन के लिए जो पाठ्यक्रम बताये गये हैं वे हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। मैं गलती में सुधार की गुंजाइश के साथ कहती हूं कि सूची में जिन पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है उनके लिए एक प्रतिशत छात्रों को भी छात्रवृत्तियां नहीं दी गयी है।

महोदय, वर्ष 1999 के दौरान मैं तत्कालीन कल्याण मंत्री श्रीमती मेनका गांधी से मिली थी और तब मैंने उन्हें वह सूची दिखायी थी तथा हमारे देश के लिए अप्रासंगिक पाठ्यक्रमों की संख्या भी बतायी थी। यदि ऐसा मामला है, तो फिर यह सरकार पाठ्यक्रमों के चयन में पूरा ध्यान क्यों नहीं देती? मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय आपस में विचार-विमर्श कर पाठ्य विवरण का एक खाका तैयार क्यों नहीं कर लेते और पाठ्यक्रमों का चयन क्यों नहीं कर लेते ताकि हमारा देश उससे लाभान्वित हो सके और छात्रवृत्तियों का उपयोग कर यह समुदाय अपना उत्थान कर सके?

यहां मै दु:खद घटना का उल्लेख करना चाहूंगी। अनुसूचित जाति का गरीब लड़के, जिसकी मां मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मध्याहन भोजन केन्द्र (नून मील सैंटर) में कार्य करती है, का चयन नीदरलैंड कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया और उसे वहां अध्ययन के लिए 8 लाख रुपयों की आवश्यकता थी। तमिलनाडु की वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री-जो उस समय मुख्यमंत्री नहीं थीं-ने इस बात की सराहना की कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था एक लड़का नीदरलैंड कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वहां अध्ययन के लिए चुना गया है। उन्होंने मुझसे केन्द्र सरकार से संपर्क करने और उस लड़के को अध्ययन हेतु विदेश भेजने में मदद करने को कहा। जब मैंने श्रीमती मेनका गांधी से संपर्क किया तो उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अंतत: मैं तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री

[डा. वी. सरोजा]

जयललिता से मिली तो उन्होंने कहा कि वह चाहती है कि यह लड़के अध्ययन हेतु विदेश जाये और उन्होंने उसे नीदरलैंड कृषि विश्वविद्यालय भेजने हेतु तुरंत सभी उचित प्रबंध किये। अब वह वहां अध्ययन कर रहा है। तो केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का हाल यह है।

कैबिनेट के सभी माननीय मंत्रियों तथा इस सभा के सदस्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध लोगों के शैक्षिक स्थिति से संबंधित मुद्दे पर अलग से चर्चा करनी चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण अपने आप नहीं हो जायेगा। इस बारे में सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों के प्रति समर्पण भाव दिखाना होगा तथा इस माननीय सभा में बैठे नियोजनकत्ताओं और नीति-निर्माताओं को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। अन्यथा अपेक्षित विकास न कर पाने के लिए सीधे तौर पर हमें जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

जहां तक आरक्षण का संबंध है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को 69 प्रतिशत आरक्षण कैसे मिल पायेगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शैक्षणिक संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में कम से कम 18 प्रतिशत और एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि कितनी राज्य सरकारों ने अपने यहां आरक्षण विधेयक पारित किया है। भारत सरकार इस बात पर बल क्यों नहीं देती कि राज्य सरकारें अपने यहां यह आरक्षण विधेयक पारित करवायें ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इन गरीब लोगों का सामाजिक और शैक्षिक उत्थान हो सके। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध है कि वह न केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के फायदे के लिए अपितु अन्य पिछड़े वर्गों के समान विकास को ध्यान में रखकर, इस बारे में एक अध्ययन करवायें ताकि यह देश बेहतर ढंग से विकास कर सके।

इस संबंध में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी सम्मानित नेता और तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी कार्य किया है। मैं तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य रह चुकी हूं और उन व्यक्तियों में से एक हूं जिन्होंने इस बारे में विधान सभा में संकल्प पारित किया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा भी एक विधेयक लाया गया जिसे दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। इतना ही नहीं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने तो इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया है। दूसरे मुख्यमंत्री ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि वे ऐसा नहीं करते तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास कैसे हो पायेगा।

अपराह्न 4.24 बजे

[डा. **लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

सामाजिक न्याय और महिला अधिकारिता विभाग ने प्रशिक्षण और पदस्थापन के लिए कुछ राज्य इकाइयों को चिन्हित किया है। इसके लिए अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गयी है तथा संबद्ध राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एन एफ डी सी कार्य कर रहा है। इस संकल्प में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन भी बात कही गयी है। मुझे सरकार में रहने का 20 वर्ष का अनुभव है लेकिन मैंने आज तक इनका अपेक्षित विकास होते नहीं देखा। इसका तात्पर्य यह है कि या तो नीतियों में या फिर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कोई दोष है। इसलिए सरकार को ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाने चाहिए जो विभिन्न राज्यों में इस समुदाय के लोगों के लिए उपयुक्त हों। इसी तरह, संबद्ध राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम लागू करने वाली एजेंसियां नियुक्त की जानी चाहिए।

1994 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने एक नयी योजना शुरू की थी। उन्होंने बुनाई केन्द्र स्थापित करने हेतु। विश्व बैंक तथा भारत सरकार से ऋण लिया था ताकि अनुसूचित जाति के प्रत्येक उद्यमी को 10,000 वर्ग फुट जमीन तथा उस पर एक निर्मित भवन दिया जा सके। इस तरह, उन्हें बुनाई केन्द्र दिये गये। लेकिन भारत सरकार भी आये दिन बदलती आर्थिक नीति के कारण लगभग 100 इकाइयां भलीभांति कारोबार न कर सकीं। अब केवल 50 इकाइयां कार्य कर रही हैं और 50 इकाइयां रुग्ण है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा दिये गए ऋण पर ब्याज माफ कर दें ताकि अनुसूचित जातियों के ये उद्यमी अपना कारोबार चला सके और ऋण की अदायगी कर सकें। वे यह नहीं चाहते कि उनके संपूर्ण ऋण को माफ कर दिया जाये। मैं मुदाली पुलयम, त्रिपुर के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध उद्यमियों की ओर से अनुरोध करती हूं कि आप उनकी इस मांग की ओर ध्यान दें।

अब मैं महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के मुद्दे पर आती हूं। इस बारे में तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री बंजरभूमि के विकास का आश्वासन दिया था। अब सरकार ने बंजरभूमि दर्शाने वाली एक एटलस निकाली है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर बंजरभूमि के विकास द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में सुधार करे। इस बारे में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं-विशेषरूप से पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं की औषधीय पादपों तथा दूसरे संबद्ध कारोबार में सहायता की जा सकती है। इससे बंजरभूमि विकास कार्यक्रम तो आगे बढ़ेगा ही साथ ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को शिक्षित कर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनका आर्थिक सशक्तीकरण भी किया जा सकेगा।

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने प्लस तथा प्लस 2 कक्षाओं में पढ़ने वाली लगभग 75000 छात्राओं को मुफ्त में साइकिलें दी है। इस कार्यक्रम के लागू होने के दो वर्षों बाद यह पाया गया है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं का प्रतिशत कम हुआ है और अधिकतर छात्राओं ने उच्च शिक्षा के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस तरह की योजनाएं चलाने के लिए दूसरी सभी राज्य सरकारों को सुझाव दे। क्योंकि योजनाएं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी होंगी। इस तरह लोग भारत के संविधान में प्रदत्त सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे।

अंत में मैं खिलाड़ियों और एथलीटों के बारे में एक उतनी ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी। मेरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर गरीब दलित लोग-विशेषकर वे बच्चे जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु बनाये गये छात्रावासों में रहते हैं-एक तरह का बेहतर संतुलित आधार चाहते हैं ताकि वह मुख्य धारा के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं अपना बात समाप्त करती हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं, श्री रामदास आठवले द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। यह संकल्प समाज के कमजोर वर्गों सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के बारे में है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक असमानताओं को दूर करना हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक भाग था। उस समय भेदभाव इतना अधिक था कि लोगों को यात्रा करने या किसी पब्लिक स्कूल अथवा सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने तक की अनुमति नहीं थी। लोगों को सार्वजनिक होटलों में भी जाने की अनुमति नहीं थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नाई की दुकानों तक में जाने की मनाही थी। उस समय ऐसी स्थिति विद्यमान थी। इस प्रकार, उस समय समाज के इन वर्गों के लिए न तो शिक्षा का प्रबन्ध था, और न ही उन्हें कहीं आने जाने की छूट थी। छुआछूत का बोलबाला था। चहुओर सामाजिक असमानता व्याप्त थी। यह बहुत ही घुटन भरी स्थिति थी। इसलिए इन स्थितियों के कारण देश में एक स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करना ही उचित समझा गया। उस स्वतंत्रता आंदोलन में सामाजिक भेदभाव का मुद्दा भी उठाया गया।

जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, और देश का संविधान बनाया गया तो उन असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष उपबंध किये गये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ विशेषरूप व्यवहार में लायी जाती थीं। असमानता को दूर करने के लिए हम सब अखिल भारतीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर एक सामाजिक कानून बनाये जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रत्येक राज्य में समानता का तात्पर्य अलग-अलग था। प्रत्येक राज्य में सामाजिक असमानताएं भी अलग-अलग थीं। पूरे देश में ऐसी ही स्थिति थी। इसीलिए, संविधान में विशेषरूप से यह प्रावधान किया गया कि निर्वाचित निकायों में दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित होंगे। यह सभी बातें संविधान में हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि लोक सेवाओं के मामले में भी आरक्षण नीति का पालन होगा। केरल राज्य में तो, स्वतंत्रता से पहले आरक्षण का प्रावधान हो गया था। देश में छोटी रियासतें हुआ करती थीं, तब से केरल में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। तब भी यह प्रावधान था कि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में एक निश्चित प्रतिशत प्रदान किया जायेगा। तब ऐसी स्थिति थी। उस समय सरकार सबसे बड़ी नियोजनकर्त्ता हुआ करती थी। उस समय आज की तरह से सरकारी उद्यम नहीं होते थे। आजकल सरकारी उद्यम होते हैं। इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व सरकार के पास होता है। इसलिए, स्वाभाविक है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इन उद्यमों में भर्ती में आरक्षण का लाभ भी मिलेगा।

इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है? निजीकरण के कारण हम विनिवेश नीति को बहुत कड़ाई और सख्ती से लागू कर रहे हैं। यहां तक की लाभ अर्जित करने वाले सरकारी उद्यमों को भी बेच रहे हैं। इसका कुल परिणाम यह होगा कि रोजगार के अवसर समाप्त हो जायेंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त आरक्षण समाप्त हो जायेगा। इस तरह उनके रोजगार पाने के अवसर उत्तरोत्तर कम हो रहे हैं। सरकार द्वारा सरकारी उद्यमों को बेचने और उनका निजीकरण करने के कारण आरक्षण की वर्तमान स्थिति यह है।

आज, हमने विमानपत्तनों के निजीकरण का फैसला कर लिया है। यहां तक कि अपने देश की सुरक्षा तक को खतरे में डालकर हमने विमानपत्तनों के निजीकरण का फैसला किया है। आज सरकार की ओर से यही कहा गया है। सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रमों का निजीकरण हो रहा है। यदि ऐसा हो जाता है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार कौन देगा? अब तक इनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि इस बारे में हम प्रत्येक वर्ष संविधान में संशोधन करते रहते हैं। हम प्रत्येक दस वर्ष में संसद और राज्य विधान सभाओं में आरक्षण की अवधि को बढ़ा देते हैं।

इस बारे में स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं हुआ है।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

जैसी स्थिति उनकी स्वतंत्रता के पूर्व थी, वैसी ही अब है। इसीलिए हमें आरक्षण को बार-बार बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन आरक्षण अनंत काल के लिए नहीं है। यह एक विशेष समयावधि के लिए है। जब समाज में समानता आ जायेगी, तब समाज के किसी वर्ग के लिए किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यह आरक्षण वंचित वर्गों को समाज के विकसित लोगों के साथ बराबरी पर लाने के लिए है। लेकिन आरक्षण देकर भी इस बारे में हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। इसीलिए हम प्रत्येक दस वर्ष में संविधान में संशोधन करते रहे हैं। अभी तक हम यही करते रहे हैं। इसी तरह रोजगार के मामले में भी होता रहा है। सरकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नियोजनकर्त्ता है। यह बात राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार दोनों के बारे में सच है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को संविधान के आधार पर तथा राज्य के आधार पर रोजगार दिया जा रहा था। लेकिन अब इसके लिए गुंजाइश न रहेगी। क्योंकि जो लोग धन निवेश करते हैं, जो बड़े-बड़े व्यापारी है जिनका व्यापार पर नियंत्रण है और जो उसे चला रहे हैं, वे आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि विनिवेश होता है या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जाता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक बड़ा एक वर्ग नौकरी से बाहर हो जायेगा। ये लोग न केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, अपितु डाक विभाग, तार विभाग तथा और भी कई सारे विभागों से नौकरी से निकाल दिये जायेंगे। देश में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण थे इस दौर में हमें इस समस्या का समधान ढूंढना होगा। इसका कुल मिलाकर परिणाम यही होगा कि वंचित वर्ग के लोग एक बार फिर बेघर हो जायेंगे।

यदि हम याद करें तो पायेंगे कि एक बार समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों हेतु सीटों के आरक्षण का प्रयास किया गया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए तो संवैधानिक संरक्षा प्रदान की गयी है लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किसी भी तरह की संवैधानिक संरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया गया है। जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इस तरह के निदेश हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति की थी। मंडल आयोग ने इस बारे में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब श्री वी.पी. सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तभी इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की गयी। रिपोर्ट प्रकाशित की गयी और इसमें की गयी सिफारिशों को अनिवार्य रूप से लागू करने के निदेश दिये गये। इसके बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा। अब, क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त किसी दूसरे समुदाय का सम्पन्न व्यक्ति भी आरक्षण का हकदार है? उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर गहराई से विचार-विमर्श और चर्चा की तथा इस बारे में 'क्रीमी लेयर' सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। यह सिद्धान्त अब भी लागू है और कुछ राज्यों में तो पिछड़े वर्ग के लोगों को इस आधार पर नौकरियों में आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि हर तरफ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

मैं यहां पर एक अन्य महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहूंगा जो केरल से संबंधित है वहां अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास जमीनें नहीं हैं। इस मुद्दे का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलु है। उनमें भूमि वितरित करनी होगी। आज भी जहां भूमिहीन लोग हैं। वहां के मूल निवासी अथवा आदिवासी इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि राज्य सरकार उनके नाम जमीनों का पंजीकरण करे। मुतंगा में हाल में हुई घटना इसी का परिणाम है। इस समस्या का समाधान यही है कि वनभूमि को उनके नाम पंजीकृत कर दिया जाये। लेकिन वन अधिनियम इस प्रस्ताव के विरुद्ध है। अब राज्य सरकार संशय में है कि केन्द्र सरकार के वन मंत्रालय की मंजूरी के बिना वह इस भूमि को इन लोगों में कैसे बांटे। जनजाति क्षेत्रों में रहने वाली इन जनजातियों के लिए भूमि देने हेतु आंदोलन अब भी जारी है। आजकल यह मामला बहुत अधिक गरमा गया है। इसलिए यह उचित ही होगा कि हम इस दिशा में कोई कानून बनाने की सोचें।

यह उचित समय है कि विनिवेश, निजीकरण तथा सरकार की वर्तमान नीति के कारण बेरोजगारी की जो स्थिति बनी है उससे निपटने के लिए राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार कोई प्रभावी कदम उठायें। जो सरकारी पद रिक्त हो रहे हैं उन पर राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार नियुक्तियां नहीं कर रही हैं। सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों को नहीं भरा जा रहा है। सरकार भी सरकारी पदों में कटौती पर विचार कर रही है। सरकारी सेवा में रोजगार के अवसर धीरे-धीरे समाप्त हो रहे है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बेचा जा रहा है।

इसलिए, जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है यह मामला बहुत सी गंभीर होता जा रहा है और हमें इसका समाधान करना ही होगा।

इसके बाद भूमिरहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भूमि देने का मामला है। इसके लिए भी शीघ्र कोई कानून बनाने की आवश्यकता होगी। इन मामलों में केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए और उसकी वर्तमान आर्थिक नीति के चलते जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, उनके लिए उसे नौकरी तलाशनी चाहिए तथा देशभर में भूमिरहित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को जमीन देनी चाहिए। केन्द्र

सरकार को राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध करना चाहिए कि वह, जैसा कि संकल्प में इंगित किया गया है, इस मुद्दे के समाधान के लिए उपयुक्त कानून बनाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: इस संकल्प के लिए केवल दो घंटे का समय आवंटित किया गया था। यह समय अपराह्न 4.42 बजे समाप्त हो जायेगा। यदि सभा सहमत हो तो मैं इस संकल्प के लिये 45 मिनट का समय और बढ़ा सकता हूं।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

सभापति महोदय: इस संकल्प हेतु 45 मिनट का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं श्री रामदास आठवले द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आधुनिक भारतीय समाज को सदैव जातिहीन समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसा की हम सभी जानते है वैदिक सभ्यता में जाति-प्रधान समाज नहीं था। कुंभ मेले के दौरान भी विभिन्न जातियों के लिए अलग-अलग घाट नहीं है। उड़ीसा और देश के अन्य पूर्वी भागों में भगवान जगन्नाथ के समक्ष समाज का प्रत्येक व्यक्ति बराबर है और किसी जाति के लिए विशेष प्रावधान नहीं है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर भक्तगण भगवान जगन्नाथ की प्रशंसा में भजन गाते हैं और भजन बनाते हैं। सलवेका एक भक्त के रूप में जाने जाते है और वे कई भजनों के लिए जाने जाते है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वे जाति से मुस्लिम थे परन्तु अपने कर्मों से हिन्दू थे। भगवान जगन्नाथ का एक अन्य अमर भक्त दसिया मौरी था जो कि भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी अनन्य समर्पण के लिए उड़ीसा और बंगाल में याद किए जाते हैं। इनके बारे में एक रूचिपूर्ण कहानी में यह बताया गया है कि भगवान के यहां मनुष्य का स्थान जन्म द्वारा जो निर्धारित है उससे कई अधिक ऊंचा होता है। आज भी एक अन्य प्रमुख भक्त बदुरा गोसाइं की समाधि पर लोग एकत्रित होते है जिनके काफी अनुयायी है।

महोदय, शोषित और पिछड़े वर्गों के सुधार का एकमात्र रास्ता जातिविहीन समाज बनाना ही हो सकता है। परन्तु बात यह है कि एक बार अपनी जाति खोने पर वे अपना व्यवसाय खो देते है। यह समस्या की प्रमुख जड़ है। तब उनकी आय का स्रोत क्या होगा? मूल समस्या पर चर्चा नहीं की जा रही है। विगत 50 वर्षों से यह सिद्ध किया जा रहा है कि कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण रामबाण है, परन्तु वास्तव में इससे उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया।

महोदय, श्री रामदास आठवले द्वारा प्रस्ताव में सामाजिक न्याय के बारे में कहा गया था। सामाजिक न्याय क्या है? हम भारत में 'सामाजिक न्याय' का तात्पर्य अधिकांश लोगों के लिए कई बातें समझते है। यह एक ऐसा सिक्का है जो एक तरफ समाधान बताता है और दूसरी तरफ यदि सामाजिक अन्याय को बढ़ने की अनुमति दी जाती है तो उसकी प्रीमियम वैल्यू को बनाए रखने का वायदा करता है। संविधान के लेखकों को अवास्तविक समय सीमा के साथ सामाजिक न्याय के संचालन के लिए ईमानदार निर्णय लेना था। मूल दस्तावेज में यह एक गलती थी जो राजनीतिक श्रेणी के कुछ वर्गों को नौकरियों में आरक्षण द्वारा सक्षम वोट बैंक के सृजन का अवसर देती थी। 1989 तक सामाजिक न्याय निम्न-आधार का विषय था। जैसा कि अभी बताया था, आरक्षण नीति पर मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद किसी ने भी नीति के औचित्य पर प्रश्नचिह्न लगाने का नैतिक साहस नहीं दिखाया था जिसने कि देश की विशाल जनसंख्या को सामाजिक न्याय और आर्थिक स्वतंत्रता दिये बिना ही सामान्य तनाव का स्तर बढ़ा दिया था।

संकल्प को स्वीकार करने से मदद नहीं मिलने वाली और न ही निजी क्षेत्र द्वारा योग्यता क्रम परीक्षा के लिए आवेदन किये बिना नौकरियां प्रदान करने वाला योग्यता क्रम के सृजन से समाज के कमजोर वर्गों और शोषित वर्ग को अपने सहकर्मियों की आंखों में नीचा दिखे बिना ही व्यावसायिक श्रेष्ठता की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। किसी प्रकार के आरक्षण की बजाय श्रेष्ठता द्वारा योग्यताएं बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अब मैं कुछ विशेष पहलुओं पर बोलना चाहता हूं। मैं विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण से समाज जातिविहीन नहीं हो पाया है बल्कि इससे समाज में दूरियां बन गयी है। जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया है उन्होंने स्वयं के लिए उप-जाति बना ली है, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से और अल्पाधिक निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। विगत पचास वर्षों से आरक्षण की यही स्थिति है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं आरक्षण के विरूद्ध नहीं हूं। परन्तु मेरा यह कहना है कि यदि आप ठीक दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें इसे ठीक करने का प्रावधान करना चाहिए।

श्री रामदास आठवले द्वारा प्रस्तुत संकल्प में स्पष्टतौर पर बताया गया है कि नीतियों को लागू करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार वास्तव में सख्त कदम उठा रही है इसमें सदेह है। यदि वह नहीं उठा रही है तो उन्हें उठाना चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक उन्नयन के लिए यह सुझावित धारा और नीतियां है जो कि प्रशासन के समक्ष करके और उचित विधेयक लाकर बनाने चाहिए। यह दो धारायें है जो उन्होंने बतायी है।

[श्री भर्तृहरि महताब]

आज, मेरा सुझाव यह है कि सरकारी खरीदों का 30 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों से होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करें कि यह किया गया है। जैसा कि पिछली बहसों में यह कहा गया है कि यह बताया गया था कि यह सकारात्मक भेदभाव है न कि नकारात्मक भेदभाव जिसके द्वारा यह गतिविधि जो कि अमेरिकन प्रचलन से उधार ली गयी है जो उनके द्वारा प्रयोग की गयी थी। यह सकारात्मक भेदभाव है।

आपको ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना होगा जहां समाज के विभिन्न क्षेत्रों, कमजोर वर्गों के बड़े वर्ग महिलाओं का बड़ा वर्ग नौकरी में हो। आपको उन क्षेत्रों, उन फर्मों, उन संगठनों और उन संस्थानों का पता लगाकर कुल सरकारी उपभोग का कम से कम 30 प्रतिशत उन फर्मों और संस्थानों से खरीदना है इससे समाज के कमजोर वर्गों को मदद मिलेगी। इससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए व्यवसाय और व्यापार के रास्ते खुलेंगे और वह क्षेत्र कार्यक्षेत्र से बाहर रहेगा।

भूमि सुधारों के बारे में भी एक बात कही गयी थी और हम सब इसके बारे में जानते हैं। भूमि संसाधन सीमित है। हमारे राष्ट्र में भूमि तैयार नहीं की जा सकती है और जैसी की कुछ महीनों पहले चर्चा की गयी थी, जब हम गौ-हत्या पर प्रतिबंध की चर्चा कर रहे थे, तब यह भी बताया गया था कि भूमि की कैसे पहचान की जाए और उसे गायों और मवेशियों के लिए सुरक्षित की जाये। अधिकांश राज्यों में यह कानून प्रचलित हैं।

सभापति महोदय: श्री भर्तृहरि महताबजी, मैं आपको नहीं रोक रहा हूं परन्तु अभी दो लोगों को और बोलना है। मंत्रीजी को उत्तर देना है, और फिर सदस्य भी उत्तर देंगे। समय कम है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: आचार्य विनोबा भावे द्वारा पचास के दशक में एक प्रयास किया गया था जो कि भू-दान आंदोलन के नाम से जाना जाता है और हम जानते हैं कि उसका क्या परिणाम निकला है। भूमि वितरण में काफी कठिनाइयां हैं। जैसा कि श्री राधाकृष्णन जी ने बताया था, भूमि उपलब्धता की भी समस्या है, केरल सरकार भी इसी समस्या का सामना कर रही है। सत्तर के दशक में भू-हदबन्दी से फालतु जमीन का मामला सामने आया। कई राज्यों में, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की भूमि अन्य लोगों द्वारा नहीं खरीदी जा सकती है। यह कानून लागू है। क्या कभी इस बारे में कोई जांच की गई है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को वितरित अतिरिक्त भूमि के बाद भू-दान आंदोलन के बाद वितरित भूमि का क्या हुआ था? क्या राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इसका ध्यान रखने वाली कोई संस्था है? मेरे विचार से ऐसी कोई संस्था नहीं है। अन्ततः वह भूमि कहां गयी, इसकी किसी को जानकारी नहीं हैं।

अब मैं शिक्षा के पहलू पर बात करना चाहता हूं। पहले यह विचार था कि निःशुल्क शिक्षा से समाज के कमजोर और दलित वर्गों को ज्ञान के द्वारा जागरूक बनाने और उनका सशक्तिकरण करने में मदद मिलेगी। परन्तु इन दिनों हम देख रहे हैं कि समाज में दो प्रकार की शिक्षा है। अधिकांश शहरी क्षेत्रों में पब्लिक स्कूल फैले हुए है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहे है और बच्चों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षित करने के लिए हजारों रूपये में खर्च किये जाते हैं। निःशुल्क विद्यालय दयनीय स्थिति में है। अधिकांश विद्यालयों में पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, नहीं पर्याप्त आधारभूत ढांचा है। वहां आश्रम विद्यालय है परन्तु वे पर्याप्त नहीं है। मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में और आश्रम विद्यालय स्थापित किये जाए।

मैं आरक्षण पहलु पर बात करूंगा। आरक्षण दो प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित है-शिक्षा में आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण। शैक्षिक संस्थानों विद्यालयों और कालेजों में काफी छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ देते है। मैं मात्र बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की बात करना चाहता हूं। पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले कौन बच्चे है? प्राथमिकता विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में और कालेज स्तर पर कौन से लोग शिक्षा बीच में छोड़ देते है? मैं यह कहना चाहता हूं कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की निपुणता प्रदान करने पर बल दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से राज्य स्तर पर ऐसे और पालिटेक्नीक, आई टी आई बनाये जाने चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: मात्र दो और बातों के बाद, मैं समाप्त कर दूंगा। मुझे नौकरियों के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं हमारे समाज के सेवा-क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। संविधान को स्वीकार करने से पहले, हमारे यहां क्या व्यवस्था थी? वह व्यवस्था समाज के समर्थन से व्यावसायिक निपुणता की व्यवस्था की जाती थी।

सभापति महोदय: कृपया सहयोग करे और समाप्त करें। अभी दो या तीन लोगों को बोलना है और माननीय मंत्रीजी को उत्तर देना है।

श्री भर्तृहरि महताब: मेरे विचार से हमें बहस अपराह्न 5.30 बजे तक समाप्त करना है। मैं अब 4 या 5 मिनट और लूंगा और तब समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: ठीक है, महोदय, मैं कुछ बातें छोड़ रहा हूं। परन्तु मैं खेल-कूद गतिविधियों के बारे में बताना चाहता हूं। मुझे शिक्षा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, अन्य जगहों पर आरक्षण की बात करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु में एक घटना बताना चाहता हूं जिसका मैं गवाह था।

संयुक्त राज्य अमेरिका का कई कारणों से उदाहरण दिया जाता है। वहां खेल-कूद में आरक्षण नहीं होता है। बल्कि अफ्रीका और अमेरिका के लोग कड़े परिश्रम से श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और वे ओलम्पिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे यह कैसे कर सके है? दो सौ वर्ष पहले वे दास थे? वे यह कैसे कर सके? वे मात्र अपने कड़े परिश्रम से समाज में आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपनी क्षमता सिद्ध की है। मेरा विचार है उस प्रकार की उत्कृष्टता को मान्यता दी जानी चाहिए। खेल मंत्रालय के सक्रिय सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के फुटबाल और हाकी विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय खोले भी गये है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिये। अब, श्री पवन कुमार बंसल बोलेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकाधिक लोगों को लेकर प्रशिक्षित किया जा सकता है। वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

समाप्त करते हुए, महोदय मैं यह बताना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने बोलने के लिए अन्य सदस्य को बुला लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं अब समाप्त कर रहा हूं।

सामाजिक न्याय मंत्रालय, खेल मंत्रालय और युवा और खेल कार्य मंत्रालय के साथ सहयोग करके लोगों का उत्थान कर सकता है जिससे लोग विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें और समाज में अपना स्थान बना सकें।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, शताब्दियों से समाज के जिस एक वर्ग-जिन्हें आज हम अनुसूचित जातियों के नाम से जानते है। पर जो अन्याय और अत्याचार हुए उन्हें समाप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ क्षेत्रों में आरक्षण के विशेष प्रावधान किए है। तथापि, महोदय हमने देखा जैसा अत्यंत वाकपटुतापूर्ण कहा गया कि संविधान को लागू हुए 50 वर्षों के पश्चात भी हम अपने महत्वपूर्ण उद्देश्यों और आदर्शों को प्राप्त करने में कोई ठोस प्रगति नहीं कर पाए है। और इसलिए हमें बैठकर यह सोचना है कि क्या और कहां गलती हुई है। श्री भर्तृहरि महताब की भांति मैं भी यह कहना चाहता हूं कि मैं आरक्षण के विरूद्ध नहीं हूं। इसकी बजाय मैं इन प्रावधानों को तब तक संविधान में रखने की वकालत करूंगा जब तक की हम वास्वत में आदर्श वर्गहीन समाज प्राप्त नहीं कर लेते है। परन्तु इसी के साथ हमें यह देखना हैं कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या गलती हुई है। महोदय, हम यह जानकर हतोत्साहित होते हैं कि वास्तव में आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिल पाया है। इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के मात्र एक सीमित वर्ग ने ही इससे लाभ प्राप्त किया है। और इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अन्य पिछड़े वर्गों में संपन्न वर्ग' का हवाला दिया है। यह चर्चा अभी भी जारी है कि हमें इस बारे में क्या करना है क्योंकि हम वास्तव में कोई दृढ़ सिद्धांत अपनाने में समर्थ नहीं हुए हैं। परन्तु इस प्रक्रिया में मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के जरूरतमंद लोग अभी भी कष्ट झेल रहे हैं।

यह संकल्प लाने के लिए मैं श्री रामदास आठवले को बधाई देता हूं। सरकार के समक्ष इसका चाहे जो भी महत्व रहा हो परन्तु यह सत्य है कि उन्होंने संसद का ध्यान आकर्षित किया है और संसद के माध्यम से आज भी विद्यमान भारी व्यवस्था में विद्यमान असमानताओं की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तुरंत सख्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है जिन्हें संविधान के विभिन्न प्रावधानों और कानूनों द्वारा प्राप्त करना हमारा उद्देश्य था।

महोदय, मैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं, परन्तु यह देखना हम सबकी जिम्मेवारी है कि 50 वर्षों के बाद भी प्रत्येक नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आज भी वे और अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ झुग्गी बस्तियों में रह रहे है जहां नाम मात्र की भी कोई सुविधा नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

वहां सड़कें नहीं है। परन्तु, यह बातें बहुत महत्वपूर्ण है। उन जगहों तक पहुंचने के लिए भी सड़कें नहीं है। वहां पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। वहां शौचालय भी नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं को खुले में जाकर मल त्याग करना पड़ता है। उन्हें विभिन्न स्थानों पर अपमानित होना पड़ता है। यह बात कौन नहीं जानता है? परन्तु हम इनके बारे में वास्तव में क्या कर रहे हैं?

[श्री पवन कुमार बंसल]

हमारे पास योजनाओं का ढेर लगा हुआ है। दूसरे संकल्प में इन्हीं कुछ योजनाओं की बात की गयी है। परन्तु उस दिशा में क्या ठोस प्रयास किया गया है? हम देखते हैं कि जहां कहीं ऐसी योजना है, वहां उसका लाभ जरूरतमंद लोगों की बजाय अन्य लोग उठाते हैं। उस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पहला कदम घर मुहैया कराने का उठाना चाहिए जिसे मैं मौलिक अधिकार समझता हूं। हमें आगे बढ़ने से पहले राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को घर मुहैया कराना चाहिए। यह उन्हें कुछ स्वाभिमान से रहने का अवसर प्रदान करेगा। तत्पश्चात, वास्तव में हर कोई सरकार पर नौकरी देने का दवाब नहीं डालेगा। परन्तु वे सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह लोगों को अवसर प्रदान करें। परन्तु यही चूक हो रही है। यह पार्टी लाइन का प्रश्न नहीं है। हमें इसके ऊपर तन्मयतापूर्ण विचार करना होगा और देखना होगा कि हम इस संबंध में क्या कर सकते हैं।

मेरा यह मानना है कि आरक्षण के साथ-साथ आज यह भी किया जाना आवश्यक हैं। मुझे जानकारी है कि कई ऐसे स्थान है जहां अनुसूचित जाति के युवाओं और अन्य लोगों के प्रशिक्षण के लिए कई योजनायें हैं परन्तु वे भी अपर्याप्त हैं। इसी संदर्भ में यह मुद्दा उठाना चाहता हूं। आपको वाकई ऐसे अवसर प्रदान करने होंगे। आपको उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। आपको उन्हें भविष्य का सामना करने के लिए तैयार करना होगा जो अभी वास्तव में नहीं किया जा रहा हैं।

कुछ समय पूर्व हमने स्कूलों में मध्यान्ह योजना की योजना प्रारम्भ की थी क्योंकि वह भोजन छात्रों को स्कूलों की ओर आकर्षित करने का साधन समझी गयी थी परन्तु अब उसे बंद कर दिया गया है। मैंने यह देखा है ...*(व्यवधान)* मैं मात्र दो या तीन मिनट और बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। मैं वे बातें बताना चाहता हूं। मैंने जो कुछ कहा है वह सब छोड़कर मैं अपनी अन्तिम बात पर आता हूं।

माननीय मंत्रीजी जानते हैं कि मैं इस बात पर पहले से दबाव डालता रहा हूं। हम अनुसूचित जाति के लोगों के लिए योजनाएं लागू करने की बात कर रहे है। एक बात जो अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाते उन्हें लाभ प्राप्त करने का अधिकार देती है उसके उन्हें वंचित किया जा रहा है विशेषकर चंडीगढ़ में जहां से मैं आया हूं। एक वर्ष पूर्व भी इस सदन में माननीय मंत्रीजी के समक्ष मैंने यह कहा था। प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश की कुछ जातियों को संविधान के अनुसूचित जातियों (केन्द्र शासित प्रदेश) के आदेश के अधीन अनुसूचित जाति का माना गया है और वे भी अनुसूचित जाति के लोगों के समान लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। परन्तु उन्हें उन लाभों से भी अत्यंत विचित्र तरीके से वंचित किया जा रहा है।

केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संदर्भ में एक वाक्य कहा गया जिसका तात्पर्य 1 नवम्बर 1966 के केन्द्र शासित प्रदेश के अस्तित्व में आने से है। मैं अभी उनके शब्द याद करने का प्रयास कर रहा हूं। अब उसकी किस प्रकार व्याख्या की जा रही है? यदि कोई प्रमाणपत्र अधिकारियों के पास जाता है तो उसे इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि वह या उसके माता-पिता केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में उस दिन के बाद आये हैं। उस दिन से पूर्व चंडीगढ़ प्रारम्भिक स्तर का नगर था। वहां बहुत ही कम जनसंख्या थी। कई गांवों की भूमि अधिग्रहित किये जाने के पश्चात चंडीगढ़ नामक नया नगर बसाया गया हैं। इस प्रकार, उससे पूर्व वहां कुछ नहीं था। आज चंडीगढ़ संपूर्ण देश से लोगों को आकर्षित करने वाला महानगर हैं।

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आज यदि कोई 1 नवम्बर 1966 के बाद चंडीगढ़ आता है परन्तु यदि वे किसी विशेष जाति बाल्मीकी का हो यदि वह पंजाब से आया हो और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है–उसके पास पंजाब का अनुसूचित जाति का प्रणाण पत्र हो सकता है। परन्तु यदि वह चंडीगढ़ में प्रमाणपत्र चाहे तो उसे उस प्रमाण-पत्र के लिए मना कर दिया जाता है। ऐसे कई मामले होंगे। मैं एक मामला जानता हूं जिसमें किसी व्यक्ति अनुसूचित जाति का होने के आधार पर वायुसेना में नौकरी मिली। परन्तु उसका भाई जो कि चंडीगढ़ का है और दुर्भाग्य से चंडीगढ़ में बस गया-असहाय व्यक्ति के लिए मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं उसका चयन दुबारा वायु सेना में हो गया परन्तु अन्ततः उसे नौकरी नहीं दी गयी क्योंकि वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया था और वह उसकी गलती नहीं थी। यह चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उसे दिये गये अधिकार से उसे वंचित करना ही तो था।

इस माननीय सभा और विशेषकर माननीय मंत्रीजी को मैं यह बात बताना चाहता हूं। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वे मामले की जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे परन्तु सरकार धीरे-धीरे कार्य करती है जैसा कि हम सभी जानते है यह लाल फीताशाही है जो सरकार को नियंत्रित करती है। किन योजनाओं और किन लाभों के बारे में हम चर्चा कर रहे है जो हम इन लोगों को देना चाहते हैं? उसे मात्र प्रमाण-पत्र चाहिए था। यदि वह अनुसूचित जाति का था तो उसे एक प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए था और इसका कोई आश्वासन या गारन्टी नहीं है कि उसे कोई लाभ दिया जाता। प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद वह नौकरी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते है जबकि यह अलग बात है। मैं मात्र यह पूछना चाहता हूं कि आपने उसे वह प्रमाण-पत्र और यह कहने का अधिकार क्यों नहीं दिया कि वह अनुसूचित जाति का है? आपने उसे वह मान्यता और नौकरी प्राप्त करने का अधिकार क्यों नहीं दिया? ...*(व्यवधान)*

मेरा विचार हैं कि अब मुझे अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए।

सभापति महोदय: श्री पुन्नू लाल मोहले जी यहां उपस्थित नहीं है। श्री के.एच. मुनियप्पा।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): सभापति महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करवाने के लिए संकल्प प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री रामदास आठवले को बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान): आप तो पहले बोल चुके हैं। एक ही प्रस्ताव पर दो बार बोलने का प्रावधान है क्या? मैं उपस्थित था, आप बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या आप यह कह रहे हैं कि मैं इस विषय पर बोल चुका हूं?

डा. संजय पासवान: मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बोल चुके हैं।

श्री के.एच. मुनियप्पा: मुझे पता नहीं है।

डा. संजय पासवान: परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है।

श्री के.एच. मुनियप्पा: मैं आपको कुछ और ठोस मुद्दे बताना चाहता हूं। यह आपके लिए उपयोगी होगे।

डा. संजय पासवान: महोदय, माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

सभापति महोदय: यदि आप पहले भाग ले चुके हैं तो दुबारा भाग नहीं ले सकते हो।

डा. संजय पासवान: आप कृपया याद कीजिए।

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदय, मुझे याद नहीं है कि मैं बोल चुका हूं। उस स्थिति में श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन बोलेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: या, आप कुछ और बातों के लिए मुझे समय दे सकते है। *...(व्यवधान)* उस स्थिति में आप मुझे दो मिनट और दे सकते हैं।

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्री नाच्चीयपन को बोलने की अनुमति दें।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्री नाच्चीयपन आपको पांच मिनट दिये जाते हैं और आप यहां अंतिम वक्ता हैं।

श्री ई.एम सुदर्शन नाच्चीयपन: मैं श्री रामदास आठवले द्वारा पेश संकल्प का पूरी तरह समर्थन करता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): यह चर्चा पहले होनी थी।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद आपको भी समय मिलेगा।

श्री रामदास आठवले: यह चर्चा तीन बजे होने वाली थी, सवाचार बजे शुरू हुई है।

सभापति महोदय: 45 मिनट बढ़ा दिये गये हैं। आप बैठ जाइये, हमें साढे पांच बजे 'आधे घंटे की चर्चा' भी लेना है।

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: जब हम वैश्वीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं तो इस समय यह संकल्प बहुत ही समीचीन है। गत पचास वर्षों में स्वतंत्र भारत में दलितों को उनकी स्थिति से उबारने के लिए बहुत कुछ किया गया है लेकिन इससे बावजूद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के केवल 10 प्रतिशत लोग ही सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त हो सके है। आज भी इन लोगों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पहले उन्हें मुख्यत: शिक्षा प्राप्त करने के क्षेत्र में मदद दी गयी थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दिखा दिया है कि वे किसी से गौण नहीं है। यहां तक कि यदि वे चिकित्सा के क्षेत्र में 'सर्जन' भी हैं तो वे उच्चकोटि के हैं, इसी तरह यदि वे वैज्ञानिक हैं तो भी उच्चकोटि के वैज्ञानिक हैं और वे ऊंचे दर्जे के प्रशासक भी हैं। डा. बी. आर. अम्बेडकर जो दलित आंदोलन के अगुवा थे, ने तो भारत के संविधान की ही रचना की थी। इसी तरह बाबू जगजीवन राम जैसे कई नेता थे, जो दलित वर्ग से ही आये थे। दलित वर्ग के ही श्री के.आर. नारायणन तो भारत के राष्ट्रपति तक बने और उनकी गिनती सुविख्यात तथा अंतरर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों में होती है। इसी तरह, हम आपको बता सकते हैं कि दलित वर्ग से कितने लोग आगे आये हैं और अपना नाम रोशन किया है।

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

लेकिन इसके साथ ही, आज की स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 90 प्रतिशत लोग कठिनाई से जीवन बसर कर रहे हैं। यहां तक कि हमने उन्हें खेती करने के लिए जमीन दी है, रहने के लिए मकान दिया है और काम धंधा के लिए लघु ऋण भी दिये हैं, लेकिन फिर भी उनकी हालत अच्छी नहीं हुई। इन लोगों की स्थिति में कैसे सुधार आ सकता है इस बात पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। बहरहाल, यदि हम इस बारे में कोई अध्ययन करें तो हमें आसानी से ज्ञात हो जायेगा कि उन्हें खेती के लिए जो जमीन दी गयी है वह खेती योग्य नहीं हैं। उन्हें उस जमीन की सिंचाई करनी पड़ती है और जिसके लिए उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। इसके बाद उन्हें जमीन के उस टुकड़े पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और उसके बाद प्रकृति मां उन्हें कुछ थोड़ी बहुत उपज देती है। कृषि के क्षेत्र में दलित लोग ज्यादा विकास नहीं कर पाये हैं।

इसी तरह, सरकार द्वारा निर्मित जो मकान दलितों को दिये गये हैं, वे उनकी मरम्मत तक नहीं करा पाये हैं। वे लोग अपने इन्हीं घरों में रह रहे हैं, तथा इन मकानों की स्थिति अत्यधिक जीण-शीर्ण है। इसलिए उन्हें दिये गये मकान की उनके लिए उपयोगी नहीं हैं। तो फिर ऐसे मकान बनाने का क्या लाभ? यदि हम दलितों की स्थिति में वास्तव में सुधार करना चाहते हैं तो हमें उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और दूसरे पाठ्यक्रमों में दक्ष बनाना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही उनकी स्थिति में सुधार हो सकेगा। इसलिए हमें उनके लिए कोई ऐसी नयी योजना बनानी होगी जिससे प्रत्येक दलित परिवार के लोगों को किसी न किसी काम में दक्षता प्रदान की जाये ताकि वे रोजगार प्राप्त कर निर्धनता के चक्र से बाहर आ सकें। हमें उनके लिए कोई न कोई रास्ता तलाशना होगा।

यहां मैं इस बात की ओर इंगित करना चाहूंगा कि उन्हें ट्राइसेम प्रशिक्षण दिया गया था लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। दलित वर्ग के लोगों की विभिन्न कार्यों में दक्षता विकास के लिए तरह-तरह की निधियों का प्रावधान किया था लेकिन इस दिशा में कार्य नहीं हो पाया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: जब ये लोग सिंगापुर, मलेशिया अथवा अरब देश जैसे विश्व के विभिन्न भागों में बतौर श्रमिक गये, तो उन्होंने अपनी पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ की। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें ये उपाय खोजने होंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ हो?

यहां पर मैं दो और महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। पहली यह है कि दलित वर्ग के 90 प्रतिशत लोग अब भी आर्थिक रूप से विपन्न हैं। दूसरी यह है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पहल पर जिन लोगों को स्थानीय निधियों, पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, चेयरमैन अथवा जिला चेयरमैन के पदों पर 33 प्रतिशित का आरक्षण दिया गया है उन्हें निर्वाचित निकायों के चेयरमैन के रूप में कार्य करने का समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक दक्ष बनाये जाने की चेष्टा की जानी चाहिए। इसी तरह दलित वर्ग के जो लोग सुशिक्षित और सुयोग्य हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा इसी तरह भी दूसरी उच्च संस्थानों में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: वे पद जिन्हें उच्चतम न्यायालय के निदेशों तथा संविधान संशोधन में हमारे संकल्प के पारित करने के बाद भरा जाना चाहिए था, उन्हें भी नहीं भरा जा रहा है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): सभापति महोदय, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारम्भ करने के लिए इस सदन को ऐसा अवसर मिला है, जिसमें हमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रकार का एक नया मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र के अनुभवी माननीय सदस्यों—श्री रामजीलाल सुमन, श्री मुनि लाल, श्री रामविलास पासवान, श्री मोहन रावले, श्री मुनियप्पा, श्री सुबोध राय, डा. जगन्नाथ, डा. वी. सरोजा, श्री राधाकृष्णन, श्री महताब, श्री पवन कुमार बंसल और श्री सुदर्शन नाच्चीयपन-ने अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमें प्रकाशित करने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि हिन्दुस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का है। सब को समाज में समता लानी चाहिए। संविधान के प्रीएम्बल में कहा गया है। कि-

> "हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न फिर विशेषता लगाते हुए बताया है कि
> समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए संकल्पित हैं"

सामाजिक न्याय का अर्थ है किसी के प्रति अन्याय न होना। इस दृष्टि से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और समाज के दूसरे वंचित वर्ग के प्रति भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के बारे में कहा गया है। हमने सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही है। निश्चित रूप से हम सामाजिक न्याय लाने के लिए, राजनैतिक न्याय और आर्थिक न्याय चाहते हैं। उन्हें राजनीतिक न्याय मिलने के बाद ही सामाजिक न्याय प्राप्त होगा। इनके उत्थान के लिए सरकार जो योजनाएं चला रही है, यदि मैं उन्हें बताना शुरू करूं तो अधिक समय लगेगा क्योंकि यह विषय छोटा नहीं है। इस संबंध में सरकार को जो सुझाव मिले, सरकार उन्हें पूरा करने के लिए अपनी तरफ से प्रयासरत है जिससे वह शिक्षा के क्षेत्र में काम करे। किस तरह से उनके लिए आर्थिक प्रबन्ध किया जाए, यह भी देखने की बात है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें उनके रहन-सहन, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में चिंता करनी चाहिए। आप जानते हैं कि जिनती बड़ी समस्या है, उसे देखते हुए हमें शैक्षणिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। हमने पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नई छात्रवृत्तियां रैजिडैंशियल स्कूल, पब्लिक स्कूल में प्रवेश, सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने की कुछ बातें तय की। चूंकि समय की प्रतिबद्धता है। जो बातें सामने आनी चाहिए, उनको अनेक बार कहा गया है। बंसल जी चंडीगढ़ और देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, वह जानना चाहते हैं। मैं इनका जवाब देने के लिए जरूर यहां बैठा हूं लेकिन जो कठिनाइयां हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए समय बढ़ा दिया जाए।

श्री सत्यनारायण जटिया: मैं सबका जवाब देने के लिए तैयार हूं लेकिन समय की बाध्यता जैसे आपके लिए है, वैसे मेरे लिए भी है। मैं चेयर से बंधा हुआ हूं। कुछ नियम इस प्रकार के बने हैं जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति का नोटिफिकेशन हुआ है, वहीं तक वह प्रतिबद्ध रहते हैं। इसलिए हिन्दुस्तान के किसी कोने में यह संभव नहीं है। राज्य सरकारों या यूनियन टैरिटरी के क्षेत्रों को ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: मैंने ऐसी जातियों का जिक्र किया जो दोनों जगह एंटर्ड हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक जगह हो तो दूसरी जगह भी दीजिए। ऐसी जाति जो वहां भी शेडयूल्ड कास्ट हो और वहां भी शेड्यूल्ड कास्ट हो, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया: तब कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, बंसल जी ने सही बात की। मध्य प्रदेश में अनसूचित जातियों में कुछ जातियां ऐसी हैं जो एक जिले में अनुसूचित जाति हैं लेकिन दूसरे जिले में नहीं है। जिस तरह मध्य प्रदेश की स्थिति है, वह बहुत गम्भीर मामला है। जब हम मध्य प्रदेश के दौरे पर जाते है, वहां के लोगों को अमूमन यह शिकायत रहती है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? माननीय मंत्री जी के पास राज्य सरकार की संस्तुति आ चुकी है।

सभापति महोदय: समय समाप्त हो रहा है। हमने साढ़े पांच बजे आधे घंटे की चर्चा लेनी है। मंत्री जी का उत्तर नहीं हो पाएगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): वास्तव में यह एक गम्भीर मामला है। मध्य प्रदेश में धोबी जाति दो-तीन जिलों में अनूसूचित जाति में आती है लेकिन बाकी जिलों में नहीं आती है। हमने इस विषय में राज्य सरकार से आग्रह किया लेकिन वह ऐसा प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास नहीं भेज रही है। यदि वह उसे भेज दे तो हमें केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे।

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, यह केवल एक राज्य की बात नहीं है, विभिन्न प्रदेशों की बात है कि किसी एक जिले में जिस जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया है, दूसरे जिले में उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया है ...*(व्यवधान)* महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है।

सभापति महोदय: मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये। उन्होंने अपना उत्तर कम्पलीट नहीं किया है। उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सभापति महोदय, पिछले दो सत्र में ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अलावा और किसी का रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सोहन पोटाई (कांकेर): सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है ...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया: सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो एक जिले में अनुसूचित जाति के दायरे में हैं तो दूसरे जिले में उस दायरे में नहीं है ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.21 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री आठवले के प्रस्ताव के बारे में बता रहा था कि कुछ जिलों में कुछ जातियों का अनुसूचित जाति के दायरे में होना और कुछ में न होना। आप जानते हैं कि राज्य सरकार ...*(व्यवधान)*

श्री सोहन पोटाई: अध्यक्ष जी, मेरा बात सुनिये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में पूरे देश में असमानता है। जैसे अनुसूचित जनजाति गोंडा पूरे देश में अनुसूचित जनजाति में आती है लेकिन उत्तर प्रदेश में उसे अनुसूचित जाति के अंदर रखा गया है और वही बिहार में पिछड़ी जाति में आती है। इस प्रकार यह असामनता है। मेरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से निवेदन है कि देश की सभी जातियों के लोगों को समान अधिकार मिलें और किसी जाति विशेष को किसी क्षेत्र विशेष में अनुसूचित जनजाति के वर्ग में लिया गया है, उसके लिये पूरे देश में समानता लाने के लिये क्या विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: यह माननीय सदस्य का पाइंट आफ आर्डर नहीं था, मंत्री जी आप प्रश्न का जवाब दीजिए।

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनन्तपुर): महोदय, आंध्र प्रदेश में वाल्मीकि (बोया) समुदाय एजेंसी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत माना जाता है जबकि मैदानी क्षेत्रों में इसे पिछड़े समुदाय 'क' वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी कृपया इस मामले को देखें और इसमें आवश्यक परिवतन करें ताकि संपूर्ण राज्य में इसके साथ समान व्यवहार हो ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, मुझे आपकी आज्ञा से सदन को एक सूचना देनी है कि 12 मई को श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में लखनऊ में पार्टी की ओर से एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया है ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। हमारे पास निश्चित जानकारी है कि हमारे प्रदर्शन में व्यवधान डालने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे लोगों को आतंकित किया जा रहा है। बरेली में गिरफ्तारियां की गई हैं, आगरा में लोगों को धमकाने का काम शुरू हो गया है और बदायूं में यही काम हो रहा है। हमारी यह निश्चित जानकारी है कि कुछ खातिर किस्म के लोग तथा प्रशासन के लोग इस तरह के हालात पैदा कर सकते हैं जिससे श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन को बदनाम किया जा सके। आप खुद गवाह हैं कि वहां प्रतिशोधात्मक भावना से काम किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। हम यह बात लोक सभा में रिकार्ड पर लाना चाहे हैं कि जानबूझकर पहले ही से ऐसे हालात पैदा किये जा सकते हैं जिससे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को संगीन धाराओं में गिरफ्तार किया जा सके।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष जी, आज सदन उठने वाला है, इसलिये हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम इस बात को लोक सभा के रिकार्ड पर लाना चाहते हैं कि यह एक गंभीर मामला है। अगर आप मुझसे अकेले में पूछना चाहें तो मैं सारी जानकारी दूंगा कि क्या बात है? वहां एक प्रकार से गहरी साजिश हो रही है। पहले तो आदेश दे दिया गया कि उत्तर प्रदेश में कोई बस नहीं पहुंचेगी, ट्रैक्टर नहीं चल सकता है लेकिन हमारे लोग पहुंचना चाहते हैं। हमारी पार्टी के सदस्य श्री शेरवानी ने अभी हमें सूचना दी है कि बदायूं में सात लोगों को बुलाकर डी.एस.पी. ने 3-4 दिनों तक लाक अप में बंद रखा और फिर छोड़ दिया लेकिन खबरदार किया कि प्रदर्शन में शामिल नहीं होना। बाकायदा पूरे निर्देश हैं। आप अपने तरीके से पता लगाइये।

दूसरा सबसे बड़ा षडयंत्र यह है कि प्रदर्शन में सैकड़ों पुलिसवाले सादी वर्दी में रहेंगे। वे कोई हथगोला रख सकते हैं या कोई ऐसा सामान रख सकते हैं, जिससे हिंसा हो जाए। क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसमें सरकार ने मुंह की खाई है। उसके कारण वे हमसे इतने नाराज हो गये हैं कि कोई बहाना ढूंढकर, जो हमारे नेता हैं, चाहे वह श्री जनेश्वर मिश्रा हो, श्री अमर सिंह हो, श्री रामजीलाल सुमन हों, चाहे हम हों या अन्य कोई हों, हमारे खिलाफ कोई संगीन और फर्जी केस बनाकर जेल भेज सकते हैं। हम यह बात गंभीरता से कह रहे हैं। हम

कभी भी हवा में बात नहीं कह सकते और न ऐसी बात कह सकते हैं जिसमें हम गलत साबित हो जाएं। यदि आप अकेले में, अपने चैम्बर में पूछेंगे तो हम बता देंगे कि हमें सूचना कहां से मिली है। इसमें गंभीर बात यह है कि वे प्रदर्शन भी रोकेंगे। आपको पता है कि 21 फरवरी को भी रोका गया। हमारे दफ्तर में गोलियां चलीं, हमारे दफ्तर में हथगोले फेंके गये, हमारे दफ्तर के सारे दरवाजे टूट गये। हमारी पार्टी की जितनी गाडियां थी, उन्हें तोड़ा गया और उसके बाद हम जहां मंच पर जाने वाले थे, वहां सबसे पहले आंसू गैस का गोला मेरे ऊपर गिरा। हमने समझा कि हमारी गाड़ी के साइलेंसर का धुआं है। हमने दफ्तर के दरवाजे बंद करा दिये। उसके बाद कुंवर अखिलेश सिंह ने आपको बाकायदा कारतूस पेश किये। इस तरह से 21 फरवरी को भी हमारे प्रदर्शन को रोका गया था। हमारे प्रदर्शनों का इतिहास है कि हमारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण हुए हैं। अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई भी पार्टी इस बारे में गलत नहीं कह सकती है। सभी पार्टियां भी कहती हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शांतिपूर्ण होता है। हमें तब करना होता है, जेल में जाना है, दब जरूर हम कुछ करते हैं, लेकिन यह हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। इसमें यही सबसे बड़ा षडयंत्र होगा कि कोई हथगोला रखा जायेगा और संगीन केस बनाये जायेंगे, कोई घटना बनाई जायेगी।

यह सरकार के स्तर पर, मुख्य मंत्री के स्तर पर एक पूरी बैठक हो गई है। डी.जी.पी. से लेकर बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा मिलकर यह षडयंत्र तैयार किया गया है। इसलिए यह मामला हम जानकारी के लिए सदन में रखना चाहते हैं। वहां पर प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है और हमारे नेताओं के खिलाफ कोई संगीन फर्जी केस बनाने का षड़यंत्र हो रहा है। यह हम सदन के एक सदस्य हैं, हमें आपका संरक्षण है।

अध्यक्ष महोदय हम आपसे चाहते हैं कि सरकार के केन्द्रीय मंत्री श्री शरद यादव या जो अन्य मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, आप सरकार को निर्देश दीजिए। शरद यादव जी यह एक गंभीर मामला है। हालात और समय हमेशा एक से नहीं रहते हैं। विपक्ष में रहकर हम लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ और सरकार की बुराइयों की आलोचना करते हैं और प्रदर्शन के माध्यम से अपना रोष प्रकट करते हैं, लेकिन जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसे आज रोका जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष जी हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हस्तक्षेप कीजिए और सरकार को निर्देश दीजिए ताकि जो हमारे खिलाफ बड़ा गंभीर षड़यंत्र हो रहा है, उससे हम लोगों को बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: यहां मंत्री, श्री शरद यादव जी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें इतना ही कहूंगा कि इस विषय को गृह मंत्री जी के ध्यान में लायें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): अध्यक्ष जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बातें यहां कही हैं, उनकी भावनाओं को मैं गृह मंत्री जी के पास पहुंचा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप गृह मंत्री जी के ध्यान में लायें।

मैं सदन का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनका उत्तर पूरा हो जाए। लेकिन सदन के प्रोसीजर और नियमों के अनुसार अभी साढ़े पांच बजे हाफ-एन-आवर डिस्कशन लेने की जरूरत है, उसके बाद आपका उत्तर पूरा हो जायेगा।

[अनुवाद]

आधे घंटे की चर्चा डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति के नाम से लगी है। लेकिन उन्होंने श्री के. येरननायडू को चर्चा आरंभ करने के लिए अधिकृत किया है।

...(व्यवधान)

श्री दलित इजिलमलाई (तिरूचिरापल्ली): संकल्प पर चर्चा पूरी नहीं हुई है। महोदय, सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके लिए जो समय दिया गया है वह बहुत कम है और इस पर बीच में आप संकल्प तथा मंत्री के उत्तर को रोक रहे हैं। कम से कम मंत्री जी को उनका उत्तर पूरा करने दीजिये और उसके बाद आप आधे घंटे की चर्चा करवा सकते है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आधे घंटे की चर्चा अब शुरू की जानी चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मैम्बर बिल के लिए तीन बजे का समय था, लेकिन वह सवा चार बजे के लगभग शुरू हुआ है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री दलित इजिलमलाई: सब जगह भेदभाव हो रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है जो देश की कुल आबादी की 35 से 40 प्रतिशत जनसंख्या से सरोकार रखता है। महोदय, आप कृपया इस पर और अधिक समय के लिए अपनी सहमति दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस बारे में नियम क्या है मैं यह बताऊंगा।

श्री के. येरननायडू: महोदय, मैं 10 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं इस मुद्दे पर केवल 10 मिनट का समय चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री दलित इजिलमलाई: हम संसद में इस आशा से आते हैं कि वहां हम अपनी चिंताएं और समस्याएं व्यक्त कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर केवल 'दलित' सदस्य ही बोले हों। इस मुद्दे पर सभी नामी-गिरामी सदस्य बोल चुके हैं। आपने मंत्री जी से उत्तर देने को कहा, और मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी पहले से ही अपना उत्तर शुरू कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री दलित इजिलमलाई: मैं उनसे उत्तर चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम समस्या का समाधान चाहते है। माननीय सदस्य श्री बंसल ने कहा है कि कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये है। क्या मंत्री जी के पास मंत्रालय में ऐसा कोई तंत्र विद्यमान है जो इस बारे में विस्तार से बता सके या उनके पास समस्या के समाधान से संबंधित कोई विचार है। मंत्री जी को इस बारे में स्वयं ही कोई सुझाव देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस बारे में नियम क्या हैं बताता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बिल पर आगे चर्चा जारी रखी जाये। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे लम्बित रखने में मैं कोई नुकसान नहीं समझता। प्रक्रिया और प्रणाली के अनुसार हमें सभा का कार्य सायं 6 बजे तक समाप्त करना होगा तथा संकल्प पर चर्चा अगले सत्र में जारी की जायेगी। वही बात मैं कह रहा हूं कि वह अगली बार लिया जाएगा। मैंने आपका निवेदन स्वीकार कर लिया है, श्री दलित इजिलमलाई।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि शैड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्ज के विषय पर अन्याय हो रहा है। इसका समय तीन बजे था और सवा चार बजे यह लिया गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम आधे घंटे की चर्चा शुरू करेंगे और उसके बाद मैं इस संकल्प पर विचार नहीं करूंगा। श्री रामदास आठवले को इसका जवाब देने का हक है। अत: इस संकल्प को स्थगित किया जा रहा है और अगले सत्र में इस पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने निजी प्रस्ताव के लिए आज ढाई घंटे रखे थे। उसमें से सवा घंटा गवर्नमेंट बिजनैस में गया और जो हमारा प्रस्ताव लगा था, उसमें विलंब हो गया। सवा घंटा गवर्नमेंट बिजनैस में चला गया। मेरा आग्रह है कि हमें कम से कम इतना तो समय मिलना चाहिए ताकि हम अपना प्रस्ताव इंट्रोड्यूस कर सकें।

अपराह्न 5.31 बजे

आधे घंटे की चर्चा

खाद्यान्नों की खरीद संबंधी कार्य को भारतीय खाद्य निगम से वापस लेने के बारे में

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, धान और चावल की खरीद के बारे में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस चर्चा को हमें आधे घंटे में पूरा करना है।

श्री के. येरननायडू: महोदय, धान और चावल की खरीद के बारे में भारत सरकार ने तय किया है कि वह इस वर्ष आंध्र प्रदेश से 35 लाख टन की खरीद करेगी। लेकिन सूखे के कारण केवल 18 लाख टन खरीद ही हो पायी है।

गत वर्ष जब केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था तो हमने मूल्यों में वृद्धि का अनुरोध किया था, तब केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ सूखा राहत

के लिए रुपये अतिरिक्त देने की बात कही थी। अब किसानों के साथ-साथ मिल मालिकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि 50 प्रतिशत खरीद के बजाय उसे 75 प्रतिशत की खरीद करनी चाहिए। विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, चण्डीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश द्वारा हाल में निवेदन करने पर केन्द्रीय सरकार ने उन्हें खरीद को 75 प्रतिशत तक करने की अनुमति दे दी है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह आंध्र प्रदेश में भी खरीद में वृद्धि कर 75 प्रतिशत करे ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। खरीद में 50 से 75 प्रतिशत वृद्धि के संबंध में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 30.4.2003 को एक उत्तर भी लिखा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इन बातों को पिछले वर्ष कड़ाई से लागू किया तथा मिल मालिकों ने बड़ी तादाद में धान की खरीद की जिसका अब मिलों में भण्डारण किया जा रहा है। किसानों के पास भी काफी तादाद में धान है। उनसे खरीद नहीं रही है जिसकी वजह से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है।

सूखे की स्थिति के कारण मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि 30 लाख टन चावल की खरीद के लिए तथा उष्णा चावल की खरीद को पांच मिलियन टन से सात मिलियन टन करने के निर्देश एफ सी आई को दें। तभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सकेगा। एक ओर तो हम सूखे की समस्या का सामना कर रहे हैं, दूसरी ओर आप पंजाब और हरियाणा से तीन लाख मिलियन टन चावल आंध्र प्रदेश में भेज रहे हैं, लेकिन रैक्स की समस्या के कारण हम उस चावल का उचित प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए चावल के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में आपको खरीद के लिए, किसानों को और चावल देने की अनुमति देनी होगी तभी आंध्र प्रदेश को चावल मिल सकेगा तथा रैक्स की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

सुबह जो मैंने तीसरा अनुरोध किया था, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को 20 रुपये सूखा राहत के रूप में दिये जाने चाहिए। ऐसा आपने हरियाणा और पंजाब के गेहूं उत्पादकों को सूखा उपकर में से दिया है। यही सुविधा आपने धान उत्पादकों को नहीं दी गई है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि रबी फसल के लिए किसानों को 20 रुपये विशेष सूखा राहत के रूप में दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास दो माननीय सदस्यों के नाम हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रो. रासा सिंह रावत, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य प्रकार की जो विभिन्न योजनाओं के अधीन, राज्यों की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अधीन, राज्यों को आपूर्ति करने के लिए खाद्यान्नों की जो मौजूदा वसूली है, क्या इस प्रणाली में कुछ दोष हैं, यदि हां, तो सरकार भविष्य में उनके निवारण के लिए क्या क्या करने जा रही है, क्योंकि गोदाम भरे हुए हैं, कुछ राज्यों में गोदाम खाली हैं। परिणाम स्वरूप जहां जहां प्रक्योरमेंट होता है, वहां अनाज रखने के लिए जगह नहीं है और जहां प्रक्योरमेंट नहीं होता है वहां सप्लाई कर के लोगों को अन्न पहुंचाने में कठिनाई आती है। कहीं रेलवे रैक्स की कमी के कारण या अन्य-अन्य कारणों से समय पर अन्न नहीं पहुंच पाता है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी और भारत सरकार के नेतृत्व में भारतीय खाद्य निगम अच्छा काम कर रहा है। उसका रिकार्ड भी बहुत अच्छा रहा है और देशभर में उसके 60 हजार कर्मचारी 5696 गोदामों, कार्यालयों के माध्यम से खरीद प्रक्रिया में सेवारत हैं, लेकिन कई जगह, धीरे-धीरे कर्मचारियों की कमी, रैक्स की कमी, जहां प्रक्योरमेंट होता है वहां से प्रक्योरमेंट नहीं होने वाले क्षेत्रों में अन्न भेजने की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण कमी वाले क्षेत्रों में अन्न नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण अकाल राहत कार्यों में, काम करने वाले लोगों को कैश पेमेंट के साथ, जो गेहूं मिलता है, वह समय पर नहीं मिल पाता है। क्या इस कठिनाई के निवारण के लिए मंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे?

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय सी.ए.जी 2002 की रिपोर्ट संख्या 3 में कहा गया है:

341.44 करोड़ रुपये का अनुत्पादक व्यय/निवेश जो कि अतिरिक्त रिहायसी ईकाइयों के निर्माण, अंतर-निगमी जमाओं की गैर-वसूली, संयुक्त उद्यमों में निवेश, कार्यहीन श्रमिकों के वेतन और भत्तों, संघटकों के विवेकहीन आयात, उपकरणों की खरीद आदि पर 38 ऐसे मामलों में खर्च किया पाया गया। क्या सरकार ने इस सबंध में अब तक कोई कार्रवाई की है? यदि हां, तो वह किस स्तर पर है? भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गयी खरीद नीति की क्या केन्द्रीय सरकार समीक्षा करेगी? सभी राज्य सरकारें चाहे वे भारतीय जनता पार्टी की हो या अन्य दलों की सभी विकेन्द्रीकरण का विरोध कर रही हैं। वे चाहते हैं कि खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही की जानी चाहिए अन्यथा राज्यों को कुछ राजसहायता प्रदान की जानी चाहिए। सरकार की नीति क्या है?

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, यह जानकर मुझे खुशी हुई कि प्रक्रिया से भारतीय खाद्य निगम को हटाने का सरकार का विचार नहीं है। अत: हमारी दूसरी जिज्ञासा असामान्य वृद्धि के बारे में है जिसे आप गेहूं पर आर्थिक लागत भी कहते हैं और जिसे अंतत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए जारी किया जा... है। एक प्रश्न के उत्तर में आज कहा गया कि मूल्य असामान्य रूप से बढ़ा दिये गये हैं-पहले खरीद लागत में और फिर वितरण लागत में। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इस संबंध में किन उपायों पर विचार किया जायेगा क्योंकि मैंने पाया है कि भंडारण शुल्क, पर ब्याज तथा ढुलाई सभी दोगुणा हैं। आप इसे कैसे कम कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम की भूमिका रहे, वह कार्यकुशलता से कार्य करें और अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्यान्न उचित मूल्यों पर लोगों को उपलब्ध करायें।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2002-2003 के दौरान केबीके जिलों तथा पश्चिमी उड़ीसा के छह जिलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद की जानी थी, लेकिन यह कहते हुये मुझे दुख हो रहा है कि भारतीय खाद्य निगम ने वहां एक दाने तक की खरीद नहीं की। धान की खरीद न करने का कारण उन्होंने बताया कि धान एफ क्यू की गुणवत्ता के अनुरूप नहीं था। अगर ऐसी बात है तो 50 वर्षों की स्वतंत्रता के पश्चात सभी किसान अपना धान और अन्य खाद्यान्न मिल मालिकों और एजेंटों को कैसे बेच पाते? उड़ीसा के जिलों में पिछले वर्ष एक भी दाने की खरीद नहीं हो पायी, इसके क्या कारण थे?

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई भाषण नहीं देना है, सीधी सी एक बात पूछनी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले कई वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है, वैसे ही वहां किसानों की हालत खराब है। मैं अभी अपने क्षेत्र में होकर आया हूं और मैंने बहुत से गांवों का दौरा किया है। मैं आपको स्थिति की जानकारी देना चाहता हूं कि एफसीआई ने वहां प्रक्योरमेंट एक तरह से पूरी तरह बंद किया हुआ है। यह मेरी कांस्टीट्यूएंसी के छतरपुर और टीकमगढ़ जिले का हाल है तथा बगल के जिलों की भी यही स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कृपा कर आप यह पता लगाएंगे, सरकार जांच कराएगी कि एफसीआई ने वहां जो गेहूं की खरीद करनी, उसकी कितनी खरीद की और कितना पैसा पहुंचाया। किसानों का किसी का गल्ला ले भी लिया तो उनका पैसा नहीं मिल रहा है। वहां उनके पास बोरे नहीं हैं और इस दुर्व्यवस्था के कारण समूचे मध्य प्रदेश के किसान बेहद परेशान हैं। ...*(व्यवधान)* क्या आप इसकी जांच करा कर आवश्यक निर्देश देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री एन. जर्नादन रेड्डी बोलेंगे।

हालांकि आधे-घंटे की चर्चा के नोटिस में उनके नाम नहीं हैं, फिर भी प्रत्येक को एक छोटा प्रश्न पूछने की अनुमति मैंने दी है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट): महोदय, 7 मार्च 2003 को विशेष रूप से प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार केरल जैसे खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने पर विचार कर रही है।

उन दिनों में पंडित नेहरू ने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की थी। लेकिन इस सरकार के शासन में आने के बाद वे भारतीय खाद्य निगम को बंद करना चाहते हैं। अत: मैं सरकार से विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद प्रणाली आदि जारी रखेगी जो इस समय किसानों की मदद के लिए उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): अध्यक्ष जी, येरननायडू जी, चतुर्वेदी जी, रेड्डी जी तथा अन्य कई माननीय सदस्यों ने जो सवाल पूछे हैं, उन पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। मैं सोचता हूं कि इन सवालों पर इस सदन में लगातार एक बार नहीं, बल्कि कई बार चर्चा हुई है। अभी हमारे पुराने मंत्री जी बोल रहे थे, सरकार मानती है कि जो इंस्ट्रुमेंट्स, उन्हें दिए हैं, ये हिन्दुस्तान के किसानों को वाजिब दाम देने के लिए है। हिन्दुस्तान में कई प्रकार की आपदा और विपदा आती है। गरीबी रेखा के नीचे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, खास करके वे सब लोग, जिनको कम से कम भोजन की आवश्यकता है। उसके प्रावधान के लिए, जो सूखे और ड्राउट वाले इलाके हैं, क्योंकि हमारे यहां कई जगह सूखा पड़ जाता है, कई जगह बाढ़ आ जाती है या कई जगह भूकम्प आ जाता है। यह बहुत बड़ा देश है, इसलिए अनाज को प्रक्योर करने और उसकी मूवमेंट का जो हमारा काम है तथा अंत्योदय अन्य योजना आदि काम हैं, इन सारे कामों की बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी हमारी हो या आपकी हो, उस जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। जिस समय एनडीए की सरकार ने टेकआवर किया था, उस समय 9000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पीडीएस में दी जाती

थी, इस समय वह बढ़ कर 18,000 करोड़ रुपए हो गई है। फूडग्रेन सब्सिडी भी बढ़ कर 40,000 करोड़ हो गई है। निश्चित तौर पर यह ऐसा मामला है कि इसकी जिसने भी स्थापना की है और जिन आवश्यकताओं के लिए की गई है, वह देश के लिए जरूरी है। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: हमने एफसीआई के रोल का ज्यादा जिक्र किया था, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर) समस्या भारतीय खाद्य निगम है। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, सब्सिडी का मसला अलग है, जो पहला बुनियादी सवाल था, जिस पर आधे घंटे की चर्चा हुई है, उसमें हमें आशंका हुई थी। आपने जवाब में तो कह दिया था कि एफसीआई अपना काम नहीं छोड़ रही है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि एफसीआई धीरे-धीरे अपने काम से हट रही है। *...(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: मैं उस बात पर आ रहा हूं। मैंने आपसे निवेदन किया कि सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। *...(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: आपने अभी कहा कि 40,000 करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी दी जा रही है, मेरे ख्याल से इसे चैक कर लीजिए।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, मैंने सब मिलाकर कहा है, इसमें मिड डे मील शामिल है, एस.जे.आर.वाई. शामिल है, उन सभी योजनाओं पर यह सब्सिडी हो सकती है। आपकी बात ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप आसन की तरफ देखकर उत्तर दीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में आप कहेंगे कि हम 40 हजार करोड़ रुपये की फूड सब्सिडी दे रहे हैं। यह बात सही नहीं है, इसे प्लीज चैक कर लीजिए। यह सारी सब्सिडी मिलाकर होगी, आप वह बोलिये। *...(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: मैं यह सब सब्सिडी मिलाकर कह रहा हूं। येरननायडू जी ने जो बात कही है, जो प्रिक्योरमेंट का सवाल इन्होंने पूछा है और बंसल जी कि चिन्ता एफ.सी.आई. की है। जो प्रिक्योरमेंट की जिम्मेदारी है, उसमें हम किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है, हम वह जिम्मेदारी निभाएंगे। हां मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो किसानों से खरीद का काम है, देश भर का किसान चाहता है कि सारे देश में एफ.सी.आई. के लोग पहुंचें, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट उतना बड़ा नहीं है। जहां हम पहले से काम कर रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, इससे हटकर भी हमने भी हमने बिहार और उड़ीसा में सारी जगह जाकर कोशिश की है कि हम इसका विस्तार करें।

जो एफ.सी.आई. के प्रिक्योरमेंट सैण्टर्स हैं, उनके विस्तार का भी काम हमने इस साल शुरू किया है। बिहार के अन्दर पिछले साल 41 खरीद केन्द्र थे, इस साल उनको हमने 100 किया है। अभी जो उड़ीसा के साथ के.वी.के. वाले डिस्ट्रिक्ट में खरीद का मामला पूछ रहे थे, उनकी शिकायत मेरे पास आई थी, उस शिकायत के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि उनका पत्र मेरे पास आ गया है। वहां खरीद क्यों नहीं की गई है, उसमें जो कमी है, हम उस कमी को दूर करने का काम करेंगे।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एफ.सी.आई. के पहले बहुत से खरीद केन्द्र थे, लेकिन इस बार खरीद नहीं हो पाई तो वहां किस वजह से नहीं हो पाई?

श्री शरद यादव: श्यामाचरण जी ने एक बात सही कही। हमने कई तरह की व्यवस्था बनाकर रखी है। एफ.सी.आई. का जो खरीद का तरीका है, वह पंजाब, हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में व्यवस्था अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल हैं, ये आठ सूबे हैं, इन सूबों में हम डीसैण्ट्रलाइज प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं। यह काम हमने वहीं की सरकार के हाथ में दे दिया है। वहां सारी प्रिक्योरमेंट करने की जिम्मेदारी वहां के सूबे की सरकार के हाथ में दे दी गई है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: यह सही नहीं है, आपके एफ.सी.आई. के लोग हमारे यहां सैण्टर खोलकर बैठे हैं।

श्री शरद यादव: वह आपके सूबे में है, मैं इन सब की बात कह रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं कि डीसैण्ट्रलाइज प्रिक्योरमेंट का सिस्टम वहां हमने लागू किया है। आपके सूबे में भी डीसैण्ट्रालाइज प्रिक्योरमेंट के लिए हमने फैसला किया है।

[श्री शरद यादव]

आपके यहां एफ.सी.आई. भी प्रिक्योरमेंट कर रहा है और सूबे की सरकार भी कर रही है। निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं, बाकी सूबों में हम जो गये हैं, वहां हमने जो खरीद केन्द्र खोले हैं, वे बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। बाहर से कुछ लोग वहां गये हैं, हालांकि कर्मचारियों की हमारे पास कमी हैं, उसमें कई शिकायतें आ रही हैं। आपने जो शिकायत की है, जबलपुर के इलाके से भी कुछ शिकायतें आई हैं, जहां-जहां से भी शिकायतें आई हैं, के.वी.के. रीजन की भी शिकायतें हैं, निश्चित तौर पर इन सारी शिकायतों को आप कृपया मुझे देने का भी काम करें और आगे भी जो गड़बड़ी है, उसे भी बताने का काम करें। चूंकि वहां के इलाकों में प्रिक्योरमेंट करने के लिए हम लोग गये हैं। जहां हम नये इलाकों में जाएंगे, वहां व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था में कितनी खामियां हैं, कितनी गड़बड़ी होती है, यह एक सवाल है, लेकिन कई इलाकों में तो खरीद की व्यवस्था हमने नई कायम की है। जब नये इलाकों में हम जाते हैं तो नई तरह की दिक्कतें हमारे सामने आती हैं।

[हिन्दी]

येराननायडू साहब ने जो कहा है कि उनके इलाके में सूबे में ड्राउट है, इसलिए इस बार खरीद कम होगी। उन्होंने कुछ सवाल भी उठाये हैं। आज शाम को टास्कफोर्स की मीटिंग होने वाली है। मेरी आपसे भी चर्चा हुई है, इन कठिनाइयों को हम जानते हैं और इस बार आपने 18 लाख मीट्रिक टन राइस की मांग की है। ...*(व्यवधान)* श्री येराननायडू जी ने तीन-चार सवाल उठाये हैं जिन पर मेरी उनके साथ चर्चा होती रही है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें चूंकि ड्राउट से रिलेटिड हैं और भारत सरकार की तरफ से ड्राउट से इफैक्टिव तरीके से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनायी गयी है।

[अनुवाद]

श्री के. येराननायडू: महोदय, दो-तीन विषय है। कार्यबल के अध्यक्ष भी यहां उपस्थित है।

विगत वर्ष, सूखे के कारण गेहूं और धान के प्रत्येक किसान को विशेष सूखा सहायता के रूप में 20 रु. दिये गये थे। रबी के मौसम में भी यही सुविधा गेहूं किसानों को दी गयी है, परन्तु धान के किसानों को नहीं दी गयी है जबकि सूखे की स्थिति भी जारी है। इस वजह से कार्यबल कार्य के लिए भोजन और अन्य योजनाओं के रूप में कुछ राज्यों के लिए चावल और अनाज स्वीकृत कर रहा है। यह सुविधा धान के किसानों को क्यों नहीं दी गयी है और विशेष सूखा सहायता के रूप में 20 रु. उन्हें क्यों नहीं दिये गये है? यदि यह जारी रहा तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा।

दूसरा, आंध्र प्रदेश के कर आदेश 1985 के आधार पर भारतीय खाद्य निगम 50:50 के आधार पर धान और चावल खरीद रहा था। बाहर कोई मांग नहीं हैं। विद्यमान परिस्थितियों के कारण आंध्र प्रदेश सरकार ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि के साथ इसे 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। संबंधित सरकारों के अनुरोध पर उन्होंने इसे 75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।

यदि वे हमारा अनुरोध मान लेते हैं तो भारतीय खाद्य निगम भी इतना धन बचायेगी। हम प्रत्येक माह लगभग 3 लाख टन चावल पंजाब और हरियाणा से प्राप्त कर रहे हैं। रेक्स की भी समस्या है। हम पर्याप्त चावल प्राप्त नहीं कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम 75 प्रतिशत तक खरीद सकती है; वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंत्योदय, अन्नपूर्णा इत्यादि सामाजिक कल्याण योजनाओं इत्यादि के लिए खरीदते हैं। वे आंध्र प्रदेश से भी चावल खरीद सकते थे, इस प्रकार उन्हें उत्तर से दक्षिण को चावल भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यातायात शुल्क में भी कमी होगी। मैं इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: श्री येराननायडू जी ने जो कहा है, उसके बारे में मुझे कहना है कि पहले उनके यहां ऐसी व्यवस्था थी कि 50 परसेंट लैवी राइस भारत सरकार लेती है। अब वे चाहते हैं कि 75 परसेंट लैवी कर दी जाये। पंजाब और हरियाणा में पुराना सिस्टम है। इनकी मांग के संबंध में, उनकी मेरे साथ बात हुई है। हम उसे पूरा एग्जामिन करके आपसे चर्चा करेंगे। इन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बरसों से पैडी में जो 20 रुपये रिलीफ दिया गया है, वह रबी के सीजन में भी दें, क्योंकि सूखे के कारण इस फसल पर भी असर पड़ा है। इसके बारे में कोई फैसला कैबिनेट में ही सकता है। यह बात हमारे दिमाग में है। मैं उस सवाल के बारे में यहां कछ नहीं कह सकता क्योंकि वह तो कैबिनेट का अधिकार है।

माननीय सदस्य ने और जो सवाल उठाये हैं, उनके बारे में मेरी आपसे चर्चा होती रही है। आपने मूर्ति साहब का जिम्मा अपने हाथ में लेकर सारे सवाल पूछे हैं। इन सवालों पर हम ध्यान देंगे। चूंकि सबके बारे में बताने में समय बहुत लग जायेगा। स्पेशल

कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत एस.जी.आर.वाई. में 90 लाख मीट्रिक टन अनाज है। क्योंकि यह असाधारण परिस्थिति है इसलिए आसाधारण कदम उठाने चाहिए। जो ड्राउट इफैक्टेड आवंटित एरियाज हैं, उनके लिए फ्री आफ कास्ट आबंटित किया गया है।

अभी श्री शिवराज पाटिल ने कुछ फिगर्स के बारे में कहा था। यह पिछले साल नहीं, इस साल का बढ़ेगा। पिछले साल फूड सब्सिडी 24 हजार करोड़ रुपये थी। पांच हजार करोड़ रुपये एस.जी.आर.वाई के लिए रेगुलर है, आठ हजार करोड़ रुपये ए.जी.आर.वाई. स्पेशल कम्पोनेंट में खाद्यान्न का आवंटन हुआ है और एक हजार करोड़ रुपये मिड डे मील में है। ऐसे करीब 38 हजार करोड़ रुपये बनते है। मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ी गलती हुई जिसे मैंने करैक्ट करने के लिए यहां रखने का काम किया है। श्री येरननायडू से मेरी चर्चा चलती रहती है और वह चर्चा जारी रहेगी। इन्होंने और जो सवाल उठाये हैं, उसके बारे में टास्क फोर्स की होने वाली मिटिंग, जो छः बजे होनी है, उसमें हम इन सवालों को देखेंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मैंने बहुत स्पष्ट रूप से यह पूछा था और मैं जिन क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख करके बता रहा हूं, वहां एफ.सी.आई. द्वारा खरीद के लिए किसान कई दिनों तक खड़ा रहता है, लेकिन उसके अनाज की खरीद नहीं हो रही है। क्या आप कृपा करके इसकी जांच करवाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर किसानों का अनाज खरीदा जाए, उनके पास पर्याप्त राशि हो। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं इस पर विस्तार से बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपने कहा कि समय का अभाव है। ...*(व्यवधान)* चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि उनके इलाके में खरीद के मामले में एफ.सी.आई. के केन्द्र ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। एफ.सी.आई. जब खरीद करती है तो केयर ऐवरेज क्वालिटी का अनाज खरीदती है। जिन नए इलाकों में हम जाते हैं, हमारे पास फेयर ऐवरेज क्वालिटी के लिए मशीन होती है सब तरह के तोल होते हैं, सब तरह के नार्म्स होते हैं। यदि हम खराब अनाज खरीद लें। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हम यह नहीं कह रहे कि खराब अनाज खरीदें। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: आप कैसे जानते हैं। जानने वाले लोगों की जानकारी में है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हम किसान हैं, हम नहीं जानते तो क्या आप जानते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। हम खेती करते हैं, यहां बैठकर ऐसे ही बात नहीं करते। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: मैं भी जब इस मंत्रालय में नहीं था, एफ.ए.क्यू. के कितने कड़े नार्म्स होते हैं, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। निश्चित तौर पर मानिए कि हम जिन नए इलाकों में जाते हैं, जैसे बिहार में हमने बड़े पैमाने पर खरीद करने की कोशिश की थी। नए इलाकों के लिए मैं कह सकता था। कि खरीद हो रही है या नहीं, निश्चित तौर पर एफ.ए.क्यू. नार्म्स पालन करने में कई बार ईमानदारी से काम करते हैं और कई बार कंजूसी से, यानी अपने काम के चलते, ऐसे भी केस होते हैं जहां वे नहीं करते। आपने जो सवाल उठाया है, मैं उसे जरूर दिखवाने का काम करूंगा। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) आपने खरीद का मामला रखा है। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में राज्य एजेंसियां खरीद नहीं कर रही हैं। गेहूं पैदा करने वाला किसान मारा-मारा फिर रहा है। आज साढ़े चार सौ रुपये, पौने पांच सौ रुपये क्विंटल पर उत्तर प्रदेश में किसान गेहूं बेचने के लिए मजबूर हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि राज्य एजेंसियों पर खरीद के लिए आपका नियंत्रण होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: यह विषय बहुत सैनसीटिव है और हरेक से वास्ता रखता है। आपने जो सवाल उठाए, मैंने सुने हैं। उनका विस्तार से जवाब देने की जरूरत है। जैसे अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल उठाया। वहां डीसैंट्रलाईज्ड प्रोक्योरमैंट है। उन्होंने वहां खरीद के मामले में सूचना दी है कि पहले से ही कभी उत्तर प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद होती है। आपने सूचना दी है, सुबह सुमन जी ने भी इस पर शायद नोटिस दिया था। जहां डीसैंट्रलाईज्ड प्रोक्योरमैंट है, हमने इसे कई सूबों में वहां सूबों की सरकार के हाथ में दिया है। जब नया सिस्टम लागू हुआ है तो पहली बार कुछ सालों तक स्ट्रीमलाइन होता है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, उन सारी बातों को मैंने सुना है। यदि आप कहें तो मैं विस्तार से इसका जवाब दूं जिससे मैं भी संतुष्ट हो सकता हूं और लोगों को भी मुतमईन करवा सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य तेरहवीं लोक सभा का बारहवां सत्र जिसका आरम्भ 17 फवरी, 2003 को केन्द्रीय कक्ष में, एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से हुआ था, वह अब समाप्त हो रहा है।

सत्र के दौरान 239 घण्टों की 37 बैठकें हुई। केंद्रीय मंत्रियों और विभागों की अनुदानों की मांगों पर विभाग संबंधी स्थायी समितियों द्वारा विचार करने और सभा में उनके प्रतिवेदन रखने के लिए सभा में 14 मार्च, 2003 से 6 अप्रैल 2003 तक अवकाश रहा। सत्र के दौरान लोक सभा की स्थायी समितियों ने 56 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

बजट-सत्र के दौरान सभा में वित्तीय, विधायी और अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये। सभा में 13 घंटे से अधिक समय तक चले वाद-विवाद के पश्चात 3 मार्च, 2003 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

सम्पूर्ण सभा के पूरे सहयोग से केन्द्र का सामान्य बजट और रेल बजट पारित किया गया। बजट पर सामान्य चर्चा के लिए सभा की बैठक देर रात तक भी चली। श्रम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर छ: घंटे की अलग चर्चा के पश्चात् सभा द्वारा स्वीकृत की गई। वर्ष 2003-2004 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की शेष सभी मांगों को सभा द्वारा 25 अप्रैल 2003 को स्वीकृत किया गया। चार दिन 12 घंटे तक चली चर्चा, जिसमें 47 सदस्यों ने भाग लिया 30 अप्रैल 2003 को, वित्त विधेयक 2003 पारित किया गया।

इस सत्र के दौरान सभा ने 25 अन्य विधेयक भी पारित किये। उनमें कुछ प्रमुख विधेयक इस प्रकार हैं-निर्वाचन विधियां (संशोधन) विधेयक 1999, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 1999, विद्युत विधेयक, 2001, राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000, संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 और संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003।

जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999, जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण करने का प्रावधान है, को 6 मई 2003 को विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। विधेयक के कुछ प्रावधानों पर दलों में सहमति नहीं बन पाने के कारण यह महसूस किया गया कि सभा में विधेयक पर ठीक तरीके से विचार कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए विधेयक पर विचार किया जाना स्थगित कर दिया गया। जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी हैं कि मैंने 16 जून, 2003 को विधेयक पर विचार करने के लिए सर्वसम्मति बनाने हेतु दलों के माननीय नेताओं की बैठक का प्रस्ताव रखा है।

नियम 193 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के छ: महत्वपूर्ण विषयों पर सभा में लम्बा और लाभदायक वाद-विवाद हुआ। इसके अलावा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से 13 मामले उठाए गए जिनके प्रत्युत्तर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों ने 19 वक्तव्य भी दिये। इन वक्तव्यों में से एक वक्तव्य आज दिया गया जो कि 8 मई 2003 को श्री हरिकोटा से समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (जी एस एल वी) डी-2 की दूसरी परीक्षण उड़ान के सफल प्रक्षेपण के बारे में था हम वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, इस सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के 19 विधेयक पुर:स्थापित किये गये। तीन विधेयक विचार के लिए लिए गये, उनमें से दो विधेयक को वाद-विवाद के उपरांत संबंधित सदस्यों द्वारा सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया और तीसरे विधेयक पर वाद्र-विवाद पूरा नहीं हो पाया।

इस सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के तीन सकंल्पों पर विचार किया गया। श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा प्रस्तुत संकल्प जिसमें सरकार से संपूर्ण देश में गौ और गौवंश के वध पर पाबंदी लगाने के लिए एक उपयुक्त विधान लाने का आग्रह किया गया था और उसे स्वीकार कर लिया गया था। शेष दो में से एक संकल्प सभा की सहमति से संबंधित सदस्य द्वारा वापिस लिया गया और दूसरे संकल्प पर चर्चा पूरी नहीं हुई।

सभा में अध्यक्ष द्वारा रखा गया संकल्प भी सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेनाओं द्वारा इराक के विरुद्ध की जा रही सैनिक कार्यवाही की निंदा की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ से इराक की प्रभुसत्ता की रक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में इराक को पुनर्निर्माण सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया।

इस सत्र के दौरान 702 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिनमें से 131 प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया। शेष 571 तारांकित प्रश्नों और 6936 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभापटल पर रखे गए। सभा द्वारा आधे घंटे की तीन चर्चाएं भी की गयी।

माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 373 मामले उठाये। इसके अतिरिक्त शून्य काल के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्व के 255 मामले भी उठाये गए।

मेरा एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर माननीय नेताओं और सदस्यों द्वारा किये गये अभिनन्दन के लिए मैं उनका आभारी हूं जो कि लोक सभा के इतिहास में पहली बार हुआ है।

सभी माननीय सदस्यों द्वारा मुझे किये गये सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहायता देने के लिए मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति-तालिका के मेरे सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न दलों के नेता, मुख्य सचेतकों और सचेतकों द्वारा मुझे दिये गये सहयोग के लिए उन्हें विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूं।

सभा की कार्यवाही के प्रसारण और प्रकाशन के लिए मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं।

सायं 6.05 बजे

राष्ट्र गीत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभी माननीय सदस्यगण खड़े हो जाएं, क्योंकि 'वन्दे मातरम' की धुन बजायी जायेगी।

(राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई।)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।